विषय सूची

क्रम संख्या	तारीख	विषय	पृष्ठ संख्या
		आमुख	
1.	18 जनवरी, 1985	राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकर गतिविधियों के संबंध में की गई गिरफ्तारियों के बारे में वक्तव्य	1
2.	22 जनवरी, 1985	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	3
3.	30 जनवरी, 1985	संविधान (52वां संशोधन) विधेयक	10
4.	21 मार्च, 1985	ईरान–इराक युद्ध के विस्तार से उत्पन्न स्थिति के बारे में वक्तव्य	13
5.	25 अप्रैल, 1985	श्रीलंका की स्थिति के बारे में वक्तव्य.....	15
6.	13 मई, 1985	दिल्ली तथा उत्तर भारत के अन्य भागों में हुए बम–विस्फोटों से उत्पन्न स्थिति तथा देश में गुप्तचर एजेंसियों की असफलता के बारे में चर्चा	17
7.	23 जुलाई, 1985	विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य	24
8.	24 जुलाई, 1985	पंजाब के संबंध में वक्तव्य.....	30
9.	23 अगस्त, 1985	पंजाब में चुनाव के बारे में वक्तव्य	32
10.	26 नवम्बर, 1985	विदेश यात्राओं के बारे में वक्तव्य	35
11.	18 दिसम्बर, 1985	सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव ..	38
12.	27 फरवरी, 1986	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर	49
13.	13 नवम्बर, 1986	हरारे, इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और थाईलैंड की यात्राओं पर वक्तव्य	72
14.	2 दिसम्बर, 1986	सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव महामहिम	

क्रम संख्या	तारीख	विषय	पृष्ठ संख्या
		श्री मिखाइल गोर्बाचोव की भारत यात्रा पर वक्तव्य.....	77
15.	3 मार्च, 1987	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर	80
16.	30 जुलाई, 1987	भारत–श्रीलंका समझौते पर वक्तव्य	97
17.	26 अगस्त, 1987	अंतर्राष्ट्रीय समुद्र–संस्तर प्राधिकरण के लिए विरचन आयोग द्वारा भारत को मध्य हिन्द महासागर में खनन क्षेत्र आवंटित किए जाने के बारे में वक्तव्य	101
18.	9 नवम्बर, 1987	भारत–श्रीलंका समझौते के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की स्थिति पर वक्तव्य	104
19.	11 नवम्बर, 1987	विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य	110
20.	9 दिसम्बर, 1987	भू–आधारित मध्यम दूरी के नाभिकीय प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने के संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के बीच हुए समझौते के बारे में वक्तव्य	117
21.	11 दिसम्बर, 1987	मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव	119
22.	25 फरवरी, 1988	भूमि से भूमि तक मार करने वाले 'पृथ्वी' नामक सामरिक भारतीय प्रक्षेपास्त्र के लिए किए गए परीक्षण के बारे में वक्तव्य.....	158
23.	2 मार्च, 1988	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर	160
24.	17 मार्च, 1988	भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह 1–ए (आई.आर.एस. 1–ए) के प्रमोचन के बारे में वक्तव्य.....	178
25.	20 अप्रैल, 1988	अनुदानों की मांगें, 1988–89	180
26.	4 नवम्बर, 1988	मालदीव में घटित घटनाओं के बारे में वक्तव्य	189

क्रम संख्या	तारीख	विषय	पृष्ठ संख्या
27.	21 नवम्बर, 1988	सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव तथा सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम के अध्यक्ष श्री गोर्बाचोव की भारत यात्रा के बारे में वक्तव्य.....	192
28.	28 फरवरी, 1989	27 फरवरी, 1989 को प्रश्नकाल के दौरान की गई कतिपय टिप्पणियों को स्पष्ट करने के बारे में वक्तव्य	196
29.	3 मार्च, 1989	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर	199
30.	10 अप्रैल, 1989	ठक्कर आयोग के अंतरिम और अंतिम प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	213
31.	28 अप्रैल, 1989	जवाहर रोजगार योजना के बारे में वक्तव्य ...	228
32.	3 मई, 1989	देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में वक्तव्य.....	232
33.	15 मई, 1989	संविधान (चौंसठवां संशोधन) विधेयक	239
34.	7 अगस्त, 1989	संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक	252
35.	12 अक्तूबर, 1989	कृषि पैकेज के बारे में वक्तव्य.....	266

राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकर गतिविधियों के सम्बन्ध में की गई गिरफ्तारियों के बारे में वक्तव्य

18 जनवरी, 1985

अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण घटना पर मैं सभा को विश्वास में लेना चाहता हूं। जैसा आप जानते हैं प्रत्येक सरकार को गोपनीय सूचना और आसूचना को गुप्त रखने के बारे में पूरी सतर्कता बरतनी होती है मैंनें इसकी समीक्षा की है और सुरक्षा प्रणाली को सशक्त बनाया है। सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि महत्वपूर्ण पदों पर काम करने वाले कुछ कर्मचारी राष्ट्रीय हित के विरुद्ध गतिविधियों में लगे हुए हैं। छानबीन चल रही है और कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस अवस्था पर और अधिक कुछ कहने के लिए मुझ पर जोर नहीं डालेंगे, क्योंकि इससे छानबीन में बाधा उपस्थित होगी।

पश्च टिप्पण

I. राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकर गतिविधियों के सम्बन्ध में की गई गिरफ्तारियों के बारे में वक्तव्य, 18 जनवरी, 1985

कोई टिप्पण नहीं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

22 जनवरी, 1985

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं उन सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। दुर्भाग्यवश, जितना समय मैं सभा में उपस्थित रहकर वाद-विवाद सुनना चाहता था, उतनी देर यहां नहीं रह सका, क्योंकि इन दिनों कुछ नये मुद्दे सामने आ गये थे। मैं जानता हूं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। लेकिन मैंने अपने कमरे में बैठे हुए कई एक भाषणों को लाउडस्पीकर पर सुना है और अधिकांश भाषणों के बारे में मुझे नोट दिए गए हैं।

विपक्ष में बैठे हुए मेरे मित्रों ने अपना अधिकांश समय गत पांच वर्षों के दौरान सरकार के कार्य की चर्चा करने में खर्च किया है। ऐसा लेकिन वे भूल जाते हैं कि हम जनता के सामने चुनाव के लिए पिछले पांच वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर ही गये थे, और इन पांच वर्षों के दौरान हमारा जो लेखा-जोखा रहा है, उसका लोगों ने बहुत बड़े बहुमत से समर्थन किया है। मैं विपक्ष के अपने मित्रों की तरह अपना समय विगत की बातों पर नष्ट नहीं करना चाहता, इसके विपरीत हम भविष्य की ओर देखने में विश्वास करते हैं।

चुनावों के बारे में कुछ मुद्दे उठाये गये हैं और निराधार आरोप लगाये गये हैं। चुनावों के बाद आरोप लगाना एक प्रथा सी बन गई है, क्योंकि वे अच्छे बहाने साबित होते हैं।

*** *** ***1

जैसाकि मेरे मित्र ने कहा चुनावों में पैसे की शक्ति, बाहुबल या अन्य कोई शक्ति का कोई महत्व, नहीं है; चुनावों में मतदाता ही सब कुछ हैं। जब हम सत्तापक्ष में इतना बहुमत और विपक्ष में इतने कम लोगों को वहां बैठे हुए पाते हैं तो इसका यही अर्थ निकलता है।

*** *** ***2

प्रश्न यह है कि जनता की नब्ज कौन पहचानता है, 1977 में हम जनता की नब्ज नहीं पहचान सके इसलिए हमें सत्ता से हटा दिया गया। 1980 और 1984 में आप जनता के नजदीक नहीं थे, इसलिए आपको सत्ता से वंचित रखा गया। आपको यह तथ्य स्वीकार करना होगा। प्रतिशत के बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं। आप 50 प्रतिशत और 49 प्रतिशत की बात करते हैं, श्रीमन् क्या मैं आपको याद दिलाऊं कि आपके दल को मात्र 5.8 प्रतिशत ही मत प्राप्त हुए।

आपको याद रखना चाहिए कि हालांकि आप दावा करते हैं कि आपकी आवाज लोगों की आवाज है, आप देश के रक्षक हैं लेकिन तथ्य यह है कि जनता की आवाज सभा के इस पक्ष से ही आती है।

*** *** ***3

इस चुनाव में जो मुद्दे थे, वे बिलकुल स्पष्ट थे, और चुनावों के आरम्भ से ही मेरे मित्र कहते रहे हैं कि कांग्रेस मुद्दों के बारे में चर्चा नहीं कर रही है। लेकिन तथ्य यह है कि हम देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बात कर रहे थे और वे उन मुद्दों को उठा रहे थे जोकि देश के लिए महत्वहीन थे। हमारे सामने एक ही मुद्दा था — भारत की एकता, अखण्डता और राष्ट्रवाद और इन्हीं की चुनावों में विजय हुई।

विपक्ष के मेरे बहुत से मित्र यह समझते हैं कि वे ही देश की चेतना के प्रहरी हैं। इन चुनावों में कांग्रेस को देश की चेतना का प्रहरी चुना है।

*** *** ***4

मैं समझता हूं कि हम उन्हें माफ कर देंगे। वह विधान सभा से आये हैं और हम जानते हैं कि वहां कैसे कार्यवाही होती है। इसलिए हमें उन्हें यह सीखने के लिए समय देना चाहिए कि सदन में कैसे बरताव किया जाता है।

पिछले कुछ दिनों में हमने भारत में जासूसी के एक बहुत गंभीर मामले का पर्दाफाश किया है। मैं इस समय इस विषय में अधिक नहीं बता सकता क्योंकि अभी जांच चल रही है और अगर मैं कुछ कहूंगा तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है, सभा के दोनों पक्ष के सदस्यों को समझ लेना चाहिए कि इस विषय पर हमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। यह कोई कांग्रेस बनाम विपक्ष की घटना नहीं है। यह कोई ऐसी भी घटना नहीं है जिससे हममें से कोई राजनैतिक लाभ उठाना चाहता हो। इसका सारे राष्ट्र में संबंध हैं। इसका पर्दाफाश इसलिए किया गया क्योंकि हम ऐसा चाहते थे और हमसे कुछ विशिष्ट क्षेत्रों की जांच की, जहां हमने पाया कि सही कार्य नहीं हो रहा और जहां कहीं आवश्यक समझा हमने कार्यवाही भी की है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हालांकि मेरे निजी स्टाफ के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी ने त्यागपत्र दे दिया है परन्तु उसके विरुद्ध कोई आरोप नहीं है। सिविल सेवाओं में उच्च मापदंड बनाये रखने के लिए, उन्होंने यह निर्णय लिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम गहराई से इसकी जांच कर रहे हैं, इसके हर पहलू की जांच कर रहे हैं कि यह कैसे हुआ और इससे देश को क्या हानि पहुंची है। जब मैं इस बारे में अधिक बताने की स्थिति में हूंगा तो मैं आपको पूर्ण सूचना दूंगा।

पंजाब और असम की समस्याएं हैं। हम इन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें आशा है कि हम इस सभा के सामने कोई समाचार लाने में समर्थ होंगे, शायद इस अधिवेशन में नहीं। लेकिन मुझे आशा है कि हम इस बारे में प्रगति करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभा में विद्यमान विपक्षी दलों और उन विपक्षी दलों का भी जोंकि यहां नहीं, इन विशेष समस्याओं को हल करने में हमें सहयोग प्राप्त होगा।

श्रीमान, भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तनाव से दंगे उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब हम वास्तव में देखते हैं तो पाते हैं कि इसका मूल कारण

आर्थिक असमानता है और हमें इसे दूर करना होगा। हमारी सरकार इस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से समाप्त करना चाहती है।

कुछ ही दिनों में दिल्ली में छह राष्ट्रों का एक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। शांति की दिशा में, निरस्त्रीकरण की दिशा में यह एक और कदम है, और हम आशा करते हैं कि इससे विश्व में तनाव कम होगा। भारत गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का भारी समर्थक रहा है, इसका संस्थापक सदस्य है, और इसके प्रति हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वास्तव में हम और दिलचस्पी लेंगे, और अधिक संबंध संपर्क बनायेंगे और दक्षिण दक्षिण के देशों में संबंध और आदान-प्रदान में सुधार करने का प्रयत्न करेंगे। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि तीसरे विश्व के देश आपस में मिलकर सहयोग करें क्योंकि हमने पाया है कि यहां कहीं भी दूरदृष्टि से कार्य नहीं किया गया और हमने विदेशी विचारों को अपनाया, दूसरा परिणाम विकास न होकर विनाश ही हुआ है, इसी प्रकार हम दक्षिण एशियाई क्षेत्र से हमारे पड़ोसियों और हमारे उप-महाद्वीप में बेहतर सहयोग की आशा करते हैं।

पाकिस्तान के साथ हमारे कुछ मतभेद हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री जिया जब पीछे भारत आए थे तब उनके साथ हमारी बातचीत बहुत सद्भावनापूर्ण और लाभदायक रही। उनकी बातों में आश्वासन था। मैं काफी आशान्वित था और अब भी हूं लेकिन दुर्भाग्यवश इस बीच वहां के नौकरशाही तथा सरकार के अन्य सदस्यों के कुछ कार्य भारत-पाकिस्तान संबंधों को अच्छा बनाने में सहायक नहीं पाये गये। हम पाकिस्तान के सकारात्मक प्रतिक्रिया की आशा करते हैं।

श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में सभा को जानकारी है। जिस प्रकार से सर्वदलीय सम्बोधन समाप्त हुआ उससे हमें निराशा हुई है। इसका कोई हल भी नजदीक नहीं हैं, इससे भी हमें निराशा हुई है और जिस प्रकार से सुरक्षा बलों को लगाया गया है और उसका प्रयोग किया है उससे भी हमें निराशा हुई है। हम श्रीलंका से उच्च स्तर पर बातचीत करेंगे और इस समस्या को हल करने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे। हमें उनकी सहायता करनी ही है क्योंकि हमारे यहां काफी संख्या में शरणार्थी आये हैं। और हम ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहेंगे जिससे कि श्रीलंका से आये शरणार्थी वापस घरों को लौट सकें।

श्रीमन, इस वर्ष के अन्त में मैं अमेरिका और सोवियत संघ की यात्रा पर जा रहा हूं। और जो कुछ वहां बातचीत होगी, उससे मैं सभा को अवगत कराऊंगा। हम अन्य देशों से भी अधिक आदान-प्रदान करने की कोशिश करेंगे। हम विश्व के सभी देशों से बेहतर मैत्री संबंध रखने की कोशिश करेंगे।

अपने भाषण में, राष्ट्रपतिजी ने हमारे भावी कार्यक्रम का जिक्र किया है, श्रीमान, यह सरकार स्वच्छ सार्वजनिक जीवन के प्रति वचनबद्ध है। और हमने इस दिशा में कदम उठाने आरम्भ कर दिये हैं। चुनाव सुधारों के प्रति हम वचनबद्ध हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार के बारे में हम सभा के सभी वर्गों से चर्चा करेंगे और हमें आपसे पूर्ण सहयोग की आशा है क्योंकि अगर निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार संबंधी वार्ता में 10 वर्ष लग जाते हैं तो इससे कोई लाभ नहीं होगा।

इसलिए, हम इस पर शीघ्र कार्यवाही करना चाहते हैं, शीघ्र लेकिन जल्दबाजी में नहीं — ताकि किसी परिणाम पर पहुंच सकें जिससे कि जिन मुद्दों पर सहमति हो उनके अन्तर्गत आगामी चुनाव किये जा सकें।

पिछले कुछ दिनों में हम विपक्ष से तथा अपने साथियों से दल-बदल विरोधी विधेयक पर चर्चा करते रहे हैं। हम महसूस करते हैं कि स्वच्छ सार्वजनिक जीवन के लिए, यह एक अति आवश्यक मुद्दा है। श्रीमन् हमें यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरह किसी भी तरीके से कहीं पर भी दल-बदल न हो। इस बारे में विपक्ष से हमारी कुछ बातचीत हुई है। कुछ दल सख्त विधेयक चाहते हैं। कुछ दल इस बारे में नरम विधेयक चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि हम इस मतभेद को समाप्त कर किसी उचित परिणाम पर पहुंच पायेंगे, क्योंकि ऐसे किसी विधान को हम वास्तव में ढूंढ़ रहे हैं। यह एक नई बात है, जिसे हम लागू करने जा रहे हैं। इस बारे में कोई पूर्वोदाहरण भी नहीं है, हमें खुद ही अपना रास्ता बनाना है। लेकिन इसका यह अर्थ भी है कि हमें कुछ और वस्तुपरक होना पड़ेगा, हमें कुछ और ताकत दिखानी होगी और इसको करने के लिए हिम्मत दिखानी होगी। श्रीमान, हमारी तरफ से इस बारे में कमी नहीं आयेगी।

श्रीमान, भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, आने वाले वर्षों में हम किसानों के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। हमें सुनिश्चित करना होगा कि कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो। हमें यह देखना होगा कि किसानों को कृषि संबंधी सामग्री उचित मूल्यों पर मिले। हमें यह भी देखना होगा कि वसूली मूल्य सही हो। तभी हम जो विकास चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी बातों की ओर ध्यान देंगे और मैं आशा करता हूं कि हमारे कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि होगी।

श्रीमान, जैसा कि राष्ट्रपति जी ने कहा, हम वस्त्र उद्योग की तरफ ध्यान देंगे। कई वर्षों से वस्त्र उद्योग की हालत काफी खराब है। और जब मैं वस्त्र उद्योग की बात करता हूं तो मैं उसमें हथकरघा बुनकरों, उद्योग के छोटे स्तर से उच्चतम यंत्रीकृत स्तर तक को शामिल करता हूं। हमें एक नई नीति का विकास करना है, जिससे कि कोई भी बेरोजगार न बने, लेकिन साथ ही हमें याद रखना है कि हमारी वस्त्र नीति का ध्येय नौकरियां दिलाना नहीं, बल्कि कपड़ा तैयार करना है। ऐसी दरों पर कपड़ा निर्मित करना जिस पर हमारे देश की जनता, गरीब लोग उसे खरीद सकें। हम इस दिशा में कार्य करने और इस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।

हम एक नई औद्योगिक नीति बनायेंगे, हमें यह महसूस करना चाहिए कि विपक्ष में बैठे हमारे मित्रों के कहने के बावजूद, पिछले 35 वर्षों के दौरान भारत ने काफी प्रगति की है, और अब हमें एक सुनहरे भविष्य की कल्पना चाहिए। अगर हमारे उद्योग को प्रगति करनी है, अगर हमें अपने उद्योगों को विश्व के उद्योगों के समकक्ष लाना है तो इन्हें उन्हीं परिस्थितियों में कार्य करना होगा। हमें इस दिशा में कार्य करना होगा। हमें रोजगार उपलब्ध कराने की तरफ ध्यान देना होगा। उद्योग ही केवल मात्र ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां रोजगार उपलब्ध किया जा सके। कई दफा तो रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह बहुत ही असमर्थ क्षेत्र साबित

होता है। हमें यह देखना होगा कि हम उद्योगों से ज्यादा रोजगार कैसे उपलब्ध करवा सकते हैं। मैं उद्योगों को बन्द करने या सभी उपलब्ध उद्योगों में भारी परिवर्तन की वकालत नहीं कर रहा हूं।

मैं यह कह रहा हूं कि हमारी शिक्षा नीति, औद्योगिक नीति और नवाचार नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि भविष्य में भारत विश्व के अन्य देशों का मुकाबला कर सके। हम अन्य देशों के मुकाबले का दावा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी व्यवस्था 10 या 20 वर्ष उनसे पीछे है। आज विश्व तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस दिशा में हम एक नई दिशा नीति की घोषणा करने जा रहे हैं जिसका स्वरूप और अधिक आधुनिक किस्म के रोजगार उपलब्ध कराना होगा। हम एक नई औद्योगिक नीति लागू करेंगे जिससे इस प्रकार के रोजगार पैदा होंगे और हमारी औद्योगिक नीति इसके अनुरूप होगी। अगले सत्र तक हम इसे लागू करने की कोशिश करेंगे।

हमेशा से ही न्यायिक प्रणाली का संचालन एक मुश्किल कार्य कर रहा है। न्यायिक प्रणाली न्याय देने के लिये होती है और अगर न्याय देने में देरी होती है तो इसका अर्थ होता है न्याय का न दिया जाना। हम इस ओर ध्यान देंगे कि कैसे सभी स्तरों पर शीघ्र न्याय उपलब्ध कराया जा सकता है। एक ओर जहां समाज का प्रत्येक वर्ग प्रगति कर रहा है वहीं हम पाते हैं कि सभी वर्गों, जातियों और क्षेत्रों में महिलायें इस बारे में पीछे रह जाती हैं। इसलिए हमने महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम बनाये हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए विशेष कार्यक्रम बनें और इन्हें हम आपके सामने रखेंगे। हमने पहले ही घोषणा की है कि माध्यमिक स्तर तक हम लड़कियों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे।

*** *** ***5

मैं चाहता हूं कि हम ऐसा कर पायें। जब शिक्षा नीति पर चर्चा होगी, तब मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगा। महिलाओं के लिए, हम चाहेंगे कि स्वयंसेवी संगठन विशेषरूप से आगे आएं और इसमें प्रमुख भूमिका अदा करें। इस चुनाव में वास्तव में भारत की युवा शक्ति का प्रदर्शन हुआ है और इसीलिए सभा के दोनों पक्षों में आयु में इतना अन्तर है। हम युवकों को रोजगार देने के लिए और इस महान राष्ट्र के निर्माण में उनको सहयोजित करने के लिए बहुत ही विशेष कार्यक्रम बनायेंगे।

हमारे देश के बहुत बड़े भाग में वन नहीं है और बाकी भूमि बेकार पड़ी है। हम इन क्षेत्रों का विकास करने जा रहे हैं व इसके काम देखने के लिए एक वेस्ट लैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की जा रही है। इन क्षेत्रों का विकास केवल जंगलों के रूप में नहीं किया जायेगा बल्कि इस तरह से किया जायेगा ताकि विकसित की गई भूमि से प्राप्त लाभ आसपास के लोगों को मिल सकें। यह स्थानीय जनता के फायदे के लिए होगी।

हम देश में वायु और जल को स्वच्छ करने की योजनाएं बना रहे हैं। हमने भोपाल की हाल ही की दुर्घटना देखी जहां बहुत से व्यक्ति मारे गये और दुर्घटनाग्रस्त हो गये या अपंग हो गये हैं ? मुझे बताया गया है कि इस भयानक दुर्घटना के कुछ प्रभाव आगामी छह महीनों में भी ज्ञात नहीं हो सकेंगे। हम इस प्रकार के कारखाने लगाने के लिए स्थान

संबंधी नीति पर विचार कर रहे हैं और यह भी सोच रहे हैं कि इन कारखानों द्वारा वायु व नदियों का प्रदूषण कैसे रोका जा सके। हमारी नदियां अत्यन्त प्रदूषित हो गयी है। गंगा पहली नदी है जो हम साफ करने जा रहे हैं। मैं पवित्र करने की बात नहीं करूंगा क्योंकि कोई भी गंगा को पवित्र नहीं कर सकता। लेकिन हम साफ करने की कोशिश करेंगे।

*** *** ***6

हां, यह एक अत्यंत कठिन कार्य है। लेकिन हमने क्षेत्र चुन लिए हैं और महसूस करते हैं कि हम यह कार्य कर सकने में सक्षम हैं। हमने गंगा को साफ करने के लिए केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थाना की है। मेरे दोस्त गंगा में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। गंगा में जो प्रदूषण है उसका केवल 20 प्रतिशत रसायन प्रदूषण है व 80 प्रतिशत गंदे नालों व मलमूत्र का प्रदूषण है और हम इसको समयबद्ध कार्यक्रम द्वारा साफ करेंगे। इस सरकार से आपको नतीजे देखने को मिलेंगे। यह सरकार देश की सांस्कृतिक विरासत की ओर भी गम्भीरतापूर्वक ध्यान दे रही है। हमारी योजना अपनी सांस्कृतिक विरासत को सिर्फ संभालने व बचाने तक ही सीमित नहीं है बल्कि देश के प्रत्येक क्षेत्र, समुदाय की संस्कृति का कैसा विकास हो इसके लिए भी हम सोच रहे हैं। हम इसको एक बड़े कार्यक्रम के रूप में अमल में लाएंगे। इन सबको करने के लिए हमें एक कुशल, स्वच्छ व उत्तरदायी प्रशासन की आवश्यकता होगी और हम ऐसा प्रशासन आपको देंगे।

भारत को आगे ले जाने के लिए हमें यह देखना होगा कि हमारे साधनों का भरपूर उपयोग हो। हमारा सबसे बड़ा साधन मानव शक्ति है और हमें यह देखना है कि इसका विकास कैसे हो। हम अपने प्राकृतिक साधनों का विकास करेंगे व अपनी औद्योगिक व पूंजीगत संसाधनों का उपयोग अधिकतम फायदे के लिए करेंगे।

यह सब करने के लिए हमें प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी। हमें एक नई शिक्षा प्रणाली की जरूरत होगी। हमें अपने लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा ताकि वे इस कार्य को सिद्ध कर सकें। परंतु इनसे ज्यादा इसके लिए प्रबंधकीय कुशलता व राजनीतिक इच्छा की जरूरत है और हम दोनों ही आपको देंगे। लेकिन आगे बढ़ने के लिए जब कोई भी व्यक्ति अपनी कमर कसता है तो उसे थोड़ी कसन तो महसूस होती है। और यहां कसन अनुशासन में लायी जाएगी । हमें अनुशासन लाना ही होगा। हमें संस्थाओं का सम्मान करना होगा और हमें अपनी आजादी के लिए नहीं बल्कि देश की आजादी के लिए फिर से सोचना होगा।

महोदय, आगामी वर्षों में हम एक ऐसा संगठित, धर्मनिरपेक्ष, आजाद भारत बनाएंगे जिसमें व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति, धर्म व क्षेत्र से नहीं आंका जायेगा। हम एक गतिशील भारत बनायेंगे, एक ऐसा भारत जो बाकी संसार के संग आगे बढ़ सके।

मैं एक बार फिर से उन सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और सिफारिश करता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को स्वीकार किया जाए।

*** *** ***7

पश्च टिप्पण

II. **राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, 22 जनवरी, 1985**

1. **प्रो. मधु दण्डवते** (राजापुर) : चुनावों से पहले हम बहाने कैसे बना सकते हैं।

श्री राजीव गांधी : मैं आपके विरुद्ध आरोप नहीं लगाना चाहता। लोग जानते हैं कि वे आरोप क्या हैं इसलिए हम सत्ता में हैं और आप लोग विपक्ष में।

2. **श्री अमल दत्त** (डायमंड हार्बर) : प्रतिशत के हिसाब से आपको कितने वोट मिले।

श्री राजीव गांधी : घबराइए नहीं, मैं बाद में प्रतिशत की बात करूंगा।

श्री अमल दत्त : अगली बार पैसे की शक्ति का प्रयोग न कीजिए।

श्री राजीव गांधी : दत्त जी मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। जो कुछ आपने कहा, वह मैंने सुन लिया है।

3. **प्रो. सैफुद्दीन सोज** (बारामूला) : इस तरफ से भी।

श्री राजीव गांधी : मात्र दो सप्ताह पूर्व ही इस प्रतिशत का पता लग चुका है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : लेकिन दोनों का प्रतिशत समान है।

4. **श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी** (महबूबनगर) : श्रीमान हम प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालिए। एक अच्छे सांसद बनें। लेकिन मेज को बार–बार थप–थपाकर हमें बाधा डाली जा रही है।

श्री राजीव गांधी : मैं समझता हूं कि हम उन्हें माफ कर देंगे। यह विधान सभा से आए हैं और हम जानते हैं कि वहां कैसे कार्यवाही होती है। इसलिए हमें उन्हें यह सीखने के लिए समय देना चाहिए कि सदन में कैसे बर्ताव किया जाता है।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : मैं वहां 16 वर्ष तक सदस्य रहा हूँ और मुझे वहां कुछ और नहीं सीखना है।

श्री राजीव गांधी : क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे।

धन्यवाद।

5. **एक माननीय सदस्य** : आप इन्हें हॉस्टल की सुविधाएं प्रदान कीजिए।

श्री राजीव गांधी : मैं चाहता हूं कि हम ऐसा कर पाएं। जब शिक्षा नीति पर चर्चा होगी, तब मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगा।

6. **श्री सी. माधव रेड्डी** (आदिलाबाद) : यह एक अत्यन्त मुश्किल काम है।

श्री राजीव गांधी : हां, यह एक अत्यंत कठिन कार्य है। लेकिन हमने क्षेत्र चुन लिए हैं और महसूस करते हैं कि हम यह कार्य कर सकने में सक्षम हैं।

7. **श्री सी. माधव रेड्डी** : आप पहले अपना घर देखिए।

श्री राजीव गांधी : इसी कारण तो आप वहां है और हम यहां। हमने गंगा को साफ करने के लिए केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की है। मेरे दोस्त गंगा में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। गंगा में जो प्रदूषण है उसका केवल 20 प्रतिशत रसायन प्रदूषण है व 80 प्रतिशत गंदे नालों व मलमूत्र का प्रदूषण है और हम इसको समयबद्ध कार्यक्रम द्वारा साफ करेंगे।

संविधान (52वां संशोधन) विधेयक

30 जनवरी, 1985

अध्यक्ष महोदय, यह दल–बदल विरोधी विधेयक काफी अर्से से लंबित पड़ा है। मैं समझता हूं इसका जिक्र करीब सात वर्ष पूर्व किया गया था। हमने इसे प्रथम मुख्य कार्य के रूप में लिया है क्योंकि हमने महसूस किया कि इस क्षेत्र में सार्वजनिक जीवन स्वच्छ बनाने की आवश्यकता है। जैसाकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुए वाद–विवाद के दौरान वायदा किया गया है कि हमारी सरकार जो वायदा करती है, उसे पूरा करने की राजनीतिक इच्छा भी रखती है। हमने यह वायदा भी किया है कि हम विपक्ष को सदा साथ रखेंगे। महोदय, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमने करीब–करीब समूचे विपक्ष को अपने साथ रखा केवल एक अथवा दो अपवाद हैं।

हम खंड 2(1)(ग) को समाप्त करने के लिए एक संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं। खंड 2(1)(ग) के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि यदि किसी सदस्य को पार्टी से निकाल दिया जाता है तो उसे सदन की सदस्यता त्यागनी होगी। यह तर्कसंगत है कि यह खंड होना चाहिए था क्योंकि विपक्ष के एक सदस्य ने अभी कहा है कि यदि हम नैतिकता पर ध्यान दें और यह निर्णय करें कि दल एक मूलभूत यूनिट है जो किसी को निर्वाचित करती है, और यदि वह उस दल का सदस्य नहीं रहता तो उसके उस चुनाव का अधिकार समाप्त हो जाएगा। एक अन्य सदस्य ने कहा कि दल–बदल में एक तिहाई सदस्यों के विभाजन जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए यह बहुत कम है और इस विधेयक में ऐसी कई बातें हैं जो निराशाजनक हैं। हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं किया गया है। और हमें देखना है कि हम यह रास्ता कितनी अच्छी तरह तय कर सकते हैं। अच्छा होगा यदि हम गंभीर त्रुटियां करने और बाद में उन पर पछतावा करने की बजाय उस रास्ते पर सावधानपूर्वक चलें। अतः इस विधेयक में कई त्रुटियां हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही हमें उन त्रुटियों का पता चलेगा हम उन्हें दूर करने का प्रयत्न करेंगे। खंड 2(1)(ग) को समाप्त करने पर एक कमी सामने आती है और वह यह है कि यदि सदन – अथवा विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा है और दल–बदल अथवा विभाजन होता है, अथवा उसे कैसे भी परिभाषित किया जाए, लेकिन सरकार का बहुमत समाप्त हो जाता है, तो अगला सत्र बुलाने से पहले काफी समय मिल जाता है और इसमें पर्याप्त दल–बदल हो सकता है। इसलिए खंड 2(1)(ग) रखा गया था। मुझे विश्वास है कि यही कारण था कि एक विपक्षी दल बहुत उत्सुक था और एक से अधिक दल अत्यंत उत्सुक थे कि इस खंड को बने रहने दिया जाए। हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि यह कमी किस तरह समाप्त हो। हम इसी विधेयक में ऐसा नहीं कर पाए हैं। लेकिन विपक्ष के साथ मेरी जो चर्चा हुई है उनमें हमने एक तरीका निकाला है जिस पर हम विचार कर रहे हैं और आशा है हम सरकार का बहुमत समाप्त होने के बाद उसके हटने और सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने के बीच संभवतया न्यूनतम समय–सीमा निश्चित कर पाएंगे। हम देखेंगे कि क्या इसे

इसी विधेयक में, भले ही अगले सत्र में, रखा जा सकता है अथवा इसे कहीं और प्रस्तुत करना होगा, हम इसे कहीं और भी रखा सकते हैं।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि इस विधेयक पर न्यूनाधिक रूप से सभी का एकमत है और वाद–विवाद करने के लिए कुछ अधिक नहीं है।

एक मुद्दा यह उठाया गया कि इस विधेयक को लाने की जल्दी क्या है? हम यह विधेयक लाने के लिए 7 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं और काफी नुकसान हो चुका है। यह विधेयक कल ही, पिछले वर्ष ही अथवा 7 वर्ष पूर्व ही लाया जाना चाहिए था। हम जितनी जल्दी ऐसा कर सकते हैं, कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो क्यक्ति यह विधेयक नहीं आने देना चाहते उन्हें अपनी निष्ठा की स्वयं परख करनी चाहिए।

महोदय, यह कहा गया है कि यह विधेयक कांग्रेस दल को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उसे सुदृढ़ बनाने के लिए लाया जा रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि दल–बदल प्रायः कांग्रेस पार्टी में आने के लिए होते हैं। उससे जाने के लिए नहीं। हमारी पार्टी में लोगों द्वारा पार्टी छोड़ दिए जाने की समस्या नहीं है। अपितु समस्या यह है कि लोग हमारे दल में आना चाहते हैं। हम पार्टी को सुदृढ़ बनाने के लिए यह विधेयक नहीं लाना चाहते। आप हमारी पार्टी की शक्ति स्वयं देख सकते हैं।

*** *** ***1

यह विधेयक हमारे सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाने की ओर हमारा पहला कदम है। हम चुनाव सुधार और अन्य प्रकार के सुधार करने के बारे में भी कदम उठाएंगे और महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमें जो निर्णय आगे लेने होंगे उसमें समूचे विपक्ष को अपने साथ रखेंगे।

महोदय, मैं इस विधेयक को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। मैं विपक्ष को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत करने में हमें सहयोग दिया तथा इसका समर्थन किया।

पश्च टिप्पण

III. **संविधान (52वां संशोधन) विधेयक, 30 जनवरी, 1985**

1. **श्री एच.एम. पटेलः** आगे देखते हुए।

श्री राजीव गांधीः मैं आगे ही देख रहा हूं। विपक्ष की अधिकांश सीटों पर हमारे सदस्य हैं। 1990 में आप देखेंगे कि विपक्ष की इस कतार पर भी ज्यादातर हमारे ही सदस्य होंगे।

प्रो. मधु दण्डवतेः इसका कारण यह है कि कुछ वर्षों के बाद हम "राज्य सभा" में चले जाएंगे।

श्री राजीव गांधीः महोदय, हमें उन्हें "राज्य सभा" में भेजने की जल्दी नहीं है। लेकिन हमें खुशी है कि वह यह मानते है कि उनके छोड़ने के बाद विपक्षी नेताओं की सीटों पर कांग्रेस के सदस्य होंगे।

एक माननीय सदस्यः आप विपक्ष में होंगे।

ईरान-इराक युद्ध के विस्तार से उत्पन्न स्थिति के बारे में वक्तव्य

21 मार्च, 1985

माननीय सदस्यों को पता ही है कि ईरान इराक में साढ़े चार वर्ष से चले आ रहे युद्ध का पिछले कुछ सप्ताह में काफी विस्तार हुआ है। हाल की स्थिति का अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ यह है कि दोनों देशों द्वारा युद्ध का विस्तार नागरिक लक्ष्यों एवं आवासीय क्षेत्रों में किया गया, जिसमें राजधानियों तथा डाक एवं अन्य नागरिक केन्द्र भी सम्मिलित हैं, जिससे बहुत से नागरिकों की जानें गई तथा सम्पत्ति विनष्ट हुई। यह भी आरोप है कि रासायनिक शस्त्रों का भी उपयोग हुआ।

हम, भारत के रूप में और 'नाम' के चेयरमैन के रूप में इन घटनाओं से अत्यन्त चिन्तित और स्तब्ध हैं। हमारे दोनों देशों के साथ प्राचीन काल से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं तथा संघर्ष के शुरू से ही दोनों देशों से हम आग्रह करते आये हैं कि युद्ध समाप्त कर अपने मतभेद शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा बातचीत से दूर करें। इस प्रकार की वृहद सैनिक कार्यवाहियों से केवल उन बाह्य शक्तियों को लाभ पहुंचता है जो इस क्षेत्र में शान्ति और स्थिरता के विरुद्ध हैं। पिछले सप्ताह मैंने दोनों देशों के महामहिम राष्ट्रपतियों को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर युद्ध समाप्त करने की दिशा में पहले कदम के रूप में नागरिक लक्ष्यों पर हमले बन्द करने की अपील की थी जैसा कि दोनों देश संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव के साथ 12 जून, 1984 को हुए समझौते के अनुसार इससे सहमत हो गये थे। मैंने इसके साथ ही सचिव स्तर के विशेष सन्देशवाहक भेज कर इस बात को आगे बढ़ाया तथा पिछले रविवार 16 मार्च को मेरे व्यक्तिगत सन्देश दोनों राष्ट्रपतियों को पहुंचा दिये गये।

मंगलवार 19 तारीख को ईरान के विशेष दूत, जो कि अपने राष्ट्रपति से मेरे लिए संदेश लाये, के साथ लम्बी बातचीत की। राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन से भी मुझे पत्रोत्तर मिल गया है।

चूंकि युद्ध में कोई कमी नहीं आयी अतः मैंने बगदाद तथा तेहरान को उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजे। विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री खुर्शीद आलम खां कल विदेश सचिव श्री रमेश भण्डारी के साथ गये हैं। वे दोनों देशों की राजधानियों में जाकर पूरे 'नाम' की ओर से चिन्ता व्यक्त करेंगे। वे भारत की ओर से तथा सभी निर्गुट देशों की ओर से पहले कदम के रूप में नागरिक लक्ष्यों पर हमले करने, युद्ध बन्दियों की अदला–बदली तथा खाड़ी में नागरिक पोतों पर हमले करना तुरन्त समाप्त करने का आग्रह करेंगे।

मुझे उम्मीद है कि सभा श्री खुर्शीद आलम खां के इस अभियान की सफलता की कामना में मेरा साथ देगी।

पश्च टिप्पण

IV. ईरान–इराक युद्ध के विस्तार से उत्पन्न स्थिति के बारे में वक्तव्य, 21 मार्च, 1985

कोई टिप्पण नहीं।

श्रीलंका की स्थिति के बारे में वक्तव्य

25 अप्रैल, 1985

उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, श्री एम.जी. रामचन्द्रन के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 23 अप्रैल, 1985 को मुझसे मिला था और उन्होंने श्रीलंका में हाल की स्थिति के बारे में एक ज्ञापन दिया था। उसमें बताया गया था कि श्रीलंका से शरणार्थी अभी आ रहे हैं। पाक जलडमरू मध्य में भारतीय मछुआरों के परंपरागत कार्यकलापों पर बुरा असर पड़ा है। इस स्थिति से हमें गहरी चिन्ता हो रही है। प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह श्रीलंका सरकार के साथ यह मामला उठाए, जिससे शांति और सामान्य स्थिति बहाल हो सके ताकि तमिलनाडु में आए शरणार्थी वापस जा सकें और दोनों देशों में परम्परागत आर्थिक क्रियाकलाप पुन: आरम्भ हो सके।

मैंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि भारत सरकार श्रीलंका की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और उससे भारत पर पड़ने वाले प्रभाव से हमें चिंता है। हम श्रीलंका सरकार के साथ सामान्य स्रोतों तथा विशेष यात्राओं के माध्यम से निरन्तर संपर्क बनाए हुए हैं। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं राष्ट्रपति जयवर्द्धने को अपने दु:ख और चिंता के बारे में अवगत कराऊंगा और सभी संबंधित पक्षों को मान्य राजनीतिक आधार पर इस समस्या को तुरन्त हल किए जाने की आवश्यकता के बारे में बताऊंगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैंने इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास जारी रखने हेतु एक विशेष सलाहकार दल का गठन किया है।

पश्च टिप्पण

V. श्रीलंका की स्थिति के बारे में वक्तव्य, 25 अप्रैल, 1985

कोई टिप्पण नहीं।

दिल्ली तथा उत्तर भारत के अन्य भागों में हुए बम विस्फोटों से उत्पन्न स्थिति तथा देश में गुप्तचर एजेंसियों की असफलता के बारे में चर्चा

13 मई, 1985

अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं उन सभी व्यक्तियों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं जिन लोगों को गत कुछ दिनों के दौरान आतंकवादियों अथवा उग्रवादियों, चाहे जो कहा जाए, के हाथों परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हम सभी इसको अत्यन्त गम्भीरता से लेते हें। इसने एक नया मोड़ लिया है, आतंकवादियों द्वारा एक नये स्तर पर कार्य किया जा रहा है, और इस पर अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही करनी होगी। किन्तु यह खेद की बात है कि पूरे देश के सामने इतनी गम्भीर समस्या होने के बावजूद विरोधी दल के पचास सदस्य भी सभा में उपस्थित नहीं हैं। इससे पता चलता है कि ऐसे मामलों को वे लोग कितना महत्व देते हैं। अन्ततोगत्वा लोगों ने इस सभा में जो कुछ कहा है, सभा के विचार में तथा भावना में कोई अन्तर नहीं है, जो अभिव्यक्ति की जा रही है और एक यही मामला है जिस पर विरोधी दल और सरकार एक मत होकर आतंकवादियों और उग्रवादियों को देश से बाहर उखाड़ फेकेंगे।

गृह मंत्री इस वाद-विवाद का उत्तर देंगे और मैं उनके क्षेत्राधिकार में दखल नहीं देना चाहता। मुझे विश्वास है कि वह इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे कि क्या कार्यवाही की गई है, क्या परिणाम निकले हैं; कौन-कौन से विशेष दल गठित किये गये हैं, कितने लोग गिरफ्तार किये गये हैं, वह उन सभी बातों का उत्तर दे देंगे जिनके बारे में उन्हें पता है कि क्या विशेष उपाय किये गये हैं और उनका प्रयोग कहां-कहां किया गया है, आदि। मुझे यह नहीं मालूम कि उनको जो भी जानकारी है, उसे वह आज सभा के समक्ष रख सकेंगे या नहीं, किन्तु जो सूचना वह खोज कार्य के कारण अथवा आगे की जाने वाली कार्यवाही के कारण वह प्रकट न कर सकेंगे, उसके बारे में मुझे विश्वास है कि जैसे ही सहूलियत होगी, किसी भी मामले में बिना किसी विद्वेष के वह सारे तथ्य यथा शीघ्र सभा में प्रस्तुत कर देंगे।

एक सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या सरकार अथवा दिल्ली प्रशासन और अन्य प्रशासनों ने जनता को इस बात की जानकारी दे दी है कि इस प्रकार के बम काण्ड घटित हो रहे हैं और इन उपकरणों से जनता को खतरा है, मेरे विचार से प्रशासन ने शीघ्र ही कदम उठाए हैं; क्योंकि यद्यपि अनेक बम फट गये थे, तथापि हम लोगों ने अनेक बमों पर काबू पा लिया है जिन्हें प्रचार के कारण जनता यह पहचान गई थी कि वे बम हैं। इससे खोज कार्य में सहायता मिल रही है। इसलिए यह प्रशासन की कमी न थी। वास्तव में जिस तेजी से उन्होंने प्रचार किया और जिस तेजी से इस सूचना का प्रसार हुआ उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए और इसी के कारण अनेक बमयुक्त उपकरणों को फटने से बचाया जा सका।

सदस्यों को इस बात की ठीक ही आशंका थी जिस गति से हमने आतंकवादियों की धर-पकड़ की है। हमारी कुछ रुकावटें और कुछ परेशानियां हैं। कानून के कारण भी हमारी कुछ सीमाएं हैं। कल या परसों हम इस सभा में कुछ संशोधन प्रस्तुत करने वाले हैं और हम लोग इस बात का विचार कर रहे हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं। क्या आतंकवाद से निपटने के लिए हमारे कानून पर्याप्त हैं? यदि नहीं हैं, तो आतंकवाद से लड़ने के लिए हम इस सभा में एक विशेषज्ञ प्रस्तुत करेंगे।

एक सदस्य ने उल्लेख किया था कि आन्तरिक सुरक्षा के लिए एक मंत्री होना चाहिए। महोदय मेरा निवेदन है कि हमारे पास एक ऐसा मंत्री है।

*** *** ***[1]

हम इस बात की जड़ तक पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं, जो पंजाब के लिए समस्या बनी हुई है। वास्तव में इस लड़ाई का राजनैतिक पहलू नहीं है। यही एक ऐसी समस्या है जहां भारत की एकता और अखण्डता के लिए हमें समझौते और सहयोग के लिए तैयार रहना चाहिए और जहां हमें नमनशील होना चाहिए।

परन्तु इसके साथ ही साथ जहां हिंसात्मक कार्यवाही करने का प्रश्न उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पैदा होगा, जहां उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आतंकवाद की स्थिति लाने की बात होगी, जहां हमारे राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता को खतरा होने का प्रश्न उठेगा तथा जहां एक भाग के अलग होने का प्रश्न उठेगा वहां हमें सख्ती से निपटना होगा। हमें सख्त बनना होगा और हमें आशा है कि सारा सदन इन दोनों नीतियों को एक साथ अपनाने में हमारे साथ होगा।

एक दल जल, चण्डीगढ़ तथा राज्यक्षेत्र की बात कर रहा है। परन्तु हो सकता है, वास्तव में वे जिसकी बात कर रहे हैं वह सारे पंजाब क्षेत्र के सम्बन्ध में है — किस प्रकार से मुख्य मंत्री पद पर बैठ सकते हैं; जबकि एक अन्य ग्रुप है जो उसी क्षेत्र के बारे में अलग ढंग से इसे छीन लेने के बारे में बातें कर रहा है। हमें दूसरे ग्रुप के साथ अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ना होगा; और हम ऐसा करेंगे।

प्रो. दण्डवते ने कुछ मुद्दे उठाए हैं जिनको मेरे विचार में थोड़ा स्पष्ट करने की आवश्यकता है। गत तीन वर्षों में जो कुछ हुआ है उसके बारे में मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता, क्योंकि उसके बारे में हम सबको मालूम है; इस पर हम बहुत बार वाद-विवाद कर चुके हैं। उन्होंने जो अधिकांश आरोप लगाए हैं उनका अधिकाधिक उत्तर इस सदन में दिया जा चुका है। बार-बार उन पर चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है।

उन्होंने स्वर्ण मन्दिर परिसर में भोजन के साथ हथियार चोरी-छिपे ले जाने का प्रश्न उठाया है — ठीक, उन्होंने भोजन के ट्रक कहा। परन्तु अगर मुझे ठीक से याद है, यह भोजन के ट्रकों में था; परन्तु यह गेहूं की बोरियों में भी था तथा भोजन के थैलों में भी। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये ट्रक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के थे, और इन ट्रकों को

अन्दर आने और बाहर जाने की विशिष्ट अनुमति उस समय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति देती थी। उस समय से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। अत: यद्यपि हम सभी यथा सम्भव निबाहना चाहते हैं, कुछ बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम यह नहीं भूल सकते कि ये गतिविधियां शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की पूर्ण मदद के बिना नहीं हो सकती थी। अगर लोग स्वर्ण मन्दिर में गये हों, वे अकाल तख्त के अन्दर बैठे हुए थे, वे वहां पर इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें उसके अन्दर जाने की प्रबंधकों से अनुमति प्राप्त थी।

अब, एक और छोटी सी बात है। प्रो. दण्डवते जी ने कहा: हो सकता है, हम एक धातु-खोजी (मेटल डिटेक्टर) यन्त्र लगा सकते हैं जिसके अन्दर पूरा ट्रक गुजर सके। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि हथियार धातु के बने होते हैं। अत: उनका पता लगाया जा सकता है।

*** *** ***2

जैसाकि मैंने पहले कहा, एक सदस्य ने कहा कि सभी अकाली नेता एक जैसे नहीं हैं। सभी सिख एक जैसे नहीं हैं; सभी सिख अकाली नहीं हैं। सभी अकाली दल के लोग आतंकवादी नहीं हैं। यह सत्य है, और हमें यह ज्ञात है। परन्तु सदस्यों ने यह कहा है।

प्रो. दंडवते जी ने बादल जी द्वारा लिखित एक पत्र पढ़कर सुनाया है जो, उन्होंने कहा, कि प्रेम पत्र नहीं था। हो सकता है, किसी दिन वह अपने किसी अन्य पत्र को भी पढ़कर सुनाएं।

*** *** ***3

परन्तु मेरे विचार में यह हम सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है; और जैसा कि बहुत से सदस्यों ने कहा है, अकाली दल के सदस्य खुलकर सामने आये हैं, शायद पहली बार इतने प्रभावी ढंग से वे खुलकर सामने आये हैं। मेरे विचार में यह एक रचनात्मक कदम है; न केवल अकाली दल बल्कि पहली बार हम यह देख रहे हैं कि बहुत से सिख खुलकर इन कार्यवाहियों की निन्दा कर रहे हैं और अपने सिख भाइयों व बहनों ने इन कार्यवाहियों की खुलकर निंदा करने में जो साहस दिखाया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि किसी समय उन्हें भी आतंकवादियों का मुकाबला करना होगा; और सारे सदन को उन सभी सिखों को बधाई देनी होगी जिन्होंने साहस दिखाया है तथा इसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए सामने आये हैं। हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जहां हमें उससे ऊपर उठना होगा जो कुछ हम सहज ही में करना चाहते हैं अथवा महसूस करते हैं कि ऐसा करना चाहिए। अपने विचार खुले रूप में व्यक्त करने दें हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। हमारे पास आज एक विकल्प है। हमारे पास आज उग्रवादियों तथा आतंकवादियों के छोटे से ग्रुप का विरोध करने तथा भारत के शेष सिखों को अपने साथ लेकर चलने का विकल्प है। जब मैं कहता हूं 'हमारे साथ' तो मेरा अर्थ सरकार से नहीं है, मेरा मतलब सदन से है, देश से है। और हम आसानी से गलती कर सकते हैं, एक गलत कदम उठा सकते हैं और हमारे विवेक में

छोटी सी भूल अथवा हमारी कार्यवाही में की गई थोड़ी सी जल्दबाजी उस सारे ग्रुप को हमारे विरुद्ध कर सकती है। और यह ऐसी स्थिति है जहां हमें पूर्ण संयम तथा बड़े धैर्य के साथ कार्यवाही करनी होगी और वास्तव में हम वह बात कर रहे हैं जो गांधी जी ने हमें शुरू से सिखाई है, अन्तिम क्षण तक अहिंसा। उन्हें हमें भड़काने दीजिए। परन्तु पहले की भांति, फिर से बहुत से सदस्यों के कहने पर चर्चा शुरू हुई, प्रत्येक बार यह शुरू होकर निर्णय की तरफ चलता है और यह शुरू होकर निष्कर्ष पर पहुंचती है और स्थिति अच्छी होने लगती है कि कुछ हो गया। हम सबने इस उत्तेजना के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका क्या परिणाम निकला? उसका परिणाम यह था कि जो भी प्रक्रियाएं शुरू की गई थीं उन्हें तिलांजलि दे दी गई। अब, जो कार्यवाही हमने शुरू की है उसको चालू रखने के लिए हमें साहस दिखाना होगा और हमें निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए और उग्रवादियों को इस देश के प्रत्येक व्यक्ति से अलग-अलग करने के लिए साहस करना होगा। यह काम करने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति की सहायता की जरूरत होगी। और यह ऐसा समय है जब विरोधी दल के सदस्यों को, विशेषकर विरोधी पक्ष के नेताओं को इसे सरकार के साथ अथवा किसी दूसरे दल के साथ एक राजनैतिक युद्ध के रूप में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही सरल है। यह सबसे सरल तरीका है।

*** *** ***4

मैं इस बात पर आऊंगा। मैं प्रो. दंडवते जी की बात का जवाब दूंगा। नहीं, सदन में ऐसा नहीं हुआ है। परन्तु मैं इसकी थोड़े समय बाद चर्चा करने वाला था अर्थात्, जो कहा गया है उस पर कार्यवाही भी की जानी चाहिए। जब तुरन्त ही बन्द का आह्वान किया जाता है, जब तुरन्त ही लोगों द्वारा कार्यवाही की जाती है तो यह अधिक क्षति पहुंचाने वाला है और इसके प्रति हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए। मैं दोष लगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि किसी पर भी दोष लगाना ठीक नहीं होगा। हमें उस प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट करना होगा जिसको हमारी कार्यवाही के प्रति, जो हम कर रहे हैं; कोई अंदेशा है। वास्तव में यही एक ठीक कार्यवाही करने का तरीका है और कोई अन्य वास्तविक विकल्प नहीं है।

आज हमने देखा है कि अकाली दल के नेताओं, अकाली दल के परम्परागत नेताओं ने किसी हद तक एक निर्णय लिया है। हो सकता है कि हम सभी यह चाहते हों कि उन्हें और भी दृढ़ कदम उठाने चाहिए थे। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कुछ दिन पहले वे इतना भी नहीं कर सकते थे। हमें तो ठोस पहलू को देखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि किस प्रकार से हम उनके स्वयं के निर्माण में मदद दे सकते हैं और उनकी इस प्रकार से सहायता न करें कि हम उन्हें हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा दें परन्तु हमें अपने कार्यों से उनकी सहायता करनी है न कि प्रतिक्रिया व्यक्त करके, जैसा कि उग्रवादी तथा आतंकवादी हमसे करवाना चाहते हैं। वे अभी तक यही चाहते रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाये और सारी कौम देश से अलग हो जाए। और आज हम ऐसी ही स्थिति से बचना चाहते हैं।

विरोधी पक्ष की ओर से भी इन आतंकवादी गतिविधियों में 'विदेशों का हाथ' की बात सुनकर अच्छा लगा है। परन्तु मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि जब कभी भी सत्तापक्ष ने इस मामले को उठाया तो उन्होंने इसका बहुत ही व्यंगात्मक तरीके से विरोध किया। परन्तु तथ्य यह है कि इसमें विदेशों का हाथ है। आप यह जानते हैं, और इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके साथ ही इस बात को बहुत अधिक महत्व देने से और यह बहाना बनाने से कि यही एक समस्या है कोई बात नहीं बनती है। वह इससे ज्यादा बड़ी समस्या है और हमें इसके सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। एक सदस्य ने कहा है कि पंजाब नेतृत्वहीन है। मैं उनके मत से सहमत नहीं हूं अकाली दल में नेता की समस्या हो सकती है परन्तु मेरे विचार में पंजाब में नेतृत्व की कोई समस्या नहीं है। एक अन्य सदस्य ने अकाल तख्त के तोड़े जाने का उल्लेख किया। इस पर मेरा निवेदन यह है कि यह सिखों का अपना मामला है और वे अपनी धार्मिक संस्थाओं में जो कुछ करना चाहते हैं हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर वे इसे हटाना चाहते हैं, वे इसे हटा सकते हैं। अगर वे एक 24 मंजिल इमारत बनाना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि वह वहां की नगरपालिका के नियमों के अन्तर्गत हो। अत: वे जो चाहें कर सकते हैं।

तथ्य यह है कि आज आत्मसंतोष के लिए कोई स्थान नहीं है। अपने देश में हम पहली बार गत 2 या 3 वर्षों से आतंकवाद की समस्या का सामना कर रहे हैं। गत सप्ताह, इसने एक नया मोड़ लिया है, एक अधिक खतरनाक मोड़। यह सिर्फ युवा लड़कों तक सीमित था जो बंदूक या मशीनगनों के साथ जाकर लोगों को निशाना बना रहे थे। जहां कहीं भी वे नजर आये या जहां भी वे दिखाई दे सके। उन्हें पकड़ा जा सका। वह एक अलग तरीका है। ऐसे बम रखे जा रहे हैं जिन्हें लोग उठाने के लिए आकर्षित हों। इस कार्य को कौन कर रहा है पता लगाना इतना सरल नहीं है। जहां कहीं भी आतंकवाद इस प्रकार से आया है, किसी भी राष्ट्र में आया है, वे उसे थोड़े से समय में दूर नहीं कर सके। उसे समाप्त करने में कुछ समय अवश्य लगा है। और हमें अपने आपको ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार करना होगा। हमें अपनी मशीनरी को मजबूत बनाना पड़ेगा चाहे वह गुप्तचर हो, चाहे वह पुलिस हो, चाहे वह प्रशासनिक हो अथवा कोई नागरिक सुरक्षा संबंधी व्यवस्था हो और हमें जनता में जागरूकता लानी होगी स्वयंसेवी संगठनों का और सभी राजनैतिक संगठनों का यह पता लगाने के लिए कहां गलत कार्य चल रहा है तथा कहां असामान्य चीजें रखी गई हैं, उपयोग करना होगा। जागरूकता होनी चाहिए। लोग वहां जाकर उन चीजों को झपट कर न उठा लायें और स्वयं मारे जायें। यह ऐसी बात है जिस पर हमें विचार करना है और इसके लिए कुछ करना चाहिए।

आतंकवाद तब आता है जब कोई कमजोरी होती है। हमें इस कमजोरी पर काबू पाना चाहिए। हमारे इससे पहले के प्रधानमंत्री, इंदिरा जी ने अकाली दल के हमारे मित्रों को आगाह किया था कि उन्हें अपने आंदोलनों को किस प्रकार चलाना है। इस पर बहुत सावधानी बरतनी होगी। अगर मुझे ठीक से याद हो तो उन्होंने इस सदन में कहा था: "अगर आप ऐसे मार्ग

पर नीचे जाना शुरू कर दें जहां से आप वापस नहीं आ सकते तो यह बहुत ही खतरनाक है"। इसी कारण, हमें यह देखना पड़ता है कि हमारे द्वारा दिये गये वक्तव्य तथा हमारी कार्यवाहियां ऐसी न हों जो उग्रवादियों तथा आतंकवादियों की सहायता करती हों।

हालांकि अकाली नेतृत्व का रुख कुछ मामलों में रचनात्मक रहा है, उन्होंने हाल ही में कुछ ऐसी बातें कही हैं तथा काम किये हैं जिनसे उग्रवादियों तथा आतंकवादियों को प्रोत्साहन मिला है। उन्हें अब ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें न तो यह कहना चाहिए बल्कि उन्हें ऐसा कार्य भी नहीं करना चाहिए। और यहां पर मैं विरोधी पक्ष के अपने मित्रों से, जो उन्हें अच्छी प्रकार से जानते हैं, यह चाहता हूं कि वे बात करें और उन्हें संतुष्ट करें कि अगर हमें इन आतंकवादियों तथा उग्रवादियों से लड़ना है तो हमें इकट्ठे होकर लड़ना होगा।

ऐसी स्थिति से आतंकवादियों को हमेशा लाभ पहुंचेगा। वे अपना समय चुनते हैं, वे अपना स्थान चुनते है। आज यह ट्रांजिस्टर रेडियो है, कल कुछ और भी हो सकता है जो पहचाना न जा सकता हो। हमें इसकी तह में जाकर इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। हमें उन्हें समाप्त करना होगा।

मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री ने पहले ही सख्त कदम उठाये हैं और वह और भी सख्त कदम उठायेंगे ताकि समाज से इस कैंसर को दूर किया जा सके।

यही समय है जबकि हम सभी को इससे लड़ने के लिए न केवल एक समुदाय में बल्कि सभी समुदायों में, सभी धर्मों के लोगों में, सभी क्षेत्रों के लोगों में जनमत जुटाना होगा। इस प्रकार की हत्याएं हमारे प्रजातंत्र पर एक धब्बा छोड़ती हैं और हमें इनको समाप्त करना होगा। हिंसा का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। भारत की अखंडता तथा एकता सर्वोपरि है तथा हम इसको प्रभावित करने वाले किसी भी कार्य को नहीं होने देंगे।

अन्त में, यह हमारा सौभाग्य है कि हम भारत में, गांधी जी तथा पंडित जी के भारत में जन्मे हैं जहां उन्होंने अंग्रेजों की गोलियों, लाठियों का पूर्णतया अहिंसात्मक ढंग से मुकाबला किया था। अहिंसा के लिए हिंसा से अधिक साहस व हिम्मत चाहिए, और हाल ही में जो कुछ घटनाएं हुई हैं वे शौर्य के कार्य नहीं हैं वे कायरता के काम हैं और हमें इनसे अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ना होगा। महोदय, धन्यवाद।

पश्च टिप्पण

VI. **दिल्ली तथा उत्तर भारत के अन्य भागों में हुए बम–विस्फोटों से उत्पन्न स्थिति तथा देश में गुप्तचर एजेंसियों की असफलता के बारे में चर्चा, 13 मई, 1985**

1. **अध्यक्ष महोदयः** अच्छा हुआ आपने शक दूर कर दिया।

   प्रो. मधु दंडवतेः उनका विचार है कि उन पर असुरक्षा का आरोप है।

2. **प्रो. मधु दंडवतेः** मैंने इलेक्ट्रानिक यंत्र के लिए कहा था, और धातु–खोजी यंत्र हमारे लिए तथा उनके लिए, इलेक्ट्रानिक यंत्र।

3. **प्रो. मधु दंडवतेः** अगर यह प्रेम पत्र होता तो मैं इसे यहां पढ़कर नहीं सुनाता।

   श्री राजीव गांधीः मैंने कहा हैः हो सकता है, किसी दिन वह अपने किसी अन्य पत्र को भी पढ़कर सुनाएंगे।

   अध्यक्ष महोदयः क्या उसकी अनुमति देने की आपको मुझसे आशा है, महोदय?

   श्री राजीव गांधीः उनके पत्रों को जाने बिना मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता।

4. **प्रो. मधु दंडवतेः** क्या आपको ऐसा लग रहा है? क्या यहां पर आपको ऐसा युद्ध महसूस हो रहा है?

विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य

23 जुलाई, 1985

अध्यक्ष महोदय, मैं सभा के गत सत्र के बाद अपनी विदेश यात्राओं के बारे में एक वक्तव्य देने और माननीय सदस्यों को, जिन देशों की मैंने यात्रा की, उनके नेताओं से हुई अपनी बातचीत का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

मैंने 21 से 26 मई तक सोवियत संघ की राजकीय यात्रा की और वहां से एक दिन के लिए 2 जून को बंगलादेश चला गया। 5 जून से 18 जून तक मैंने मिस्र, फ्रांस, अल्जीरिया, संयुक्त राज्य अमरीका और स्विट्जरलैंड में जेनेवा का दौरा किया।

जैसाकि सभा को मालूम है कि सोवियत संघ के साथ हमारे सम्बन्ध सदैव ही बहुत अच्छे रहे हैं और मेरी यात्रा से उस देश के साथ हमारी मैत्री और पारस्परिक सहयोग की भावना और मजबूत हुई है।

सोवियत संघ में, मेरा विशेष रूप से गर्मजोशी के साथ सत्कार किया गया और मेरी सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव श्री मिखाइल गोर्बाचोव के साथ अनेक बैठकें हुई जिसमें उन्होंने इस बात को दोहराया कि सोवियत संघ भारत के साथ उच्च स्तरीय सम्पर्क को महत्व देता है और भारत के साथ मित्रता का विस्तार करना चाहता है। मैंने भी भारत की जनता और सरकार द्वारा आपसी सम्बन्धों को दिए जाने वाले उच्च महत्व का उल्लेख किया।

हमारी बातचीत बहुत ही सौहार्दपूर्ण और व्यापक रूप से हुई जिसमें द्विपक्षीय सम्बन्धों और महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को लिया गया था। जहां तक सोवियत संघ और भारत के बीच सम्बन्धों का प्रश्न है, हम विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे वर्तमान सहयोग को बढ़ाने और उसे दीर्घकालीन बनाने पर सहमत हुए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर जो चर्चा हुई इसमें विश्व शांति और निरस्त्रीकरण, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया, ईरान और इराक की घटनाएं शामिल थीं। हमने उनसे उन प्रयासों का उल्लेख किया जो हम अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के चेयरमैन के रूप में जो पहल कर रहे हैं। मैं सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद के चेयरमैन श्री निकोलई तिखोनोव, भूतपूर्व विदेश मंत्री और अब सोवियत संघ के राष्ट्रपति श्री अन्द्रेई ग्रोमिको तथा अन्य नेताओं से मिला।

मेरी यात्रा के अन्त में जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में हमारी बातचीत के परिणाम को दर्शाया गया है। दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रथम समझौता आर्थिक और तकनीकी सहयोग के बारे में था, जिसके अन्तर्गत सोवियत संघ हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं विशेषकर बिजली, कोयला और पेट्रोलियम क्षेत्र की परियोजनाओं में सहयोग करेगा। लौह और इस्पात तथा मशीन निर्माण क्षेत्रों में भी सोवियत सहयोग का प्रावधान किया गया है। इस समझौते को पूरा करने के लिए सोवियत संघ एक बिलियन रूबल का ऋण देगा।

दूसरे जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, वह मुख्यत: हमारे दोनों देशों के बीच सन्, 2000 तक चलने वाले आर्थिक विषयों व्यापार, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के बारे में था।

मेरे कार्यक्रम में बाइलोरशयन गणतन्त्र केमिन्सक और किरघिज गणतन्त्र के फरुन्जे का दौरा भी सम्मिलित था। सोवियत मित्रता सोसाइटीज संघ और सोवियत भारत मित्रता सोसाइटी द्वारा मास्को में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को मरणोपरान्त लेनिन शान्ति पुरस्कार दिया गया और मास्को में एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया।

मेरे आकलन अनुसार, सोवियत संघ के नेतृत्व द्वारा हमारे विचारों को समझने तथा भारत-सोवियत सद्भावना और सहयोग को सौहार्दता के नये स्तर पर पहुंचाने में यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण रही है।

2 जून को बंगलादेश की यात्रा पर जाने का मेरा उद्देश्य, वहां तूफान के कारण हुए भारी सर्वनाश पर वहां की सरकार और जनता के प्रति भारत की विनम्र सहानुभूति प्रकट करना था। श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्द्धने महोदय भी, जोकि बातचीत के लिए दिल्ली आए हुए थे, मेरे साथ बंगलादेश गये। हमने बंगलादेश गणतन्त्र के राष्ट्रपति लै. जनरल इरशाद से बातचीत की। यह यात्रा दक्षिण एशिया के देशों के बीच पनप रही एकता की भावना की भी अभिव्यक्ति थी।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में मिस्र और अल्जीरिया हमारे बहुत घनिष्ठ सहयोगी रहे हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी को अप्रैल, 1984 में दोनों देशों की यात्रा पर जाना था, परन्तु नहीं जा सकी। जब मैंने पदभार संभाला तो उन्होंने नये सिरे से निमन्त्रण भेजे।

काहिरा में, राष्ट्रपति हुसनी मुबारक ने बड़ी ही गर्मजोशी और सौहार्दता से मेरा स्वागत किया और दोनों ही अन्तर्राष्ट्रीय तथा पारस्परिक हित के मामलों पर गहराई से वार्तालाप किया। मिस्र ने विशेष रूप से गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की हमारी अध्यक्षता, निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने में हमारी भूमिका तथा ईरान-इराक युद्ध की शीघ्र समाप्ति हेतु किए गए हमारे प्रयासों की सराहना की। एक दूसरे के निकट सहयोग करने और पश्चिम एशिया के प्रश्न पर सम्पर्क बनाए रखने की आवश्यकता पर एक समझौता हुआ। हमने पारस्परिक आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को अधिकाधिक बढ़ाने की आवश्यकता पर भी समझौता किया। यह निर्णय किया गया कि अक्तूबर, 1985 में भारत, मिस्र संयुक्त आयोग की सम्भावित प्रथम बैठक में सम्भावनाओं का और अधिक ठोस रूप से पता लगाया जाये। मैंने मिस्र के प्रधान मंत्री श्री कमाल हसन अली महोदय से भी बातचीत की।

अल्जीरिया में, मैंने राष्ट्रपति श्री चान्दली बेन्डजेडीड महोदय से पास्परिक हित के और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विस्तार से बातचीत की। बातचीत बड़ी मैत्रीपूर्ण और उन्मुक्त वातावरण में हुई। आपसी हित के अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विचारों में समानता थी और हम विशेषकर गुट-निरपेक्ष मामलों पर निकट सम्पर्क बनाए रखने पर सहमत हुए। यह समझौता भी हुआ कि दोनों

देशों के विदेश कार्यालयों के मध्य प्रतिवर्ष वैकल्पिक रूप में अल्जीयर्स और नई दिल्ली में विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक ऐसी संस्था बनायी जाए जो यह कार्य करे। मैंने वहां के प्रधान मंत्री श्री अब्देलहमीद ब्राहीमी से भी बातचीत की।

दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए हमने अल्जीरिया से पांच लाख टन कच्चा तेल खरीदना स्वीकार किया। अल्जीरिया भारत को व्यापारिक ठेकों और परियोजनाओं के मामले में उच्च प्राथमिकता देने को तैयार है।

पश्चिमी सहारा के प्रश्न पर हमने पोलिसारियो के प्रति अपनी सहानुभूति और समर्थन को दोहराया।

मुझसे एस.ए.डी.आर. के प्रधानमंत्री और पोलिसारियो की कार्यकारणी के सदस्य श्री महफूद अली बेलबा मिले। उन्हें यह बताया गया कि नवम्बर, 1984 में 20वें ओ.ए.यू. शिखर सम्मेलन में एस.ए.डी.आर. के भाग लेने के बाद से, हमारे सम्बन्धों का दर्जा बढ़ा है, और उन पर सक्रिय रूप से विचार किया जाता रहा है।

फ्रांस की मेरी यात्रा, जनवरी, 1980 में राष्ट्रपति गिस्कार्ड डी इस्टेंग की भारत यात्रा, नवम्बर, 1981 में स्व. प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की फ्रांस यात्रा, नवम्बर, 1982 में राष्ट्रपति मिन्तरां की भारत यात्रा तथा सितम्बर, 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी की पेरिस में यात्रा—मध्य में रुकने से लेकर उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान की एक अगली कड़ी है। मेरी यात्रा बहुत उपयोगी सिद्ध हुई और अधिक गतिशील पारस्परिक सम्बन्धों की नींव और मजबूत हुई।

राष्ट्रपति मितरां और मैंने विश्व स्थिति और अन्तर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने तथा विकसित एवं विकासशील देशों के बीच और अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महती आवश्यकता का जायजा लिया। मैंने वहां के प्रधान मंत्री श्री लौरेन्ट फेबियस से भी विस्तृत बातचीत की।

अपनी बैठकों में, मैंने अपने पारस्परिक सम्बन्धों के राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं को सन्तुलित ढंग से विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। फ्रांसीसियों द्वारा हमारी विचारधारा के प्रति उल्लेखनीय स्वागत भाव प्रदर्शित किया गया।

यात्रा के दौरान, फ्रांस से हमारे दो समझौते हुए हैं; जिनमें एक है भारत में उच्च स्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत-फ्रांस केन्द्र स्थापित करना और दूसरे समझौते में शहरी मलबे को ऊर्जा में बदलने और गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने में फ्रांसीसी सहयोग का प्रस्ताव। अनेक क्षेत्रों में, सर्वांगीण भारत-फ्रांस आर्थिक सहयोग के उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ने की आशा है।

मैंने 7 जून को भारत महोत्सव का उद्घाटन किया और जैसा कि सदस्यगण जानते हैं यह महोत्सव सन् 1986 के मध्य तक चलेगा और यह फ्रांसीसी जनता पर पहले ही उल्लेखनीय प्रभाव डाल चुका है।

पेरिस में, मैंने 'यूनेस्को' को सम्बोधित किया और वह संस्था जो कार्य कर रही है, उसके प्रति अपना समर्थन दोहराया।

11 से 15 जून तक अमरीका की मेरी यात्रा सर्वाधिक उपयोगी रही।

मुझे महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामलों तथा परमाणु आयुध तैयार करने की पाकिस्तानी योजनाओं और कुछ आतंकवादी तत्वों के क्रियाकलापों के समाचारों जैसे भारत के लिए तत्काल चिंता के मामलों पर भी राष्ट्रपति रीगन से विचारों के आदान-प्रदान का अवसर मिला। बातचीत गर्मजोशी और खुले दिमाग से हुई।

मैंने भारत के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आतंकवादी हिंसा का मुकाबला करने में राष्ट्रपति द्वारा निकट सहयोग की इच्छा का स्वागत किया।

मैंने पाया कि राष्ट्रपति और उनके सलाहकारों में, हम जो कुछ भारत में करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके प्रति बहुत ही भारी रुचि और सद्भावना है। कई क्षेत्रों में नीति और दृष्टिकोण विषयक मतभेद होने पर भी मैंने यह अनुभव किया कि हम विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हम इन उच्च-स्तरीय सम्बन्धों को महत्व देते हैं और वार्तालाप को जारी रखना चाहेंगे। मेरा विश्वास है कि अपनी सद्भावना और सहयोग को विस्तार देने हेतु इन नीवों पर निर्माण का अच्छा अवसर है।

माननीय सदस्यों ने मेरी अमेरीका यात्रा के बाद जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य की विषय-वस्तु को देखा होगा, जिसमें आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग के कुछ क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। हमने तीन वर्षों के लिए और आगे वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय सहयोग करने, टीका कार्यक्रम आरम्भ करने, दीर्घकालीन अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम तथा वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी की प्रगति हेतु कार्यक्रम जैसे सहयोग के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को चुना है।

मुझे कांग्रेस की संयुक्त बैठक को सम्बोधित करने का निमन्त्रण देकर भारत को सम्मानित किया गया। मेरी प्रशासन के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों के साथ-साथ विख्यात वैज्ञानिकों, प्रेस के नेताओं तथा अमरीका वाणिज्य चैम्बरों से भी बातचीत हुई।

वाशिंगटन और हौस्टन दोनों नगरों में भारतीय समुदाय के साथ समारोह आयोजित किये गये। उप-राष्ट्रपति बुश ने हौस्टन तक मेरे साथ जाने की कृपा की, जहां पर मैंने 'नासा' का संक्षिप्त दौरा किया। मेरे कार्यक्रम की मुख्य घटना थी भारत महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन जिसे श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति को समर्पित किया गया था। राष्ट्रपति रीगन ने इसका इन शब्दों में उल्लेख किया था **"एक अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी उत्सव"**।

माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति रीगन की हाल ही में हुई शल्य-चिकित्सा के बारे में पढ़ा होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरा सदन राष्ट्रपति रीगन, श्रीमती रीगन और अमरीका की जनता को, राष्ट्रपति महोदय के पूर्ण और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारी शुभकामनाओं को प्रेषित करने में मेरे साथ है।

अमरीका से वापस आते समय मैं एक दिन जेनेवा में रुका जहां मुझे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संबोधित करने का अवसर मिला। अपने भाषण में मैंने संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए भारत की वचनबद्धता को दोहराया तथा संपूर्ण संसार में असंगठित श्रमिकों की सेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा महान कार्य करने का अनुरोध किया।

पश्च टिप्पण

VII. विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य, 23 जुलाई, 1985

कोई टिप्पण नहीं।

पंजाब के संबंध में वक्तव्य

24 जुलाई, 1985

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अपने दल को पंजाब की समस्याओं का समाधान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का वचन दिया था। मुझे सदन को यह सूचना देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कुछ माह के बाद, हमने आज एक बहुत ठोस कदम उठाया है। करीब 20 मिनट पहले सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल और मैंने समझौते के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जिस कठिन घड़ी से यह देश गुजर रहा था आज उसका अंत हो जाएगा। यह अपने देश के निर्माण, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक साथ काम करने का एक नया चरण आरम्भ होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल के बीच हुए समझौते के ज्ञापन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

*** *** ***[1]

पश्च टिप्पण

VIII. **पंजाब के संबंध में वक्तव्य, 24 जुलाई, 1985**

1. **श्री एस. जयपाल रेड्डी** (महबूबनगर): समझौते का ज्ञापन कहां है?

अध्यक्ष महोदय: यह मेरे पास है।

श्री राजीव गांधी: इस पर केवल 20 मिनट पहले हस्ताक्षर किए गए थे। इसकी केवल एक ही प्रति है...

श्री एस. जयपाल रेड्डी: इसे पढ़ा जाना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं। हमारा प्रधान मंत्री से केवल यह अनुरोध है कि वह इसे पढ़कर सुनाएं।

श्री राजीव गांधी: क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे पढ़कर सुनाऊं।

कुछ माननीय सदस्य: जी, हां।

श्री राजीव गांधी: ठीक है, मैं इसे पढ़कर सुनाऊंगा।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: हम कठिनाई समझते हैं...

श्री राजीव गांधी: इसमें कोई कठिनाई नहीं है। राज्य सभा को थोड़ा इन्तजार करना पड़ेगा। अन्यथा, ठीक है।

पंजाब में चुनाव के बारे में वक्तव्य

23 अगस्त, 1985

माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि पंजाब में चुनाव सम्बन्धी कार्यक्रम की चुनाव आयोग द्वारा घोषणा की जा चुकी है।

हमारे देश में चुनाव सम्बन्धी प्रक्रिया की महत्ता स्पष्ट ही है, इस पर और जोर देने की जरूरत नहीं है।

हमारे लोगों द्वारा इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया गया है कि प्रगति एवं सम्पन्नता प्राप्त करने के लिए मताधिकार ही उनका हथियार है।

परन्तु पंजाब में घटित हाल की घटनाओं के संदर्भ में, चुनाव प्रक्रिया ने भी एक नए राष्ट्रीय महत्व का स्थान ग्रहण कर लिया है।

लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति वचनबद्ध सभी राजनीतिक दलों के सामने अब मूल मुद्दा यह है, कि क्या उग्रवादी और आतंकवादी शक्तियों द्वारा हम जनता की स्वतंत्र इच्छा के प्रयोग को बाधित, कुंठित और विध्वंसित होने देंगे?

इस प्रश्न के सही उत्तर पर ही भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली का भाग्य निर्भर है। या तो सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाकर और एकजुट होकर आतंकवाद की इस भीषण चुनौती का सामना करें या फिर आतंकवाद और उग्रवाद की धमकी के सामने घुटने टेक दें। पंजाब में बाकी सभी कुछ गौण हैं। जहां पर किस दल को कितने स्थान प्राप्त होते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। वहां कौन जीतता है और कौन हारता है, इसका भी कोई महत्व नहीं है।

जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि लोकतंत्र का दिया बुझने न पाए। महत्व इस बात का है कि भारत जीते।

भारत के लोगों ने यह दिखा दिया है कि वे हर चीज से ज्यादा लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वतंत्रता का आदर करते हैं; राजनीतिक दल भी जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, लोकतंत्र का मूल्य कम नहीं समझते हैं।

आम जनता पर अपनी इच्छा थोपने के लिए कुछ थोड़े से लोगों द्वारा अपनाए गए क्रूर और नृशंस रास्ते का सही उत्तर लोकतांत्रिक चुनाव ही है।

हम विघटनकारी शक्तियों को सिर नहीं उठाने देंगे।

हम कोई भी जोखिम उठाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

जनता की इच्छा एवं विश्वास के संरक्षक की हैसियत से, मैं इस बात के लिये पूरी तरह से वचनबद्ध हूं।

हमारे लोकतांत्रिक समाज में सामने आने वाले हर खतरे का मुकाबले करने की आन्तरिक शक्ति है।

हम यह दिखा देंगे कि हम स्वार्थों से ऊपर उठने में भी सक्षम हैं।

हम सब को, जो इस राष्ट्र द्वारा प्रतिपादित किए गए आदर्शों का आदर करते हैं, मिलकर इस चुनौती का सामना करना है।

पश्च टिप्पण

IX. पंजाब में चुनाव के बारे में वक्तव्य, 23 अगस्त, 1985

कोई टिप्पण नहीं।

विदेश यात्राओं के बारे में वक्तव्य

26 नवम्बर, 1985

जब संसद सत्र में नहीं था तो मैं 29 सितम्बर से 1 अक्तूबर तक भूटान और 14 से 27 अक्तूबर तक ब्रिटेन, क्यूबा, नीदरलैंड और सोवियत संघ की यात्रा पर गया था। मैंने 16 से 21 अक्तूबर तक बहामास में हुई राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक तथा 21 से 24 अक्तूबर तक न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र की 40वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लिया। मैंने 18 नवम्बर को ओमान के राष्ट्रीय दिवस की 15वीं वर्षगांठ के समारोह में भी भाग लिया था।

भूटान की शाही सरकार और वहां के लोगों ने मेरा जो भव्य स्वागत किया, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने अपनी मां की ओर से भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार ड्रूक वांग्याल भी स्वीकार किया। मेरी इस यात्रा से भूटान के साथ मौजूद हमारे सर्वोत्कृष्ट सम्बन्ध और मजबूत हुए हैं।

ब्रिटेन के साथ हमारे प्राचीन ऐतिहासिक और मधुर सम्बन्ध हैं। हमारे दोनों देशों के बीच जो सहयोग है उससे दोनों देशों को लाभ पहुंचा है। श्रीमती मार्गेट थैचर और मंत्रिमंडल के उनके सहयोगियों के साथ मेरी बातचीत बहुत उपयोगी रही। मैंने ब्रिटिश क्षेत्र में चल रही भारत विरोधी उग्रवादी गतिविधियों, हमारे आर्थिक आदान–प्रदानों में असन्तुलन तथा कौंसली और आप्रवासन सम्बन्धी उन समस्याओं से उन्हें अवगत कराया जिसका सामना हमारे राष्ट्रिकों को करना पड़ रहा है। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से हमें एक दूसरे की समस्याओं को समझने में सहायता मिली है।

बहामास में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका की स्थिति पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया। अपनी स्थिति के अनुरूप हमने व्यापक आदेशात्मक प्रतिबन्ध लगाने की मांग की। दक्षिण अफ्रीका के बारे में एक राष्ट्रमंडल समझौता स्वीकार किया गया। हम भी एक कठोर वक्तव्य के पक्ष में थे किन्तु यह समझौता इससे भी एक कदम आगे निकला। इस समझौते में पहली बार ब्रिटेन को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध विशिष्ट बारीकी से मानिटर्ड आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने के लिए राजी कराया गया। प्रतिबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रभाव पर निगरानी रखने तथा अश्वेत लोगों के उचित प्रतिनिधित्व सहित दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनीतिक बातचीत में सहायता करने के लिए प्रख्यात व्यक्तियों का एक दल गठित किया जा रहा है। हमने इस दल में सरदार स्वर्ण सिंह को नामित किया है। चोगम ने विश्व–व्यवस्था सम्बन्धी एक घोषणा भी स्वीकार की जो अनिवार्यतः भारतीय शिष्टमंडल द्वारा प्रस्तुत प्रारूप पर आधारित थी।

24 अक्तूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को सम्बोधित करने के अतिरिक्त मैंने गुट–निरपेक्ष ग्रुप और पृथक्वासन विरोधी विशिष्ट समिति की विशेष बैठकों को भी सम्बोधित किया। बहामास और न्यूयार्क दोनों जगह बड़ी संख्या में राज्य और शासनाध्यक्षों के साथ अलग–अलग बैठक

करने का मुझे अवसर मिला और उनके साथ द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर उपयोगी चर्चा की। न्यूयार्क में हमने 6 राष्ट्रों के नेताओं, जिन्होंने दिल्ली में नाभिकीय निःशस्त्रीकरण के लिए संयुक्त घोषणा की थी, की एक बैठक भी की। हमने राष्ट्रपति रीगन तथा महासचिव गोर्बाचोव को एक अपील भेजी जिसका पाठ सदन के सभापटल पर रख दिया गया है।

क्यूबा का दौरा करने वाला मैं प्रथम भारतीय प्रधान मंत्री था। इन्दिराजी ने राष्ट्रपति केस्ट्रो का निमन्त्रण स्वीकार किया था परन्तु दुर्भाग्यवश वे दौरे पर नहीं जा सकीं। राष्ट्रपति केस्ट्रो के साथ द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर मेरी चर्चा अत्यन्त उपयोगी रही। राष्ट्रपति केस्ट्रो ने राष्ट्रीय निर्माण के पथ पर अपनी जनता का उदात्त रूप में मार्गदर्शन किया है। उनकी अगुआई में क्यूबा में जो प्रगति हुई है उससे हम अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। मैंने अपनी मां की ओर से क्यूबा सरकार द्वारा विश्व नेता के रूप में श्रद्धांजलि स्वरूप उन्हें मरणोपरान्त दिया गया ''जोस माली पुरस्कार'' स्वीकार किया। हवाना की जनता ने मुझे जो भावभीनी विदाई दी वह मुझे हृदय तक छू गई।

भारतीय प्रधानमंत्री का नीदरलैण्ड का दौरा काफी दिनों से लम्बित था। हमारे सम्बन्ध निकट के और मधुर हैं। प्रधानमंत्री लूबर के साथ मेरी वार्ता अत्यन्त उपयोगी रही। विकासशील देशों और उत्तरी–दक्षिणी वार्ता के प्रति नीदरलैण्ड के अत्यन्त रचनात्मक समर्थन की हम सराहना करते हैं।

दिल्ली लौटते हुए मैं थोड़ी देर के लिए सोवियय संघ में भी रुका। मैंने महासचिव गोर्बाचोव के साथ विचारों का विस्तृत और अत्यन्त उपयोगी आदान–प्रदान किया। यह बातचीत उस बातचीत से आगे की गई थी जो इस वर्ष मई में अपनी यात्राओं के दौरान मैंने वहां की थी। हम समाज हित के मामलों पर बराबर सम्पर्क बनाए हुए हैं।

ओमान की मेरी यात्रा महामान्य सुल्तान काबूस के व्यक्तिगत और सौहार्दपूर्ण निमंत्रण के उत्तर में थी। प्राचीन काल से ही भारत और ओमान के बीच वाणिज्य और संस्कृति के क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं। लगभग ढाई लाख भारतीय राष्ट्रिक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ओमान में कार्य कर रहे हैं। ओमान के साथ हमारे सम्बन्धों का विस्तार होने की और अधिक सम्भावनायें हैं।

आज रात मैं वियतनाम और जापान की यात्रा पर जा रहा हूं। इन दोनों देशों के साथ हमारे घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी ये यात्राएं भी उतनी ही लाभदायक सिद्ध होंगी जितनी कि अब तक की यात्राएं थीं।

पश्च टिप्पण

X. विदेश यात्राओं के बारे में वक्तव्य, 26 नवम्बर, 1985

कोई टिप्पण नहीं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव

18 दिसम्बर, 1985

अध्यक्ष महोदय, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, परन्तु मैं इसके साथ यह भी कहूंगा कि ऐसे अधिकांश अवसरों पर अर्थशास्त्रियों में परस्पर उतनी ही मत भिन्नता होती है, जितना कि उनमें परस्पर मतैक्य होता है। जब हम सातवीं पंचवर्षीय योजना जैसे विषय पर चर्चा करते हैं तो हमारे समक्ष जो वस्तुत: प्रश्न उठता है वह है आर्थिक आयोजनाओं के लिए उन राजनैतिक विकल्पों को चुनना जो अर्थशास्त्रियों ने हमें दिये हैं। यह एक पूर्णतया आर्थिक कार्य के साथ-साथ उतना ही राजनैतिक कार्य भी है, क्योंकि अन्तत: हम देश के निर्धनतम व्यक्तियों के लिए काम कर रहे हैं।

मैं गांधी जी का एक उद्धरण देना चाहता हूं, जिन्होंने कहा था:

"आपने जो सबसे निर्धन तथा कमजोर व्यक्ति देखा है उसके चेहरे का स्मरण करके अपने आप से पूछो, यदि आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदम से क्या उसे लाभ होने जा रहा है।"

सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय हमने इस बात का ध्यान रखा है। हमने इस बात पर जोर दिया है कि सबसे निर्धन व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके और हमारा लक्ष्य होना चाहिए सामाजिक न्याय के साथ-साथ विकास। यह योजना न केवल केन्द्रीय सरकार में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति का सामूहिक प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि हमारे सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों का भी प्रतिनिधित्व करती है, तथा इस कार्य में लगे प्रत्येक व्यक्ति की लगन तथा मेहनत से हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना बनाई है जो उन उद्देश्यों को परिभाषित करती है जिन्हें हमने आगामी पांच वर्षों के लिए राष्ट्र के समक्ष रखे हैं। इस दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में आमराय से तैयार किया गया एक ऐसा दस्तावेज है जो हम देश को देना चाहते हैं। प्रत्येक योजना को एक विशिष्ट समय में व्याप्त समस्याओं पर ही ध्यान देना चाहिए। समस्याएं भी वैसे ही बदलती रहती हैं जैसे कि विकास में लगातार परिवर्तन होता रहता है। अत: प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि नई समस्याएं आती रहती हैं। लेकिन इन समस्याओं का समाधान करने में हम पंडित जी तथा इन्दिरा जी की वचनबद्धता से अलग नहीं हुए हैं और इस योजना में हमने पंडित जी तथा इन्दिरा जी के बताए गए रास्तों पर जोर दिया है तथा वही रास्ता अपनाया है? हमारी योजना प्रक्रिया की उपलब्धियों को यहां दुहराने की आवश्यकता नहीं है, तथापि हमारे एक माननीय विपक्षी सदस्य ने जो कहा है उसे मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं:

"छठी पंचवर्षीय योजना असफल रही है।"

मैं अब इस पर टिप्पणी करने जा रहा हूं।

छठी पंचवर्षीय योजना हमारी सफलतम योजनाओं में से एक है।

छठी पंचवर्षीय योजना शायद हमारी सबसे सफलतम योजना रही है। पिछली किसी योजना

की तुलना में इसमें औसत विकास की दर 5% से अधिक हुई है और यह उपलब्धि हमने विकास, वित्तीय तथा आर्थिक मोर्चों पर जबरदस्त अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के दौर के दौरान प्राप्त की है। भारत विश्व के उन थोड़े से देशों में है जो पिछड़ेपन के प्रति बेपरवाह नहीं रहे। वस्तुतः, हमारा कार्य पहले से बेहतर रहा। कुछ लोग सोचते हैं कि इसका अभिप्राय है असफलता। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या 1980 में 52 प्रतिशत से घटकर 1984 में 37 प्रतिशत हो गई। माननीय सदस्य अनुभव कर सकते हैं कि यह असफलता है। शायद वह गरीबी रेखा को 52 प्रतिशत रखना चाहते हैं।

*** *** ***[1]

मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। केवल कांग्रेस सरकार के दिशानिर्देश तथा मार्गदर्शन के कारण ही यह सम्भव हो सका है।

जैसा कि मैं कह चुका हूं हमारे समक्ष जो प्राथमिकताएं हैं—वे हैं गरीबी हटाना, सामाजिक न्याय दिलाना तथा आत्मनिर्भर बनना। वास्तविक प्रश्न यह है कि हम इसे कैसे करेंगे। इसका मूल आधार तो हमारी पुरानी नीतियां ही रहेंगी। परन्तु हमें उन नीतियों, उन विचारों को आज के भारत के अनुरूप लागू करना पड़ेगा। यदि हम पहली पंचवर्षीय योजना पर एक नजर दौड़ाएं तो हमें पता चलेगा कि उस समय भारत कैसा था तथा आज का भारत कैसा है, कितना जबरदस्त परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन योजना के कारण हो सका है, और पंडित जी के उस समय के विचारों को आज के भारत में लागू करते समय हमें आज के भारत के अनुरूप ही उसे लागू करना होगा। हम उस समय के भारत के लिए अपनाए गए उनके तरीके को अब तीस वर्षों के पश्चात् यथावत् रूप में नहीं अपना सकते। परन्तु उनका विचार तथा सिद्धान्त आज भी ठीक है। यह आज भी उतना ही लाभप्रद तथा प्रासंगिक है, बशर्ते कि हम उसका इस्तेमाल आज के संदर्भ में तथा इस अवधि में योजनाओं के कारण हुए विकास को ध्यान में रखते हुए करें।

पंडित जी ने कहा था कि यदि भारत को आगे बढ़ना है तो भारत को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति करनी होगी। विकास का यही आधार बनेगा। उपयुक्त प्रौद्योगिकी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। निःसन्देह, हम केवल उपयुक्त प्रौद्योगिकी चाहते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि हमारे लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी क्या है जो हमारे लिए उपयुक्त है वह कदाचित उस व्यक्ति के लिए भी उपयुक्त होगा जो ऐसी चीज बेचने की कोशिश कर रहा है जिसकी उसे अब बिल्कुल जरूरत नहीं।

हमें यह देखना होगा कि हम अपनी आवश्यकता के लिए अच्छी-से-अच्छी प्रौद्योगिकी प्राप्त करें। सर्वप्रथम सर्वोतम प्रौद्योगिकी हमें उस क्षेत्र के लिए प्राप्त करनी पड़ेगी जहां हम अधिकतम विकास करना चाहते हैं।

हमें इसका आरम्भ कृषि तथा किसानों से करना पड़ेगा। हमारे किसान प्रौद्योगिकी के बिना प्रगति नहीं कर सकते। देश के कुछ भाग में हरित क्रान्ति के क्या कारण हैं? इसका कारण यह है कि वहां उन्हें आधुनिकतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई गई। अन्य क्षेत्रों के लिए भी इसे उपलब्ध करानी पड़ेगी।

इसके साथ-साथ हमें यह भी देखना होगा कि हम उन व्यक्तियों के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी कैसे उपलब्ध करा सकते हैं जो ऐसे संसाधनों के उपयोग करने के अभ्यस्त हो गए हैं जो उनके पास उपलब्ध हैं।

कृषि के लिए केवल यही प्रश्न नहीं है कि किसानों को अथवा उन्नत किस्म के बीज, अथवा बेहतर मौसम सूचना उपलब्ध कराई जाए, बल्कि हमें जल प्रबंध संबंधी प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान देना होगा। ऐसा हम इस प्रकार करेंगे कि किसान कम उर्वरकों का प्रयोग करके बेहतर फसल उगा सकें? जल का कम उपयोग करके बेहतर परिणाम कैसे प्राप्त किया जा सकता है? एक तरफ तो हमें अपने संसाधनों का संरक्षण तथा बेहतर उपयोग करना है, तो दूसरी ओर उत्पादकता में वृद्धि करनी है।

ये दो बातें तभी हो सकती हैं यदि हम सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करें, भारत में आज भी किसान के सामने शायद सबसे बड़ी समस्या यह है कि मानसून समय पर आता है अथवा वह दस दिन विलम्ब से आता है या समय से पहले आ जाता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसमें व्यापक परिवर्तन हुआ है। अब हमारे पास उपग्रह है। वह (किसान) टेलीविज़न सेट चला सकता है, वह देख सकता है कि बादल छाये हैं या नहीं। उसे मालूम है कि पांच दिन में बादल आ जायेंगे। फिर यह जानकारी शत प्रतिशत सही नहीं है, हमारे पास उसे पक्के तौर पर यह जानकारी देने की क्षमता होनी चाहिए कि इतने दिनों के भीतर मानसून अथवा वर्षा आ सकती है जिससे उसे इस बारे मे जानकारी हो सके और तद्नुसार अपने खेतों को जोतें और दी गई जानकारी के अनुसार तैयार रहें।

इसके लिए केवल एक रास्ता है। हमें सर्वाधिक परिष्कृत सुपर कम्प्यूटर प्राप्त करना होगा। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि उच्च श्रेणी की प्रौद्योगिकी किसान के लिए नहीं हो सकती है। किसान को खेत जोतने के लिए दो बैल और बेहतर किस्म का हल दे देने का आशय समुचित प्रौद्योगिकी नहीं है। हमें यह देखना है कि लोगों के बेहतर जीवन यापन के लिए हमारा लक्ष्य उनके जीवन यापन की स्थिति को ऊंचा उठाना है। इस प्रयोग के लिए हमें प्रौद्योगिकी प्राप्त करनी है। ऐसी प्रौद्योगिकी जिसकी शुरुआत किसान से हो। पानी और उर्वरकों जैसी साधारण चीजों के बेहतर उपयोग के लिए हमारे पास सर्वाधिक परिष्कृत जानकारी हो। हो सकता है हमें ऐसे किसी सस्ते ठोस मिट्टी परीक्षण उपकरण की आवश्यकता हो जिससे उसे यह पता लग सके कि एक बोरी अमुक उर्वरक डालें और अमुक उर्वरक न डालें। कुछ साधन हों जो उसे यह बता सकें कि आने वाले चार दिनों तक वह पानी का प्रयोग न करें।

आजकल इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध करायी जा सकती है। हमारे किसानों के व्यावहारिक प्रयोग के लिए इसको सस्ते मूल्य पर विकसित किया जा सकेगा। इस दिशा में प्रौद्योगिकी के विकास पर हमें जोर देना होगा। शहरी क्षेत्र की तरह कृषि क्षेत्र भी शीघ्रता से बढ़ता है, उसकी समृद्धता और अन्य मांगे भी बढ़नी शुरू होती है और तब इसका लाभ हमारे सारे उद्योग तक पहुंचेगा।

उसके बाद हमें लघु क्षेत्र पर जोर देना होगा क्योंकि इस क्षेत्र में इसके बाद सबसे अधिक व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं।

इसी प्रकार हमें यह देखना होगा कि नयी प्रौद्योगिकी से लघु क्षेत्र को लाभ किस प्रकार पहुंचाया जा सकता है, किस प्रकार लघु क्षेत्र को दूसरे बड़े आकार अथवा बड़ी मात्रा में बढ़ाया जा सकता है। हमें उस बात पर जोर देना होगा कि लघु क्षेत्र में लगे हमारे सभी लोगों को बड़े उद्योगों में खपाया जा सके, कुटीर उद्योगों के लोग लघु क्षेत्र में आये और नये लोग कुटीर उद्योगों को शुरू करें। इस प्रकार की वृद्धि यहां पर होनी चाहिए। हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी व्यक्ति को लघु क्षेत्र में बांध दें और किसी व्यक्ति को कुटीर उद्योग तक ही सीमित रखें और कहें कि यदि तुम प्रगति करते हो अथवा तुम्हारा उत्पादन निर्धारित सीमा से 5 रुपया बढ़ जाता है तो अचानक कर भारों से लाद दिये जाओगे इससे सारी प्रणाली अव्यावहारिक हो जायेगी। किसी भी प्रणाली में कुछ विकास क्षमता अवश्य होनी चाहिए।

आवास सम्बन्धी प्रौद्योगिकी भी जरूर होनी चाहिए हमारी आवासीय व्यवस्था अभी भी काफी खर्चीली है। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि मकान की कीमत किस प्रकार कम की जा सकती है। इसे एक सीमा तक कम किया जाना चाहिए। जिससे औसत आदमी को आवास मिल सके, मकान बहुसंख्य लोगों को उपलब्ध हों और यह सुविधा शहरी क्षेत्रों और कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केवल कुछ धनाढ्य लोगों को, जो इन्हें खरीद सकते हैं तक ही सीमित न रहे। इस क्षेत्र में हमने कोई कार्य नहीं किया है। अभी भी हमारे मकान ऐसे ही बनते हैं जैसे आज से ठीक बीस-तीस वर्ष पहले बनते थे। इस क्षेत्र में कोई वास्तविक विकास नहीं हुआ है।

महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शिक्षा भी है, हमारी शिक्षा प्रणाली बहुत उपयोगी है। यह भारत में महान वैज्ञानिक पैदा करने में सहायक रही है। इसने सर्वोत्तम शिल्प वैज्ञानिकों को पैदा करने में मदद की है। हमारी शिक्षा प्रणाली से प्रत्येक क्षेत्र में हमारे यहां महान व्यक्ति पैदा हुए हैं लेकिन आज विकास में नाटकीय परिवर्तन हुआ है, हमारी शिक्षा प्रणाली प्रौद्योगिकी और विज्ञान क्षेत्र के उस भार को वहन करने के लिए या तो तैयार नहीं है अथवा असमर्थ है जो इस पर डाला जा रहा है। शिक्षा प्रणाली की इस कमी अथवा प्रणाली में लचीलेपन के अभाव के कारण आध्यात्मिक विकास और प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक विकास के बीच हम भारी खाई पैदा कर रहे हैं। हमारी प्रणाली इस खाई को पाटने के लिए बनाई जानी चाहिए तभी हम वास्तव में देश और मानव जाति के हित के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने योग्य हो सकेंगे। यदि यह खाई और बढ़ती है तब हम प्रौद्योगिकी के गुलाम हो जायेंगे और हमारा काम करने के लिए प्रौद्योगिकी हमारी गुलाम नहीं होगी। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर बहुत अधिक सोच-विचार, वाद-विवाद और विचार-विमर्श की जरूरत है और हमें उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति इन विचारों को फलित करेगी।

सातवीं योजना के हमारे लक्ष्यों में परिवर्तन नहीं किया गया है। हमारा उद्देश्य एक समाजवादी समाज और एक ऐसे समाज का विकास करना है जो सबको समान अवसर देता है। एक ऐसा समाज जहां पर असमानताओं को समाप्त कर दिया गया है, अपने आप से जकड़े एक निष्क्रिय समाज के स्थान पर एक गतिशील समाज का विकास करना है। इसे भी शिक्षा से ही प्राप्त किया जा सकता है।

हमने हाल में कुछ मंत्रालयों को मिलाकर एक किया है और उन्हें "मानव संसाधन विकास" का नाम दिया है हमने ऐसा केवल दिखावे के लिए नहीं किया है। वास्तव में हम मानव संसाधनों का विकास करना चाहते हैं। आज प्रत्येक कोने से लोग चिल्ला रहे हैं कि जनसंख्या के बारे में क्या हो रहा है, ठीक है यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हम अपने देश में इस सबसे बड़ी समस्या को सबसे बड़े संसाधन में बदल देना चाहते हैं। हमें यही करना चाहिए उन्हें केवल प्रौद्योगिकी विज्ञान या औषधि अथवा कई अन्य विषय पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनका विकास करना है। उनके भीतर नैतिक मूल्यों और आदर्श की भावना का विकास करना है, देश के प्रति समर्पण की भावना, हमें जो संस्कृति के विरासत में मिली है उसका विकास करना है। इन सभी को एक सूत्र में पिरोना है। हम इन बातों को स्वतन्त्र रूप से नहीं कर सकते और परिणाम की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हमें यह देखना है कि आज भारत में हमारी परम्पराएं हमारी विरासत और संस्कृति है वह निष्क्रिय न रहे। हम प्राय: इस बात की चिन्ता करते हैं यह ऐसा नहीं है जैसा प्राचीन पुस्तक में कहा गया है। हमें आगे के कार्य में भी सोचना चाहिए। हमें विकास भी करना है। हमारी संस्कृति हमारी कला, हमारे संगीत और हमारे नृत्य की तरह रही है, हमारी संस्कृति वही है जैसा हमारा रहन-सहन है। यह हमारी कला है, यह हमारा संगीत है, यह हमारा नृत्य है, लेकिन इसमें पान चबाना भी शामिल है। इसमें वे सब बातें भी शामिल हैं जिन्हें हम गलत समझते हुए भी करते हैं। दीवालों को रंगना, सभी प्रकार के रंग...इत्यादि भी हमारी संस्कृति है। हमारा रहन-सहन हमारी संस्कृति है और इसके कुछ पहलुओं को बदलना जरूरी है। संस्कृति जिस उच्च पहलू का आगे विकास किया जाना है उसे सामान्य भारतीय नागरिक तक पहुंचाना है। उसे आम जनता तक पहुंचना चाहिए। दिल्ली में एक छोटे से आर्ट आडिटोरियम, बन्द कमरे में सर्वोत्तम 'भरतनाटयम' कराने का कोई उपयोग नहीं है। इससे किसे लाभ होगा, इसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए इन सभी पहलुओं को मानव संसाधन विकास के अन्तर्गत लाना चाहिए और इसलिए हमने अब तक का शायद सबसे अधिक धनराशि इन क्षेत्रों के लिए आंकलित की है। हमें उम्मीद है कि देश में प्राप्त आदानों से हम ऐसी नीति तैयार करने में सफल हो जायेंगे जिससे यह लक्ष्य उपलब्ध कर लिए जाएंगे।

अब हमारे एक दोस्त ने सदन में हो रही इस आलोचना के बारे में मुझे बताया है। कि हमने सरकारी क्षेत्र की अवहेलना की है। मैं आंशिक रूप से अपने मित्र से सहमत हूं। परन्तु हमने इसकी अवहेलना नहीं की है। हां, पूर्व के कुछ राज्यों की अवहेलना की गयी है।

महोदय, मैं बहुत गम्भीर हूं। मैंने किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया। इस प्रकार हम सरकारी क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए सबसे अधिक धनराशि आवंटित की गई है जितनी इससे पहले कभी नहीं की गयी थी। जब हम गैर-सरकारी क्षेत्र की चर्चा करते हैं; तो हमारे जो दोस्त, गैर-सरकारी क्षेत्र में रुचि रखते हैं वे गैर-सरकारी क्षेत्र की चर्चा करते हैं। वह बड़े उद्योगपति नहीं हैं, वह गैर-सरकारी क्षेत्र का बहुत कम प्रतिशत हैं, गैर-सरकारी क्षेत्र में भारी संख्या छोटे किसानों की है जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और यदि आप सरकारी क्षेत्र और छोटे किसानों को जोड़ना चाहते हैं तो यह हमारे पूंजी निवेश का बहुत बड़ा भाग होगा। उनके गैर-सरकारी क्षेत्र में होने के कारण आप उन पर

केवल लगाम लगाना पसन्द नहीं करेंगे। लेकिन तथ्य यह है कि छोटा किसान गैर-सरकारी क्षेत्र में आता है। और यदि आप इसे पसन्द नहीं करते हैं तो आप पश्चिम बंगाल में इसका राष्ट्रीयकरण करने का यत्न कर सकते हैं।

*** *** ***2

मैं यह स्वीकार करूंगा। मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। हम उनसे पूरी तरह सहमत हैं। हम आज उनकी वजह से ही यहां आ सके हैं। उन्होंने देश को दिखा दिया कि वे क्या कर सकते हैं। यही धारणा है कि देश ने हमें चुना है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। संभवत: हमारी सबसे बड़ी समस्या सातवीं योजना को पूरा करने के लिए साधन जुटाना होगा और हमें इस पर केवल अधिक साधन जुटाने की दृष्टि से, जिसके लिए हमें भरसक प्रयास करना ही है, विचार करना बल्कि वह भी देखना चाहिए कि हम अपने साधनों का किस प्रकार अधिक कुशलता से उपयोग कर सकते हैं, चाहे वह ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे कोई उद्योग विशेष हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, कुशलता का पहलू सर्वोपरि होना चाहिए। क्योंकि लोगों की विकास की अपेक्षा को देखते हुए उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए हम सबमें दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि इस कार्य में विपक्ष के भी कुछ सदस्य हमारी सहायता करेंगे। हमने अपने जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा निष्ठावान बनना पड़ेगा, देश के प्रति, अपने मूलभूत मूल्यों के प्रति कुछ प्रतिबद्धता रखनी होगी, हमने अपने लिए जो लक्ष्य रखा है उसे प्राप्त करने के लिए कुछ नि:स्वार्थ भाव अपनाना पड़ेगा। यह केवल एक वर्ग अथवा दूसरे वर्ग द्वारा नहीं किया जा सकता है, यह कार्य हम सबको मिलकर करना है। यह एक सहकारी प्रयास होना चाहिए, न केवल इस सदन के भीतर बल्कि इसमें देश के 74 करोड़ 60 लाख लोगों को साथ लाना होगा। इसके लिए हमें कुछ बलिदान करना पड़ेगा और भारत के प्रति, गांधी जी के शब्दों में स्वदेशी के प्रति कुछ निष्ठा व्यक्त करनी होगी, वचनबद्धता निभानी होगी। स्वदेशी के मायने आज काफी बदल गए हैं। अब यह केवल उन एक या दो उत्पादों तक ही सीमित नहीं है, जो 40 वर्ष पूर्व स्वदेशी थे। वह हमारे विकास का एक अंग हैं। परन्तु मूलभूत आवाज, जो गांधी जी ने स्वदेशी के लिए उठाई थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह बात हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर ही हमारी योजनाओं को अपेक्षित सफलता मिलेगी।

पश्च टिप्पण

XI. सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव, 18 दिसम्बर, 1985

1. **श्री सैफुद्दीन चौधरी**: पूरे देश में क्या स्थिति है?

एक माननीय सदस्य: आंकड़े के आधार पर आप इसे प्रमाणित कर सकते हैं, परन्तु वास्तविक रूप में नहीं।

श्री राजीव गांधी: माननीय सदस्यों को लोगों को गरीबी रेखा से नीचे रखने में निहित स्वार्थ है, जबकि हम उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं। उनका निहित स्वार्थ उन्हें गरीबी रेखा से नीचे रखने में है, ताकि वे सरकार की आलोचना कर सके।

श्री सैफुद्दीन चौधरी: आपको निहित स्वार्थों के साथ संघर्ष करना होगा। ऐसा नहीं किया जा रहा है।

श्री राजीव गांधी: किन्तु प्रमाण कथनी से होता है। हमने देश को दिखा दिया है कि जो आश्वासन हम देते हैं, उनका पालन करते हैं और इस सभा के बाहर जो हमारे मित्र बैठे हैं, उनसे मैं सादर कहना चाहता हूं कि यही कारण कि हम इस सभा में बैठे हैं और वे सभा के बाहर हैं। जब हम छठी पंचवर्षीय योजना पर बात-चीत कर रहे थे तब हमने देखा था कि महान योजनाकार इस सभा के बाहर थे...

श्री सैफुद्दीन चौधरी: हम योजनाकार नहीं हैं, बल्कि हम तो नौसिखिया हैं।

श्री राजीव गांधी: ...1977-78 में अचानक योजना में गिरावट आने लगी। योजना में गिरावट आने के साथ देश भी अवनति की ओर अग्रसर हुआ।

1952 से ही हमारी योजना ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि एक विकासशील देश किस प्रकार तरक्की करता है, किस प्रकार एक विकासशील देश विशिष्ट क्षेत्रों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बन सकता है तथा विकास कर सकता है। हमें न केवल योजनाकारों का धन्यवाद करना चाहिए, बल्कि अपने वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, अपने किसानों तथा मजदूरों को भी उनकी उपलब्धियों के लिए धन्यवाद करना चाहिए...

श्री सैफुद्दीन चौधरी: वह तो ठीक है।

2. **श्री सैफुद्दीन चौधरी**: हम कोई योजना नहीं बना सकते हैं। जब हम दिल्ली आते हैं तो जो सर्वात्तम होता है वह करते हैं।

श्री राजीव गांधी: महोदय, मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है कि वे 91वीं योजना तैयार करें, महोदय जैसा कि मैंने कहा है कि सरकारी क्षेत्र को अब तक की सर्वाधिक धनराशि आवंटित की गई है। एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में सरकारी क्षेत्र हमारे विकास की कुंजी है। यह भारतीय उद्योग के लिए पथप्रदर्शक है और आज भी औद्योगीकीरण की आगामी पीढ़ी में भारतीय उद्योग को ले जाने के लिए यह पथ प्रदर्शक बनेगा।

हमने कई मायनों में औद्योगिक विकास का एक चक्र पूरा कर लिया है। अब हमें एक और अधिक संवेदनशील चक्र पूरा करना होगा जिसमें गुणवत्ता, उत्पादकता और कुशलता को महत्व दिया जाए। जब कभी कोई उद्योग अक्षम बन जाता है, तो उसकी लागत पर आने वाला वर्ष गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बलि चढ़ा कर पूरा किया जाता है। यदि सरकारी क्षेत्र के किसी उद्योग को सौ करोड़ का घाटा होता है, तो किसी अन्य उत्पादक कार्यक्रम से सौ करोड़ कम कर दिये जाते हैं। इस तरह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से सौ करोड़ कम हो जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम घाटा उठाने के लिए नहीं हैं। यह मजदूरों के लिए कोई सामाजिक उपाय नहीं है। हमें यह समझना चाहिए। क्योंकि यदि हम दो हजार श्रमिकों अथवा कर्मचारियों को रोजगार दिये रखने हेतु किसी संयंत्र को चालू रखने पर सैकड़ों करोड़ खर्च करते हैं, ऐसे किसी संयत्र पर, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, कोई धन बरबाद किये बिना हम उन्हें अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं। हमें इस आधारभूत तथ्य को समझना चाहिए। यह आसान नहीं है परन्तु हमें यहां इसलिए नहीं भेजा जा रहा है कि हम लोगों, जो बहुत गरीब हैं, के धन का अपव्यय करें और हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए।

प्रो. एन.जी. रंगा (गुंटूर): ये अभी सफेद हाथी बने रहे हैं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर): अब तक आप पर बिल्कुल यही आरोप लगाते रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप अब इसे स्वीकार कर रहे हैं।

श्री राजीव गांधी: वास्तव में मैं पिछले सत्र में जब कुछ माननीय सदस्य मुझे से मिले तब उनके द्वारा किये गये अनुरोध के बारे में कह रहा था कि उनके कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाए।

श्री अमल दत्त: पुन: सभी को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सकता है। आपकी प्रबन्ध व्यवस्था अकुशल होने के कारण ही आज वे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी: कुप्रबन्ध के कारण सभी संस्थान रुग्ण होते जा रहे हैं, उदाहरण के लिये हिन्दुस्तान कम्पनी लिमिटेड को लीजिए।

श्री अमल दत्त: आप के इस्पात प्रयोग की स्थिति क्या है? आप करोड़ों रुपये का घाटा उठा रहे हैं।

श्री राजीव गांधी: अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि इस तरह की रुग्णता किसी विशेष क्षेत्र में दिखाई देती है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी: यदि उनका कार्य-निष्पादन अच्छा नहीं है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है।

श्री राजीव गांधी: आप अपने सरकारी क्षेत्र को इतना बुरा क्यों मानते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी: हम कह रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है

और यह आप की जिम्मेदारी है। आप नहीं कह सकते कि इनका कार्य-निष्पादन ठीक नहीं है, इसलिए इसे छोड़ दिया जाये। इसे दक्ष बनाइये।

श्री राजीव गांधी: हमारे पास बहुत साधन होना चाहिए, जो हम पश्चिम बंगाल को इस क्षेत्र को बनाये रखने के लिए देते रहते हैं। हम ग्लुकोज इन्जेक्शन का एक बड़ा क्रेट आपके पास भेज देंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी: प्रत्येक को उसकी देय राशि मिलनी चाहिए।

श्री राजीव गांधी: कभी-कभी हम जिसको जो देना चाहिए, उसे देते हैं, जैसाकि हमने पिछली योजना में किया। मैं इस समय केवल पिछली योजना की बात कर सकता हूं। एक विशेष राज्य को बिजली के लिए बहुत अधिक आवंटन किया गया। उन्होंने शिकायत की कि बिजली की कमी है और उसका बहुत उत्पादन हो रहा है। मैं जानता हूं कि उस विशेष राज्य ने छठी योजना में लगभग हजारों करोड़ रुपये खर्च नहीं किये क्योंकि उन्होंने इसका बिजली के उत्पादन के लिए उपयोग नहीं किया।

श्री अमल दत्त: क्या आप समझते हैं कि पैसा था और उसे खर्च नहीं किया गया।

श्री राजीव गांधी: मैं इस संदर्भ में कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा। क्या पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ। क्योंकि माननीय सदस्य खड़े हुए और उन्होंने यह प्रश्न पूछा?

श्री सैफुद्दीन चौधरी: आप इतने संकीर्ण क्यों होते हैं, जो समझते हैं कि हम केवल पश्चिम बंगाल के बारे में ही प्रश्न पूछ सकते हैं?

श्री राजीव गांधी: हमने किसी राज्य का नाम नहीं लिया। माननीय सदस्य ने महसूस किया कि वहां पर ऐसा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया कोई व्यवधान बाधा मत डालिये। कृपया उत्तेजित न होइए।

श्री अमल दत्त: गत वर्ष आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बावजूद पश्चिम बंगाल को 300 करोड़ रुपये नहीं दिये गये, कृपया उसे मत भूलिये।

श्री राजीव गांधी: यही कारण है कि कुल राज्यों ने 300 करोड़ रुपये का ओवरड्राफ्ट लिया।

श्री सैफुद्दीन चौधरी: खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय: श्री चौधरी — मैं अनुमति नहीं देता। मैं बहुत ही उदार रहा हूं अब अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री अमल दत्त: मैं हर बार प्रधानमंत्री जी की बात नहीं काटना चाहता। परन्तु मैं केवल इतना चाहता हूं कि वे कुछ कहने से पहले उसकी पुष्टि कर लें। दुर्भाग्यवश मैं प्रधानमंत्री द्वारा कुछ कहे जाने और अनभिज्ञता प्रकट किये जाने की सराहना नहीं कर सकता।

श्री राजीव गांधी: मुझे दुःख है कि मैं कुछ कहता हूं और उनकी अनभिज्ञता प्रकट कर देता हूं।

श्री अमल दत्त: यह हमारी अनभिज्ञता नहीं है। आप कह रहे हैं कि एक हजार करोड़ रुपये खर्च नहीं किये गये। सवाल यह नहीं है। पैसा था ही नहीं। और यदि क्या पैसा नहीं था, तो यह उनका दोष है। जब हमने 3000 करोड़ रुपये मांगे हमें एकदम इन्कार कर दिया गया।

श्री राजीव गांधी: मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य छठी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में कुछ कमी के बारे में कह रहे हैं। मैं किसी विशेष राज्य के बारे में नहीं कह रहा था।

श्री अमल दत्त: आप पश्चिम बंगाल का उल्लेख कर रहे थे।

श्री राजीव गांधी: स्पष्ट है कि उन्हें कुछ जानकारी है जो मुझे नहीं है।

श्री अमल दत्त: हम संसद सदस्य हैं। हमें जानने का अधिकार है। हम राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं। आप बता सकते हैं कि आप किस राज्य के बारे में कह रहे हैं। संसद में अस्पष्ट बयान देना कोई ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आप बोलते हुए बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। आप अपनी उग्रता में बह जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। क्या आप अब थके नहीं? हम इसे कहां तक चलने दे सकते हैं? यह क्या हो रहा है? इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री राजीव गांधी: यदि माननीय सदस्य शांत हो गये हैं, तो आपकी अनुमति से मैं अपना वक्तव्य जारी रखूं।

अध्यक्ष महोदय: अमल जी के साथ समस्या यह है कि वह हमेशा जोश में बह जाते हैं।

श्री राजीव गांधी: हमारा मुख्य ध्येय जैसाकि मैंने कहा है गरीबी दूर करना है। गरीबी दूर करने के लिए हमें जहां एक तरफ बड़ी परियोजनाएं क्रियान्वित करनी है, जो उत्पादक हों और अधिक उत्पादकता के माध्यम से धन पैदा करेंगे, जिसे हम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर लगायें और उसका कुछ अंश उत्पादक कार्यक्रमों में पुन: लगायें। पिछले पांच वर्षों के दौरान हमारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बहुत ही सफल रहे हैं। हमने उन्हें मजबूत किया है और जहां हमने महसूस किया कि उनमें कुल कमियां हैं, उनमें थोड़ा परिवर्तन भी किया है। हम आशा करते हैं कि सातवीं योजना में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तथा विकास संबंधी अन्य परियोजनाओं से हमारा गरीबी स्तर सातवीं योजना के अन्त तक घटकर 25 प्रतिशत रह जायेगा।

श्री सैफुदीन चौधरी: यह बहुत बड़ी बात होगी।

श्री राजीव गांधी: आपने देखा होगा कि गरीबी की रेखा के नीचे आने से सभा का एक भाग खुश है।

श्री सैफुदीन चौधरी: यह कैसे कहते हैं? मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। इसमें क्या गलत है?

श्री बी. शोभनाद्रीश्वर राय (विजयवाड़ा): सभा का दूसरा भाग गरीबी रेखा के ऊपर जाने के लिए जिम्मेदार है।

श्री अमल दत्त: गरीबी रेखा के नीचे जाने आदि के सम्बन्ध में उनके आंकड़ों पर हम कदापि ही विश्वास कर सकते हैं।

श्री बालकवि बैरागी (मन्दसौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रधानमंत्री जी ने इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया है।

श्री राजीव गांधी: इस योजना में हमने अब तक सब से अधिक श्रमिक दिन पैदा किये हैं। हमारा अनुमान है कि इस योजना के दौरान 400 लाख नौकरियां बनाई जायेंगी।

श्री अमल दत्त: ये सब अनुमान ही हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या इससे आप को आघात पहुंचता है।

श्री राजीव गांधी: महोदय, क्या आप जानते हैं कि गरीबी दूर होने से कुछ लोग दुखी हैं। नौकरियों के अवसर पैदा होने से कुछ लोगों को दुख होता है। हम इसमें क्या कर सकते हैं?

श्री अमल दत्त: केवल हम लोग ही आप की सहायता करेंगे। दूसरी तरफ के लोग आपकी सहायता नहीं करेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी: इसे सद्भावना से देखिए।

श्री अमल दत्त: आपसे पूर्व के प्रधान मंत्री ने इस बात को तब महसूस किया जब हमने उनकी सहायता की।

प्रो. एन.जी. रंगा: आप सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को लाभकारी बनाकर सहायता कर सकते हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर

27 फरवरी, 1986

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण वाक चातुर्य प्रदर्शित करने का अवसर नहीं है और मैं ऐसा करने का प्रयास नहीं करूंगा जैसा कि मेरे कुछ मित्रों ने किया है। हमने पिछले वर्ष जो कुछ कहा था जो वायदे किये थे उन वायदों को कहां तक पूरा किया गया है और भविष्य में हमें क्या करना है यह समय इस सब का जायजा लेने का समय है। पिछले वर्ष जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो देश के सामने दो बड़ी समस्यायें थीं - पंजाब में क्या होगा और असम में क्या होने जा रहा है दो आंदोलन चल रहे थे। हमने चुनावों के दौरान तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह वचन दिया था कि सबसे पहले इन दोनों समस्याओं का हल निकाला जाएगा। हमें बहुत खुशी है कि हम पिछले वर्ष इन दोनों राज्यों में समझौते पर पहुंचने में सफल हुए। मुझे हालांकि वे इतने खुश नहीं दिखाई देते, मुझे कहते हुए खुशी होती है कि इस सत्र में हमारे साथ उन दोनों राज्यों के नए सदस्य बैठे हुए हैं।

असम के साथ जो समझौता हुआ है उसके पालन में संतोषजनक प्रगति हो रही है। जो मन्त्रालय इससे संबंधित है हम उनसे सम्पर्क बनाए हुए हैं और उस पर जिस ढंग से अमल हो रहा है उससे हम संतुष्ट हैं।

पंजाब के मामले में कुछ कठिनाइयां आई हैं। समझौते के एक खण्ड में आयोग की स्थापना का उपबंध है जो ऐसे गांवों का पता लगाएगा जो चंडीगढ़ के बदले हरियाणा को दिए जायेंगे। बदकिस्मती से आयोग की रिपोर्ट कुछ इस प्रकार की थी कि हम उस पर कोई कार्यवाई नहीं कर सके। मूल समझौते के अनुसार जिसमें आयोग को यह मामला सौंपे जाने का प्रावधान है, हमें आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर करना है और हम वैसा ही कर रहे हैं।

जैसा कि आयोग द्वारा सुझाव दिया गया है दोनों मुख्यमन्त्रियों के बीच आपसी समझौते या इसकी जांच के लिए अन्य आयोग स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। दूसरे आयोग के संबंध में एक छोटा प्रश्न है क्योंकि हम वही निर्देश-पद नहीं दे सकते जिससे कि हमें वही उत्तर मिले। अत: दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच थोड़ी सूझबूझ की आवश्यकता है लेकिन हमें आशा है कि हम यह कर सकते हैं तथा हम आगे बढ़ सकेंगे। हम यह भी देख रहे हैं कि समझौते के अन्य पहलुओं, एस.वाई.एस. नहर, जल आबंटन हरियाणा की राजधानी और समझौते के अन्य खण्डों के संबंध में क्या किया जा सकता है।

दुर्भाग्यवश पंजाब में आतंकवादी और उग्रवादी फिर से सक्रिय हो गए हैं। मैं प्रत्येक को विशेष रूप से पंजाब सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि पंजाब के लोगों ने आतंकवाद के विरुद्ध मतदान किया। अधिकांश लोगों ने अकाली दल और कांग्रेस दल के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया जिन लोगों ने बहिष्कार का आह्वान किया था मतदाताओं ने उनको फटकारा क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में मत डाले। मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह यह है कि

यदि हम आतंकवादियों को वैसा ही मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे जैसा कि मतदाताओं ने आतंकवादियों को दिया है तो हम मतदाताओं के साथ इन्साफ नहीं करेंगे। कड़ी धमकियों के बावजूद मतदाता इनका सामना करने और इनको खदेड़ने के लिए भारी संख्या में मतदान करने आए। हमें आज यही करना है। हमने पिछले राष्ट्रपति अभिभाषण में एक वायदा यह भी किया था कि चुनाव कानून में सुधार किया जाएगा और सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाया जाएगा। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमने अनेक उपाय किये हैं। पहला उपाय दलबदल विरोधी अधिनियम था जिसकी काफी समय से बात की जा रही थी। परन्तु पिछले वर्ष हमने इस सदन में इसे पारित किया। हमने राजनीतिक दलों के लिए कम्पनियों द्वारा दिए जाने वाले चन्दे का भी समाधान किया।

यह विषय कई वर्षों से चलता आ रहा था और यह आरोप लगाया गया था कि यह चुनावों में भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण था। हमने हर वर्ग में, और देश में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार का समाधान किया है। जहां कहीं भी सूचना उपलब्ध हुई है, कार्रवाई की गई है। इस मामले में किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया है या पूर्वाग्रह से कार्यवाही नहीं की गई है। मैंने बम्बई में कांग्रेस दल को संबोधित करते हुए और आपके द्वारा दिए गए मध्याह्न भोज में जब मैं विरोधी पक्ष के कुछ नेताओं से मिला था तब बताया था कि हम कुछ अन्य कदम उठाना चाहते हैं और उनमें से एक यह है कि हम अपने दल के हिसाब किताब को आम जनता के सामने लाना चाहते हैं। मैंने सुझाव दिया था कि हमें राष्ट्रीय दलों के कोषाध्यक्षों का एक दल बनाना चाहिए जो यह निर्णय करेगा और हमें सुझाव देगा कि हम इसको किस प्रकार से करें तथा आपकी सहमति से हम आगे बढ़ सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं।

*** *** ***1

एक और बड़ा कदम जो हमने उठाया है वह यह है कि प्रत्येक बड़े ठेके से एजेंटों अथवा दलालों को निकाल दिया जाये और यह एक प्रगतिवादी उपाय है। हम ऐसा करेंगे और प्रत्येक मंत्रालय ऐसा करेगा और प्रत्येक ठेके में इसका पालन किया जाएगा।

प्रशासनिक सुधारों के बारे में जो वायदा हमने किया है उस पर हम चुप नहीं बैठे हैं। हमने कई मंत्रालयों में शिकायत सुनवाई तंत्र की व्यवस्था की है। बैंकों से सराहनीय जानकारी मिल रही है। प्रशासन में सभी स्तरों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था है। दो अलग-अलग योजनाएं हैं, पहली पुनश्चर्या किस्म का अल्पकालीन पाठ्यक्रम और दूसरी दीर्घ कालीन पाठ्यक्रम जिसके द्वारा समस्याओं के बारे में अधिक ज्ञान दिया जा सके ताकि देश के एक भाग में यदि किसी के सामने कोई समस्या आई है तो देश के अन्य भागों में समस्याओं को हल करने में वह सहायक सिद्ध हो सके। वरिष्ठ और कनिष्ठ व्यक्ति मिलकर काम करेंगे और इससे प्रशासन में चुस्ती आएगी। कार्मिक नीतियों की पुनरीक्षा की जा रही है। निर्णय लेने में लगने वाले समय, कुछ कार्यवाहियों पर होने वाली लागत को दृष्टि में रखते हुए सरकार की कार्यकुशलता में

काफी वृद्धि हुई है। परिणामों और उत्तरदायित्व पर जोर दिया गया है। सभी प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की मासिक आधार पर समीक्षा की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है और प्रगति संतोषजनक है और उसके लिए जो धन नियत किया गया है, वह अन्य योजनाओं पर खर्च न किया जाए।

हमने गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए एक नई योजना बनाई है जिसके द्वारा ब्लाकों में वास्तविक तथा व्यक्तिगत रूप से प्रगति का पता लगाया जा सके। उस ब्लाक में प्रत्येक व्यक्ति को जिसे राज्य द्वारा सूचित किया गया है बुलाया जाएगा और उससे बहुत सी बातें पूछी जाएंगी। मैं आपको यहां कुछ उदाहरण दे सकता हूं। उदाहरण के लिए, ऋण के लिए आवेदन करने से लेकर ऋण मिलने तक कितना समय लगता है, उस ऋण को प्राप्त करने के लिए यात्रा में कितना खर्च किया गया, उस ऋण को प्राप्त करने के लिए यात्रा में कितना खर्च किया गया, उस ऋण का क्या परिणाम हुआ, क्या उसे उससे लाभ पहुंच रहा है; कौन बैंक सक्रिय है और किस राज्य में यह एक जटिल काम है। लेकिन यह बहुत साधारण है और आप इसे चार्ट पर बहुत आसानी से देख सकते हैं इससे हमें पहली रिपोर्ट मिली है और कुछ बहुत दिलचस्प जानकारी। हम इसका उपयोग न केवल इसलिए करेंगे कि ये कार्यक्रम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं अपितु जहां कहीं हमें कार्यान्वयन में कमियों का पता चलेगा, किसी विशेष कार्यक्रम में कमियां पाई जाती हैं या किसी विशेष क्षेत्र में कार्यक्रम जिस तरीके से लागू किया जा रहा है, उनको ठीक करने के लिए भी उसका उपयोग किया जाएगा। अत: जैसे ही हमें और अधिक जानकारी प्राप्त होगी, उन कमियों को ठीक करेंगे।

हमने एक नई शिक्षा नीति का वायदा किया है। हमने पिछले वर्ष अगस्त में स्टेटस पेपर तैयार किया था। राष्ट्रीय वाद विवाद आरम्भ हो गया है और बहुत से सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन्हें संजोया गया है और मानव संसाधन विकास मंत्री इस सत्र में सदन के सामने दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे । हमने शिक्षा के मूल सिद्धांत का विस्तार करके मानव संसाधन विकास के व्यापक सिद्धांत को अपनाया है जो दो तरीके से कार्य करता है। पहला मानव का वास्तविक विकास जिससे उसे बेहतर मानव बनाया जा सके, उसके चरित्र, उसके व्यक्तित्व, उसकी नैतिकता का विकास किया जा सके, दूसरा पहलू यह है कि हमें भविष्य में किस प्रकार के मानव संसाधनों की आवश्यकता होगी कितने डाक्टर, कितने कृषि वैज्ञानिक, कितनी नर्सें, कितने इन्जीनियर, कितने वैज्ञानिक, किस प्रकार के वैज्ञानिक, किस प्रकार के इन्जीनियर। इस प्रकार का कार्य पहले नहीं किया गया है और जब तक हमें इस बात का पता नहीं चलेगा कि हमारी क्या आवश्यकता है तब तक हम उस चीज, का जिसकी हमें आवश्यकता है, निर्माण नहीं कर सकेंगे। हमारे बहुत से वैज्ञानिकों के विदेश चले जाने के पीछे यह भी एक कारण है। ये ऐसे विषयों का अध्ययन करते हैं जो कम संगत है या जिसकी हमें आज उतनी आवश्यकता नहीं है और हम उनको रोजगार नहीं दे सकते, हम अपने लाभ के लिए उनके ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकते।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने महिलाओं, बच्चों और युवकों के विकास का काम भी अपने हाथ में ले लिया है। हमने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं और अनेक कार्यक्रम शुरू किए जाने वाले हैं। पिछले वर्ष हमने "युवा वर्ष" मनाया था। हमने नेहरू युवक केन्द्रों को पुनर्गठित किया है, उनको स्वायत्तता प्रदान की है यह संस्थान बहुत सक्रिय बना दिया जाएगा जिससे देश के युवकों को इससे लाभ मिल सके।

वायदे के अनुसार हमने एक नई कपड़ा नीति लागू की है। इस कपड़ा नीति के अन्तर्गत हथकरघा बुनकरों को अधिक संरक्षण प्रदान किया जाएगा और लोगों को कपड़ा सस्ता उपलब्ध होगा। इस नीति पर उतनी तेजी से अमल नहीं किया जा सका है जितना कि हम चाहते थे। परन्तु हम इसकी जांच कर रहे हैं और हम देखेंगे कि यह तेजी से लागू हो। बुनकरों अथवा हथकरघों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो हम अपेक्षित सुधार करेंगे।

हमने न्यायिक प्रणाली को भी नया रूप देने का वायदा किया था। इस बारे में भी हमने काफी प्रगति की है। श्रीमान, पिछले वर्ष लोक अदालतें स्थापित की गई थीं और मामलों को निपटाने की गति काफी तेज हो गई है। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना से न्यायालयों पर भार और कम हो जाएगा तथा विधि आयोग इस बात पर विचार कर रहा है कि और क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

शहरीकरण की समस्या को हमने पूरी तरह से सुलझाना शुरू कर दिया है। शहरीकरण की समस्या के बारे में हमने एक ग्रुप की स्थापना की है जो अगले 15 वर्षों तक भारत के लिए शहरी विकास की समूची संकल्पना पर विचार कर रहा है। आज हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है। आये दिन लोग शहर की ओर भागते हैं। वे गन्दी बस्तियां बनाकर रहने लगते हैं। हमें एक ऐसा समुचित सिद्धांत अपनाना होगा कि शहरीकरण के बारे में हमें क्या करना होगा। शहरीकरण की बातें करते समय मेरा तात्पर्य केवल दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास अथवा कुछ अन्य शहरों से नहीं है। मैं छोटे शहरों के बारे में भी बात कर रहा हूं और मेरे पास उसकी पूरी तस्वीर है कि हमें अपने शहरी ढांचे का विकास किस प्रकार करना है।

एक अन्य आश्वासन हमने गंगा की सफाई के बारे में दिया था। केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की जा चुकी है। इसने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। सम्भवत: पहला ठोस कार्य लोगों के समक्ष उस समय आयेगा जब हरिद्वार में अगले महीने कुम्भ मेला होगा जब वे गंगा नदी को और अधिक साफ पायेंगे।

*** *** ***2

बेकार भूमि को उपयोग में लाने का हमने एक और वायदा किया था। हमने इस कार्य के लिए एक बोर्ड का गठन कर दिया है और कार्यक्रम आरम्भ किया जा चुका है। इसके

लिए हमने बहुत अधिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। हमें यह पता है और उसे प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है यह बात भी हमें पता है। इस देश को बनाए रखने के लिए इतना करना आवश्यक है। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता ढूंढ़ना ही होगा और बेकार भूमि विकास बोर्ड इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करेगा। इसका सम्बन्ध सभी लोगों से है चाहे वह युवा है, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है चाहे गृहिणी अथवा किसान या भूमिहीन व्यक्ति है।

इस समय पर्यावरण की समस्या बनी हुई है। गत लोक सभा के चुनाव अभियान के दौरान भोपाल में एक बड़ी भयानक त्रासदी हुई थी। इसके बाद एक या दो जगह और भी गैस रिसाव की घटनायें हुई थीं। भाग्यवश वे भोपाल की त्रासदी के समान नहीं थीं। इसके सम्बन्ध में हम इस सत्र में एक व्यापक विधान ला रहे हैं जिसके द्वारा सभी खतरनाक पदार्थों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा और पहली बार हम एक ऐसा विधान ला रहे हैं जिसके अन्तर्गत एक औसत नागरिक कार्यवाही कर सकेगा। यह एक ऐसा विधान होगा जिस पर लोग कार्यवाही कर सकेंगे।

हमारी सांस्कृतिक विरासत ऐसी है कि जिस पर हम सबको गर्व है और हमारा विश्वास है कि हमारा आर्थिक विकास सही मायने में विकास नहीं होगा यदि इससे हमारी विरासत नष्ट होती है और यदि इससे हमारी सांस्कृतिक विरासत में किसी प्रकार की कमी आती है और इसी उद्देश्य से हम सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य प्रत्येक संस्कृति का सर्वोत्कृष्ट विकास करना है तथा उसका विकास न केवल उसके अपने क्षेत्र में तथा अपने लोगों में ही अपितु देश के चारों ओर अन्य स्थानों में भी करना है। उस संस्कृति को विशिष्ट वर्गों के लिए किसी प्रेक्षागृहों और छविगृहों में बन्द करके रखने का विचार नहीं है अपितु बाजार में सार्वजनिक स्थान में प्रदर्शित करने का है तथा मेलों में प्रदर्शित करने का है जहां सामान्य व्यक्ति पहुंच सके। हमने यह भी निर्णय लिया है कि इन सात केन्द्रों तथा पहले से स्थापित अन्य केन्द्रों के सहयोग से हम दिल्ली में एक वार्षिक सांस्कृतिक पर्व का आयोजन करेंगे जो हर वर्ष सर्दी के मौसम में आयोजित किया जायेगा और जिससे देश के हर भाग की संस्कृति का प्रदर्शन किया जायेगा जिससे कि वे एक दूसरे के साथ सम्पर्क में आ सकें और एक दूसरे से मिल सकें।

*** *** ***3

विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे विकास में मुख्य भूमिका अदा करती है। हमारा उद्देश्य अपने लोगों के विकास, गरीबी हटाओ कार्यक्रम तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लिए है। हम अनेक वैज्ञानिक मिशन स्थापित कर रहे हैं और प्राथमिकता वाले क्षेत्र बना रहे हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरी-पूरी निधि मिले और उचित वैज्ञानिक प्रबंध किया जा सके और इन क्षेत्रों में अपेक्षित संसाधन उपलब्ध हो सकें।

हमने एक और क्षेत्र को चुना है और वह है पेयजल। यह कार्य संभवत: सरल हो, किन्तु इसके लिए उच्च स्तर की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विधि को काम में लाना पड़ता है। हमें

तिलहनों का विकास, बच्चों का रोगों से प्रतिरक्षण तथा निरक्षरता दूर करना है। हम एक नया बायोटेक्नोलाजी केन्द्र एक नया बायोटेक्नालाजी विभाग स्थापित कर रहे हैं।

सातवीं योजना श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तैयार किए गए एक ऐसे दस्तावेज पर आधारित है जिसमें खाद्यान्न, काम और उत्पादकता पर जोर दिया गया है। 1947 से जब हमें आजादी मिली थी, हमारी योजना प्रक्रिया, हमारी विकास प्रक्रिया के सम्बन्ध में हमारे मौलिक विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हमारी सारी योजनाओं, हमारी सभी आकांक्षाओं और हमारे विकास का मूल आधार वैसा ही बना हुआ है। हमारा ध्येय भारत को एक मजबूत, स्वतंत्र, लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुट निरपेक्ष और आत्मनिर्भर बनाने का रहा है। यदि आप चाहें तो मैं इस बात को दोहरा सकता हूं। किन्तु उचित तो यह होगा कि आप इसे कल लिखित रूप में प्राप्त कर लें। हम वह भारत चाहते हैं जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया और जिसके लिए हम सभी वचनबद्ध हैं।

भारत क्या कर सकता है और वास्तव में क्या कर रहा है इसके बीच का अन्तर ही हमारी विकास प्रक्रिया की प्रमुख समस्या है। हमें इस अन्तर को दूर करना होगा। गत वर्षों में हमारी अत्यधिक उपलब्धियां रही हैं। कृषि उद्योग और हमारे लोगों के जीवन में जो मूल परिवर्तन आए हैं वे सभी के समक्ष हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम आज इससे भी अधिक गति से कार्य कर कर सकते हैं? हम गरीबों, पद दलितों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और बच्चों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये और अधिक कार्य कैसे कर सकते हैं? हमारी योजना इसी लक्ष्य पर आधारित है। योजना को पूरा करने के लिए सेवा और त्याग चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया है - "सुनहरे कल के लिये पीढ़ियों के त्याग से राष्ट्र का निर्माण होता है।" इसीलिए कल के लिये आज हमें कुछ करना होगा।

पंडित जी और इंदिरा जी ने इसकी आधार शिला रखी थी। यह आज भी बरकरार है और कल भी रहेगा और हम उसी आधार पर चलते रहेंगे। हमारे निदेशों और हमारी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

*** *** ***4

यदि आपको याद हो, तो ये 'रोलिंग' योजनाएं हैं, जिन्हें आपने शुरू किया था। यदि आपको याद हो तो, इस योजना ने कुछ लोगों को धराशायी कर दिया था और हम इस बात में बड़े भाग्यशाली रहे हैं कि यह देश को गर्त में नहीं ले गयी और हम जहां थे वहीं वापस आ गए। लोग इस बात को समझ गये हैं कि रोलिंग योजना क्या है और सत्तारूढ़ दल क्या करता रहा है और वे लोग परास्त हो गए तथा आपको बनाए रखा।

उदाहरण के लिए हमारा विकास 13 प्रतिशत रहा है। इससे हमारी स्वतन्त्रता सुदृढ़ हुई है। यदि हम इस विकास को बनाये रखना चाहते हैं, तो हमें अपने विकास के लिए स्वयं उत्पादन करना होगा। इसके आसान तरीके हैं।

*** *** ***5

अल्पकालिक समाधान उपलब्ध है। उनमें से कुछ तो मेरे मित्रों ने दिये थे। किन्तु वे सब अल्पकालिक सुझाव है और हम उन पर अमल नहीं करेंगे। अपने स्वतन्त्रता संग्राम में हमने अपनी प्रभुसत्ता के लिए कीमत चुकायी है। हम इसे जानते हैं।

हमारे कुछ मित्र अपने सिर हिला रहे हैं। मैं नहीं समझता कि वे समझते हैं क्यों कि सभा में उस ओर बैठे लोगों में से ही अधिकांश लोगों ने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया था।

कम से कम हम दूसरे पक्ष में नहीं मिल सके। क्या उस बात को भुलाया जा सकता है? क्या आप भूल सकते हैं?

पिछले दिन एक माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि हमने राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष किया हे और अब हमें अपनी आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करना होगा और मैं ऐसा महसूस करता हूं जिन लोगों ने अपनी राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नहीं किया है वे यह नहीं जानते कि आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए किस प्रकार से संघर्ष किया जाये...

*** *** ***6

यह एक दु:ख का दिन है जबकि हमारे वामपंथी मित्रों ने अपनी विचारधाराओं को हवा में उड़ जाने दिया और दक्षिणपंथी ताकतों, प्रतिक्रियावादी ताकतों के साथ मिलने लगे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस बात पर पुन: थोड़ा-सा विचार करें कि वे कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं।

विकास के लिए मुख्य शक्ति हमें सार्वजनिक क्षेत्र से मिलनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए पैसा तब उपलब्ध हो सकता है जब राज्यों में ऐसी स्थितियां हों कि उन्हें विद्युत मिलती रहे, तथा सार्वजनिक क्षेत्र को काम करने के लिये अन्य सुविधायें भी मिलती रहें।

हमें एक मजबूत और सामर्थ्यवान सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता है। हमें एक ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता है जो सार्वजनिक हित के लिए काम करता है, न कि ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र, जो हमारे लोगों का सारा पैसा खींच लें। यह एक मुद्दा है जिस पर हम अपने कुछ मित्रों से भिन्न मत रखते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे इस तरह लगातार नहीं बढ़ने दिये जा सकते। सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता को जरूर बढ़ाया जाना चाहिए ओर इसे बढ़ाया जायेगा।

एक अन्य क्षेत्र जो हमारी प्रगति और विकास के लिए इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, वह है आधारभूत आदानों की लागत। एक बार फिर, यह प्रश्न सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार हम एक अधिक लागत वाली अर्थव्यवस्था से हट सकते हैं, किस प्रकार हम अपने उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बना सकते हें। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं यदि यही स्थिति रही तो शीघ्र ही कीमतों के कारण हम बाजार से बाहर हो जायेंगे । हम ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र में पर्याप्त

कार्यकुशलता की आवश्यकता पड़ेगी । इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक अच्छे प्रबन्ध की जरूरत पड़ेगी । साथ ही इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिक को और अधिक कार्य की आवश्यकता पड़ेगी। ये ऐसे निर्णय नहीं हैं जिनमें हम देर कर सकते हैं। उन निर्णयों को लिया जाना और उन्हें अभी लेना होगा। पिछले एक वर्ष में, सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है, घाटे कम हो गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

विदेशी निवेश सम्बन्धी हमने अपनी नीति नहीं बदली है। हमारे आधार-भूत सिद्धान्त और नीतियां पूर्ववत हैं। सातवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा निवेश रहेगा और किसी भी पिछली योजना की तुलना में यह अधिक होगा।

साथ ही, हमें भारत में जितनी भी उत्पादक शक्तियां हैं, उन्हें जुटाना होगा। हमने ऐसी सारी उत्पादक शक्तियों को बाहर लाने और उत्पादन में लगाने के लिए कुछ निश्चित कदम उठाए हैं। परम्परा से ही हमारी अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था रही है और हम उसे बदलना नहीं चाहते।

*** *** ***7

यह देखकर अच्छा लगता है कि अर्थव्यवस्था में मिश्रण किस तरह संतुलित है क्योंकि पूंजीपति साम्यवादियों को सन्तुलित कर रहे हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा ही हम सच्चे अर्थों में आर्थिक रूप से स्वतन्त्र हो सकते हैं...

मैंने कहा कि हम यह समझते हैं कि हम केवल मिश्रित अर्थव्यवस्था से ही स्वतन्त्र हो सकते हैं। यदि आपका कोई भिन्न विचार है तो आप इसे लोगों के सामने रखिए जैसे कि हमने इसे लोगों के सामने रखा और लोगों ने हमें यहां पहुंचा दिया। आपने अपने विचार लोगों के सामने रखे और लोगों ने आपको वहां रखा है। इस बात को मत भूलिए।

*** *** ***8

यह ऐसा है जैसा कि हम वास्तविक रूप से स्वदेशी विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ-साथ शोध और विकास के भरपूर समर्थन द्वारा अर्थव्यवस्था चला रहे हैं।

इस वर्ष हमने रक्षा क्षेत्र में भारी प्रगति की है, शोध और विकास के क्षेत्र में, अपने उत्पादन में तथा अपने स्वदेशी डिजाइनों के क्षेत्र में भी बड़ी तरक्की की है। यहां पर मैं अपने उन माननीय मित्रों को याद दिलाना चाहूंगा, जिन्होंने कब एक प्रकार के "बन्द" का आयोजन करवाया था, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था यह वैसा नहीं था...

*** *** ***9

इस बारे में मैं बहस नहीं करूंगा सिवाय इस बात के कि इन राज्यों में जहां सरकार ने अधिकारिक रूप से कहा कि 'बन्द' रहेगा, परन्तु अधिकांश चीजें चलीं, रेलें चलीं। खैर, मैं इस मुद्दे पर नहीं आ रहा था।

मैं यह कह रहा था कृषि को निकालने के बाद हमारा कुल राष्ट्रीय उत्पादन 450 करोड़ रु. प्रतिदिन है। अब यदि हमने चलिए एक पूरा दिन न रहकर केवल आधा दिन खो दिया हम आपको इसका श्रेय देंगे, तो आपने लोगों के कार्यक्रमों में से 225 करोड़ रु. जलाकर नष्ट कर दिए हैं।

*** *** ***10

मैं यह नहीं कह रहा कि किसके द्वारा प्रत्येक बार जब भी किसी बंद का आह्वान या हड़ताल का आह्वान किया जाता है, देश को धन गंवाना पड़ता है। यदि एक दिन के 'बंद' का हमें 450 करोड़ रु. चुकाना पड़ता है तो इस एक दिन के कारण किसी विकास परियोजना के लिए 450 करोड़ रु. कम पड़ जाते हैं। मैं इस सदन के उस पार बैठे अपने मित्रों पर इस बात का आरोप लगाता हूं कि उन्होंने हमारे भारत के लोगों को 225 करोड़ का नुकसान कराया है।

*** *** ***11

आज देश का जो नुकसान हुआ है वह ऐसा है जो नुकसान देश के सबसे निर्धन लोगों द्वारा पूरा किया जाता है। यदि हम एक दिन 100 करोड़ रु. का नुकसान उठाते हैं तो इससे देश के निर्धन वर्ग की जेबें कटती हैं।

यह केवल अर्थशास्त्र का ही प्रश्न नहीं है। मेरे योग्य मित्रों के लिए 200 करोड़ रुपये या 300 करोड़ रुपए की बर्बादी करना मामूली बात है जबकि यही राशि गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए और विकास के कार्य में इस्तेमाल हो सकती थी। लेकिन इससे भी अधिक कहीं बड़ी बात यह है कि वे साम्प्रदायिक ताकतों के साथ मिल जाते हैं।

*** *** ***12

कभी-कभी बात को समझने में अधिक समय लगता है। मैं देख रहा हूं कि इसने बहुत आगे तक प्रभाव डाला है।

यह प्रयत्न जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे विकासशील देशों और विश्व के दूसरे हिस्सों में भी चल रहा है इन्दिरा गांधी जी के कत्ल के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि जब हमने पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर किये थे तो प्रत्येक व्यक्ति ने सोचा कि अब झगड़ा समाप्त हो गया और अब स्थिति एक दम बढ़िया हो जाएगी। हमने इस बात पर विश्वास नहीं किया। यह केवल आतंकवाद के विरुद्ध पहला कदम था। आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करने में समय लगेगा। दूसरे देशों में भी आतंकवाद को समाप्त करने में समय लगा है। आप अपने को दोषी क्यों महसूस कर रहे हैं जैसे कि आपने ही यह बात कही हो। हमारी तरफ से किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है। भगवान के लिए, आप यह क्यों महसूस करते हैं कि मैं आप पर आघात कर रहा हूं मैं आघात नहीं कर रहा हूं।

किसी व्यक्ति ने हमारी ओर से उल्लेख किया है। इन बातों के बारे में आप अपने आपको इतना अधिक दोषी को महसूस करते हैं।

साम्प्रदायिक ताकतों के विरुद्ध लड़ाई का मुकाबला हमें मिलकर करना चाहिए। हम गांधी वादी परम्पराएं साम्प्रदायिक सौहार्द पंडित जी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण अस्थिरता पैदा करने वाले आतंकवादियों, पृथकवादियों और साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध इन्दिराजी का संघर्ष विरासत के रूप में मिला है हम उनको असफल नहीं कर सकते। साम्प्रदायिकता को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर मैं बाबर द्वारा उसके अपने लड़के हुमायुं के लिए की गई वसीयत से एक वाक्य पढ़ूं।

"यह आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप सभी प्रकार के धार्मिक पक्षपात को अपने दिल से निकाल दें।"

उसे हमें आज करना है। स्वतन्त्र भारत का एक आधार यह भी रहा है कि अल्पसंख्यकों को जिसमें महिलाएं भी सम्मिलित हैं को पूरे अधिकार दें।

मैं आपसे महिलाओं के विषय में बात करूंगा। कुछ ही समय पहले किसी ने आपको इस बारे में बताया जो आपने नहीं पढ़ा है उच्चतम न्यायालय ने शाहबानो के मामले में अपना निर्णय दिया है जिसने अल्पसंख्यक वर्गों के मस्तिष्क में कुछ अनिश्चिताएं उत्पन्न कर दी हैं क्या वे अनिश्चितताएं किसी ठोस बात पर आधारित है या नहीं इसका फैसला हमें नहीं करना है किन्तु तथ्य यह कि कुछ अल्पसंख्यकों को यह आशंका है स्वतन्त्रता के समय जो गारंटी उन्हें दी गई थी उसे समाप्त किया जा रहा है।

हमारा देश धर्म निरपेक्ष है। लेकिन क्या धर्म निरपेक्षता की परिभाषा यह है कि "कोई धर्म नहीं"। हम इसकी परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि प्रत्येक धर्म को दूसरे धर्म के साथ मिलकर चलना चाहिए दूसरे धर्मों को अपने व्यक्तिगत नियम बनाने की आज्ञा देकर हम सहास्तित्व के अधिकार का सत्यापन करते हैं इससे हमारी धर्मनिरपेक्षता एक नहीं होती वास्तव में हमारी धर्म निरपेक्षता का यह मजबूत संघटक है यह भारत की बुनियादी ताकत है कि प्रत्येक धर्म को अपने ढांचे के अन्दर ही कार्य करने की स्वतन्त्रता है हम किसी धर्म को कुचलने या दबाने की कोशिश नहीं करते।

*** *** ***13

दूसरा प्रश्न जो उठाया गया था वह यह था कि क्या मंगलवार को इस दिन में एक विधेयक लाकर हमने धारा 125 और 127 के अधीन महिलाओं के अधिकारों को कब कम कर दिया है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। धारा 125 और 127 हमारी महिलाओं को क्या देती है और क्या नहीं देती है।

*** *** ***14

सर्वप्रथम स्वीय कानून के अन्तर्गत यदि तलाकशुदा को उसका पूरा पता मिल चुका है तो धारा 125 लागू नहीं होती क्या मैं ठीक हूं। अब अगर कोई तलाकशुदा अपने व्यक्तिगत कानून द्वारा कोई लाभ प्राप्त कर रहा है तो क्या हमें उस मुस्लिम तलाक को स्वीय कानून के लाभ से वंचित करना चाहिए। हिन्दू कानून, ईसाई कानून, पारसी कानून ये सब कानून न्यायालयों में संहिताबद्ध रूप से उपलब्ध है। हमारे न्यायालयों मे उस ढंग से मुस्लिम कानून उपलब्ध नहीं था। एक धार्मिक समुदाय को कानून बनाने के अधिकारों से वंचित क्यों करे यदि वे उस कानून को अपनाना चाहते हैं।

किसी भी ढंग से धारा 125 या 127 को इस कानून द्वारा कम नहीं किया गया है इस धाराओं में जो व्यवस्था है मुस्लिम महिलाओं को इस कानून के अन्तर्गत प्राप्त कर उससे कहीं अधिक मिल रहा है।

*** *** ***15

हम इस कानून को आगे क्यों लाये हैं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं अगर महिला स्वयं पर निर्भर है तो धारा 125 लागू नहीं होती यह लागु तभी होती है जब यह गरीब होती है। यह प्रत्येक महिला पर लागू नहीं होती धारा 125 विशेष रूप से स्वीय कानून तक ही सीमित है एक बार आप स्वीय कानून का सहारा लेते हैं तो धारा 125 लागू नहीं होती। धारा 127 इस दृष्टि से धारा 125 को सीमित करती है कि अगर महिला स्वीय कानून के अधीन देय भत्ता प्राप्त कर रही है तो धारा 125 और धारा 127 उस पर लागू नहीं होती।

*** *** ***16

धारा 125 तथा 127 किसी भी मायने में महिलाओं के दहेज अथवा उसकी सम्पत्ति की सुरक्षा से संबंधित नहीं है। धारा 125 और 127 में दोबारा कहूंगा किसी भी प्रकार से सम्बन्धित महिला को दहेज या मेहर देने से संबंधित नहीं है। धारा 125 और 127 महिलाओं को उसकी सम्पत्ति का अधिकार नहीं दिलाती है। उसकी सम्पत्ति, दहेज आदि संबंधी अधिकार उनके स्वीय विधि के अन्तर्गत आते हैं।

*** *** ***17

हमने हम सत्र के दौरान कुछ चीजों को सभा पटल पर रखा है तथा मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहूंगा। क्योंकि उस पर प्रश्न उठाये गये हैं।

श्रीमती शाहबानो के मामले को ही लीजिए। उसे धारा 125 तथा 127 के तहत छह वर्षों तक मुकदमा लड़ना पड़ा। छह वर्षों तक अदालत में मुकदमा लड़ने के बाद उसे 500 या 200 रुपए या ऐसा ही कुछ दिया गया।

*** *** ***18

महोदय, छह साल तक अदालत में धारा 125 के तहत लड़ने के बाद उस महिला का 179 रुपया प्रति महीना दिया जाता है तो क्या आप यह कह सकते हैं कि धारा 125 महिलाओं को संरक्षण कर रही है। इससे महिलाओं को समुचित संरक्षण नहीं मिल रहा है।

सिर्फ एक ही प्रश्न है और वह यह है कि जो विधेयक हम लाये हैं वह मुस्लिम स्वीय विधि की परिधि में आता है या नहीं? यह प्रश्न तकनीकी है। राजनैतिक प्रश्न, तथा यह प्रश्न क्या महिला के अपने अधिकार होने चाहिए, इन प्रश्नों को हम सुलझा सकते हैं तथा इस विधेयक पर विचार करने के बाद और यह निश्चय करने के बाद कि जो यह विधेयक लाया गया है वह धर्मनिरपेक्ष विधेयक है, जैसा कि बताया गया है। जी हां, किसी विशेष्ज्ञ धर्म संबंधी स्वीय विधि को लाने से हमारी धर्म निरपेक्षता में किसी तरह से कमी नहीं आती है।

जहां तक विधेयक के क्रियात्मक भाग का संबंध है, मैंने सदन में अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है कि अगर कोई भी ऐसा मूल मसला उठाया जाता है जिससे दिक्कतें पैदा हो रही हैं तथा जिसके बारे में हम संतुष्ट है कि कहे मुस्लिम स्वीय विधि के अनुसार नहीं है, तो हम इस पर पुन: अवलोकन करने के लिए तैयार हैं।

*** *** ***19

आज हमें जरूरत है राष्ट्रीय एकता की । हमें यह देखने की जरूरत है कि ऐसे मसले जो हमारे देश को विभाजित करते हैं, उन्हें इतना ज्यादा न उछाल दें कि वे नियंत्रण से बाहर हो जायें। हमें देखना है कि इस तरह के मसलो को राजनैतिक प्रयोजन के लिए उपयोग में ना लाया जाए। सिर्फ सहनशीलता, मित्रभाव तथा आपसी सामंजस्य से ही हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं।

तभी हम अपने सपनों का भारत संजों सकते हैं।

हम सर्वसम्मति तथा समझौते की राजनीति में विश्वास करते हैं। परन्तु सर्वसम्मति तथा मेल मिलाप को दुर्बलता अथवा अनिर्णय नहीं समझना चाहिए इस वर्ष के दौरान, दुनिया में भारत का स्थान और ऊंचा हुआ है उसका कारण है दुनिया के विभिन्न मंचों पर हमारे द्वारा भाग लिया जाना। सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध सुधर रहे हैं, सोवियत संघ जो कि हमारा पुराना एवं विश्वसनीय मित्र है।

वे हमारे कुछ मित्रों को पसन्द नहीं करते हैं। हम क्या कर सकते हें? किसी भी देश की मित्रता सोवियत संघ तथा भारत की मित्रता में परिवर्तन नहीं ला सकती। तालियों के लिये धन्यवाद।

*** *** ***20

मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि आपने सोवियत संघ और अमेरिका का नाम लिया था। मैं उन्हें इसके साथ जोड़ना चाहता था। आप समझ गये मैंने क्या कहा है जब मैंने ऐसा कहा

तो उस समय आपने कुछ कहना शुरू किया। माननीय सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में उपस्थित नहीं थे। अत: इस बारे में मैं उन्हें बता सकता हूं।

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में एक मुख्यमंत्री सम्पूर्ण योजना के बारे में शिकायत कर रहे थे। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। उन्हें यह विचार पसन्द नहीं आया और वह थोड़ा सा असमंजस में थे तथा बैठक समाप्त होने के समय उन्होंने कहा "मैं क्या कर सकता हूं अगर आप मुझे पैसा नहीं देंगे? क्या मैं इंग्लैंड और अमरीका की ओर इस प्रयोजनार्थ देखूं?" मैं आपको नहीं बताऊंगा वह कौन थे। हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं जब पूर्व का एक मुख्य मंत्री पश्चिम की ओर आस लगाता है।

*** *** ***21

इस वर्ष भारत ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। हमने आंदोलन को और अधिक सुदृढ़ किया है। हमने दक्षिण अफ्रीका, फिलिस्तीन के मसलों को उठाया, हमने नयी अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा की, हमने दुनिया में हो रहे विभिन्न मसलों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में भारत द्वारा भाग लेने से यह और भी सुदृढ़ हो गया है। चोगम में भी भारत ने बहुराष्ट्रीय संगठनों को और दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध कार्यवाही को उचित ठहराने में प्रमुख भूमिका निभाई।

छह राष्ट्रों के सम्मेलन में बहामा में जो कुछ हुआ माननीय मित्र उस बारे में नहीं जानते हैं, तथा उसका प्रभाव इंग्लैंड तथा अमरीका में क्या हुआ था। अगर आप उस बैठक के प्रभाव को देखें, तो आप देखेंगे कि हमने जो दृष्टिकोण अपनाया उसकी वजह से कितने बैंक एवं संस्थायें दक्षिणी अफ्रीका में से बाहर चली गई।

दुर्भाग्य से, छह राष्ट्रों की भूमिका की वजह से एक बार फिर से आणविक निरस्त्रीकरण के बारे में अत्यधिक जागरूकता पैदा हुई है। इस तरह के मामलों में श्रेय लेने की कोशिश करना सही नहीं है, परन्तु भारत में तथा दुनिया में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पूरा आणविक निरस्त्रीकरण और हमें इसी दिशा में काम करना चाहिए। छह राष्ट्रों ने सभी देशों में इसके प्रति जागरूकता पैदा की है, विशेष रूप से उन देशों में जो कि आणविक निरस्त्रीकरण का विरोध कर रहे हैं जहां पर ऐसी समस्या है। इस जागरूकता से उनकी सरकारों के रवैये में एक प्रकार का परिवर्तन आया है। भारत ने एक भूमिक निभाई है।

हमारे क्षेत्र में हमारे नजदीक दक्षिण एशिया में सार्क का गठन करके हमने काफी प्रगति की है। सार्क की सहायता से हमने सभी देशों की नजदीक लाने के लिए पहला कदम उठाया है।

इस वर्ष के शुरू में पिछले वर्ष पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया ने भारत का दौरा किया। हम विभिन्न चरणों में चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से हम दो देशों के बीच संबंधों को

सामान्य बना सकते हैं तथा हमने एक समय-सारिणी बनाई है जिस पर कदम उठाये जा सकते हें। दुर्भाग्य से उन वार्ताओं के परिणामों को पूरी तरह से पसन्द नहीं किया गया। गति धीमी है। मैं दोहराना चाहूंगा कि जो भी कदम उठाये जायेंगे वे मिलजुल कर ही उठाये जायेंगे। व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में शुरुआत एकसाथ की जानी चाहिए। हम सीमा के मसले पर चर्चा करते आये हैं। परन्तु इसमें हमने ज्यादा प्रगति नहीं की है। हम अपनी बात पर अटल हैं। हम महसूस करते हैं कि हमारी दृष्टिकोण बिल्कुल सही है और हम उससे आसानी से पीछे नहीं हटेंगे।

श्रीलंका में हाल ही में अत्यधिक हिंसा की घटनाएं हुई थीं। दुर्भाग्य से, सरकार तथा तमिल व्यक्तियों के बीच युद्धविराम नहीं किया जा सका। हमने श्रीलंका सरकार के साथ संबंध बनाया हुआ है। हमें हाल ही में एक नया पत्र मिला है जो पिछले पत्र से थोड़ा सा भिन्न हैं जो उन्होंने दिया था। हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि यह कदम आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त होगा।

मेरे विचार से एक सदस्य ने कहा है कि कांग्रेस को अपने आपको निर्धारित करना चाहिए क्या आशा लगाई जा रही है।

*** *** ***22

पश्च टिप्पण

XII. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर, 27 फरवरी, 1986

1. **श्री दिनेश गोस्वामी:** आप क्षेत्रीय दलों को क्यों छोड़ रहे हैं?

श्री राजीव गांधी: हम उनको भी शामिल करेंगे।

2. **प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर):** और अधिक प्रदूषण होगा।

श्री राजीव गांधी: प्रदूषण के बारे में भी हम कानून बनाने जा रहे हैं। उसमें हम केवल शोर से होने वाले प्रदूषण की बात रखना भूल गए हैं।

प्रो. मधु दण्डवते: हमें कोई चिंता नहीं है। वह अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री राजीव गांधी: दुर्भाग्य की बात यह है कि उन्हें हँसी और शोर में जो अंतर है, उसके बारे में पता नहीं है। शोर वह है जो इस सभा में विपक्ष की ओर से सुनाई पड़ता है।

श्री नारायण चौबे: हँसी में शोर नहीं होता।

3. **श्री के.पी. उन्नीकृष्णन:** सायंकाल का मजाक संख्या 2

श्री राजीव गांधी: कम से कम मैं आप लोगों को हँसा तो सका..... कम से कम आप हँसे तो सही।

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन: मैं हँसूंगा..... उचित समय पर हँसूंगा।

श्री राजीव गांधी: बहुत कठिन है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: हम लोग चुपचाप अभी तक हँसते रहे हैं।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार): आपकी ओर हँसने वाली बहुत सी गुड़ियां हैं।

4. **कुछ माननीय सदस्य:** शास्त्री जी का क्या योगदान रहा है?

श्री राजीव गांधी: मोरारजी जी का भी रहा है।

कुछ माननीय सदस्य: हमने उनके नाम का उल्लेख नहीं किया है।

श्री राजीव गांधी: मैं योजना के बारे में कह रहा था। हमारी योजना को बनाने में एक प्रधानमंत्री के रूप शास्त्री जी का कोई योगदान नहीं रहा है। यदि आपको न पता हो तो मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

श्री राजीव गांधी: आप विद्वान लगते हैं। हमारा विकास .....

5. **श्री राजीव गांधीः** कुछ और कहना है? कोई और सुझाव है? महोदय, यथार्थ रूप में मुझे यही कहना था। यदि हम उनके सुझावों पर चलते रहे तो हम स्वतंत्र नहीं रह सकेंगे। हम अपनी स्वतंत्रता खो देंगे। संक्षेप में यही है .....

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर): हम वास्तव में आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप कोई कृपा तो नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया शांत रहें।

6. **एक माननीय सदस्यः** उस ओर ऐसे कितने सदस्य हैं?

श्री राजीव गांधीः यह प्रश्न किसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा हुआ नहीं है। यह प्रश्न दल की भावना से संबंधित है जिसका गठन स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर हुआ था .....

एक माननीय सदस्यः 17 वर्ष पुराना दल।

श्री राजीव गांधीः निःसंदेह आपको हमारी उस भावना का पता नहीं होगा जिसके आधार पर हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था।

श्री राजीव गांधीः महोदय, हमने स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से जो प्रभुसत्ता अर्जित की है उसका हम विकास के सस्ते और आसान तरीकों के साथ विनिमय नहीं करेंगे। हम स्वयं संसाधन सृजित करेंगे और हम देखेंगे कि भारत मजबूत, स्वतंत्र और प्रभुसत्ता सम्पन्न बना रहे।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर): आपको ऐसा करने से कोई नहीं रोकता।

श्री राजीव गांधीः महोदय, कुछ दलों के मुख्य मंत्रियों ने, जो बहुत ही खर्चीली परियोजनाएं लेकर मेरे पास आए थे, वामपंथी रवैया अपना लिया है.....

श्री राजीव गांधीः नहीं महोदय, मैं उनकी बात नहीं मान सकता।

अध्यक्ष महोदयः शान्त, शान्त।

श्री राजीव गांधीः अध्यक्ष महोदय .....

श्री सोमनाथ चटर्जीः वह प्रधानमंत्री हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए.....

श्री राजीव गांधीः मैंने किसी राजनीतिक दल या मुख्य मंत्री का नाम नहीं लिया है। शायद, जिस मुख्यमंत्री की बात हम कर रहे हैं, उन्हें आप जानते होंगे। आप किस मुख्य मंत्री की बात कर रहे हैं?

श्री राजीव गांधीः मैं अपने माननीय मित्र से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदयः कार्यवाही में कुछ भी नहीं शामिल किया जाएगा। अनुमति नहीं दी जाती है। शांति, शांति।

श्री राजीव गांधीः अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी मुख्य मंत्री का नाम नहीं लिया, मैंने किसी राज्य का नाम नहीं लिया, शायद मैंने किसी दल का नाम भी नहीं लिया। शायद मेरे माननीय मित्रों को इसका निश्चित अनुमान होगा कि यह कौन हो सकता है।

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी बैठिए, सोमनाथ जी बैठ जाइए आप।

अध्यक्ष महोदयः यह तो लोगों का अपना–अपना काम है, लोग करते हैं।

अध्यक्ष महोदयः आप क्यों घबराते हैं, आपका वक्त आएगा तो आप कह लीजिएगा।

श्री राजीव गांधीः यह बड़ी विचित्र बात है कि वामपंथी विचारधारा वाले दल अचानक ही दक्षिणपंथी विचारधारा वाले दलों के साथ मेल–जोल प्रारंभ कर देते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): शायद मूल्य वृद्धि जैसे कुछ मुद्दों पर।

श्री नारायण चौबेः केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है।

7. **प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर):** कुछ राज्यों में पूँजीवादी परियोजनाएं हैं, और इसीलिए वे आपके पास आते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): पेट्रो–रसायन में आप हमारे साथ सहयोग करने से इनकार कर देते हैं। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदयः शान्त, शान्त।

8. **श्री राजीव गांधीः** मैं जानना चाहता हूं कि आपका आकार ही फैल गया है। श्री उन्नीकृष्णन, आप आकार पर कुछ कहना चाहेंगे। मुझे लगा कि आप फैलाव के बारे में कुछ कह रहे थे।

श्री राजीव गांधीः महोदय, हमारा विश्वास है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से ही हम सच्चे अर्थों में एक स्वतंत्र तथा आत्म–निर्भर भारत का निर्माण कर पाएंगे।

श्री के.पी. उन्नीकृष्णनः यह मिश्रण कैसा है।

9. **कुछ माननीय सदस्यः** क्या?

श्री राजीव गांधीः लोगों ने उसे समर्थन नहीं दिया.....

श्री के.पी. उन्नीकृष्णनः यह तो वह रिपोर्ट है जो आपको मिली है।

10. **श्री के.पी. उन्नीकृष्णनः** आप 1000 करोड़ रु. भी जला दें और लोग चुप रहें ?

अध्यक्ष महोदयः यह उनका अपना दृष्टिकोण है। आपका दृष्टिकोण दूसरा हो सकता है, कृपया बैठ जाइए।

श्री राजीव गांधीः महोदय, हो सकता है कि आंकड़ों की जहां तक बात है कि मैं थोड़ा इधर–उधर हो सकता हूं लेकिन हाल ही में जो मूल्य वृद्धि हुई है, मैं समझता हूं कि उससे वित्त मंत्री जी ने लगभग 500 करोड़ रु. ही एकत्र किए हैं ..... इस संख्या में सुधार किया जा सकता है ..... और एक दिन में ही आपने उसकी आधी राशि जला डाली है।

श्री सोमनाथ चटर्जीः इससे लोगों के आक्रोश का पता चलता है।

श्री बसुदेव आचार्यः कृपया लोगों का मन समझने का प्रयत्न कीजिए।

श्री राजीव गांधीः यदि इस देश को तरक्की करनी है तो यह 'बंद' आदि से तरक्की नहीं कर सकता।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूब नगर): आंध्र प्रदेश में इन लोगों को क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइए, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री राजीव गांधीः महोदय, प्रत्येक बार जब किसी हड़ताल का आह्वान किया जाता है.....

एक माननीय सदस्यः किसके द्वारा?

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार): कांग्रेस दल द्वारा कराया जाता है।

11. श्री के.पी. उन्नीकृष्णनः मैं आप और आपकी सरकार पर आरोप लगाता हूं कि अपने देश का 1000 करोड़ रु. का नुकसान करा दिया।

श्री नारायण चौबेः महोदय, इन्हें पंडित जी, महात्मा गांधी और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों पर भी आरोप लगाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइए।

श्री राजीव गांधीः महोदय, क्या मेरे विद्वान मित्र कल के 'बंद' की तुलना उससे कर रहे हैं जो गांधी जी ने कराया था।

श्री नारायण चौबेः हां, अहमदाबाद में, सारे कपड़ा मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी।

श्री राजीव गांधीः महोदय, शायद वह यह भूल रहे हैं कि गांधी ने हड़तालों और 'बंद' का आयोजन अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया था।

श्री बासुदेव आचार्यः अब, यह पूंजीवाद के विरुद्ध है।

श्री नारायण चौबेः क्या आप जन–विरोधी हैं या हम जन–विरोधी हैं।

12. **श्री बी. किशोर चन्द्र एस. देवः** कौन?

श्री बासुदेव आचार्यः आप सांप्रदायिक ताकतों के साथ मिले हुए हैं।

श्री अमर राय प्रधानः आरिफ मोहम्मद खान ने त्याग पत्र क्यों दिया?

श्री राजीव गांधीः मैं उस बात पर भी आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदयः कृपया आपस में कोई बातचीत न करें।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर): प्रधान मंत्री हमें अनावश्यक रूप से उत्तेजित कर रहे हैं।

श्री राजीव गांधीः मैं आपको उत्तेजित नहीं कर रहा हूं। मैं अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर रहा हूं।

श्री नारायण चौबेः ऐसा ही हम कर रहे हैं।

श्री राजीव गांधीः सांप्रदायिकता बुनियादी हथियार रहा है जो कि प्राचीन काल से ही हमारे देश को कमजोर कर रहा है।

श्री नारायण चौबेः ठीक है।

श्री राजीव गांधीः आपका बहुत अधिक धन्यवाद।

श्री सोमनाथ चटर्जीः विषय बदलने के लिए आपने ठीक कहा है।

श्री के.पी. उन्नीकृष्णनः गोबिचेट्टिपालयम् दोपहर को आपने देर से एहसास किया है।

श्री राजीव गांधीः विभाजन और नष्ट करने की उपनिवेशी धारणा आज भी नहीं बदली है।

श्री के.पी. उन्नीकृष्णनः भाषण का यह हिस्सा बहुत अच्छा है।

13. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेठः** प्रधान मंत्री महोदय, हमारा समाज आपका आभारी है।

श्री राजीव गांधीः मैं अगले मुद्दे पर आता हूं। मैं आपके सभी मुद्दों का उत्तर दूंगा क्योंकि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है।

श्री अमल दत्तः उनका समर्थन यह दिखाता है कि आप कितने धर्मनिरपेक्ष हैं।

14. **श्री राजीव गांधीः** मैं नहीं सोचता कि आप इस बारे में जानते हैं इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं।

श्री के.पी. उन्नीकृष्णनः जब इस विशेष धारा को पारित किया गया था तब आप सदन में नहीं थे और केवल यही अंतर है। मैंने इसमें हिस्सा लिया था कुछ बातों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

15. श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): वह महिला न्यायलय में क्यों गई। शाहबानो उच्चतम न्यायालयों में गई और उसे यह निर्णय मिला।

श्री राजीव गांधीः कई बातों को प्रभावी होने में अधिक समय लग जाता है। आप ध्यान से सुनें तो आप समझ सकते हैं।

16. श्री सैफुद्दीन चौधरीः इसलिए हमारा कहना है कि धारा 127 को वापस लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः यह उनका दृष्टिकोण है यह आपका दृष्टिकोण है। आपकी अपनी दृष्टि हो सकती है। आप उन्हें सुनें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा): आगे बढ़ने के बजाय आप पीछे की ओर जा रहे हैं।

श्री राजीव गांधीः हम पीछे की ओर नहीं जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः यह आपके सोचने का तरीका है।

17. अध्यक्ष महोदयः यह ठीक है। यह वाद–विवाद नहीं है।

श्री राजीव गांधीः नहीं, महोदय। मैं उनकी बात नहीं मान सकता। महोदय, मेरी बात गलत नहीं है।

अध्यक्ष महोदयः ये उनके सोचने का तरीका है। आप अपने ढंग से सोच सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जीः अब इस विधेयक पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है।

श्री राजीव गांधीः हम इस विधेयक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

प्रो. मधु दण्डवतेः ऐसा लगता है विधेयक को विचार के लिए पहले ही लिया जा चुका है।

18. श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (मंजरी): मैं आपको स्थिति से अवगत कराऊंगा। उन्हें 179.25 रुपए दिए गए।

श्री राजीव गांधीः महोदय, मैं यह आंकड़े ठीक कर लेता हूं।

श्री जी.एम. बनातवालाः यह तो बाटा कंपनी के जूतों के दाम जैसा लगता है।

19. **प्रो. मधु दण्डवतेः** कल आपके अपने दल की बैठक है।

श्री राजीव गांधीः आज भी हमारी बैठक थी आज सुबह भी। आप परेशान मत होइए। मेरी बैठक में आपके दल के लोग भी थे। हम क्या चाहते हैं? जब हम देश की ओर देखते हैं तो क्या हम चाहेंगे कि देश का बंटवारा हो और यहां कठिनाइयां पैदा हों?

हमें बताया गया था कि विपक्ष से सलाह नहीं ली गई थी तथा इस विधेयक के बारे में दस्तावेज उन्हें नहीं दिए गए थे। दस महीनों की अवधि में क्या आपका कर्तव्य नहीं था कि इस पर ध्यान आकृष्ट कराते?

श्री के.पी. उन्नीकृष्णनः तब आपके वायदे का कोई अर्थ नहीं होता।

श्री राजीव गांधीः आप भूल गए हैं कि हमने आपको बुलाया था और आप नहीं आए थे। आप भूल गए हैं कि आप को बुलाया गया था तथा आप पहुंचे नहीं थे।

श्री बसुदेव आचार्यः आपको भी उत्तर दिया जा चुका है।

श्री राजीव गांधीः मुझे कहने दीजिए कि उनके न आने का एक कारण यह भी हो सकता है क्योंकि ये हमें विधेयक पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं करना चाहते थे .....

प्रो. मधु दण्डवतेः यह बात कार्यवाही वृत्तांत में जानी चाहिए कि यह सही वक्तव्य नहीं है। अगले दिन सुबह 2 बजकर 30 मिनट पर प्रधान मंत्री कार्यालय से हमें एक पत्र मिला जिसमें स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था कि उस दिन 10 बजे हम बैठक में उपस्थित थे। अतः इस बात पर यह कहना गलत है कि हम उनके साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे। आप इसमें राजनीति को लाने की कोशिश मत करिए।

श्री राजीव गांधीः चूंकि आपको मालूम था कि किस मसले पर चर्चा की जानी थी। इस पर चर्चा होनी थी। कुछ ऐसे मसले थे जिन पर चर्चा नहीं हुई थी।

श्री राजीव गांधीः प्रो. मधु दण्डवते ने एक वक्तव्य दिया है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि पुरःस्थापना की अवस्था में जब यह मसला उठाया गया था तो उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। प्रश्न यह है कि देश में किसी भी दल या अल्पसंख्यक के मन में यह विचार नहीं आना चाहिए कि जो उनके मूल अधिकार हैं, वे उस समुदाय से छीने जा रहे हैं।

श्री नारायण चौबेः यही बात समुदाय के लोग सोच रहे हैं।

श्री राजीव गांधीः दुर्भाग्य से आज विपक्ष भी अल्पसंख्यक है।

अध्यक्ष महोदयः आपस में मत बोलिए। कोई चर्चा नहीं,.....

20. **श्री के.पी. उन्नीकृष्णनः** जब कभी भी आप समझदारी की बात करते हैं हम सभी आपके साथ सहमत होते हैं।

श्री नारायण चौबेः जब कभी भी आप उचित बात कहते हैं हम सभी आपका समर्थन करते हैं।

श्री राजीव गांधीः इस वर्ष हमने अमरीका के साथ भी अपने संबंधों में सुधार किया है।

श्री नारायण चौबेः ना वे ताली बजाते हैं न ही हम।

श्री राजीव गांधीः मैं क्या कह सकता हूं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के दौरान.....

श्री बसुदेव आचार्यः आप यहां राष्ट्रीय विकास परिषद को क्यों ला रहे हैं?

21. **श्री नारायण चौबेः** क्या मजाक है।

श्री राजीव गांधीः लेकिन महोदय हमें तकलीफ इस बात से है .....

अध्यक्ष महोदयः उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं कहा है।

प्रो. मधु दण्डवतेः महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें मुख्य मंत्री शब्द को निकाल दें। यह अच्छी बात नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदयः उन्होंने इसे मजाक में कहा है।

प्रो. मधु दण्डवतेः प्रधान मंत्री जी मुख्य मंत्री का उल्लेख कर रहे हैं। अगर आप इसे मजाक में कह रहे हैं तो ठीक है।

अध्यक्ष महोदयः यह सिर्फ मजाक है।

श्री राजीव गांधीः परन्तु, महोदय.....

अध्यक्ष महोदयः पूर्व में खड़ा व्यक्ति पूर्व दिशा को नहीं देख सकता। उसे पश्चिम की ओर आस लगानी पड़ती है।

श्री राजीव गांधीः परन्तु, महोदय हमें चिन्ता तब होती है जब हमारे वामपंथी मित्र दक्षिणपंथी लोगों की ओर देखना शुरु करते हैं। इससे हमें दुख होता है।

प्रो. मधु दण्डवतेः इसका अर्थ हुआ, वे मित्र जो छोड़ गए हैं।

श्री राजीव गांधीः हमारे वामपंथी मित्र।

प्रो. मधु दण्डवतेः मैंने सोचा कि आपने कहा है वे मित्र जो छोड़ कर चले गए हैं।

श्री राजीव गांधीः वे सिर्फ कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाते हैं, न कि हर रोज।

22. **श्री अमल दत्तः** गांधी जी ने भी यही कहा था।

श्री राजीव गांधीः मैं गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस सदस्य के बारे में बोल रहा हूं जो कि केवल कांग्रेस के विघटन होने के पश्चात ही अपना दल बदल सकता है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: गांधी जी की कांग्रेस समाप्त हो गई है, अब दूसरे गांधी आ गए हैं।

प्रो. मधु दण्डवते: आविष्कार, सभी गांधी एक जैसा नहीं सोचते।

श्री राजीव गांधी: संभवतः यह उनकी अन्तिम इच्छा है काश इच्छा करने से ही कामना पूरी हो जाती।

श्री सोमनाथ चटर्जी: आप आशाओं पर निर्भर करते हैं।

श्री राजीव गांधी: मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे साथ जनमत है तथा लोगों का विश्वास है। हमारा एक इतिहास है तथा हम नए भारत का निर्माण करेंगे।

एक अन्य मित्र ने मनोहर राजकुमार के बारे में कहा है।

प्रो. मधु दण्डवते: वह तो सुन्दरता की कदर करता है।

श्री राजीव गांधी: मैं आपको यह बात बता दूं कि यहां कोई सुंदर राजकुमार नहीं है और ना ही कोई जादू की छड़ी है बेट्राक बाग में कुछ बेताल हों। कांग्रेस दल लोगों का दल है। केसन्ड्रास को निराशावादी विचार विचलित नही कर सकते। राष्ट्र निराश नहीं है। उसका मोहभंग नहीं हुआ है। राष्ट्र को पूरा विश्वास है। यह आशावादी है तथा राष्ट्र को भारतीय होने पर गर्व है।

हरारे, इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और थाइलैण्ड की यात्राओं पर वक्तव्य

13 नवम्बर, 1986

मैं 1–7 सितम्बर तक हरारे में आयोजित गुट–निरपेक्ष देशों के आठवें शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ। यह एक अविस्मरणीय और ऐतिहासिक अवसर था। आन्दोलन की इस 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक विशेष स्मारक अधिवेशन का आयोजन किया गया था जिसमें विश्व शान्ति में गुट–निरपेक्ष आन्दोलन के महत्वपूर्ण योगदान का स्मरण किया गया तथा इसके पितामह नेहरू, टीटो, सुकार्णो, एनक्रूमा तथा नासिर द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों और लक्ष्यों की सतत् वैधता की पुनः पुष्टि की गई।

इस शिखर सम्मेलन में आन्दोलन की भूतपूर्व अध्यक्षा श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस आन्दोलन की एकता, दृढ़ता और एकजुटता को और अधिक मजबूत करने की दिशा में आन्दोलन के अध्यक्ष की हैसियत से भारत की भूमिका की भूरि–भूरि प्रशंसा की गई। हमारे नेतृत्व में इस आन्दोलन को आन्तरिक तौर पर समरसता और स्थायित्व प्राप्त हुआ है और बाहरी तौर पर दृढ़ता एवं सक्रियता। अपने स्वरूप में अनेकता और विविधता किन्तु स्वतन्त्रता, शान्ति एवं न्याय के प्रति समान प्रतिबद्धता लिए हुए यह आन्दोलन अपने सिद्धान्तों पर सदैव अडिग रहा है।

हरारे में इस आन्दोलन की अध्यक्षता का दायित्व हमने जिम्बाब्वे के हाथों सौंप दिया। इस शिखर सम्मेलन में आज के युग के तीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आधारभूत प्रश्नों पर विचार–विमर्श केन्द्रित रहा। ये प्रश्न थे – दक्षिण अफ्रीका में मानवाधिकार, नामीबिया की स्वतन्त्रता तथा नाभिकीय विनाश के निरन्तर खतरे से मुक्त होकर एक स्वतन्त्र संसार में सांस लेने का समूची मानवता का अधिकार।

इस सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका पर एक विशेष घोषणा स्वीकार की गई तथा आक्रमण उपनिवेशवाद तथा जातीय पृथक्वासन को रोकने की कार्रवाई के निमित्त एक निधि की स्थापना जिसे ''अफ्रीका कोष'' की संज्ञा दी गई है। इस ''अफ्रीका कोष'' समिति का अध्यक्ष भारत है और उपाध्यक्ष जाम्बिया। इस कोष की स्थापना हमारे आन्दोलन के इस संकल्प को परिलक्षित करती है कि हम अग्ररेखी राज्यों के अपने भाईयों के साथ तथा दक्षिणी अफ्रीका के मुक्ति आन्दोलनों के साथ अपनी एकजुटता को ठोस रूप देना चाहते हैं। हमने इस कोष की स्थापना, इसके कार्य तथा इसके संचालन के तौर–तरीकों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक काम शुरू कर दिया है। जातीय पृथक्वासन से जूझने, जातिवादी प्रीटोरिया सरकार के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाने और उस सरकार की ओर से प्रतिक्रिया स्वरूप की गई कार्रवाइयों से निपटने में उनकी सामर्थ्य को सुदृढ़ करने के इरादे से हमने अग्ररेखी राज्यों के साथ गहन विचार–विमर्श किया। इस महीने के आखिर में लुसाका में इस कोष समिति के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक होगी। कोष समिति के सदस्य देशों के राज्याध्यक्षों अथवा

शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन से पूर्व एक मन्त्री–स्तरीय बैठक होगी जिसका आयोजन सम्भवतः दिल्ली में किया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कोष को न सिर्फ गुट–निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य तथा गैर–सदस्य सरकारों से पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा बल्कि उन सभी संसदों, स्वैच्छिक संगठनों और व्यक्तियों से भी पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा जो दक्षिण अफ्रीका में सभ्यता के बुनियादी मानदण्डों के उल्लंघन से तथा प्रीटोरिया की ओर से आने वाले शान्ति के प्रति खतरे से गम्भीर रूप से चिंतित हैं।

इस आन्दोलन ने फिलिस्तीनियों के हित साधन के प्रति अपना दृढ़ समर्थन दोहराया तथा गुट–निरपेक्ष देशों की आजादी, उनकी स्वाधीनता और प्रभुसत्ता की रक्षा के प्रति अपना संकल्प व्यक्त किया जिन्हें विदेशी दस्तन्दाजी और दखलन्दाजी की ओर से खतरा है।

हरारे में निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में जो अपील सहर्ष स्वीकार की गई वह शान्ति तथा निरस्त्रीकरण के प्रति इस आन्दोलन की प्रतिबद्धता को तथा मानवीय अस्तित्व के प्रति बढ़ते हुए खतरे के प्रति हमारी चिन्ता को परिलक्षित करती है। इस अपील में अमरीका और सोवियत संघ से यह अनुरोध किया गया है कि नाभिकीय युद्ध को भड़कने से रोकने के लिए वे तत्काल कदम उठाएं तथा एक व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि की दिशा में प्रथम चरण के रूप में नाभिकीय परीक्षणों पर एक निश्चित अवधि तक प्रतिबन्ध लगा दें। शिखर सम्मेलन में ''शान्ति एवं निरस्त्रीकरण की दिशा में छह राष्ट्र पांच महाद्वीपों की पहलकदमी'' का समर्थन किया गया जिसकी शुरूआत दिल्ली में की गई थी।

विगत कुछ वर्षों में विश्व की आर्थिक स्थिति और कुछ अधिक बिगड़ी है। हरारे में आर्थिक सहयोग के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम भी स्वीकार किया गया तथा सार्वभौम तथा आर्थिक मसलों पर की जाने वाली कार्रवाई में एकरूपता तथा तालमेल स्थापित करने के लिए एक समिति भी गठित की गई। एक राजनैतिक घोषणा में आज की दुनिया के सामने पेश अधिकांश कठिन मुद्दों पर आन्दोलन की एक राय प्रतिलक्षित है।

यह शिखर–सम्मेलन एक जल प्रपात की भांति था। इस आन्दोलन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर हमने आन्दोलन में अपनी आस्था की पुनः पुष्टि की तथा शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए एकजुट हुए विश्व समुदाय की अपनी परिकल्पना में अपनी आस्था की भी पुनः पुष्टि की। हम प्रधानमंत्री मुगाबे की सफलता की कामना करते हैं कि वे अपने समक्ष चुनौतियों का सामना कर सकें तथा उन्हें अपना पूर्ण समर्थन और सहयोग देने का वचन देते हैं।

हरारे शिखर सम्मेलन के दौरान मुझे अनेक नेताओं के साथ मिलने का सुअवसर मिला तथा उनसे अपनी मित्रता ताजा करने का भी जिनसे पहले मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका था। हमें विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर तथा बहुत से देशों के साथ अपने द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में अत्यन्त लाभप्रद विचार–विमर्श करने का मौका मिला।

मैंने 13–20 अक्तूबर तक इन्डोनेशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और थाईलैण्ड की राजकीय यात्रा भी की।

हमारी और इन्डोनेशिया की सांस्कृतिक धरोहर एक सी है। हमने उपनिवेशवाद के खिलाफ एक–सी लड़ाई लड़ी और अब हम दोनों गुट–निरपेक्ष आन्दोलन के सहभागी हैं। राष्ट्रपति सुहार्तो के साथ मेरी बातचीत से यह पता चला कि प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर हम दोनों के दृष्टिकोण समान हैं। हमने यह स्वीकार किया कि व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में हमारे सम्बन्ध उसी स्तर के नहीं हैं जिस स्तर के राजनैतिक क्षेत्र में हैं। हमने अपने सम्बन्धों को और अधिक आर्थिक तथा वाणिज्यिक तत्व प्रदान करने के लिए दीर्घकालिक प्रबन्धों को तैयार करने तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी क्रिया–कलापों को और अधिक सघन करने पर अपनी सहमति व्यक्त की। हमें उम्मीद है कि इन्डोनेशिया के साथ हमारे पारम्परिक सम्बन्ध भविष्य में और अधिक मजबूत और सुदृढ़ होंगे।

आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड के साथ हमारे सम्बन्ध मित्रतापूर्ण तो रहे हैं लेकिन राजनैतिक तथा आर्थिक दृष्टि से बहुत सक्रिय नहीं। हमारे देश एशिया प्रशान्त क्षेत्र में आते हैं लेकिन हमने अपने क्षेत्र की बजाय पश्चिम तथा अन्यत्र अधिक निहारा है। अव यह प्रक्रिया विपरीत दिशा में जा रही है। मुझे उम्मीद है कि मेरी यात्रा से इस नई प्रक्रिया को और अधिक प्रोत्साहन मिला है।

नसाऊ और लन्दन में राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत मैंने प्रधानमंत्री हाक के निकट सहयोग से कार्य किया ताकि प्रीटोरिया शासन के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाने की दिशा में एक राय कायम की जा सके। आस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा के दौरान इस एक राय को सुदृढ़ करने तथा विश्व मत तैयार करने की प्रगति की हमने समीक्षा की। हमने अपने व्यापारिक और आर्थिक सम्बन्धों की भी समीक्षा की तथा हम इस बात पर सहमत हुए कि आदान–प्रदान को और तेज किया जाना चाहिए। व्यापारिक और आर्थिक सम्बन्धों को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त व्यापार परिषद् की स्थापना की गई। इस यात्रा के दौरान एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी करार पर भी हस्ताक्षर हुए। हम कृषि, अन्तरिक्ष, मौसम–विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों में अपने सहयोग को और बढ़ाने के लिए पारस्परिक कार्रवाई की बृहत्तर आवश्यकता पर भी सहमत हुए।

न्यूजीलैण्ड की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री लांगी के साथ मेरी बातचीत में बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर हमारे दृष्टिकोणों की निकटता परिलक्षित हुई और यह बात भी हम दोनों ही अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के इच्छुक हैं। हम इस बात पर सहमत थे कि कृषि और वनरोपण ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग लाभप्रद हो सकता है। मेरी इस यात्रा के दौरान व्यापार तथा दोहरे कराधान के परिहार के करारों पर भी हस्ताक्षर हुए।

थाईलैण्ड की मेरी संक्षिप्त यात्रा भारत के किसी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। इस देश में, जिसके साथ हमारे गहरे और अटूट सांस्कृतिक सम्बन्ध हैं, हमारा अत्यन्त हार्दिक स्वागत किया गया। मुझे थाई–नरेश के साथ दिलचस्प बातचीत का और प्रधानमंत्री प्रेम के साथ लाभप्रद विचार–विमर्श का मौका मिला। इस यात्रा के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एक प्रोटोकोल पर भी हस्ताक्षर हुए। हमने एक संयुक्त आयोग की स्थापना की सम्भावना पर विचार करना भी स्वीकार किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले वर्षों में हम

थाईलैण्ड के साथ अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों को विकसित करने की दिशा में अब तक के अछूते क्षेत्रों को सक्रिय कर सकेंगे।

दक्षिण–पूर्व एशिया एवं प्रशान्त के इन चार देशों की मेरी यात्राओं से हमें उस सद्भाव को मूर्त रूप देने का अवसर मिला जो इन क्षेत्रों में भारत के प्रति विद्यमान है तथा राजनैतिक सम्बन्धों को अधिक ठोस आधार प्रदान करने और भविष्य में व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ाने का सुअवसर भी। यद्यपि मेरी ये यात्राएं अनिवार्यतः बहुत लघु अवधि की थी लेकिन इनके निष्कर्ष पर हमारा प्रसन्न होना अकारण नहीं।

पश्च टिप्पण

XIII. हरारे, इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और थाइलैण्ड की यात्राओं पर वक्तव्य, 13 नवम्बर, 1986

कोई टिप्पण नहीं।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव महामहिम श्री मिखाइल गोर्बाचोव की भारत यात्रा पर वक्तव्य

2 दिसम्बर, 1986

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के केन्द्रीय समिति के महासचिव श्री मिखाइल गोर्बाचोव मेरे निमंत्रण पर 25 से 28 नवम्बर तक भारत की यात्रा पर आए। उनकी यह यात्रा भारत और सोवियत संघ के बीच उच्चतम स्तर पर आदान–प्रदान को सुस्थापित परम्परा के अनुरूप थी। यह यात्रा हमारे द्विपक्षीय सम्बन्धों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी। इससे क्षेत्रीय स्थायित्व और विश्व शांति की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिला।

मैंने महासचिव गोर्बाचोव से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विविध विषयों पर व्यापक और गहन चर्चा की। वरिष्ठ मंत्री स्तर पर भी साथ ही साथ बातचीत चली। हमारी यह बातचीत अत्यन्त हार्दिक और मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुई तथा पारस्परिक विश्वास और भरोसा इसकी विशेषता थी।

हमने दीर्घकालिक आधार पर अपने भावी सहयोग की रूप–रेखा पर बातचीत की। अतीत के अपने सहयोग के समृद्ध अनुभव की वजह से हम अपने द्विपक्षीय सहयोग को एक गुणात्मक उच्चतर स्तर पर उठाने के लिये नये अवसरों का पता लगाने में समर्थ हो सके। कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गये। विवरण सदन की मेज पर रख दिये गये हैं। टिहरी–पन–बिजली परियोजना, बोकारों इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण, नई कोकिंग कोयला खानों की स्थापना तथा पश्चिम बंगाल में तेल निकालने से सम्बद्ध परियोजनाएं, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग से सम्बन्ध समझौते की परिधि में आती हैं। इस समझौते की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सोवियत संघ ने इसके लिए स्थानीय लागत वित्त–विनियोजन की व्यवस्था की है। ये समझौते आर्थिक, वाणिज्यक, कोंसली और सांस्कृतिक क्षेत्रों में हमारे सम्बन्धों की बढ़ती हुई शक्ति तथा सक्रियता को प्रतिबिंबित करते हैं।

महासचिव गोर्बाचोव और मैं इस बात पर सहमत हुए कि आर्थिक सहयोग की विशाल अछूती क्षमता से काम लेने के लिए हमारे वाणिज्यक और आर्थिक आदान–प्रदानों की प्रक्रिया के ढांचे को नया रूप देने की जरूरत है। हमारे वित्त–मंत्री और उप–प्रधानमंत्री कोमेन्तसेव इनके ब्यौरों पर काम कर रहे हैं। हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने सहयोग को भी बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। विकसित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनुसंधान और विकास की परियोजनाएं तय की जा रही हैं। सोवियत

समाजवादी गणतन्त्र संघ की विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष शिक्षाशास्त्री माचुंक के नेतृत्व में एक सोवियत दल शीघ्र ही भारत की यात्रा पर आएगा और उस समय उन विशिष्ट परियोजनाओं के बारे में हमारे वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करेगा जिन पर काम किया जाएगा।

अपने क्षेत्र के सुरक्षा पर्यावरण के सम्बन्ध में मैंने श्री गोर्बाचोव से बहुत लाभदायक विचार–विमर्श किया। हमने शान्ति, मैत्री और सहयोग की अपनी संधि की सतत वैधता की पुनः पुष्टि की। इस यात्रा की समाप्ति पर जारी संयुक्ति विज्ञप्ति से अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर दोनों देशों के दृष्टिकोण की निकट समानता का पता चलता है। सबसे बढ़कर तो इस यात्रा से हमारे दोनों देशों के लोगों की विश्व शान्ति के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता परिलक्षित हुई है।

भारत हमेशा अहिंसा का पक्षधर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में गुट–निरपेक्ष आन्दोलन में तथा 5 महाद्वीपों के 6 राष्ट्रों की पहल के माध्यम से भी निरस्त्रीकरण और शान्ति के लिए निरन्तर काम किया है। श्री गोर्बाचोव की यात्रा के दौरान सोवियत संघ ने नाभिकीय शस्त्रों से मुक्त और एक अहिंसक संसार के समान दृष्टिकोण में भारत का साथ दिया। दिल्ली घोषणा में गांधी जी और लेनिन के आदर्शों को अभिव्यक्ति मिली है। दिल्ली घोषणा पर एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहल है। इसमें ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं कि अगर एक शान्तिपूर्ण भविष्य हमें चाहिए तो इन सिद्धांतों को विश्वव्यापी स्वीकृति मिलनी ही चाहिए। दिल्ली घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक दस्तावेज के रूप में की जा रही है। हम विश्व समुदाय से आग्रह करते हैं कि वह इस घोषणा को स्वीकार करें।

महासचिव गोर्बाचोव की भारत यात्रा एक अविस्मरणीय यात्रा थी। भारत सोवियत संबंधों के भावी विकास और एशिया तथा विश्व की शान्ति और स्थायित्व की दिशा में दोनों देशों के योगदान में यह एक स्थायी महत्व की चीज होगी।

पश्च टिप्पण

XIV. सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव महामहिम श्री मिखाइल गोर्बाचोव की भारत यात्रा पर वक्तव्य, 2 दिसम्बर, 1986

कोई टिप्पण नहीं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर

3 मार्च, 1987

उपाध्यक्ष महोदय, संसद के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद-विवाद कुल मिलाकर बहुत रचनात्मक तथा दिलचस्प रहा है तथा इसे इतना अधिक रचनात्मक बनाने के लिए इसमें भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं विशेष तौर पर विपक्ष के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कुछ न कह कर इस वाद-विवाद को रचनात्मक बना दिया है।

महोदय, एक प्रश्न समझौते करने तथा आमने-सामने बैठकर मतभेदों को दूरे करने के बारे में उठाया गया था। यद्यपि सभा के बाहर मैं विस्तार से स्पष्टीकरण कर चुका हूं लेकिन चूंकि यह बात सभा में उठाई गई है, इसलिए मैं यह आवश्यक समझता हूं कि हम कुछ बातें सभा में ही स्पष्ट कर दें।

हमने पंजाब समझौते, असम समझौते तथा मिजोरम समझौते की आलोचनाएं सुनी हैं और इसी परंपरा में इंदिरा जी द्वारा 1975 में शेख साहब के साथ किए गए समझौते की याद दिलाना प्रासंगिक है। मैं पंजाब समझौते में से एक वाक्य उद्धृत करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है:-

"इस समझौते से विवाद के युग का अंत होगा और सौहार्द, सद्भाव एवं सहयोग के एक नये युग का प्रारंभ होगा जिससे भारत की एकता और अखडंता मजबूत होगी।"

मैं विशेष तौर पर इसे उद्धृत कर रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने सभी विपक्षी दलों, पंजाब के सभी राजनैतिक दलों तथा हमारे अपने दल ने मिलकर इकट्ठा प्रयास किया है। किस बात के लिए? इससे पहले कि मैं 'किस बात के लिए' पर आऊं शायद इस बात का अध्ययन करना आवश्यक है कि हम इकट्ठे मिलकर कैसे कार्य कर रहे हैं तथा हम इकट्ठे मिलकर कार्य कैसे कर पाए हैं। यदि कोई समझौता नहीं किया गया होता, तो यह संभव नहीं हुआ होता। यह केवल तभी संभव हुआ है क्योंकि पंजाब में प्रजातांत्रिक सरकार है। यही कारण है कि यह संभव हुआ है। समझौते के प्रत्येक पहलू को पूरा करना कठिन हो सकता है। हां, हमारे सामने कठिनाइयां हैं, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूं। हमारी ओर से मैं कह चुका हूं कि हम समझौते को लागू करने के लिए तैयार हैं। परंतु कुछ कठिनाइयां हैं, चाहे ये राज्यों में हों या अन्य कहीं हों। एक समझौते के संबंध में मुख्य बात यह नहीं है कि क्या यह बारीकी पूरी की गई है या वह बारीकी पूरी की गई। मुख्य बात यह है कि कई सदस्य जो आज इस सभा में बैठे हैं, विशेष तौर पर विपक्षी सदस्य, इस सभा में नहीं बैठे होते यदि यह समझौता नहीं किया गया होता। ये समझौते हमारी समस्याओं को हल करने में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को आगे लाने में मुख्य रूप से अग्रणी रहे हैं। इसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए।

माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि यह नहीं किया गया या वह नहीं किया गया। यदि समझौता नहीं किया गया होता तो यह प्रश्न उठाने के लिए हम यहां नहीं होते। इसलिए, हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए। दत्त जी, मैं पश्चिम बंगाल पर बाद में आऊंगा। चिंता मत कीजिए, मैं पश्चिम बंगाल पर आऊंगा।

महोदय, जबकि हम समझौतों में विश्वास करते हैं, मेरे बहुत से विपक्षी, सहयोगी केवल कलह में विश्वास करते हैं।

और हम इस बात में पक्का विश्वास करते हैं कि भारत जैसे एक बड़े देश पर, भारत जैसी विरासत वाले देश तथा हमारे मूल्यों, जिनको हम पुन: प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, हमारी संस्कृति हमारे जैसी विविधता वाले देश में शासन लोगों की सम्मति के द्वारा ही चलाया जा सकता है और विशेषतौर पर प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनैतिक सम्मति लेकर इस देश का शासन चलाने की हम कोशिश करेंगे; तथा मैं उन विपक्ष के सदस्यों का शुक्रिया करता हूं जो पंजाब पर ऐसी सम्मति प्राप्त करने में हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं।

पिछले वर्ष के दौरान पंजाब के बारे में पंजाब की सामाजिक समस्याओं के बारे में इस सभा में काफी कुछ कहा जा चुका है। मैं इस वाद-विवाद, जो पहले ही हो चुका है, के बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता तथा उसके पक्ष विपक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता। परंतु आज जब हम मिलकर पंजाब में काम कर रहे हैं, भारत सरकार का दृष्टिकोण उचित ठहरता है। यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। हमने जितना समर्थन किया था, पंजाब सरकार को जो समर्थन हमने दिया है, आज, काफी समय के बाद, लाभकारी सिद्ध हो रहा है जब हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता की ताकतें, धर्म तथा राजनीति को अलग रखने वाली ताकतें एकजुट होकर फूट डालने वाली प्रवृत्तियों, आतंकवाद, रूढ़िवाद तथा उन ताकतों के विरुद्ध खड़ी हैं जो देश को तबाह करने में लगी हुई है और मैं इस सभा के सभी दलों का पंजाब में इस संघर्ष में सहयोग देने के लिए पुन: शुक्रिया करता हूं।

पंजाब, असम, मिजोरम समझौतों को हमने लागू कर दिया है। हां, समझौतों में कुछ बातें हैं जो पूरी नहीं की गई हैं। परंतु मेरा दृष्टिकोण है कि हमारे पास लंबित कुछ भी नहीं हैं, हम किसी भी चीज को नहीं रोक रहे हैं, हम केन्द्र सरकार की ओर से किसी भी चीज में बाधा नहीं डाल रहे हैं, अब भी बरकरार है। मैं जानता हूं कि असम से आने वाले माननीय सदस्य उत्तेजित हो गये हैं और आज दोपहर बाद मैं मुख्यमंत्री महोदय से मिलने वाला हूं। इसमें संदेह नहीं है कि उनके साथ बैठक के बाद मैं उन्हें आश्वास्त कर सकूंगा कि हमारी ओर से कुछ भी विचाराधीन नहीं है। अगर कुछ शंकाएं हैं तो उन्हें हम आज दोपहर को दूर कर देंगे।

*** *** ***[1]

कुछ मामलों में, उदाहरण के लिए, हमें जो करना था, उससे भी अधिक किया गया है... शेष पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी तरफ से कुछ भी विचाराधीन नहीं है।

इसे मैं आज बहुत स्पष्ट ढंग से साफ कर दूंगा। अगर मुख्य मंत्री चाहते हैं तो हम सार्वजनिक वक्तव्य देंगे और सभा पटल पर रख देंगे... मुख्य मंत्री और हमारे बीच वार्ता होने दीजिए फिर हम निर्णय ले लेंगे कि इस पर किस प्रकार कार्यवाही करनी है। और अगर हम महसूस करते हैं कि इसे सार्वजनिक बनाया जाना चाहिए क्योंकि अंतत: हम चाहते क्या है... अंतत: इसे वाद-विवाद का मुद्दा बनाने का सवाल नहीं है।

सवाल असम में स्थिति को सामान्य करने का है। मैं बताता हूं कि क्या स्थिति है। मैं बताऊंगा किस किस्म की समस्या है। कुछ समस्याएं उस समय उत्पन्न होती हैं जब उग्र राष्ट्रवाद पनपना शुरू हो जाता है। हम ऐसा नहीं कर सकते। बहरहाल, समस्याएं होंगीं। लेकिन समझौते में यह नहीं कहा गया है कि इसे उस तरह से लागू किया जाएगा। जिस तरह असम सरकार चाहती है। समझौते में कहा गया है कि किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा होगी। तो एकदम से इस निष्कर्ष पर मत पहुंचिए कि जो आप कहेंगे वही हम करेंगे क्योंकि हम अपने हित के लिए या आपके हित के खिलाफ करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम इस तरह से करने का प्रयास कर रहे हैं जो देश के हित में हो, असम के हित में हो।

महोदय, हम उससे नहीं हटेंगे जो समझौते में लिखा हुआ है। मुझे उसे दोहराने दीजिए। लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे जिससे इस देश की एकता को खतरा हो या एकता कमजोर पड़े। इस बारे में मुझे स्पष्ट कर लेने दीजिए। मैं, एक वक्तव्य दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, साम्प्रदायिकतावाद एक ऐसा पहलू है जो इस सदन में हर वर्ग की चिंता का विषय है, जो हमारे देश के हर वर्ग की चिंता का विषय है। इससे सारे देश को खतरा है तथा साम्प्रदायिकता के खतरे का सामना करते समय पक्षपातपूर्ण ढंग से विचार नहीं किया जा सकता। हमें धर्म या साम्प्रदायिकता के अन्य रूपों के बलबूते पर अपनी ताकत बनाए रखने का प्रयास करने वाले कुछ थोड़े से धर्मान्धों, कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को हराने के लिए साम्प्रदायिकतावाद का मुकाबला करने के लिए एकजुट होकर लड़ना है। हमें बहुत सतर्क रहना है और एकजुट होकर काम करना है जैसा कि हम पंजाब में इस बुराई का सामना करने के लिए कर रहे हैं। पंजाब में हमने दिखा दिया है कि हम महत्वपूर्ण मसलों पर दलगत मतभेदों से ऊपर उठ सकते हैं और हमें उठना भी चाहिए। हमें एकजुट होकर पूरी तरह से इस खतरे का सामना करना है। मेरे विचार से राष्ट्र आज धर्म को राजनीति से अलग करने के लिए एक पूरी चर्चा करने और उससे निकले निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए तैयार है। मैं विपक्ष के साथ, किसी के साथ ऐसी चर्चा को शुरू करने, उसमें भाग लेने के लिए तैयार हूं क्योंकि इस पिशाच का सामना हम सबको मिलकर करना है। आशा है इन मामलों को प्रकाश में लाने और संभवत: इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इनको ठोस रूप में प्रकाश में लाने में सदन के सभी वर्गों का सहयोग मिलेगा। ऐसा न हो कि लंबी चौड़ी चर्चा करके इस विषय को आकर्षक बना दिया जाए, परन्तु परिणाम कुछ न निकले। यही अवसर है जब इन मामलों को ठोस रूप दिया जाए और धर्म और राजनीति को अलग

करने और राजनीति प्रणाली में धार्मिक निकायों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए कुछ उपाय किए जाएं। कोई परिभाषा बनाना और अपेक्षित उत्कृष्टता लाना मुश्किल है लेकिन अगर ऐसा करना मुश्किल भी है तो भी मेरे विचार से एकजुट होकर लिखित में कुछ करने और समाप्त करने का यही समय है हम आपके किसी भी सुझाव का स्वागत करते हैं बशर्ते कि रचनात्मक हो।

हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ है और कुछ दिन पहले ही बजट प्रस्तुत करते समय मैंने अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख किया था लेकिन शायद अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता का सबसे बड़ा प्रतीक विरोधी पक्ष की हताशा है।

अर्थव्यवस्था के परिणामों से हमारी नीतियों का तथा इस बात का पता चलता है कि जो परिवर्तन हम लाए हैं वे सही हैं।

एक महत्वपूर्ण बात, जिसे मैं पिछले दो सालों से दोहरा रहा हूं लेकिन जिसे फिर से कहना जरूरी है वह है समाजवाद का सवाल। जैसा कि पंडित जी ने कहा था समाजवाद का अर्थ गरीबी का प्रसार नहीं है। समाजवाद का अर्थ है और अधिक बराबर वितरण और लोगों का उत्थान और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम समाजवाद की ओर तभी बढ़ सकते हैं जब उत्पादन अधिक हो, बांटने के लिए अधिक संपत्ति हो। तभी हम अधिक संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। हमें उस संपत्ति का निर्माण करना है। इन पिछले दो सालों में हमने दिखा दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लचीलापन है और वह इस तरह का विकास करने में समर्थ है। हमें पंडित जी द्वारा जारी कार्यनीति को जारी रखना है। इंदिरा गांधी जी हमें जिस रास्ते पर लाई हैं हमें उसी राह पर चलना है। पंडित जी ने अपने प्रधान मंत्री काल के 15-16 वर्षों में, और इंदिरा जी ने प्रधान मंत्री पद पर अपने 16-17 साल के दौरान कुछ कार्यक्रमों में, उनके निहित आधारभूत विचाराधारा को दिलो-दिमाग में रखते हुए सुधार किया था वैसा ही आज करने की जरूरत है। आज यह कहने से कोई फायदा नहीं है कि छठे दशक में पंडित जी ने कहा था कि इस्पात संयंत्र सबसे महत्वपूर्ण हैं। जी हां, इस्पात संयंत्र सबसे महत्वपूर्ण हैं पर पंडित जी ने इस्पात संयंत्रों की शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि वे वक्त की मांग थे। उसके पीछे यह विचारधारा थी कि प्रौद्योगिकी की जरूरत है। इस्पात संयंत्र, जिसे उन्होंने भारत के नए मंदिर कहा था, उस विचारधारा की अभिव्यक्ति मात्र थे। आज विचारधारा वही है पर प्रौद्योगिकी के बदलने, भारत के प्रगति करने तथा हमारी जरूरतों में परिवर्तन आने से अभिव्यक्ति में परिवर्तन आ गया है। हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि **राष्ट्र की शक्ति, भारत की एकता और अखंडता, हमारी आत्मनिर्भरता उन आदर्शों में से है जो हमारे विकास का आधार है।** हम उन आदर्शों से हटना नहीं चाहते परंतु समय के साथ-साथ हम उन आदर्शों को स्पष्ट कर लेंगे। हमने दिखा दिया है कि हम उन आदर्शों, उन विचारधाराओं से जुड़े रहने के कारण हम तीन सालों में विकास की दर 8 प्रतिशत से अधिक कर सके हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है।

एक दिन मैं सदन में बैठा हुआ था और एक माननीय सदस्य बोल रहे थे। और वे संख्याओं के बारे में बहुत भ्रम में थे। मैं उनके दिमाग पर बोझ डालना नहीं चाहता। लगता है उन पर पहले से ही काफी बोझ है।

*** *** ***2

हमने दिखा दिया है कि हम सरकारी क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार लाकर, इसके कार्यकरण, कार्य निष्पादन में सुधार लाकर अपनी अर्थव्यवस्था में एक परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन अभी आगे बहुत भारी चुनौतियां हैं। यह कोई आसान कार्य नहीं है तथा इस समय देश में सबसे बड़ी चुनौती एक नया दृष्टिकोण लाने के बारे में है और यह न केवल उद्योग में जरूरी है जो कि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है बल्कि सरकारी क्षेत्र में भी आवश्यक है जोकि अर्थव्यवस्था का और अधिक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सरकार की कार्यकरण की शैली में नया दृष्टिकोण लाने के बारे में है। मैंने यह बात अपने बजट भाषण में उठाई थी और हम इसमें बहुत गहराई में जाना चाहते हैं। मैं जल्दबाजी में दिए उत्तरों तथा तैयार उपायों में विश्वास नहीं रखता हूं। यह एक काफी लंबा कार्यक्रम है। इसके लिए सरकार को तथा सरकारी संगठनों को, केन्द्र में ही नहीं अपितु राज्य और जिला स्तर पर भी अपने कार्य का ढंग पूरी तरह बदलना होगा, जहां कि अधिक कठिनाइयां हैं, इसलिए जितने निचले स्तर पर आप जायेंगे उतना ही स्वयं को समस्या के निकट पायेंगे। और यदि हमें इस कार्य में सफल होना है तो हमें सदन के प्रत्येक वर्ग से पुन: सहयोग की आवश्यकता होगी। यह कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे केवल सरकार पर ही छोड़ा जा सके। इसमें हमारे सभी लोगों का सम्मिलित होना आवश्यक है। और हम इस विषय पर सदन में, सदन से बाहर कहीं भी किसी भी स्तर पर एक वाद-विवाद करना चाहेंगे तथा एक परिणाम पर पहुंचना चाहेंगे जिससे हमें आशा है कि इस प्रक्रिया में सहायता मिलेगी। पुन: मैं नहीं चाहता कि यह कार्य तेजी से करने की कोशिश की जाए परंतु हमें देखना चाहिए कि प्रत्येक कदम उचित दिशा में हो, हमारे कार्यक्रमों की लागत को कम करने की दिशा में हो। जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं, जब मैं दूर-दराज के गांवों का दौरा करता हूं तो मुझे शिकायतें सुनने को मिलती हैं कि हमारे केन्द्रीय कार्यक्रमों में किस तरह फेर-बदल की जाती है और किस शक्ल में वे निचले स्तर पर पहुंचते हैं। निस्संदेह ऐसा होता है तथा इससे हम इंकार नहीं करते हैं परंतु इसे ठीक करने के लिए इस पर यहां हो-हल्ला करना, उपयुक्त नहीं है। वही आरंभिक बिंदु है। हमें इसकी गहराई में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, रुकावटें क्या हैं, समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं को समझने तथा हटाने की कोशिश करनी चाहिए। लागतें बहुत ऊंची हैं। यह केवल लक्ष्यों से ही हटाने का प्रश्न नहीं है। कार्यक्रमों की लागत या इसका क्रियान्वयन बहुत खर्चीला है, इस कार्यक्रम को लागू करने पर ही इतना खर्च है कि जब तक यह कमजोर वर्गों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को या अन्य कम सुविधा वाले वर्गों को दिए जाने के लिए तैयार होता है तब तक उस कार्यक्रम में प्रशासनिक खर्च को काट कर क्या रह जाता है केवल उसका एक बहुत थोड़ा हिस्सा, जिससे हमने इस कार्यक्रम को आरंभ किया था। इसलिए अपने कार्य करने के ढंग में सुधार का, यही अगला कदम हमें लेना है। सरकार ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि वह इसे हल करने में लगी है और इस कार्य को हल करने के लिए हम सारे राष्ट्र का पूर्ण सहयोग चाहते हैं।

कृषि के क्षेत्र में जितना हम चाहते थे उतना विकास नहीं हुआ है। हमने सिंचाई, बिजली, उर्वरकों तथा कृषि में इस्तेमाल होने वाली अन्य चीजों पर काफी धन लगाया है, किसानों को

पहले से कहीं अधिक उनकी उपज का मूल्य दिया है, किंतु फिर भी उतना उत्पादन नहीं बढ़ रहा है जितना कि बढ़ना चाहिए था। इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। हम इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।

हमारे यहां कई वर्षों तक सूखा पड़ता रहा है। विभिन्न राज्यों के अनेक सदस्य इस प्रश्न को उठाते रहे हैं और इसने हमारे कृषि विकास में भी रुकावट डाली है। लेकिन इन अनेक सूखों तथा बाढ़ों के कारण हुई क्षति के बावजूद हमारा कृषि उत्पादन बढ़ा है ये ठीक है कि उतना नहीं बढ़ा है जितना हम बढ़ाना चाहते थे लेकिन फिर भी यह इन कठिनाइयों तथा प्रकृति के हमारे अनुकूल न होने के बावजूद बढ़ा है। खाद्य स्थिति बहुत अच्छी है। हमने कठिनाई में पड़े उन वर्गों के लिए कार्य देने के लिए काफी मात्रा में खाद्यान्न का इस्तेमाल किया है। मैं अपने किसान भाइयों का, अपने कृषि प्रौद्योगिकीविदों तथा जो लोग कृषि से जुड़े हैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि खराब वर्षा के कारण उत्पन्न इन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने इतना उत्पादन करके दिखाया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में किसी भी अन्य योजना से अधिक धन का नियतन किया गया है। हम पहली बार पहले तीन वर्षों में योजना का 63 प्रतिशत भाग पूरा कर रहे हैं। यह सरकार की एक अन्य बड़ी उपलब्धि है।

सार्वजनिक क्षेत्र में हमारा निवेश पहले किन्हीं दो वर्षों से ज्यादा है। इससे यह भी पता चलता है कि हम सार्वजनिक क्षेत्र को कितना महत्व देते हैं। यह हमारी योजना का हिस्सा है, यह हमारी विकास प्रक्रिया का भाग है और इसके महत्व को कम करने की हमारी कोई मंशा नहीं है। सातवीं योजना में हमने गरीबी निवारण कार्यक्रमों को बड़ा महत्व दिया है। जो राशि हमने गरीबी निवारण कार्यक्रमों के लिए नियत की है वह पहले से कहीं अधिक है। जैसे कि मैंने बजट भाषण में कहा था, इस वर्ष हमने ग्रामीण विकास के लिए दो हजार करोड़ रुपए नियत किए हैं। इसकी तुलना छठी योजना की 3600 करोड़ रुपए की कुल नियत धनराशि से की जा सकती है। और इन दो वर्षों में अर्थात् 1986-87 और 1987-88 में हमने विकास के लिए छठी योजना की कुल राशि से अधिक धन नियत किया है। इससे इस बात का पता चलता है कि हम ग्रामीण विकास तथा गरीबी मिटाने को कितना महत्व देते हैं।

हम गरीबी निवारण कार्यक्रम को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी लेते हैं। गरीबी निवारण कार्यक्रमों को केवल वर्तमान कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है और न ही उन्हें सीधे सहायता दी जा सकती है क्योंकि एक सीमित क्षेत्र के अंदर इतना ही संभव है, चाहे हम इसके लिए कितनी भी धनराशि नियत करें। हमने इस वर्ष 2000 करोड़ रुपये नियत किये हैं जोकि एक बहुत बड़ी राशि है। लेकिन चाहे हम कितना भी धन नियत करें, आंकड़े हमेशा ऐसे होने चाहिए कि हम वास्तव में उन लोगों तक पहुंच सकें जोकि निचले स्तर पर हैं और वे जोकि बहुत निर्धन हैं। शेष अन्य लोगों तक पहुंचने के लिए हमें गरीबी निवारण कार्यक्रम को व्यापक परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए तथा वह व्यापक परिप्रेक्ष्य औद्योगिक विकास है, कृषि विकास है। क्योंकि वहीं वास्तविक गरीबी निवारण कार्यवाही चल रही है। हम केवल उन्हें सहायता देते हैं जो बहुत गरीब हैं तथा गरीबी निवारण के हमारे कार्यक्रमों के द्वारा दी जा रही हैं हमारी सीधी सहायता का फायदा उठाने में समर्थ नहीं हैं।

शायद गरीबी निवारण कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात हमारा शिक्षा कार्यक्रम है। बिना शिक्षा के गरीबी दूर नहीं की जा सकती है। हम सहायता दे सकते हैं, और सब कुछ कर रहे हैं लेकिन यदि हम अपनी इस पीढ़ी के साथ इन कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू नहीं कर सकते हैं, तो अगली पीढ़ी को भी ऊपर नहीं उठा सकते हैं। हमारा प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक मुख्य कार्यक्रम है परंतु हम इस कार्यक्रम की सीमाओं से अवगत हैं। लेकिन हमें कम से कम दुर्भाग्य से कुछ सदस्यों को इनके बारे में कतई जानकारी नहीं है और मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूं।

*** *** ***3

शिक्षा हमारे विकास की धुरी है। विश्व में जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है इसका महत्व बढ़ता ही जाता है। मैं इसके बारे में अन्य राज्याध्यक्षों से बात करता रहा हूं। यह ऐसी समस्या नहीं है जोकि भारत तक ही सीमित हो। सब जगह यह समस्या विद्यमान है, इसके आयाम अलग हो सकते हैं, प्रकार भिन्न हो सकते हैं लेकिन समस्या का आधार एक ही है। प्रौद्योगिकी, उद्योग तेजी से विकास करते हैं। यदि हमारे श्रमिक, हमारी युवा पीढ़ी समान रूप से शिक्षित नहीं हो पाती हैं या समान दर से शिक्षित नहीं हो पाती है तब वे पीछे रह जायेंगे। हमारा अधिक आत्मविश्वास इस पर निर्भर करता है कि हमारी जनता के मन में आज की समस्याओं का सामना करने के लिए कितना विश्वास है। हमें यह फैसला करना होगा कि क्या हम अपने उन्हीं उद्योगों को चलाते रहें जो आज से 50-60 वर्ष पहले चल रहे थे। क्या यह वास्तव में हमारे श्रमिकों के हित में है कि जो कार्य हमारा श्रमिक 50 वर्ष पहले करता था आज भी करता रहे या उसके हित में यह है कि काम करने के वातावरण में परिवर्तन हो, उसकी दक्षता में सुधार हो, उसकी प्रौद्योगिकी विकसित हो, उसकी जानकारी बढ़े, आधुनिकतम मशीनों पर कार्य करे आदि और पुरानी मशीनों की बजाय अधिक आधुनिक मशीन पर कार्य करे? हमें अपने दृष्टिकोण को केवल इस तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए कि श्रमिकों का हित केवल उन्हें कुछ अच्छे कपड़े देने से, अच्छा वेतन देने से और शायद एक टेलीविज़न सेट और थोड़ा अच्छा भोजन उपलब्ध कराने से ही है। ये बहुत ही सीमित परिप्रेक्ष्य वाली बातें हैं। हमें अपनी जीवन-शैली में सुधार करना चाहिए। हमें श्रमिक के काम करने के वातावरण में सुधार करना चाहिए और इसके लिए पूरे उद्योग की गहराई में जाना आवश्यक है और हमारे श्रम संगठनों की विचारधारा में भी एक बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है।

*** *** ***4

लाभ श्रमिकों को जाना चाहिए। परंतु हम किन लाभों की बात कर रहे हैं? यह महत्वपूर्ण है। मैं समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। क्या लाभ केवल संशोधित वेतन हैं, या कि हम श्रमिकों के लिए एक अच्छे काम करने के वातावरण की तलाश कर रहे हैं? क्या हम चाहते हैं कि वह उसी माहौल में काम करे? मैंने देखा है कि कुछ कपड़ा मिलें कैसे कार्य करती हैं। मैंने देखा है कि काम करने का माहौल कितना भयंकर है। क्या हम उसमें

सुधार लाने के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं। हम केवल उसकी मजदूरी के लिए लड़ रहे हैं जो आवश्यक है। मजदूरी आवश्यक है परंतु मजदूरी ही लक्ष्य नहीं हो सकती। मजदूरी पैकेज का केवल एक हिस्सा है जो मजदूर को अवश्य मिलना चाहिए।

शिक्षा ऐसी चीज नहीं है जिसे शैक्षणिक संस्थानों तक ही सीमित रखा जा सके। आप अपने को दोषी महसूस क्यों कर रहे हैं ? मैं एक बहुत गंभीर मामले पर बोल रहा हूं। दुर्भाग्यवश आप यह बात नहीं समझते हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। शिक्षा ऐसी चीज नहीं है जो आपके स्कूल छोड़ते ही या महाविद्यालय को छोड़ते ही समाप्त हो जाती है। शिक्षा आपके जीवन-पर्यन्त जारी रहनी चाहिए क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो समाज में गतिहीनता आनी शुरू हो जाएगी। एक औद्योगिक श्रमिक के जीवनपर्यन्त यह जारी रहनी चाहिए। उसके कौशल में निरंतर वृद्धि होती रहनी चाहिए। हमें अपने लोगों में यह निवेश करना चाहिए और यही चीज है जो हमने एक नया विभाग, मानव संसाधन विकास विभाग, बना कर शुरू करने की कोशिश की है। इसके पीछे यह व्यापक सिद्धांत है। दुर्भाग्य की बात है कि संसाधन का विकास नहीं हुआ है। मैं क्या कर सकता हूं?

हमने शुरुआत कई परियोजनाओं के साथ की थी। मैं सभी योजनाओं की गहराई में नहीं जाना चाहता। परंतु, मेरे विचार में एक योजना उल्लेखनीय है। और वह नवोदय विद्यालयों के बारे में है। हमने एक बिल्कुल ही नई प्रणाली शुरू की है। कुछ लोगों ने नवोदय विद्यालयों को अभिजात्य वर्ग के लिए बताया है, उन्होंने सभी तरह की बातें कही हैं। परंतु, मेरे विचार में मेरे लिए इस बारे में एक बार फिर से बताना आवश्यक है क्योंकि हमें वही बात सुनने को मिल रही है। अभिजात्य शिक्षा क्या है? मेरे विचार में अभिजात्यवाद को दो तरह से देखा जाना चाहिए। अभिजात्य वर्ग क्या है? क्या 'अभिजात्य वर्ग' का संबंध पैसे से है? यदि इसका संबंध पैसे और परिवार विशेष या व्यक्ति विशेष की क्षमता से है तो यह बहुत बुरी बात है और हमें शिक्षा प्रणाली में उसका हस्तक्षेप किसी भी तरह से नहीं होने देना चाहिए। परंतु यदि 'अभिजात्य वर्ग' का सम्बन्ध बुद्धि से है तो मेरे विचार में हमें अभिजात्यवाद को अपनाना चाहिए। हमें देश में बुद्धिमान लोगों को ढूंढना चाहिए। आज हमें देश में बुद्धिमान लोग नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सुलभ बुद्धि के लिए हम ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम अपने को शहरी क्षेत्र तक तथा एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित रख रहे हैं, शायद एक शहरी क्षेत्र के आसपास जिसे बेहतर शिक्षण संस्थान प्राप्त हो सकते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली स्पष्ट रूप से अभिजात्य वर्ग के लिए है। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभावान लोगों को ऊपर आने का अवसर नहीं मिलता। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि लोग धनवान हों केवल तभी प्रतिभावान लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल पाता है। यदि वे गरीब हैं तो उन्हें कोई भी अवसर नहीं मिल पाता। यदि शहरों में वे लोग गरीब हैं तो वे एन.डी.एम.सी. के विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं अथवा नगर निगम के विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं या सरकारी विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं और स्कूलों का दरजा, अध्यापकों की योग्यता ऐसी नहीं है कि वे बुद्धिमान छात्र का पता लगा सकें। ऐसा नहीं है कि वे यह पता लगा सकें और पता लगाने की कोशिश कर सकें कि कौन सा बच्चा किस विषय में अच्छा है तथा वे उनकी बुद्धि का कैसे विकास करें। आज हमारी शिक्षा प्रणाली में यह क्षमता नहीं है। आज शिक्षा प्रणाली बहुत

अभिजात्य है क्योंकि यह प्रणाली बुद्धि की बजाय पैसे तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वालों को अधिक महत्व देती है। यही बात है जिसे हम नवोदय विद्यालयों के जरिए बदलना चाहते हैं। और नवोदय विद्यालयों से हम यह परिवर्तन ला रहे हैं। शायद शिक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू—और फिर यह एक ऐसी चीज है कि हम एकजुट होकर कार्य करें—नैतिक मूल्य है जो हमारे समाज में निर्मित करती है। दुर्भाग्यवश, कारण चाहे कुछ भी हो, हमारा समाज अपने पारस्परिक नैतिक मूल्यों से हट गया है। यह भौतिकवादी मूल्यों की ओर खिसक गया है। यहां तक कि यह बात यहां सभा में भी देखने को मिलती है क्योंकि जब यहां वाद-विवाद होता है, प्रमुख वाद-विवादों में हम क्या चाहते हैं? हमारी मांगें क्या होती हैं? वे मांगें वित्तीय मांगें हैं। हमेशा वाद-विवाद वित्तीय मांगों, वित्तीय नियंत्रण के साथ समाप्त होता है। इससे हमेशा मूल्यों की भौतिकवादी व्यवस्था ही सामने आती है जिसे हम आज बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे समाज की जड़ें बहुत गहरी हैं ये अध्यात्मवाद और सौन्दर्यबोध और हमारी संस्कृति पर टिकी हुई है जिसके विकास में हजारों वर्ष लगे हैं। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति केवल एक संस्कृति ही नहीं है। यह दस विभिन्न लोगों की संस्कृति है। यह असम की संस्कृति है। यह तमिलनाडु की संस्कृति है। यह हमारी जनजातियों की संस्कृति है। यह...की संस्कृति है...

मैं बंगाल का जिक्र अंत में करने वाला था। यह बंगाल की पारंपरिक संस्कृति है, यह वह संस्कृति नहीं है जिसे बंगाल की संस्कृति के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है—और यह एक महत्वपूर्ण बात है-वह संस्कृति जिसे हम कभी-कभी प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम इसे एक राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, हम इसे एक हथियार के रूप में प्रयोग में लाने की कोशिश करते हैं, एक मंच के रूप में, इसका प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, अपने व्यक्तिगत लाभ अथवा उन्नति के लिए। जब हम मूल्यों की बात करते हैं तथा अपने नैतिक मूल्यों को वापस प्रतिष्ठित करने की बात करते हैं तो हमें इस धारणा को छोड़ देना चाहिए। और हम आशा करते हैं कि नई शिक्षा प्रणाली यह कार्य करने में सक्षम होगी। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो निर्देश हमने दिए हैं वे ठीक हैं। उनमें संशोधन करने की आवश्यकता होगी क्योंकि हम अनुभव से सीखते हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बना कर छोड़ दें। हमें इस नीति पर काम करना होगा, बहस करनी होगी, चर्चा करनी होगी, इसका विकास करना होगा तथा ज्यों-ज्यों इस नीति का विकास होगा, हमें इसे और परिष्कृत करना होगा। मुझे कोई संदेह नहीं है कि सभा के हर एक वर्ग से हमें मूल्यवान सुझाव मिलेंगे और मुझे आशा है कि ये सुझाव हमारी दलगत भावनाओं, क्षेत्रीयता अथवा तुच्छ अतिराष्ट्रीयता से प्रेरित नहीं होने चाहिए। यदि आज देश को मजबूत बनाना है तो हमें इन सब बातों से ऊपर उठना चाहिए और उन मूल्यों को आत्मसात् करना चाहिए जिन्हें, मैं जानता हूं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति, जो यहां उपस्थित है, वास्तव में हमारे समाज में पुन: लाना चाहता है।

आर्थिक विकास केवल केन्द्र सरकार का ही दायित्व नहीं है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम सब मिलकर राज्य सरकारों के साथ कार्य करते हैं। कभी-कभार मुझे बताया गया है कि समन्वय की कमी है। यदा-कदा मुख्यमंत्रियों ने मुझे बताया है कि केन्द्र सरकार प्रस्तावों

को स्वीकृति देने में काफी समय लेती है। पहले यह बात पर्यावरण संबंधी मामलों के बारे में कही गई थी परंतु हमने उन सभी परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है और अब पर्यावरण संबंधी कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं। परंतु मेरे पास शिकायतें भेजी गई हैं और जैसाकि श्री अमल दत्त ने कहा है, वे शिकायतें मेरे सामने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने रखी हैं। यह शिकायत मेरे समक्ष पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने रखी थी, मैं कलकत्ता एक कार्यक्रम के सिलसिले में गया था तथा उस बैठक में उन्होंने मुझे बताया कि पश्चिम बंगाल की ओर हमारा दृष्टिकोण सौतेली मां जैसा है, केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल की ओर ध्यान नहीं दे रही है और 'केन्द्र सरकार' पश्चिम बंगाल को वंचित रख रही है। इसलिए, मैंने कहा: "ठीक है, यदि आप ऐसा महसूस करते हैं, हमारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, हम पश्चिम बंगाल को वंचित नहीं रखना चाहते; हम पश्चिम बंगाल की सहायता करने के लिए हर चीज करेंगे जो हमारे हाथ में है।" इसके शीघ्र बाद ही या तो हमने एक दल पश्चिम बंगाल भेजा या पश्चिम बंगाल से एक दल दिल्ली आया, परंतु मेरे विचार में दोनों कार्य हुए: बंगाल से एक दल दिल्ली आया था तथा दिल्ली से एक दल बंगाल गया था। सभी समस्याओं, सभी लंबित समस्याओं, जो हमारे समक्ष उठाई गई थी; के प्रत्येक पहलू पर हमने कई सप्ताह तक गहराई से विचार किया था। इसके बाद मैं बंगाल गया ताकि बैठकर वहां उन सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सके जो अभी तक हल नहीं हो पाई थीं और जिनके बारे में कुछ इस तरह के राजनैतिक निर्णय की आवश्यकता थी कि "ठीक है, अफसरशाही ने जो लालफीताशाही की रुकावट पैदा कर रखी है उसे हम समाप्त कर देंगे और वह कार्यवाही करेंगे जो किसी न किसी कारण से रुकी पड़ी है।" और इस प्रक्रिया के अंत में हम बंगाल के लिए एक हजार करोड़ रुपए से ऊपर की एक मुश्त सहायता घोषित कर सके। इसे हम बहुत बड़ी कल्पना नहीं समझते थे। यह विचार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का ही था जिस पर हम आगे बढ़े। मुझे प्रसन्नता है कि बंगाल को इतनी बड़ी एक-मुश्त सहायता देने का निश्चित कर हम पश्चिम बंगाल की सहायता कर सके हैं।

*** *** ***5

मैं बंबई के बारे में भी बताऊंगा। राज्य में जाने तथा उसकी समस्याओं का समाधान करने के विचार की शुरुआत बंगाल के मुख्यमंत्री के सुझाव से हुई और इस सुझाव के लिए मुझे उनका शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें कई अन्य राज्यों में भी सहायता मिली है। परंतु इससे पहले भी जब मैंने एक राज्य का दौरा किया तो दौरे के बाद अंतिम दिन मैंने पांच या छह घंटे मुख्यमंत्री या उप-राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री तथा प्रशासन के साथ बिताये तथा सभी समस्याओं का समाधान किया। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो पश्चिम बंगाल से शुरू हुई है। हमने ऐसा अरुणाचल प्रदेश में किया था, हम ऐसा कई राज्यों—गुजरात, केरल तथा कई क्षेत्रों में कर चुके हैं। यहां मेरे पास उनकी सूची नहीं है। अत: मैं आंशिक सूची नहीं देना चाहता।

यह लालफीताशाही तथा रुकावटों को दूर करने की प्रक्रिया है। और फिर यह राज्य पर निर्भर करता है। क्योंकि एक बार जब हमने एकमुश्त स्वीकृति दे दी तो इस पैकेज का

लाभ उठाने का दायित्व प्राय: राज्य सरकार का है। यदि हम एक हजार करोड़ रुपये देते हैं या चार सौ करोड़ रुपये देते हैं और राज्य सरकार उसका उपयोग नहीं करना चाहती और राज्य सरकार उसका उपयोग करने की बजाय अभी भी चिल्लाती है तो कार्यान्वयन न करने के बारे में हम क्या कर सकते हैं? लगभग प्रत्येक परियोजना के क्रियान्वयन का भार राज्य सरकार के हाथ में है। यहां तक कि हमारी योजनायें तथा कार्यक्रम होते हुए भी बहुत कम परियोजनायें केन्द्र सरकार के पास हैं। केन्द्र सरकार के लगभग प्रत्येक कार्यक्रम का अंतिम रूप से निष्पादन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और उन कार्यक्रमों के निष्पादन की कार्यक्षमता ही इस बात का द्योतक है कि लाभग्राहियों को उस कार्यक्रम से कितना लाभ पहुंचता है। यदि कोई राज्य सरकार अकुशल है तो लोगों को कम लाभ मिलता है।

*** *** ***6

भारत की विदेश नीति का लक्ष्य भारत को मजबूत करना है। यदि विश्व में गुट-निरपेक्ष आंदोलन मजबूत है तो भारत भी मजबूत है। यदि गुटबंदी मजबूत होती है, यदि गुट मजबूत होते हैं तो विकासशील अपनी उस स्वतंत्रता को खो देंगे जो उन्होंने जबरदस्त संघर्ष के बाद प्राप्त की है। यहां तक कि आज भी हम देखते हैं कि, यद्यपि हमने उपनिवेशिक शासन को उखाड़ फैका है तथा हम स्वतंत्र हैं, विश्व अर्थव्यवस्था स्वतंत्र नहीं है जैसा कि हम चाहते हैं।

विश्व अर्थव्यवस्था में उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद कई तरह से विद्यमान है। यह अगली चुनौती है जो हमारे सामने है। इस चुनौती का सामना आंखें बंद करके तथा विश्व में क्या हो रहा है उसको नजरअंदाज करके नहीं किया जा सकता। यदि हम इस चुनौती को नजरअंदाज करते हैं तो भारत अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, भारत उस तरह से खड़ा नहीं रह सकता जैसे वह आज खड़ा है। भारत स्वतंत्र नहीं रहेगा यदि हम विश्व में नये स्वतंत्रता प्राप्त देशों को स्वतंत्र नहीं बनाये रख सकते।

इस काम से हम बच नहीं सकते। इसका हमें मुकाबला करना चाहिए और उससे लड़ना चाहिए। कुछ सदस्यों की इस भावना को देखकर कई बार दु:ख होता है कि संसार में जो कुछ हो रहा है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह देखकर दु:ख होता है कि इस सदन के कुछ सदस्य महसूस करते हैं कि संसार में जो कुछ हो रहा है उसकी उपेक्षा की जा सकती है; केवल अंदर झांकों और जीते रहो। इसी रवैये ने हमें गुलाम बनाया था। इसी रवैये ने भारत को महानता के उच्च शिखर से गिराकर दासता तक ला दिया था। इस दृष्टिकोण से आज हमें सतर्क रहना है। आज भारत बहुत से मामलों में विश्व में पहल कर रहा है। हमें इस पहल को बनाए रखना है। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। आज हम विश्व के आर्थिक ढ़ांचे में ही परिवर्तन करना नहीं चाहते। यह महत्वपूर्ण है। हमने संघर्ष किया है। हमने कड़ा संघर्ष किया है और हम तब भी जीते हैं जब शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ, जो मुट्ठीभर देशों के खिलाफ एकजुट हो गए थे, हमारा मुकाबला हुआ। हम जीते क्योंकि हम सही थे, क्योंकि हमारे पास इच्छाशक्ति थी, क्योंकि हमारे पास दृढ़ता थी। हम सच के लिए लड़े और जीते।

आज उससे भी काफी अधिक महत्वपूर्ण चुनौती है। चुनौती यह है कि आज विश्व हमें एक अलग प्रतिप्रेक्ष्य में देखें। हम कहते हैं कि हम एक राष्ट्र हैं, हम जाति, धर्म और भाषायी रुकावटों को समाप्त करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे देश का बंटवारा कर दिया। हमें इस विश्व की मानवता को विभाजित करने वाली अन्य रुकावटों को भी दूर करना है। जब हम विश्व को एक मानवता के रूप में देखना शुरू करेंगे तभी नृशंस ताकतों के मुकाबले आधारभूत सिद्धांतों और मूल्यों में विश्वास रखने वाले भारत जैसे देशों की ताकत का इजहार होगा। तभी विश्व वास्तव में रहने योग्य जगह बनेगा। यह दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों की सहायता करने का प्रश्न नहीं है क्योंकि वहां उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। उनको सहायता इसलिए करना जरूरी है क्योंकि वे हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम सभी इंसान हैं। इसीलिए हम उनकी सहायता कर रहे हैं। हम विश्व में कभी भी गलत रवैये के विरुद्ध इसलिए लड़ते हैं क्योंकि हम 'हमारे' और 'तुम्हारे' रवैये को मानवता के रवैये में बदलना चाहते हैं। इस काम को पंडित जी ने शुरू किया था और इसी काम को हमें आगे बढ़ाना है।

आज जब भारत बोलता है तो वह 1979 का भारत नहीं है जिसकी बात की कोई परवाह नहीं करता था। आज जब भारत बोलता है तो उसकी बात सुनी जाती है। उसे सुना जाता है। भारत महत्व रखता है। 1979 में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत कोई महत्व नहीं रखता था। हम यह अंतर ले आए हैं। अगर हम दोबारा अंतर्मुखी हो जायेंगे, बाहर गलत नीतियों का अनुपालन करने लगेंगे तो हम उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां हम थे। हम विश्व की हंसी के पात्र बन जाएंगे। क्या हम अपने देश को पुन: उस स्थिति में ले जाना चाहते हैं?

वर्तमान सरकार उसे उस स्थिति में लौटाने की अनुमति नहीं देगी। निरस्त्रीकरण पर हमने एक बड़ी पहल की है। छह राष्ट्र और पांच महाद्वीपों के शांति प्रयासों ने रेकजविक शिखर सम्मेलन के लिए वातावरण तैयार किया। हमें निराशा है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकला पर हम पूरी तरह से हताश नहीं हैं क्योंकि अभी भी प्रस्ताव है। प्रमाणित करना एक बड़ी समस्या है। हम छह देशों ने कुछ हल सुझाए हैं। हम उस पथ पर चलते रहेंगे। हम मध्यम परमाणु अस्त्रों के बारे में इस नई पहल का, सोवियत संघ द्वारा की गई नई पहल का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि यह सफल होगी।

हम पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के प्रयास कर रहे हैं परंतु कुछ गंभीर समस्याएं अभी शेष हैं। परमाणु अस्त्र कार्यक्रम के लिए चोरी छिपे प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले बहुत से सालों से यह गति पकड़ रहा है। जिन पर इस कार्यक्रम को रोकने की जिम्मेवारी थी और जो ऐसा कर सकते थे वे ऐसा करने में असमर्थ रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में पाकिस्तान की सहायता की है।

आज हालत यह है कि परमाणु हथियारों के प्रसार के खिलाफ कानूनी बचाव होने के बावजूद पाकिस्तान को लगातार सफलता मिल रही है। यह बहुत असाधारण चीज है। अपनी प्रभुसत्ता और अखंडता की रक्षा करने में भारत में जनता के दृढ़ निश्चय और क्षमता के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।

दक्षिण में, श्रीलंका ने हमसे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए कहा है और हमने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है। काफी प्रगति हुई है जिसका परिणाम, 19 दिसंबर, 1986 के अंतिम स्पष्टीकरण है। 19 दिसंबर, 1986 के स्पष्टीकरणों का संबंध बहुत महीने पुराने ठोस प्रस्तावों से है। दुर्भाग्य से श्रीलंका सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों से हमें बहुत दुःख पहुंचा है और उन्होंने इस प्रक्रिया को रोक दिया है। जब तक श्रीलंका में हिंसा की स्थिति जारी रहेगी तब तक उस प्रक्रिया को जारी रखना कठिन है। हम इस मामले को फिर से शुरू करें इससे पहले वहां हिंसा को रोका जाना चाहिए। हमने यह बात श्रीलंका सरकार को स्पष्ट कर दी है। यह स्पष्ट है कि हिंसा से कोई हल नहीं निकाला जा सकता। केवल अहिंसा और विचार-विमर्श से हल निकाला जा सकता है। हमने श्रीलंका सरकार से भी यह बात स्पष्ट कर दी है। हमें आशा है कि उन पर इसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी और वे हिंसा को कम करेंगे तथा बातचीत के लिए राजी हो जाएंगे।

*** *** ***7

हम दो प्राचीन सभ्यताएं हैं और हमें अपनी समस्याओं के हल इसी परिप्रेक्ष्य से खोजने हैं।

महोदय, राजनैतिक व्यवस्था का अस्तित्व नैतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। आजादी की हमारी लड़ाई सत्य और अहिंसा — इन दो मूल्यों पर आधारित थी। अपने देश के निर्माण की प्रेरणा हमें इन मूल्यों से मिलती है। इसका उद्‌भव धैर्य, मेल-मिलाप, सभी धर्मों का समान विचारों के परस्पर सृजन के हमारे परंपरागत मूल्यों से हुआ है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब हममें आत्मविश्वास होता है। अगर आत्मविश्वास नहीं है तो हमें हमेशा यह डर लगा रहता है कि हम अपनी संस्कृति को, धर्म को खो बैठेंगे और हम आगे देखने के बजाय आत्मचिंतन में खो जाते हैं। अपने को बचाने के लिए हम क्षेत्र, भाषा, धर्म और जाति की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। उसे तोड़ने के लिए हमें आज देश में इस आत्मविश्वास की जरूरत है। अपनी संस्कृति के अनिवार्य मूल्यों को बनाए रखने के लिए समय की मांग धर्म निरपेक्षता और प्रजातंत्र में एकता है। पंडित जी ने कहा था कि हम तुच्छ लोग महान कार्य की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। काम महान है इसलिए उसकी कुछ महानता हमारे कंधों पर आ गई है। हमें उसी भावना से डट कर, दृढ़ता तथा साहस से प्रयत्न करने चाहिए।

———

पश्च टिप्पण

XV. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर, 3 मार्च, 1987

1. **श्री दिनेश गोस्वामी** (गौहाटी): लेकिन प्रधानमंत्री जी–भाषण में मैंने आपको बताया था–दुर्भाग्य से आप उपस्थित नहीं थे– कि जो प्रश्न हमने पूछे थे जो सहायता हमने मांगी थी खंड 5(4), खंड 7 आदि के अन्तर्गत उनके उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है। आशा है आप इसका स्पष्ट उत्तर देंगे क्योंकि देश भर में आपने यह धारणा बना दी है कि केन्द्र सरकार ने सब कुछ कर लिया है। मैंने बताने की कोशिश की है।

श्री राजीव गांधी: मैं इस मामले को यहां उठाना नहीं चाहता क्योंकि इस पर हम आज दोपहर चर्चा कर रहे हैं। हमने जो किया है अगर उसके प्रति मैं कठोर रुख अपना लूं तो आज दोपहर होने वाली चर्चा बेमतलब हो जाएगी। और अभी मैं ऐसा करना नहीं चाहता।

श्री अमल दत्त: इसे निजी वार्ता क्यों माना जाए? आप सदन को विश्वास में क्यों नहीं लेते?

श्री राजीव गांधी: क्योंकि आज शाम होने वाली चर्चा के सम्बन्ध में मैं सदन को विश्वास में नहीं ले सकता। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं ऐसा कर दूंगा।

श्री दिनेश गोस्वामी: मैं नहीं चाहता कि आप सदन को विश्वास में लें। लेकिन मुझे आशा है कि आप इस बात को सुधार देंगे कि केन्द्र सरकार को जो करना था उसने कर लिया है तथा श्री चिंतामणी पाणिग्रही ने यह जो कहा है कि केन्द्र सरकार जो करना है उसका 90% कर लिया गया है, और कृपया उसे भी सुधार दीजिए।

2. **श्री अमल दत्त**: नई और पुरानी सिरीज के बीच आपने पुरानी सिरीज की 95 मदों को नई सिरीज से अलग क्यों रखा है, नई सिरीज में क्यों नहीं रखा है?

श्री राजीव गांधी: मैं देश के कुछ हिस्सों में विकास की कम दर के लिए उत्तरदायी नहीं हूं।

श्री अमल दत्त: बहुत खूब।

श्री राजीव गांधी: माननीय सदस्य उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तभी वहां पर अपनी स्थिति को ध्यान में रखकर वे ऐसा कह रहे हैं।

श्री अमल दत्त: जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किए हैं वे देश के साथ धोखा हैं।

श्री राजीव गांधी: महोदय, अगर माननीय सदस्य वास्तव में उत्तर चाहते हैं तो वे आंकड़े–वार उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर माननीय सदस्य महसूस करते हैं।

श्री अमल दत्त: पुराने उद्योगों को क्या हुआ? क्या वे खत्म हो गए? 95 उद्योगों को निकाल दिया? क्या आपको इसका पता है।

उपाध्यक्ष महोदय: अमल दत्त जी, हस्तक्षेप मत करिए।

श्री राजीव गांधी: कुछ उद्योग जैसे पेट्रोलियम, इलेक्ट्रानिकी .....

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें बोलने का हक है। जब आपको समय दिया गया था तो आप भी बोल रहे थे।

श्री अमल दत्त: मेरा नाम लिए बिना वह मेरा उल्लेख कर रहे हैं।

श्री राजीव गांधी: माफी चाहता हूं। मैंने किसी सदस्य का नाम नहीं लिया। उन लोगों का पता लगाना मेरा काम नहीं है जो संशय में होने के कारण अपराध बोध महसूस करते हैं।

श्री अमल दत्त: पता लगाना बहुत मुश्किल है।

श्री राजीव गांधी: अगर टोपी ठीक आती है तो सिर के आकार के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हो सकता।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): प्रधानमंत्री जी पं. बंगाल की चर्चा मत करिए। नहीं तो कुमारी ममता बनर्जी या वह गुस्सा हो जाएंगी।

श्री राजीव गांधी: महोदय, हमारे पश्चिम बंगाल के सभी सदस्यों की चुनाव अभियान के लिए आवश्यकता है। कुछ सदस्यों को राज्य से बाहर रखा जाना पसन्द किया गया है।

श्री अमल दत्त: यदि प्रधानमंत्री होते हुए वह ऐसा कहें तो यह संसद के लिए अपमानजनक है।

श्री राजीव गांधी: महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं।

श्री अमल दत्त: नहीं, नहीं आप मुझे ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, आप राष्ट्र को ठेस पहुंचा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दत्त, इसे सहजभाव में ले लें ।

श्री राजीव गांधी: महोदय, मेरा मतलब माननीय सदस्य को ठेस पहुंचाने से नहीं था।

श्री अमल दत्त: तब आपका ठीक–ठीक आशय क्या है? चुनाव अभियान संसद में हाजिर होने से अधिक महत्वपूर्ण है? सही मायने में यही आपका मतलब है?

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अमल दत्त, इस तरह से पेश न आएं।

श्री राजीव गांधी: महोदय, यदि मैंने माननीय सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मैं माननीय सदस्य से क्षमा मांगता हूं। लेकिन यदि वे इस बात से क्षुब्ध हैं कि उन्हें चुनाव अभियान में आमंत्रित नहीं किया गया है तो हम उन्हें चुनाव अभियान में आमंत्रित करना चाहते हैं, बशर्ते कि किसी ने भी उन्हें आमंत्रित नहीं किया है।

श्री अमल दत्त: प्रधानमंत्री होने के नाते आपका इस तरह कहना उचित नहीं है। यह संसद की गरिमा को कम करता है। कृपया संसद की गरिमा को ऊपर उठाने की कोशिश करें।

श्री राजीव गांधी: महोदय, यह एक खुला निमंत्रण है तथा माननीय सदस्य इसे स्वीकार करना चाहें तो मैं उनसे इस वाद–विवाद के बाद बात करूंगा।

3. **श्री अमल दत्त**: आपका क्या कार्यक्रम है? प्रौढ़ शिक्षा के लिए बहुत थोड़ी धनराशि नियत की गई है।

श्री राजीव गांधी: माननीय सदस्य को मालूम नहीं है, हमारा इस पर एक प्रौद्योगिकी मिशन है।

श्री अमल दत्त: इसके बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। उन बातों का राग न अलापिए जिन्हें सरकार प्राप्त नहीं कर सकती है।

श्री राजीव गांधी: हम आज इस्पात का उत्पादन केवल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि 1950 के शुरू में पंडित जी ने इसकी नींव रखी थी। आप एक कार्यक्रम शुरू करें .....

श्री अमल दत्त: आपका इस्पात का उत्पादन उतना ही है जितना 1960 के शुरू में था।

श्री राजीव गांधी: सिवाय बंगाल के जहाँ शायद इसका उत्पादन घट रहा है।

श्री दिनेश गोस्वामी: आप केवल उसी समय उपस्थित थे, जब वह अपना भाषण दे रहे थे। यह बात कठिनाई पैदा कर रही है।

श्री राजीव गांधी: नहीं, मैं वहां कुछ अन्य भाषणों के वक्त भी उपस्थित था। परन्तु सौभाग्य से अन्य अनुशासित थे और वे अपनी समय–सीमा में रहें, जबकि कुछ अन्य सदस्य केवल अपनी ही बातें कहते चले गये और उन्होंने सभा का समय बर्बाद किया ।

श्री पी. कुलनदईवेल (गोबिचेट्टिपालयम): आपका ज्यादा समय श्री अमल दत्त पर खर्च हो रहा है।

श्री राजीव गांधी: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। हम उन्हें चुनाव अभियान के लिए भेजेंगे।

शिक्षा गरीबी निवारण कार्यक्रम का आधार है।

श्री मोहम्मद महफूज अली खाँ (एटा): हम लोगों को भी क्यों शामिल कर रहे हैं, आपकी और अमल दत्त साहब की बात है?

श्री राजीव गांधी: आपको ही बता रहे हैं, एजुकेशन के बारे में। हमारी उम्मीद है कि आपको बताते–बताते दूसरे कुछ लोग भी सीख जायें।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां: यह सही है।

4. **डॉ. दत्ता सामंत** (बंबई दक्षिण मध्य): आधुनिकीकरण के लाभ मालिकों को मिल रहे हैं न कि श्रमिकों को। यही कपड़ा उद्योग में हुआ है।

डॉ. दत्ता सामंत: ये लाभ श्रमिकों को दिये जाने चाहिए।

5. **श्री अमल दत्त**: चुनाव प्रचार।

मेरी समझ में यह बात नहीं आई। अभी कुछ मिनट पहले माननीय सदस्य ने मेरे द्वारा बंगाल को एक हजार करोड़ रुपये दिए जाने पर आपत्ति की। अब वह कह रहे हैं कि बंगाल का एक हजार करोड़ रुपये देना चुनाव प्रचार है...

श्री अमल दत्त: मैं आंकड़ों पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं-तदर्थ 1007 करोड़ रुपये। इस सभा में बहस हुई थी, और जब योजना मंत्री जवाब नहीं दे सके तो सभा को स्थगित करना पड़ा। आपको ज्ञात होगा कि आपने अपने मंत्री को किस असमंजस में डाल दिया था...

कुल आंकड़े में गलती होने का प्रश्न ही नहीं है। हम पूरा ब्यौरा दे सकते हैं।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर): आपने बंगाल को एक हजार करोड़ रुपये दिए हैं। बंबई को एक सौ करोड़ रुपये क्यों नहीं दे देते जिसका आपने वायदा किया है?

6. **श्री अमल दत्त**: यह तो पूंजीपतियों को धनराशि निर्यात करना है। यदि उन्हें इसकी आवश्यकता है तो वे इसे प्राप्त कर सकते हैं।

श्री राजीव गांधी: महोदय, पूंजीपतियों को धनराशि नियत करने का कोई प्रश्न ही नहीं

है। परंतु हमने भी देखा है और एक अन्य बात भी बता देना आवश्यक है कि पिछले पांच-छह महीने से कुछ राज्य सरकारों ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा गरीबी निवारण कार्यक्रमों पर कार्य बंद कर दिया है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने इस काम को बंद क्यों कर दिया है। एक राज्य सरकार ने जिसकी मुझे जानकारी है, कोई भी कार्य नहीं किया है।

7. **श्री पी. कुलनवईवेलु**: पहले हम इस नरसंहार को क्यों नहीं रोकते? सैनिक कार्यवाही जारी है।

वह हिंसा है।

श्री पी. कुलनवईवेलु: सैंकड़ों लोग मर रहे हैं। मैंने आज के अखबार में देखा है कि भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान की श्री जयवर्धने पर प्रतिक्रिया हुई है। मेरा अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री पहले हमें स्थिति से अवगत कराएं।

श्री राजीव गांधी: हमारे द्वारा राष्ट्रपति को पत्र भेजे जाने के बाद हिंसा में कमी आई है। लेकिन जितनी कमी अभी है उससे हम संतुष्ट नहीं है। हमें आशा है कि हिंसा में और कमी आएगी और हम परस्पर विचार-विमर्श करके एक समझौता करने में समर्थ होंगे क्योंकि कोई और समझौता स्थायी समझौता नहीं होगा।

चीन के साथ सीमा पर तनाव है हम सीमा संबंधी मसलों का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं। जरूरत संयम, बुद्धिमत्ता, राजनीतिज्ञता और शायद सबसे अधिक जरूरत दूरदर्शिता की है।

प्रो. मधु दण्डवते: और दृढ़ निश्चय की।

श्री राजीव गांधी: और दृढ़ निश्चय - यह बुद्धिमत्ता में आ जाता है।

भारत-श्रीलंका समझौते पर वक्तव्य

30 जुलाई, 1987

अध्यक्ष महोदय, मैं कोलम्बो की संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण यात्रा से अभी–अभी लौटा हूं और मैं इसके निष्कर्ष के सम्बन्ध में तत्काल सदन को अवगत कराना चाहूंगा। मैं इस यात्रा को इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं कि श्रीलंका के महामान्य राष्ट्रपति ने और मैंने कल 29 जुलाई को एक करार पर हस्ताक्षर किए जिसका उद्देश्य उस कठिन संघर्ष को समाप्त करवाना है जो वर्षों से हमारे मित्र पड़ोसी श्रीलंका को दुखी करता आया है। सदन श्रीलंका के नागरिकों के बीच के जातीय संघर्ष की पृष्ठभूमि से परिचित है जिसकी जड़ें वहां के जटिल ऐतिहासिक और आर्थिक–सामाजिक कारणों में निहित हैं। इस संघर्ष ने पिछले चार वर्षों में बहुत गंभीर रूप ले लिया था जिसके कारण श्रीलंका के स्थायित्व और उसकी एकता और अखण्डता के लिए खतरा पैदा हो गया था।

1983 में तमिलों के विरुद्ध अभूतपूर्व हिंसा के साथ तो हालात बहुत ही अधिक बिगड़ गए। मैं बड़े पैमाने पर हुई हत्याओं और उन व्यापक दुख–पीड़ाओं के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता जो श्रीलंका के लोगों को सहनी पड़ीं। जुलाई, 1983 और मई, 1987 के बीच की अवधि विशेष रूप से श्रीलंका के इतिहास का दुखद अध्याय है। हजारों नागरिकों की हत्या हुई जिनमें तमिल, सिहली, औरतें और बच्चे, यहां तक कि भिक्षु और पुजारी भी शामिल हैं। हजारों लोग बेघर होकर शरणार्थी बन गए, खुद अपने ही देश श्रीलंका में। करीब 1,50,000 श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी भारत आ गए।

हमने श्रीलंका की जातीय समस्या के स्थायी समाधान की एक रूपरेखा तैयार की। इस समझौते से वे बुनियादी आकांक्षाएं पूरी होती हैं जो तमिल संघर्ष का मूल कारण है यानि उनकी यह इच्छा कि उनकी स्पष्ट जातीय अस्मिता को स्वीकार किया जाए; अपने राजनैतिक भविष्य के प्रबंध के लिए उन्हें राजनैतिक स्वायत्तता मिले; इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्हें समुचित राजकीय सत्ता प्राप्त हो; श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रान्तों को तमिलों के ऐतिहासिक निवास के क्षेत्रों के रूप में स्वीकृति मिले तथा तमिल को श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की एक राजभाषा माना जाए।

इस करार में श्रीलंका के पूर्वी और उत्तरी प्रान्तों को एक प्रशासनिक इकाई बना दिया गया है जिसकी अपनी एक निर्वाचित प्रान्तीय परिषद होगी और एक मुख्यमंत्री होगा। मई से दिसम्बर, 1986 के बीच जिन प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया था उनकी रूपरेखा के अन्तर्गत प्रान्तीय परिषद को अधिकार दिए जाएंगे ताकि श्रीलंका के प्रान्तों को पूर्ण रूप से स्वायत्तता का सुनिश्चय हो सके।

श्रीलंका में आपातकालीन स्थिति निकट भविष्य में हटा ली जाएगी। लड़ाई–बन्दी और शस्त्र समर्पण एक निश्चित समयावधि में किया जाएगा। सभी उग्रवादी वर्गों को आम माफी दी जाएगी। तीन माह के भीतर–भीतर प्रान्तीय परिषदों के चुनाव होंगे।

इस करार में उत्तरी और पूर्वी प्रान्तों के बीच सम्पर्क के बुनियादी मुद्दे पर 1988 के अन्त तक जनमत संग्रह का सुझाव है जिसे स्थगित करने का राष्ट्रपति को विवेकाधिकार होगा।

श्रीलंका के राष्ट्रपति और मैंने एक–दूसरे को पत्र भी दिए हैं जिनमें श्रीलंका ने भारत की राजनैतिक और सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं के प्रति सकारात्मक होना स्वीकार किया है। इस करार में और इन पत्रों में उन दायित्वों का विवरण दिया गया है जिन्हें वहन करना भारत ने स्वीकार किया है जिससे श्रीलंका की एकता, प्रादेशिक अखण्डता और स्थायित्व का सुनिश्चय हो सके। हम अपने इन दायित्वों को पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी तरह निभाएंगे।

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि कोलम्बो और श्रीलंका के कुछ अन्य हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में जो हिंसा भड़की है वह सिंहल आतंकवादी संगठन जे.वी.पी. का काम है। उनका सोचना था कि धार्मिक संगठनों और विरोधी दलों के कुछ सदस्यों ने अपने आपको जे.वी.पी. के हाथों का खिलौना बनने दिया है लेकिन मजदूर संघों और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी दल ने इस हिंसा का समर्थन नहीं किया है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को याद होगा इसी संगठन ने सन् 1971 में श्रीलंका में बड़े पैमाने पर विद्रोह करवाया था। इस विद्रोह को खत्म करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती भण्डारनायके ने हमसे सहायता मांगी थी और हमने तत्काल पूरी सहायता की थी।

राष्ट्रपति जयवर्धने ने बताया कि इन गड़बड़ियों के कारण बिगड़ती हुई स्थिति के परिणामस्वरूप और श्रीलंका की सुरक्षा सेनाओं पर इनकी ओर से आने वाली बढ़ती हुई मांगों की वजह से उनकी सरकार को जातीय संकट को समाप्त करने के उद्देश्य से भारत–श्रीलंका करार को क्रियान्वित करने के लिए सहायता की आवश्यकता होगी। इस उद्देश्य से श्रीलंका की सरकार ने समुचित भारतीय सैनिक सहायता के लिए औपचारिक अनुरोध किया ताकि जाफना प्रायद्वीप में लड़ाई–बंदी और शस्त्र समर्पण, और अगर जरूरत पड़े तो पूर्वी प्रान्त में भी, सुनिश्चय हो सके। उन्होंने श्रीलंका के कुछ सैनिकों को जाफना से दक्षिण में कुछ स्थानों पर ले जाने के लिए सैनिक परिवहन के लिए भी अनुरोध किया।

श्रीलंका की सरकार के इस औपचारिक अनुरोध के उत्तर में तथा हाल ही में सम्पन्न भारत–श्रीलंका करार के अन्तर्गत अपने दायित्वों के अनुरूप भारत की सशस्त्र सेना के यूनिट आज जाफना प्रायद्वीप में उतर गए हैं। मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि हमारे सैनिक श्रीलंका में श्रीलंका की सरकार के विशिष्ट और औपचारिक अनुरोध पर वहां उतरे हैं जिन्होंने भारत–श्रीलंका करार के अन्तर्गत हमारे दायित्वों और वायदों का हवाला दिया था। हमारे सैनिक श्रीलंका में जातीय संकट को समाप्त करवाने के लिए किए गए करार को कार्यान्वित कराने में मदद देने के उद्देश्य से भेजे गए हैं और उनका वहां भेजा जाना श्रीलंका की एकता और अखण्डता के प्रति हमारी वचनबद्धता का प्रतीक है। हम विभिन्न स्तरों पर श्रीलंका सरकार से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं।

यह करार करना श्रीलंका की सरकार और श्रीलंका के नेताओं के लिए आसान बात नहीं रही है। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति जयवर्धने की बुद्धिमता, उनके साहस और उनकी राजनीतिमत्ता की सराहना करना चाहूंगा।

मैं आश्वस्त हूं कि श्रीलंका के साथ हमने कल जिस करार पर हस्ताक्षर किए हैं उससे श्रीलंका के हाल के इतिहास का एक दुखद अध्याय समाप्त हो गया है और भारत श्रीलंका संबंधों का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। मैं इस ओर से भी पूरी तरह आश्वस्त हूं कि इस करार से अतीत का तनाव और अविश्वास दूर हो जाएगा तथा श्रीलंका और भारत के लोगों के बीच की मित्रता और अधिक सुदृढ़ होगी जो 2500 वर्ष से ज्यादा पुरानी है और जिनका इतिहास तथा सांस्कृतिक परम्परा एक रही है।

कल कोलम्बो में महामान्य राष्ट्रपति जयवर्धने और मैंने जिस करार पर हस्ताक्षर किए हैं, उसका पाठ और हमारे बीच जिन पत्रों का आदान–प्रदान हुआ है उनका पाठ भी यशाशीघ्र सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

———

पश्च टिप्पण

XVI. भारत–श्रीलंका समझौते पर वक्तव्य, 30 जुलाई, 1987

कोई टिप्पण नहीं ।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्र-संस्तर प्राधिकरण के लिए विरचन आयोग द्वारा भारत को मध्य हिन्द महासागर में खनन क्षेत्र आवंटित किये जाने के बारे में वक्तव्य

26 अगस्त, 1987

मैं इस सदन को हमारी आजादी के 40वीं जयन्ती समारोहों के दौरान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की सूचना देने के लिए उठा हूं। 17 अगस्त, 1987 को हमने अपने देश के लिए एक अद्वितीय प्रतिष्ठा प्राप्त की है। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था – अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र संस्तर प्राधिकरण के लिए विरचन आयोग (प्रेपकॉम) के द्वारा मध्य हिन्द महासागर में एक खान स्थल के पंजीकरण और आबंटन के लिये हमारे आवेदन–पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र के तृतीय सम्मेलन ने समुद्र तल सर्वेक्षणों, अनुसंधान और विकास में उनकी उपलब्धियों को स्वीकारते हुए गहरे समुद्र तल खोज में भारत को तीन अन्य देशों के साथ अग्रणी दर्जा प्रदान किया था। भारत ही मान्यता प्रदान किया जाने वाला एकमात्र विकासशील देश है। यह एक महत्वपूर्ण युगांतरकारी घटना है।

अन्य देशों की अपेक्षा सबसे पहले और जल्दी भारत के दावे को पंजीकृत करने तथा आगे खोज और विकास के लिये 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) वर्ग किलोमीटर के एक क्षेत्र का आवंटन करने का ''प्रेपकॉम'' का निर्णय एक ओर युगांतरकारी घटना है। यह निर्णय गहरे समुद्र तल के उन संसाधनों की खोज करने और विकसित करने का हमें हकदार बनाता है जिनमें बहुधात्विक पिंडिकाओं के प्रचुर भण्डार निहित हैं और जो तांबा, कोबाल्ट, निकेल तथा मेंगनीज जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का एक स्रोत हैं। तथापि, इन संसाधनों का वाणिज्यिक विदोहन हमारे द्वारा यथेष्ठ प्रौद्योगिकी विकसित कर लिए जाने के पश्चात् तथा समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के लागू होने के बाद ही भविष्य में होगा।

यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि विरचन आयोग ने दृढ़ निश्चय किया है कि अन्य राज्यों नामशः फांस, जापान और रूस के उसी तरह के दावों को इस वर्ष के अन्त तक पंजीकृत कर लिया जायेगा। इससे महासागर के स्थान के लिये नई कानूनी शासन प्रणाली में विकसित और विकासशील देशों की व्यापक भागीदारी के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

गहरे समुद्र तल खान स्थल के लिए हमारे दावे का पंजीकरण, वास्तव में देशी वैज्ञानिक क्षमताओं और उपलब्धियों का एक साकार लक्षण है। आत्म–निर्भरता की हमारी

तलाश में यह एक और सफलता है।

मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारे उन वैज्ञानिकों और इन्जीनियरों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य के लिए हमारी सराहना को रिकार्ड में रखने के लिये सहमति प्रदान करेगा, जिन्होंने सागर के रहस्यों को सुलझाने के लिए विज्ञान की नई सीमाओं की खोज करने के चुनौतीपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाया है।

———

पश्च टिप्पण

XVII. अंतर्राष्ट्रीय समुद्र–संस्तर प्राधिकरण के लिए विरचन आयोग द्वारा भारत को मध्य हिन्द महासागर में खनन क्षेत्र आवंटित किये जाने के बारे में वक्तव्य, 26 अगस्त, 1987

कोई टिप्पण नहीं।

भारत-श्रीलंका समझौते के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की स्थिति पर वक्तव्य

9 नवम्बर, 1987

अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं जाफना प्रायद्वीप में भारतीय शांति सेनाओं के क्रियाकलाप की पृष्ठभूमि सहित भारत–श्रीलंका समझौते के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में हुई प्रगति के बारे में संसद को बताना चाहूंगा।

इस समझौते की विश्व भर में प्रशंसा की गई है। इस बात को सभी मानते हैं कि समझौते को पूरी तरह से क्रियान्वित करना सभी के हित में होगा। तमिल आकांक्षाएं पूरी होंगी, श्रीलंका की एकता और अखण्डता बनाए रखी जाएगी तथा क्षेत्र में शान्ति और स्थिरता को बहाल किया जा सकेगा। अतः भारत सरकार इस समझौते को पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए वचनबद्ध है। हमारा विश्वास है कि श्रीलंका सरकार का भी यही मत है।

समझौते पर हस्ताक्षर होने के इन तीन महीनों में हमने कई मोर्चों पर सन्तोषजनक प्रगति की है। श्रीलंका के सुरक्षाकर्मी अपनी बैरकों में ही रहे हैं, पूर्वी प्रान्त में होम गार्डों से शस्त्र ले लिए गए हैं और स्पेशल टास्क फोर्स को अधिकांश रूप से हटा लिया गया है। सर्वक्षमा के अन्तर्गत 3300 से भी अधिक तमिल बन्दियों को रिहा किया गया है तथा यदि सामान्य स्थिति बनाने में लिट्टे ने अड़चन नहीं डाली होती तो बाकी बन्दियों को भी छोड़ दिया जाता।

उत्तरी और पूर्वी प्रान्तों में सिविल प्रशासन की रूपरेखा उसी आधार पर तैयार की जा रही थी जिसका सुझाव लिट्टे से लेकर तुल्फ तक के तमिल प्रतिनिधियों ने दिया था। अन्तरिम प्रशासनिक परिषद् घोषित कर दी गई थी जिसमें लिट्टे को सबसे अधिक निर्णायक हिस्सा दिया गया था। भारत से शरणार्थियों की वापसी की योजना श्रीलंका सरकार के परामर्श से बनाई गई थी। हमने भारत द्वारा घोषित 25 करोड़ रुपए के अनुदान के माध्यम से वित्तपोषित किए जाने वाले पुनर्वास के प्राथमिकता क्षेत्रों का पता लगा लिया था। श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रान्तों में शान्ति स्थापित हो गई थी। सामान्य स्थिति की बहाली नजदीक ही थी।

हमारे लिए यह अत्यन्त खेद की बात है कि लिट्टे ने इस सबको ठुकरा दिया। वे अपने प्रत्येक वचन से मुकर गए जो उन्होंने हमें दिए थे। उन्होंने जानबूझकर समझौते को असफल बनाने के प्रयास किए क्योंकि वे उग्रवाद से लोकतांत्रिक राजनैतिक प्रक्रिया में आने में या तो असमर्थ थे या अनिच्छुक। लिट्टे को राजनैतिक मुख्यधारा में शामिल होने के लिए और यहां तक कि इस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए भी हर संभव प्रोत्साहन तथा अवसर दिया गया। लिट्टे के नेतृत्व को, जिन्होंने 600 से

अधिक विरोधी तमिल उग्रवादियों को मरवा दिया था, अपनी सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत शस्त्र रखे/रखने की अनुमति दे दी थी। उन्हें अपने हथियार स्वयं उनकी सुविधा के अनुसार समर्पित करने की अनुमति दी थी, हालांकि इससे कुछ प्रेरित पार्टियों ने समझौते को क्रियान्वित करने की हमारी मंशा पर शक किया था। हमारे हाई कमिश्नर इस बात का पता लगाने के लिए कई बार जाफना गए कि लिट्टे के नेता क्या चाहते हैं। 28 सितम्बर को एक समझौता हुआ। कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर हुए जिसमें अन्तरिम प्रशासनिक परिषद् की संरचना तथा कार्यकरण से सम्बन्धित लिट्टे की प्रत्येक मांग को मान लिया गया था। बदले में लिट्टे ने इस समझौते का पुनः समर्थन करते हुए एक बार फिर अपने हथियार डाल देने का वचन दिया। अन्तरिम प्रशासनिक परिषद् की स्थापना को समझौते के अनुसार ही अनुमोदित किया गया था। किन्तु कुछ ही घन्टों के बाद लिट्टे अपनी बात से पीछे हट गए।

लिट्टे ने हिंसा का रास्ता अख्तियार करने का फैसला किया। एक ओर तो इसने हमें समझौते के प्रति अपना समर्थन देने का वचन दिया लेकिन दूसरी ओर इसने सेमिनारों के माध्यम से तथा अपनी गैर–कानूनी प्रसारण सुविधाओं के माध्यम से भारत और इस समझौते के विरुद्ध एक प्रचार अभियान शुरू कर दिया। इसने जाफना में गड़बड़ियां फैलानी शुरू कर दीं, सामान्य जन–जीवन तथा पुनर्निर्माण और पुनर्वास की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाई उन्होंने उन सभी तमिल नागरिकों को धमकी दी जो उनसे सहमत नहीं थे। उन्होंने अन्य तमिल उग्रवादी दलों के लगभग 100 सदस्यों का पीछा करके उन्हें मार डाला। इसने जाफना में अपने एक सदस्य द्वारा अनावश्यक तथा दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आमरण अनशन करवा कर तमिल भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया। यह अनशन उन रियायतों की मांग के लिए किया गया था जिनके बारे में पहले से ही बातचीत चल रही थी और जिन्हें मान लिया गया था तथा उन्होंने उस पर सन्तोष व्यक्त किया था।

दुर्भाग्यवश इसी समय लिट्टे के 12 सदस्यों ने आत्महत्या की। लिट्टे ने अपनी हिरासत में रखे हुए श्रीलंका के 8 सिपाहियों को मार डाला तथा पूर्वी प्रान्त में 200 से अधिक नागरिकों की हत्या कर डाली। उन्होंने खुलेआम समझौते का विरोध किया तथा भारतीय शान्ति सेनाओं पर सशस्त्र हमले शुरू कर दिए।

लिट्टे द्वारा समझौते के विरोध, पूर्वी प्रान्त में सिंहलियों तथा मुसलमानों पर उनके हमले तथा श्रीलंका के सैनिकों की उनके द्वारा हत्या करने के कारण सिंहलियों द्वारा ऐसी जवाबी कार्रवाई का खतरा बन गया जो समझौते को समाप्त कर देता तथा हिंसा का एक ऐसा चक्र फैला देता जिसे इस द्वीप में पहले कभी नहीं देखा गया था और इसके शिकार प्रमुख रूप से दक्षिण और मध्य पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाले तमिल होते।

सदन इस बात को मानेगा कि ऐसा होने नहीं दिया जा सकता था। इन परिस्थितियों में भारतीय शान्ति सेनाओं को निर्देश दिए गए कि वे ऐसे किसी भी आदमी को पकड़ ले जो हथियार लेकर चल रहा हो अथवा असैनिक लोगों को मारने के काम

में लगा हो। इस मौके पर लिट्टे ने भारतीय शान्ति सेनाओं पर हमले आरम्भ कर दिए। तब इस बात के सिवाय कोई और विकल्प नहीं था कि लिट्टे को निशस्त्र कर दिया जाए।

शान्ति सेना को ऐसे तरीके अपनाने अथवा हथियारों का प्रयोग न करने के कड़े अनुदेश दिए थे जिसके कारण जाफना के नागरिक जो लिट्टे के बन्धक बने हुए थे, भारी संख्या में हताहत न हों। भारतीय सेना ने अत्यधिक अनुशासन और साहस के साथ इन अनुदेशों का पालन किया है और तमिल नागरिकों को बचाने की इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मैं सरकार की ओर से भारतीय सेनाओं की निष्ठा और नैतिकता के ऊंचे मानदण्डों की प्रशंसा करता हूं जिसके साथ उन्होंने ऐसे ग्रुप के विरुद्ध जाफना में अपने आपरेशन चलाए हैं जिसने वृद्धों पर बल प्रयोग करके, महिलाओं और बच्चों को अपना कवच बनाकर, मासूम बच्चों को मानवीय बम बनाकर, बन्दियों की हत्या कर और जाफना के उन लोगों के, जिनके लिए वह लड़ने का दावा करते हैं, घरों के चारों ओर बम लगाकर सभ्य बर्ताव के सभी मानदण्डों को ताक पर रख दिया। हमारे जो सिपाही घायल हुए हैं, हम उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार की कामना करते हैं। इस आपरेशन में जो सिपाही मारे गए हैं उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूं। मुझे विश्वास है कि यह समूचा सदन हमारे बहादुर सशस्त्र बलों को अपनी श्रद्धांजलि देने और संतप्त परिवारों को अपनी हार्दिक सहानुभूति देने में मेरे साथ शामिल होगा।

भारतीय वायुसेना के हेलीकाप्टरों ने भारी जोखिम होने के बावजूद लड़ाई के दौरान भी शहर में वायु मार्ग से आपातकालीन खाद्य सप्लाई की। शान्ति सेना ने जाफना में शरणार्थियों को अपने हिस्से का राशन दिया। जैसे–जैसे शरणार्थी शिविर शान्ति सेना के नियन्त्रण में आते गए, वहां शरणार्थियों को पका हुआ भोजन भी उपलब्ध कराया गया। हमने जाफना में नागरिक आपूर्ति, जन–सुविधाएं और प्रशासन बहाल करने के लिए प्रमुख प्रयास किया। इसके साथ–साथ आवश्यक खाद्य और अन्य सामग्री से लदे जहाज काकेसन्थुराई बन्दरगाह पर भेजे गए। जाफना में राहत सहायता भेजी जा रही है, हालांकि लिट्टे ने इन मानवीय मिशनों पर अपना आक्रमण जारी रखा है। बिजली और टेलीफोन व्यवस्था को जिन्हें लिट्टे ने नष्ट कर दिया था, आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है और उनमें जो उपकरण नष्ट कर दिए गए थे, उन्हें भारत से नए उपकरण भेज कर बदल दिया गया है। नागरिक प्रशासकों का एक छोटा दल शान्ति सेना को राहत और पुनर्वास के कार्य सलाह और सहायता देने के लिए भेजा गया है। भारतीय रेडक्रास ने अपने कार्मिक भेजे हैं और वे स्थानीय रेडक्रास के साथ मिलकर शहर में राहत और चिकित्सा सहायता प्रदान करने का उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं।

जाफना में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हमारी बनाई हुई नहीं हैं। कोई भी विकल्प शेष न रहने पर हमने दुखी मन से कार्रवाई की। लिट्टे जो कुछ भी चाहता था उसे वह प्रदान करने के लिए हमने अन्य समुदायों और अन्य ग्रुपों के साथ अपनी साख को भी दाव पर लगाते हुए हर सम्भव प्रयास किया।

उनके आक्रमणों की शुरूआत से पहले भी हमने न केवल समझौते के विरुद्ध बल्कि भारत और शान्ति सेना के विरुद्ध उनके झूठे प्रचार को भी नजर अन्दाज किया था। अन्तरिम प्रशासन में हमने उन्हें 12 में से 7 में स्पष्ट बहुमत दिया था जिसमें उनकी पसन्द का एक अध्यक्ष पद भी है। उनके आग्रह पर अन्य तमिल उग्रवादी दलों को शामिल नहीं किया गया। यद्यपि भारत सरकार ने लिट्टे की सभी मांगों के अनुरूप काम करने का प्रयास किया है परन्तु लिट्टे ने अपने किसी भी वचन का पालन नहीं किया है।

यहां तक कि जब उन्होंने शान्ति सेना पर आक्रमण किया और अन्धाधुन्ध शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयां की तब भी हमने बार–बार कहा कि यदि लिट्टे अपने हथियार सौंप दे, करार को अपना समर्थन दे और हिंसा का मार्ग छोड़ दे तो वे अभी भी भावी लोकतान्त्रिक स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि वे हथियार सौंप दें और करार का समर्थन करें तो उसके लिए राष्ट्रपति जयवर्धने ने पहले ही उन्हें क्षमादान देने का वचन दिया हुआ है। लिट्टे ने इसका जबाव केवल अल्टीमेटमों और नए–नए प्रचारों, गलत सूचनाओं और झूठी बातें फैलाकर दिया है जिसका उद्देश्य भारत और हमारे सशस्त्र बलों की छवि बिगाड़ना है। हमें अभी आशा है कि उन्हें ठीक समझ आ जाएगी।

इन कार्रवाइयों को करते समय हमने इस तथ्य को नहीं भुलाया है कि हमारा अन्तिम उद्देश्य सत्ता का शीघ्र तथा उपयुक्त रूप से हस्तांतरण सुनिश्चित करना है ताकि तमिलों की न्यायसंगत आकाक्षाएं पूरी हो सकें और वे सुरक्षापूर्वक श्रीलंका में अन्य नागरिकों के साथ सम्मान से रह सकें। लिट्टे द्वारा की जा रही हिंसा पर नियन्त्रण करने की कोशिश करते हुए भी हमने भारत से श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों की शीघ्र वापसी को सुनिश्चित करने की जरूरत को ध्यान में रखाः तमिल क्षेत्रों पर नये उपनिवेश न बनने देने का सुनिश्चय करने की आवश्यकता को हमेशा ध्यान में रखा है।

हमें ऐसी खबरें मिली हैं कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद पूर्व में सिंहल उपनिवेश की पुनः शुरूआत हो गई। जैसा कि स्वाभाविक है इससे तमिलों को चिन्ता हो गई, विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि प्रान्त के काफी संख्या में तमिल अभी भी या तो भारत में अथवा उत्तर में शरणार्थी हैं। हमने इस मामले को श्रीलंका की सरकार के साथ गम्भीरता से उठाया है और कहा कि वह ऐसा न होने दे। श्रीलंका की सरकार नए उपनिवेश की शिकायतों की जांच करने के लिए सभी समुदायों की एक जांच की समिति की स्थापना किए जाने पर भी सहमत हो गई है।

हम इस बात को सुनिश्चित करने के इच्छुक हैं कि भारत में श्रीलंका के शरणार्थी शीघ्र ही अपने घरों को लौट जाएं। श्रीलंका की सरकार भी हमारे साथ ऐसे तमिलों की शीघ्र वापसी पर सहमत हो गई है जो पूर्वी प्रान्त से आन्तरिक रूप से विस्थापित हो गए थे। हमें उम्मीद है कि यह प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू हो जाएगी।

श्रीलंका में दीर्घावधिक शांति हस्तान्तरण पैकेज पर निर्भर करेगी। श्रीलंका की सरकार ने प्रान्तीय परिषदें बनाए जाने और उन्हें शक्तियां हस्तांतरित किए जाने के

सम्बन्ध में श्रीलंका के संविधान में संशोधन करने के लिए अपनी संसद में पहले ही विधेयक पारित कर दिया है। विधेयक में उत्तर और पूर्व में एकल तमिल प्रान्त बनाए जाने की भी व्यवस्था है। लेकिन श्रीलंका के एकिक संवैधानिक ढांचे में यह विधेयक प्रान्तीय परिषदों को शक्तियों का हस्तांतरण करने के मामले में अद्वितीय है। इस विधेयक में प्रान्तीय परिषदों को दी गई शक्तियां काफी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इसके कुछ उपबन्ध तमिल मांगों को पूरा नहीं करते हैं।

इस मामले पर राष्ट्रपति जयवर्धने के साथ काठमाण्डू में और दिल्ली में उनकी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान व्यापक रूप से बातचीत की गई। हमें पक्का आश्वासन मिला है कि यदि आगामी महीनों में कोई भी कठिनाई उठती है तो श्रीलंका की सरकार ऐसे परिवर्तन करेगी जो आवश्यक समझे जायेंगे।

भारत की सरकार का यह विचार है कि कुछ समस्याओं और विलम्बों के बावजूद भी जिसका आभास पहले से ही किया जा सकता था लेकिन जिससे इस मसले के स्वरूप और उलझेपन को देखते हुए बचा नहीं जा सकता था, यह समझौता ही तमिल हितों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने तथा श्रीलंका में स्थाई शान्ति प्रदान करने के लिए सबसे उत्तम मार्ग है। कुछ लोगों ने समझौते की आलोचना की है। लेकिन किसी ने भी श्रीलंका में तमिलों की न्यायसंगत आकांक्षाओं को पूरा करने, उस देश में शान्ति बहाल करने और इस क्षेत्र में हमारे अपने सुरक्षा हितों की देखभाल करने के बारे में इससे बेहतर कोई समाधान नहीं सुनाया है हमने एक ऐसी भूमिका स्वीकार की है जो कठिन तो है लेकिन जिसे निभाना हमारे राष्ट्रीय हित में है। हमने जो जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। यह एक राष्ट्रीय प्रयास है। मुझे विश्वास है कि हमारे प्रयासों को पूरे सदन का समर्थन मिलेगा।

———

पश्च टिप्पण

XVIII. भारत–श्रीलंका समझौते के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की स्थिति पर वक्तव्य, 9 नवम्बर, 1987

कोई टिप्पण नहीं।

विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य

11 नवम्बर, 1987

माननीय अध्यक्ष महोदय, संसद के पिछले सत्र से अब तक अपनी विदेश यात्राओं के परिणामों से मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

वेंकूवर में राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन के लिए जाते समय प्रधानमंत्री नाकासोने के साथ विचार–विमर्श करने के लिए मैं 12 अक्तूबर को थोड़ी देर के लिए टोकिया में रुका था। हमने आपसी हित के मामलों पर चर्चा की। उन्होंने 20 करोड़ डालर के बराबर राशि का एक आसान और बिना शर्त के जापानी ऋण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान भारत–श्रीलंका समझौते का समर्थन करता है।

राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन 13–17 अक्तूबर को वेंकूवर में सम्पन्न हुआ।

वेंकूवर शिखर सम्मेलन बढ़ते हुए इस तरह के अनुमानों के बीच आरम्भ हुआ कि राष्ट्रमण्डल दक्षिणी अफ्रीका में जातीय पृथक्वासन के विरुद्ध अपने अभियान में पीछे रह गया है। यह बात गलत साबित हुई। ब्रिटेन को छोड़कर राष्ट्रमण्डल के सभी देश इस बात के प्रति सहमत थे कि प्रतिबंधों का इच्छित प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। अतः हमने दबाव को और तेज करने और प्रतिबंधों के क्षेत्र का विस्तार करने का फैसला किया। हमने राष्ट्रमण्डल के प्रतिबंधों से संबंधित कार्यक्रम को व्यापक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति दिलाने और बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए काम करने की प्रतिज्ञा ली।

अनेक नए सुझाव, जिनमें हमारे सुझाव भी शामिल थे, स्वीकार किए गए। हम निरन्तरता के आधार पर प्रतिबंधों के प्रभाव का मूल्यांकन करने पर सहमत हुए। हम इस बात पर भी सहमत हुए कि इन प्रतिबन्धों को निष्क्रिय करने के किसी भी प्रयास का पता लगाया जाए और उसे प्रकाश में लाया जाए। इस बात पर सहमत हुए कि प्रिटोरिया जातीय पृथक्वासनवादी शासन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली के साथ प्रिटोरिया के संबंधों के निहितार्थों का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ अध्ययन दल की आश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए। भावी स्थिति के अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे जिसमें और अधिक प्रतिबंध लगाए जाने भी शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका पर प्रतिबन्धों से संबंधित कार्रवाई कार्यक्रम को केवल ब्रिटेन को छोड़कर राष्ट्रमण्डल के अन्य सभी देशों में स्वीकार किया है।

हम सबने अग्ररेखी राज्यों को राष्ट्रमण्डल की सहायता के समन्वय का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मोजाम्बिक को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष कोष की स्थापना प्रदान की गई। पृथक्वासन के शिकार और विरोधियों को दी जाने वाली राष्ट्रमण्डल की सहायता में वृद्धि की जाएगी। हम इस बात के लिए सहमत हुए कि दक्षिण अफ्रीका में सेन्सरशिप हटाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को उच्च प्राथमिकता

दी जाए क्योंकि यह ऐसी सेन्सरशिप है जो दुनिया के लोगों से दक्षिणी अफ्रीका के बारे में सच्चाई को छुपाती है। इन उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए तेज गति और मार्ग–निर्देशन देने के लिए शिखर सम्मेलन ने विदेश मंत्रियों की एक आठ सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति की अध्यक्षता कनाडा द्वारा की जाएगी और इसमें भारत को शामिल किया गया है।

वेंकूवर में फिजी की घटनाओं की प्रमुख रूप से चर्चा हुई। अधिवेशन के उद्घाटन वक्तव्य में मैंने उस देश में हाल में घटी घटनाओं के कारणों में निहित जातीय स्वरूप और लोकतंत्र को कम महत्व दिए जाने के बारे में अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की। फिजी राष्ट्रमण्डल का सदस्य नहीं रहा। शिखर सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रमण्डल में फिजी के पुनः प्रवेश पर तभी विचार किया जाएगा जबकि परिस्थितियों को देखते हुए इसकी आवश्यकता समझी जाए। साथ ही इस संदर्भ में इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि इस पुनः प्रवेश का आधार उन बुनियादी सिद्धान्तों के अनुरूप हो जो इस संगठन के दिशा–निर्देश रहे हैं। हम इस बात पर भी सहमत हुए कि राष्ट्रमण्डल फिजी की समस्याओं के निराकरण में सहयोग करने के लिए सदा तत्पर रहेगा।

वेंकूवर में जारी की गई राष्ट्रमण्डल विज्ञप्ति में भारत–श्रीलंका समझौते का जोरदार समर्थन किया गया है। इस समझौते को सर्वोच्च राजनेतृत्व की कार्रवाई कहा गया है।

शिखर सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी विश्व व्यापार पर वेंकूवर घोषणा, जिसके अन्तर्गत सभी महाद्वीपों के विकसित और विकासशील देशों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर इकट्ठा करने की व्यवस्था है। इस घोषणा में विश्व में बढ़ते हुए संरक्षणवाद की प्रथा के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त की गई है और संरक्षणवादी उपायों के ''स्टैण्ड स्टिल'' और ''रोक बैक'' पर पुण्टा–डे–एस्टे वचनबद्धताओं को पूरा सम्मान दिए जाने की मांग की गई है। इस घोषणा में यह स्वीकार किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में विकासशील देशों की स्थिति अलाभकारी है और इस असमानता को देखते हुए उरुग्वे व्यापार वार्ता में इनके हितों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

हमने सुदूर शिक्षा अर्थात ज्ञान को अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अधिकांश लोगों तक पहुंचाने के लिए नई संचार प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को संवर्धित करने के लिए राष्ट्रमण्डल कार्यक्रम शुरू किया। भारत इस पहल में और इससे लाभ उठाने में भी पर्याप्त रूप से सक्षम है।

राष्ट्रमण्डल में प्रतिनिधित्व प्राप्त प्रभुसत्ता सम्पन्न सरकारों के भिन्न–भिन्न दृष्टिकोणों की परिधि में वेंकूवर शिखर सम्मेलन में हुई सहमतियों में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में इस संगठन की सक्रियता और उपयोगिता की पुष्टि की गई । प्रतिबंधों के सवाल पर एक विपरीत मत की चिन्ता न करते हुए, इस शिखर सम्मेलन ने विश्व में शांति और

स्थिरता के मुख्य मसलों के बारे में विश्व मत के अधिकांश भाग को एक साथ मिला दिया। कनाडा की सरकार ने इस सम्मेलन के लिए जिस उल्लेखनीय सावधानी के साथ प्रबंध किए उनकी मैं सराहना करना चाहूंगा। इस सम्मेलन को सफल बनाने में प्रधानमंत्री ब्रियान मुल्लरोनी ने जो महत्वपूर्ण और कल्याणपूर्ण भूमिका निभाई है उसकी भी मैं सराहना करना चाहूंगा।

वेंकूवर में जब मैंने प्रधानमंत्री म्रुलोनी के साथ द्विपक्षीय विचार–विमर्श किया, उस समय मैंने कई अन्य नेताओं के साथ भी बातचीत की जिनमें बंगलादेश, गुयाना, मालदीव, तंजानिया और जाम्बिया के राष्ट्रपति, बरूनी के सुल्तान और आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, माल्टा, न्यूजीलैन्ड, सिंगापुर और जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्री और नाइजीरिया के प्रतिनिधिमण्डल के नेता शामिल थे।

18 अक्तूबर को मैंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भारत और लोकतंत्र विषय पर जोदीदी स्मारक भाषण दिया।

अगले दिन मैंने नार्वे की प्रधानमंत्री श्रीमती ग्रो हार्लेन ब्रेटलैण्ड के नेतृत्व में स्थापित आयोग द्वारा पर्यावरण और विकास पर प्रस्तुत रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस में हिस्सा लिया। इस बहस में डेनमार्क, नार्वे तथा जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था।

मैंने विदेश नीति एसोसिएशन, एशिया सोसाइटी तथा भारतीय वाणिज्य चौम्बर की एक संयुक्त बैठक में अपनी विदेश नीति तथा देश की स्थिति पर भी एक भाषण दिया।

मैंने राष्ट्रपति रीगन के निमंत्रण पर संयुक्त राज्य अमरीका की संक्षिप्त यात्रा की। हम संयुक्त राज्य अमरीका के साथ अपने संबंधों को अत्यधिक महत्व देते हैं। हमारा विश्वास है कि हमारे दोनों देशों के बीच निरन्तर बातचीत एक–दूसरे देश की बेहतर समझबूझ और पारस्परिक लाभप्रद सहयोग को विस्तृत करने के लिए अनिवार्य है।

मैंने कांग्रेस के नेताओं के साथ सुबह का नाश्ता लिया जिनमें प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष और सीनेट में बहुमत के नेता भी शामिल थे। इसके परिणामस्वरूप अब अमरीका में नाभिकीय अस्त्रों के लिए पाकिस्तान की अनथक चाह की गंभीरता को ज्यादा अच्छी तरह समझा जा रहा है।

राष्ट्रपति रीगन और मैंने क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में व्यापक और लाभप्रद विचार–विनिमय किया। अमरीका ने भारत–श्रीलंका समझौते को अपना पूर्ण समर्थन देने की पुनः पुष्टि की। मैंने पाकिस्तान के अस्त्रोन्मुख नाभिकीय कार्यक्रम पर अपने देश की गहरी चिन्ता को पुनः दोहराया।

हमारे विचार–विमर्शो में आज के अन्य महत्वपूर्ण मसले शामिल थे। मैंने लघु और मध्यम दूरी के नाभिकीय हथियारों को समाप्त करने के लिए सोवियत संघ और अमरीका के बीच करार की संभावना का स्वागत किया।

हमने द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने पर विचार–विमर्श किया। मेरी 1985 की यात्रा के दौरान तैयार की गई कार्य–सूची अधिकांश पूरी हो गई है और एक नई कार्य–सूची अब तैयार की गई है। हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिक पेशकदमी को 1988 तक तीन वर्ष के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए जिसके ठोस परिणाम सामने आए हैं। हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भी इस सहयोग का विस्तार करने का निश्चय किया।

सागर विज्ञान विकास, जल प्रबंध और शुष्क क्षेत्र में कृषि के क्षेत्रों में मिलकर अनुसंधान करने की परियोजनाएं भी तैयार की गई हैं। दोनों देशों के विशिष्ट हित के क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए प्रमुख अमरीकी संस्थाओं में हमारे वैज्ञानिकों को नौकरी दिलाने के लिए विकास शिक्षावृत्तियां प्रारम्भ की जा रही हैं।

हम व्यापार और निवेश में अपने सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए। हम औषधि के दुरुपयोग और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए अपना कार्य विस्तृत करेंगे। हम संस्कृति और शिक्षा क्षेत्र में अपने संबंधों को सुदृढ़ करेंगे। हम रक्षा से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं। सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम दोनों देशों के विधायकों के बीच व्यक्तिगत सम्पर्क बढ़ाने के महत्व पर सहमति हुई।

दिल्ली लौटते हुए मैं एम्सटर्डम हवाईअड्डे पर प्रधान मंत्री लुब्बर्स से मिला। बंगलौर में हुए दूसरे शिखर सम्मेलन के बाद सदन को दिए गए वक्तव्य में मैंने यह कहा था कि भारत की अध्यक्षता के दौरान हम क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत और व्यापक करने का प्रयास करेंगे।

2 से 4 नवम्बर तक मैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के तीसरे शिखर सम्मेलन के लिए काठमांडू में था जिसकी ओर अब मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

बंगलौर में हमने एक–दूसरे के लोगों के बीच निकटतर सम्पर्क स्थापित करने के बारे में पांच नए विचार प्रस्तुत किए थे। हमने क्षेत्रीय सहयोग को अधिक सार्थक तत्व प्रदान करने की दिशा में भी कई कदम उठाए। हमने यह भी निश्चय किया कि विशेषज्ञों के एक दल का गठन किया जाए जो आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग करने की एक रूपरेखा तैयार करे। हमने ''सार्क'' सुरक्षा खाद्य भण्डार के ऊपर भी बातचीत की। हमने औषधि के दुरुपयोग और उसके अवैध व्यापार को रोकने, भीषण दुर्घटना प्रबंधन, वानिकी और पारिस्थितिकी तथा व्यापार, उद्योग, मुद्रा और वित्त जैसे नए क्षेत्रों में भी क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार करने के बारे में विचार–विमर्श किया। हम क्षेत्रीय संस्थाओं की स्थापना के संबंध के समान सिद्धांत, समान प्रक्रिया एवं नियम तैयार करने पर भी सहमत हुए। और अन्त में हमने सार्क सचिवालय को कार्यात्मक बनाने की दिशा में भी काम करने का निश्चय किया।

मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हम अपने इन लक्ष्यों को पूरा कर सके हैं और इस तरह हमने अपने दायित्वों का निर्वाह किया है।

हमारी अध्यक्षता की अवधि में करीब–करीब 100 आयोजन हुए यानि हर हफ्ते लगभग दो। इनमें से 45 तो भारत ही में आयोजित किए गए।

बंगलौर में जिन नए विचारों पर सहमति हुई थी उन सबको अब परियोजनाओं का रूप दे दिया गया है। काठमांडू शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के सीधे प्रदर्शन के साथ ही "सार्क'' दृश्य–श्रव्य आदान–प्रदान का शुभारम्भ हुआ। शिक्षा वर्ष 1988 से ''सार्क'' शिक्षावृत्ति, पीठ स्थापना और छात्रवृत्ति का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा।

काठमांडू में "सार्क'' सुरक्षित खाद्यान्न भंडार की स्थापना की गई। यह पहला मौका है जब इस क्षेत्र के देशों ने आपातकालीन परिस्थितियों में अपने संसाधनों को इस तरह एक करने का निश्चय किया है।

आतंकवाद का दमन करने से संबद्ध ''सार्क'' के क्षेत्रीय अभिसमय पर भी इसी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए। इसके लिए मंच इस वर्ष मार्च में नई दिल्ली में सार्क देशों के विशेषज्ञों की बैठक में ही तैयार हो गया था और उन्होंने ऐसे प्रत्यर्पणीय अपराध तय किए थे जो आतंकवादी हों लेकिन जिनका स्वरूप राजनीतिक न हो। यह अभिसमय अपने आप में इस दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे हमारे क्षेत्र के सभी देशों की यह इच्छा प्रकट होती है कि आतंकवाद के खतरे का मुकाबला कैसे किया जाए।

हमारे इस क्षेत्र में सूखा, बाढ़ और समुद्री तूफान की पुनरावृत्तियों पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई। भीषण दुर्घटना के सिलसिले में राहत प्रबंध को दक्षिण एशियाई सहयोग की परिधि में लाने की दिशा में हमारी पहलकदमी पर, काठमांडू में हम लोग इस बात पर सहमत हुए कि अपने क्षेत्र में पर्यावरण के अनुरक्षण और परिरक्षण का अध्ययन करने के लिए और प्राकृतिक आपदाओं के कारणों और परिणामों का अध्ययन करने के लिए एक आयोग स्थापित किया जाए।

भारत का यह विश्वास है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग को और आगे बढ़कर व्यापार, उद्योग, मुद्रा तथा वित्त के अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों को अपनी परिधि में शामिल करना चाहिए। इस विचार को धीरे–धीरे स्वीकृति मिल रही है। काठमांडू में हमने यह निश्चय किया कि इन दिशाओं में अध्ययन करवाएंगे। हमे उम्मीद है कि इन अध्ययनों से इस क्षेत्र के देशों को इन दिशाओं में सहकारी उद्यमों की ओर अधिक विश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। इस शिखर सम्मेलन के दौरान, मैं "सार्क" सचिवालय भी गया और वहां लोगों को काम करते देखा। यह सराहनीय बात है कि अपनी स्थापना के बाद एक वर्ष के भीतर–भीतर यह सचिवालय बहुत अच्छी तरह काम करने लगा है और अपने दायित्व को पूरी तरह निभाने की दिशा में अग्रसर है।

काठमांडू शिखर सम्मेलन के दौरान मुझे उपस्थित नेताओं के साथ द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर अनौपचारिक विचार–विमर्श करने का मौका मिला।

अपनी बात खत्म करने से पहले मैं नेपाल के महामहिम की सरकार की इस बात के लिए सराहना करना चाहूंगा कि उन्होंने इस सम्मेलन का बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया। इस शिखर सम्मेलन की सफलता का श्रेय बहुत हद तक हमारे अध्यक्ष नेपाल के महामहिम महाराजाधिराज के विशिष्ट नेतृत्व को जाता है।

———

पश्च टिप्पण

XIX. विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य, 11 नवम्बर, 1987

कोई टिप्पण नहीं।

भू-आधारित मध्यम दूरी के नाभिकीय प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के बीच हुए समझौते के बारे में वक्तव्य

9 दिसंबर, 1987

अध्यक्ष महोदय, महासचिव गोर्बाचोव और राष्ट्रपति रीगन के बीच भू–आधारित मध्यम दूरी के नाभिकीय प्रक्षेपास्त्रों को समाप्त करने के सम्बन्ध में कल जो समझौता हुआ है वह निस्सन्देह एक महत्वपूर्ण घटना का सूचक है।

यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के पास मिलाकर जितना नाभिकीय शस्त्र भण्डार है उसके सिर्फ तीन प्रतिशत अंश को समाप्त करने की बात इसमें सोची गई है। लेकिन इनका ऐतिहासिक महत्व इस बात में है कि नाभिकीय अस्त्रों को कम करने की दिशा में संसार का यह पहला समझौता है।

यह इस दृष्टि से भी पहला अवसर है कि संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ नाभिकीय अस्त्रों के समूचे वर्ग को पूरी तरह समाप्त करने के लिए सहमत हुए हैं।

इस समझौते से यह पूरी तरह प्रतिपादित हो गया है कि अगर अपेक्षित राजनीतिक इच्छा हो तो सत्यापन जैसी तकनीकी समस्याओं का समाधान हो सकता है।

इस समझौते को एक शुरुआत से अधिक और कुछ नहीं समझा जाना चाहिए–यह महज एक शुरुआत है, एक ऐतिहासिक शुरुआत है, एक महत्वपूर्ण शुरुआत है, लेकिन है यह सिर्फ शुरुआत ही।

मानव जाति का जीवन नाभिकीय अस्त्रों की शक्ति पर निर्भर करता है जो इस लम्बे रास्ते पर चलकर नाभिकीय अस्त्रों की पूर्ण समाप्ति की ओर जाता है।

जैसाकि दिल्ली घोषणा में कहा गया है, संसार तभी वस्तुतः सुरक्षित होगा जबकि,

"आतंक के संतुलन की जगह व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा ले ले।"

इस समझौते का पूरा विवरण मिलने पर हम दोनों सभाओं के समक्ष और अधिक व्यापक विवरण रखेंगे।

———

पश्च टिप्पण

XX. भू–आधारित मध्यम दूरी के नाभिकीय प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के बीच हुए समझौते के बारे में वक्तव्य, 9 दिसंबर, 1987

कोई टिप्पण नहीं ।

मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव

11 दिसम्बर, 1987

अध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद को लाने के लिए सर्वप्रथम मुझे विपक्ष का धन्यवाद करना आवश्यक है। इससे बहुत उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति हुई है। कल दोपहर से आज तक हमने केवल विपक्ष के विचारों का खोखलापन देखा है। वे अब भी उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। उनके सोचने का खोखलापन, विचारों का खोखलापन और शायद सबसे महत्वपूर्ण है उनके दृष्टिकोण का पूर्ण खोखलापन उनके पास कुछ तुच्छ व्यक्तिगत हमले करने के सिवाय कहने को कुछ नहीं है और यदि केवल इतना ही है तो मैं इसके लिए उनका आभारी हूं।

माननीय सदस्य जिन्होंने यह वाद-विवाद शुरू किया— उनकी प्रथम शिकायत सरकार और मेरे विरुद्ध यह थी कि मैं विपक्ष की मदद और सहायता नहीं कर रहा हूं। महोदय, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि यह स्पष्ट है कि उन्हें हमारी मदद और सहायता की आवश्यकता है, अन्यथा वे हमेशा इस स्तर तक आते रहेंगे।

कुछ सदस्यों ने मध्यावधि चुनाव की मांग की है और हमें चुनाव कराने को कहा है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि यह सरकार पांच वर्षों के लिए चुनी गई है, यह सरकार पांच वर्ष तक रहेगी। हम सड़कों पर जुलूसों, गुप्त सभाओं, योजनाजन्य अभियानों अथवा षड्यन्त्रों से विचलित नहीं होते हैं। जी नहीं। और यदि रैलियां आयोजित करने का प्रश्न है, हम भी थोड़े समय में जब चाहे तब बड़ी रैलियां आयोजित कर सकते हैं।

वास्तव में, मैं इस सभा के कुछ सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि लोकदल द्वारा कुछ समय पहले आयोजित की गई रैली भाकपा तथा माकपा द्वारा आयोजित की गई रैली से कहीं अधिक बड़ी थी।

*** *** ***[1]

पिछले चुनावों से अब तक लोक सभा के 19 उपचुनाव हुए हैं। हमने इन 19 उपचुनावों में से 13 उपचुनाव जीते हैं। यदि आप चाहें, तो मैं उनकी राज्य तथा चुनाव क्षेत्र-वार सूची प्रस्तुत कर सकता हूं। उनमें जनता पार्टी ने 2, माकपा ने 1, एस.एस.पी. ने 1 तथा लोकदल ने 2 उपचुनाव जीते। किंतु मुझे याद है कि बाद में एक सदस्य ने उनको छोड़ दिया है।

इस प्रकार यह कहना पूरी तरह गलत है कि इस सरकार ने लोगों का विश्वास खो दिया है। लोगों ने हमें उसी अनुपात तथा परिमाण में समर्थन दिया है जिस अनुपात तथा परिमाण में यह सभा प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा इस सभा में दिए गए वक्तव्य पर कड़ी आपत्ति की जब उन्होंने इस देश की समस्त जनता का अपमान किया

तथा सभा को उनसे क्षमा याचना की मांग करनी चाहिए। श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि इस सभा के लगभग 80 प्रतिशत सदस्य कालाबाजारियों तथा 'फेरा' के अपराधियों द्वारा चुने गये हैं।

*** *** ***2

प्रस्ताव के प्रारम्भ में तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय श्री माधव रेड्डी ने जिस ढंग से अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं, वे खेदजनक थी। 1985, 1986 तथा 1987 में भी हमारी सरकार के बारे में उनकी उच्च धारणाओं के लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। जैसा कि मैंने कहा है कि विपक्ष की सहायता करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। निश्चय ही, स्वतंत्रता प्राप्ति के चालीस वर्ष के बाद वे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए काफी अनुभवी हैं। यह लगभग ऐसा है, जैसे कि माधव रेड्डी जी विपक्ष की सहायता हेतु हमारी सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे हों।

जिन दो प्रधानमंत्रियों का जिक्र करना वे अभिवचनपूर्ण अनुरोध भूल गए वे दोनों गैर-कांग्रेसी थे। अत:, स्पष्टतया, देश भर में कांग्रेस प्रधानमंत्रियों के बारे में धारणा बनी है अन्य के बारे में नहीं। उन्होंने दोष लगाया है। उन्होंने हम पर टकराव की राजनीति अपनाने का दोष लगाया है। कान्कलेवों की शुरुआत किसने की? जनादेश को रद्द करने का प्रयास किसने किया?

*** *** ***3

राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर सरकार के साथ सहयोग देने से किसने इन्कार किया? विपक्ष के लिए मेरे द्वारा बुलाई बैठकों में आने से किसने इन्कार किया? क्या आप चाहते हैं कि मैं तारीख बताऊं? यह सहयोग की राजनीति है या विरोध की? फरवरी 1986 में परामर्श के लिए बुलाई बैठक का आपने बहिष्कार किया क्योंकि आपका कहना था कि यह एक 'अनौपचारिकता' है।

सच्चाई यह है कि यह बैठक.... मैं सभा में इस पर बहस नहीं करना चाहता। सच्चाई है कि बैठकें सरकार और विपक्ष के बीच तनाव दूर करने के लिए थीं और विपक्ष ने इसे पसन्द नहीं किया। क्योंकि तब उन्हें सभा में बहस करने में कठिनाई महसूस होती। और उन्होंने ऐसा मेरे संसदीय कार्य मंत्री से कहा है।

सामान्य चर्चा के लिए मैंने नवम्बर, 1986 में एक और बैठक बुलाई थी, आप फिर भी नहीं आए। मैंने बोफोर्स पर चर्चा के लिए अगस्त, 1987 में बैठक बुलाई थी, आप फिर नहीं आये। इसलिए विरोध किस तरह से है और परामर्श करने की कौन कह रहा है? बात यह है कि जब भी मैंने विपक्ष को निर्णय की प्रक्रिया में शामिल करने की कोशिश की वे उससे भागे। उन्होंने बैठकों में आने और निर्णय में शामिल होने से इन्कार किया। और जब वे आये तो उन्होंने अपनी बातों को संक्षिप्त तथा निर्णायक रूप में नहीं कहा और बैठक को बिना निर्णय के खत्म कर दिया।

और मैं ऐसा विशेष विषय पर विशेष बैठकों के बारे में कह सकता हूं — मैं इसका उल्लेख उन बैठकों के बारे में कर सकता हूं जिसमें अनेक विषयों को शामिल किया गया था।

सच्चाई यह है कि हमने विपक्ष को शामिल करने की कोशिश की है लेकिन वे शामिल होना नहीं चाहते क्योंकि वे अनियमित रहे और वे सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। यह मामले की सच्चाई है।

माननीय सदस्य ने जो ठीक मुझसे पहले बोले हैं, फेयरफैक्स के बारे में कुछ कहा है, और मैंने ध्यान दिया कि वे एक टाइप मामला पढ़ रहे थे। शायद उनका भाषण टाइप किया...

*** *** ***4

मैं अपनी गलती मानता हूं। यह एक हाथ से लिखा भाषण है। लेकिन मेरे विचार से वह भाषण निश्चितत: ठक्कर नटराजन आयोग के रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पहले लिखा गया है। क्योंकि यदि उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी है तो वे देखेंगे कि उसमें सरकार को पूर्णतया उचित ठहराया गया है और यह विपक्ष....।

*** *** ***5

रिपोर्ट में कोई छुपाने वाली बात नहीं है। यह पूर्णतया स्पष्ट है कि राष्ट्र को भ्रमित करने में विपक्ष पूर्णतया शामिल है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि सी.आई.ए. के कर्मचारी अथवा पूर्व कर्मचारी सरकार की जांच में शामिल थे। इसके लिए किसने किया? आप लोग छह महीने पहले इसका समर्थन कर रहे थे। अब क्या हुआ?

*** *** ***6

हो सकता है यह आपकी व्यक्तिगत मांग न हो। हमने बोफोर्स की जांच का कार्य संसद सदस्यों की एक समिति को सौंपा है। आप उस वक्त कहां थे? बात यह है कि आप सच्चाई जानना नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ हल्ला करना जानते हैं।

अब बात यह है कि सारा देश आपका अभिप्राय जानता है। सारा देश उस खतरे को जानता है जिसे इस जांच ने खोल दिया और सारा देश जानता है कि राष्ट्र के दुश्मन कौन हैं और उन्हें कौन सहयोग दे रहा है। इसे प्रक्रियात्मक या दूसरे तर्कों से छुपाया नहीं जा सकता है। यह न्यायपालिका को दबाने में मददगार नहीं होगा।

हमें जनता के पास जाने की आवश्यकता नहीं है जब वे हमारे साथ ही हैं। जनता आपके साथ नहीं है। इसलिए आप उनके पास जाएं। और यह जो शर्मनाक दोहरी नीति आपने दिखाई है, सारे देश को शर्मिन्दगी में डालने वाली बात है।

महोदय, चर्चा से पता चलता है कि वैचारिक मुद्दे पर भी विपक्ष में बहुत कम मतभेद है, परम्परा यह है दूसरी ओर बैठे दक्षिणपंथी दलों का यह सुस्थापित अधिकार है कि उनके विचार और सिद्धांत और दृष्टिकोण में एक शून्य आ जाए। परंतु आज मैं यह देख रहा हूं कि उनमें वामपंथी शामिल हो गए हैं।

बेशक, मैं चिन्तित हूं क्योंकि मैं एक अच्छा विपक्ष चाहता हूं और जो मुझे नहीं मिल रहा है। यही बात मुझे चिन्तित किए है। मैं एक ऐसा विपक्ष चाहता हूं जो सदन पर टिक सके और नीतियों पर बहस कर सके जो राष्ट्र के भविष्य के बारे में बहस कर सके। वैसा विपक्ष जो व्यक्तिगत समस्याओं में जुड़ा है राष्ट्र की सहायता नहीं कर सकता है। और मैं अभी भी आप से अनुरोध करूंगा — ऐसा मैंने खुले आम कहा है, ऐसा मैंने आम सभाओं में कहा है, ऐसा मैंने प्रेस कान्फ्रेंसों में भी कहा है — कि मैं एक मजबूत विपक्ष का स्वागत करूंगा। मैं ऐसे विपक्ष का स्वागत करूंगा जिसका सिद्धान्त और मूल्य हो वैसे विपक्ष का नहीं जिसने कल और आज की तरह चर्चा की।

जबकि पूरे विश्व की नजर रूस और चीन में हो रहे परिवर्तनों की ओर है विपक्ष नये विचारों के उत्पन्न होने का इंतजार ही कर रहा है। हमारे वामपंथी दल पुरानी छाप में ही फंसे पड़े हैं। मैं सम्मान सहित अपने वामपंथी मित्रों के लाभ के लिए, मैं किसी व्यक्ति की बात का उल्लेख करना चाहूंगा, वे इसकी प्रशंसा करेंगे। वे नाम का अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण यह है—

> "नये कार्यों का हल तैयार उत्तरों से नहीं करना है, न ही वैसे उत्तर अभी उपलब्ध हैं। समाज शास्त्रियों ने अभी तक हमें कोई सुसंगत विचार नहीं दिया है। समाजवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पुराने विचारों से जकड़ी हुई है और किसी भी मामले में जीवन के तर्क से मेल नहीं खाती।" शायद इससे उनकी आंखें खुल जाएंगी।

*** *** ***7

तथ्य यह है कि हर जगह परिवर्तन हो रहा है। यहां बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के बारे में काफी कुछ कहा गया है। हमें स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के बारे में बे सिर पैर का भाषण जारी रहा परंतु सोवियत रूस तथा चीन में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ क्या हो रहा है? क्या वे समाजवादी राष्ट्र नहीं हैं? क्या वे उन देशों में समाजवाद से वंचित हैं? घर के पास। पश्चिमी बंगाल में बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के साथ क्या हो रहा है? स्पष्ट रूप से इस, सभा में बैठे हमारे मित्र बाहर विश्व में जो कुछ हो रहा है उससे पूर्णतया अनभिज्ञ हैं आपको दूर नहीं जाना है। आपको चीन में नहीं जाना है; आपको रूस में नहीं जाना है परंतु कम से कम पश्चिमी बंगाल को देख तो लीजिए। पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री से पूछिए कि वे क्या सोचते हैं और वे इस दिशा में क्यों जा रहे हैं?

*** *** ***8

हम बहुराष्ट्रिक कम्पनियों से तथा शक्ति सम्पन्न विदेशी कम्पनियों से सौदा कर रहे हैं, परन्तु ऐसा करते समय हम अपने स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचारों और कार्यों से कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश विपक्ष अर्थव्यवस्था और हमारे समाज की परिस्थितियों के बारे में निष्पक्षता से सोचने के लिए तैयार नहीं है केवल मात्र शोरगुल मचाना ही पर्याप्त नहीं है। आपको वस्तुपरकता से सोचना है और विशिष्ट वैकल्पिक

कार्यक्रम तथा विचार सामने रखने हैं, यदि आप ऐसा कर सकते हैं। परंतु अब तक उनमें यह चीज पैदा नहीं हो पाई है। और यह बात इस चर्चा के दौरान भी देखी गई है। कांग्रेस परिवर्तन से नहीं डरती है। कांग्रेस यह जानती है कि वास्तविकताओं से कैसे सीखा जाता है, परिवर्तन कैसे लाया जाता है और अर्थव्यवस्था में तेजी कैसी लाई जाती है, सामाजिक परिवर्तन कैसे लाया जाना चाहिए और देश के सांस्कृतिक जीवन में कैसे सुधार किया जाना चाहिए। कांग्रेस और देश को पंडित जी का यही योगदान था। बम्बई में मेरे भाषण का यही आधार था। मुझे खुशी है कि श्री माधव रेड्डी ने बम्बई में दिए गए मेरे भाषण का उल्लेख किया और मैं केवल अनुरोध करूंगा, शायद मुझे उनसे पूछना चाहिए कि क्या विपक्ष के किसी दल से ऐसा आत्मपरीक्षण करने का आत्म-विश्वास है और यदि आप में है तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप ऐसा करें....। आपकी बारी आ चुकी, अब मुझे बोलने दीजिए।

क्या आप में से किसी व्यक्ति में बदलते हुए विश्व और देश में बदलती परिस्थितियों के बारे में चिन्तन करने का साहस है? क्या आप में से कोई व्यक्ति अपनी आलोचना करने का साहस कर सकता है? क्यों आप में से किसी में नए विचारों को ग्रहण करने का साहस है? तथ्य यह है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है।

बम्बई में मेरा भाषण कांग्रेस के मूल्यों पर आधारित था जो गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू तथा इन्दिरा गांधी ने स्थापित किए थे। उनमें कोई व्यतिक्रम नहीं था। हमने उन मूल्यों को बनाए रखा है। और मैं माननीय सदस्यों को यह याद दिलाना चाहूंगा कि ऐसा पहली बार ही नहीं हुआ है कि कांग्रेस ने अपने अन्दर झांक कर देखा है, बल्कि ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब कांग्रेस ने अपने आपको परिमार्जित किया है।

सत्ता के दलालों के बारे में काफी कुछ कहा गया था। कांग्रेस ने अनेक अवसरों पर इन सत्ता के दलालों को निकालकर बाहर किया है, परन्तु आज हम इन दलालों को कहां पाते हैं? ये सत्ता के दलाल कहां हैं जिन्हें आज कांग्रेस से निकालकर बाहर किया गया है? मैं उन्हें अपने सामने वाले बैंचों पर बैठे देखता हूं।

*** *** ***9

मुझे बहुत खेद है कि मैंने कुछ माननीय सदस्यों की कोमल भावनाओं को ठेस पहुंचायी है। मेरा इरादा वह नहीं था। मुझे बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए; मैं किसी एक, दो या तीन व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इससे काफी परे जा रहा हूं, मैं उन अधिकांश दलों की बात कर रहा हूं जो आज मेरे सामने बैठे हैं, जिन्होंने अनेक बार अपने लेबल बदले हैं, जिन्होंने अनेक बार अपने झण्डे तथा चुनाव-चिन्ह बदले हैं। मैं चाहूंगा कि वे अपने अन्दर झांके। थोड़े से आत्मपरीक्षण से कोई हानि नहीं होगी। और जब आप अपने अन्दर झांकने के लिए थोड़ा-सा समय ले ही रहे हैं तो अपनी बाईं तथा दाईं ओर भी झांककर देख लीजिए कि आप किसे सहयोग दे रहे हैं और आप किसके साथ बैठे हुए हैं। इससे आपको मदद मिलेगी।

तथ्य यह है कि जब कांग्रेस सौ साल पहले इस रास्ते पर चली थी तो हम जानते थे कि यह एक दुष्कर रास्ता है। यह रास्ता सुगम नहीं बनेगा। हम जानते थे कि हर व्यक्ति हमारे साथ काम नहीं करेगा। यहां तक कि स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान भी कुछ लोग जो हमारे साथ थे ब्रिटिश सरकार की सहायता करने के लिए नाजुक मोड़ पर हमारा साथ छोड़ गए थे; ताकि स्वतन्त्रता आन्दोलन को विफल किया जा सके । महोदय, हमें इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। हम जानते थे कि यह काम दुर्गम तथा कठिन होगा। हम जानते थे कि हमें अन्दर से तथा बाहर से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हम उन चुनौतियों का सामना करना चाह रहे हैं और हम आगे भी उनका सामना करेंगे। हम उन चुनौतियों से नजर नहीं चुराएंगे। हमें यह देखना चाहिए कि इन वर्षों में क्या होता रहा है। यदि हम अर्थव्यवस्था को देखें तो हमारा देश इतनी तेजी से आगे बढ़ा है जितना कि इससे पहले कभी आगे नहीं बढ़ा। और मैं विरोधी पक्ष के शासन के तीन अनर्थकारी वर्षों का उल्लेख भी नहीं करना चाहता। मैं इसकी तुलना कांग्रेस शासन की पिछली अवधि से कर रहा हूं। किसी भी समय में हमारे देश ने इतनी अधिक प्रगति नहीं की जितनी इन वर्षों में की है। उद्योग को नई दिशा और नया आयाम मिला है। हमने अपने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को नया रूप प्रदान किया है। हमने गरीबी को समाप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लिया है। हमने अनेक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किए हैं जो लोगों की दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं पर विचार करने के लिए हम अपने वैज्ञानिकों और लोगों को एक समान स्तर पर इकट्ठा करेंगे। हमने पेयजल, निरक्षरता, संचार और प्रतिरक्षण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किए हैं। विकास के बारे में हमारे विचारों में बुनियादी अन्तर है। मैं श्री नरसिंह राव जी द्वारा कही गई बात का उल्लेख करना चाहता हूं। तथ्य यह है कि यहां-वहां हमारे मूल विचारों में अन्तर है। हम लोगों के दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अधिक अच्छा प्रयोग करके गरीबी को समाप्त कर सकते हैं और देश की प्रगति और विकास कर सकते हैं। दूसरी ओर विरोधी दल का गरीबी को बनाए रखने में निहित स्वार्थ है और यही कारण है कि वह प्रत्येक स्तर पर गरीबी को समाप्त नहीं होने देना चाहते। मैने वामपन्थी दलों के एक बहुत वरिष्ठ नेता से बात की थी। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वह यहां उपस्थित नही है। कम्युनिस्ट पार्टियों में से एक बहुत ही वरिष्ठ नेता ने रोजगार और आधुनिकीकरण के बारे में मेरे से शिकायत की। अब पहले मझे अपनी बात को ठीक करने दीजिए। उन्होंने कहा कि वह मेरी नीतियों के खिलाफ हैं क्योंकि मैं आधुनिकीकरण करना चाहता हूं। अत: मैंने कहा कि "आधुनिकीकरण के लिए आपकी क्या आपत्ति है?" निश्चय ही यदि हमारे लोग आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं और गरीबी से ऊपर उठते हैं, तो हमें अवश्य ही आधुनिकीकरण करना चाहिए। आधुनिकीकरण और क्या है? उन्होंने कहा कि, "आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप रोजगार के अवसरों में कमी आएगी।" मैंने कहा कि ऐसा होना आवश्यक नहीं है। परंतु हम सब कुछ समय के लिए इस तर्क को अलग-थलग रखते हैं। हम रोजगार को आधुनिकीकरण से नहीं जोड़ते। हम रोजगार के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हम पहले आधुनिकीकरण के बारे में बात करते हैं। मैंने उनसे पूछा, "कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत 20वीं सदी में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आधुनिकीकरण के बिना टिका रह सकता है।" वह लगभग 60 सेकंड तक चुप रहे और फिर उन्होंने कहा "कि रोजगार पर इसका प्रभाव पड़ेगा।" उनका केवल यही उत्तर था।

तथ्य यह है कि आज हमारे देश में वामपन्थी दलों की विचारधारा में पूर्ण रिक्तता है। उनके विचारों में रिक्तता है। यही बात अधिक बाधा उत्पन्न कर रही है क्योंकि अब तक केवल दक्षिणपन्थी लोगों के विचारों में ही रिक्तता थी। हमारे पास कम से कम एक ऐसा वर्ग विद्यमान था जिनके साथ हम नीतियों, विचारों तथा मूल सिद्धांतों पर तर्क वितर्क कर सकते थे। परंतु आज वह वर्ग भी हमारे साथ नहीं है। आज हमारे दोनों दलों में विचारों की रिक्तता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप विचार करना शुरू करें । यह सोचिए कि इस देश में गरीबी किस प्रकार समाप्त की जा सकती है। यदि आप संपूर्ण भारत में ग्रामीण स्तर पर अधिक अच्छी प्रौद्योगिकी का विकास नहीं करते तो आप गरीबी समाप्त नहीं कर सकते।

हम देश में हरित क्रांति किस प्रकार लाए हैं? ऐसा केवल किसानों को उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी प्रदान करने से ही संभव हुआ है। इसका कोई और उपाय नहीं है। विरोधी पक्ष के हमारे कुछ माननीय सदस्यों के पास कुछ और उपाय हैं, यदि हमारे पास ट्रैक्टर, खाद, अच्छे बीज और सिंचाई सुविधाएं न होती तों हरित क्रांति किस प्रकार लाई जाती और हमारे किसानों की क्या स्थिति होती?

*** *** ***10

हमने इन वर्षों में अपने उद्योग को नौवें और दसवें दशक की चुनौतियों का सामना करने के लिए पुनर्गठित किया है। आप चाहें जो भी सोचें औद्योगिक प्रगति प्रभावोत्पादक है। इन तीन वर्षों के दौरान औसतन उत्पादन 9 प्रतिशत से कुछ कम रहा है। मैंने तीन वर्ष कहा है क्योंकि एक सदस्य ने मुझे कहा था, "एक वर्ष का उदाहरण न दें, अथवा कुछ समय का उल्लेख न करें" इस वर्ष के पहले चार महीनों के दौरान औद्योगिक विकास 12.6 प्रतिशत हुआ और जुलाई में औद्योगिक विकास की दर 15.8 प्रतिशत थी। जुलाई तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। मैं किसी भी सदस्य को चुनौती देता हूं कि मुझे दिखाएं कि इस देश के इतिहास में किसी भी और समय में इस दर से औद्योगिक विकास हुआ है। मैंने किसी भी और समय में कहा है। मैं इस समय को स्वतंत्र भारत के समय तक ही सीमिति नहीं कर रहा हूं। 2000 वर्ष पूर्व किसी भी समय का इतिहास देखें और मुझे बताएं।

मैं यूनियनों की बात भी करुंगा। आप चिन्ता न करें। फिर आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने ऐसी नीतियां तैयार की है जिनसे देश में विकास होगा और उससे देश मजबूत होगा और ऐसी नीतियां नहीं बनाई जिनके परिणामस्वरूप राजनैतिक तर्क वितर्क हो हम इस देश के भविष्य के लिए अपना धन लगा रहे हैं। हम केवल आज को ही नहीं देखते। हम कल की बात सोचते हैं। एक समय जो आज हमारे समक्ष है वह यह कि मैं यह समझता हूं कि हमने पिछले वर्षों में भविष्य के बारे में नहीं सोचा। इस आलोचना में अपनी कांग्रेस सरकार को भी शामिल करता हूं। परंतु हमेशा पीछे देख कर यह कहना आसान होता है, "कि आपको ऐसा करना चाहिए था, आपने ऐसा किया होता।" हमारी और भी अनेक समस्याएं हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं। इसलिए आलोचना करने का प्रयत्न न करके मैं यह बात कहने की कोशिश कर रहा हूं जो मैं आज समझता हूं एक समस्या है। मैं देख रहा हूं कि हमने भविष्य के लिए बहुत अधिक खर्च नहीं किया है, और अभी बहुत

कुछ करने की आवश्यकता है। यदि हम आपकी बात मानें, भविष्य में इस देश के लिए कुछ व्यय नहीं हो पाएगा।

हमने पिछले वर्षों में भी काफी खर्च किया है। कोई भी सरकार इस देश की संस्कृति और परम्परा को सुरक्षित रखने में उतनी सफल नही हुई है जितना हम। मैं वास्तव में इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन मैं समझता हूं इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता है, क्योंकि बदकिस्मती से एक सदस्य ने 'हिन्दू रेट ऑफ ग्रोथ' शब्द का प्रयोग किया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

*** *** ***11

यह स्पष्ट है कि मैं इसके अर्थ के बारे में आशंकित नहीं हूं मैं इस शब्दावली के बारे में कह रहा हूं। हम इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करना पसंद नहीं करते। मुझे इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करना बहुत बेइज्जतीपूर्ण लग रहा है। इससे मुझे इसमें उल्लिखित शब्दों में राष्ट्र, जाति की बेइज्जती दिखाई पड़ती है। मैं कहना चाहूंगा— जैसे आपने कहा है इसको अनेक जगह प्रयोग किया था—'हां' संभवत: यह एक अर्थशास्त्री ने कहा था। लेकिन आपको याद हो, अर्थशास्त्री ने इसे जनता पार्टी के समय में हो रही घटनाओं के लिए कहा था। यह दु:ख की बात है कि कुछ सदस्यों ने आज इसका प्रयोग किया। वास्तविकता यह है कि यह केवल औद्योगिक प्रगति ही नहीं है बल्कि सब दिशाओं में सबसे अधिक हुई प्रगति है। जी हां, इस वर्ष हमारे यहां भयंकर सूखा पड़ा है। पिछले 100 वर्षों में, जिनका रिकार्ड उपलब्ध है, केवल तीन अवसर ऐसे आए हैं जब निरन्तर दो वर्ष सूखा पड़ा है। यह तीसरा अवसर है। इसके बावजूद हम औद्योगिक प्रगति कर रहे हैं जैसा मैंने अभी कहा है। इसके बावजूद हम सभी दिशाओं में प्रगति कर रहे हैं, जैसा पिछले किसी ऐसे वर्ष में नहीं हुआ है। 1979 में जब इससे पहले पिछली बार सूखा पड़ा था और वह सूखा ऐसा नहीं था जैसा अब पड़ा है, हमारी पांच प्रतिशत कम प्रगति हुई है। हमारे यहां 20 प्रतिशत अथवा 22 प्रतिशत मुद्रास्फीति हुई थी— मुझे ठीक-ठीक संख्या नहीं है। इसलिए हमें सही स्थिति प्राप्त करने दें। वास्तव में इन वर्षों के दौरान देश में इतनी गति से प्रगति और विकास हुआ है जितना अब तक कभी नहीं हुआ। इसके लिए मैं उन सबका, विशेषत: प्रशासन, कर्मचारियों, वैज्ञानिकों, तकनीज्ञियों, प्रबन्धकों, किसानों और निम्न श्रेणी के कामगारों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो इसमें शामिल हैं। अत्यधिक निम्न श्रेणी के कामगारों से मेरा अभिप्राय उन लोगों से है जो सबसे छोटा काम करते हैं। ऐसा केवल इसलिए हो सका क्योंकि हम सबको एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रेरित करने में समर्थ रहे। हम उन सभी को एक साथ लेकर चलने में समर्थ हुए। हम इसे प्राप्त करने में समर्थ हुए और हमें अपने लोगों पर गर्व है कि उन्होंने इसे प्राप्त किया। जैसा कि मैंने कहा है यह सूखा इतिहास में उल्लिखित सूखों में सबसे भयंकर है। वर्षा के सम्बन्ध में यह सबसे भयंकर स्थिति थी। यदि आप चाहते हैं...

जैसाकि मैंने कहा इस शताब्दी में केवल दो अवसरों पर — और हमें केवल 1885 से आंकड़े प्राप्त है — लगातार दो वर्ष भयंकर सूखा पड़ा है इस बार वर्षा की खराब स्थिति

के कारण निरन्तर दो वर्षों से सूखा पड़ रहा है। इसलिए हमें यह स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। सूखे के बावजूद हमारे बुनियादी ढांचे ने ठीक से कार्य किया है। बुनियादी ढांचे का प्रत्येक पहलू भली प्रकार कार्यरत है। मुझे खुशी है कि माधव रेड्डी जी ने 1977 के सूखे से तुलना की है। मैं भी 1979 के सूखे से तुलना करूंगा। इस वर्ष सूखे की स्थिति सभी रूप में 1979 से भयंकर है। एक बात और जो ध्यान देने योग्य है, वह है वर्षा का समय जिसे मौसम विभाग के आंकड़ों में नहीं दिखाया जाता है। यदि एक निश्चित मात्रा तक वर्षा होती है तो मौसम विभाग कहता है : "कि वर्षा ठीक हुई है" लेकिन यदि वर्षा जुलाई में नहीं होती है और वह सितम्बर में होती है, तो वह किसान के लिए उपयोगी नहीं है। जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है इसका कोई लाभ नहीं है। यह मौसम विभाग के वर्षा के आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाता। अब मैंने उन्हें कहा है। वह इस प्रकार आंकड़े भी सम्मिलित करेंगे। वह इसे किसान की दृष्टि से मापेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त इस वर्ष जो वर्षा हुई, वह उत्पादन की दृष्टि से बहुत देर से हुई है। इसलिए सूखे का प्रभाव उससे काफी भयंकर है जैसा आंकड़ों से दिखाई पड़ता है, जैसा कि उन्होंने मौसम विभाग की फाइलों में दिखाया है। इसके बावजूद हमने सूखे की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। राजस्थान और गुजरात को छोड़कर, जहां पिछले 3 अथवा 4 वर्षों से बुरी स्थिति रही है, कोई अन्य राज्य और मैं कहता हूं कांग्रेस अथवा विपक्ष द्वारा शासित राज्यों, दुर्भाग्यवश कल जब आप मुझसे बात कर रहे थे अथवा जब आप बोल रहे थे, आपने केवल उसका उल्लेख किया था जो मैंने विपक्ष के मुख्यमन्त्रियों के बारे में कहा था। मैं समझता हूं आपने खुद भी वह नोट किया होगा जो मैंने अपने मुख्यमंत्रियों के बारे में कहा था। मैं बिलकुल स्पष्ट कह रहा हूं। मैंने कुछ घुमा-फिरा कर नहीं कहा है। चाहे वह हमारे मुख्यमंत्री हैं अथवा वह विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं। सभी राज्य सरकारों को कार्य करना चाहिए और कुछ अनुशासन में कार्य होना चाहिए — राजस्थान और गुजरात के सिवाय किसी राज्य सरकार ने इसे हमारे द्वारा केन्द्र से शुरू करने से पहले कोई सूखा सहायता कार्यक्रम शुरू नहीं किया था। इसके बाद भी जबकि मेरे राज्यों का दौरा करने से पहले उन्हें एक अथवा दो महीने दिए गए थे। तब भी केवल ऊपरी लीपा-पोती थी अथवा कागजों पर कार्यक्रम थे। यह यहां से शुरू हुए। हमने शुरुआत की। आज राज्य सरकारें, मेरे राज्यों सहित मुझे लम्बी सूचियां दे रही हैं हमने अत्यधिक धन व्यय किया है; हमने इतना धन व्यय किया है। जब हमने उनसे पूछा: आपने यह राशि कहां खर्च की है? हमें इसके कुछ उदाहरण दें कि 300 करोड़ रु. अथवा 400 करोड़ रु. कहां गए, विशेषतौर से जब आपने 400 करोड़ रु. तीन महीनों में खर्च किए हैं, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया।

क्या देश में किसी वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता नहीं है? क्या धन फिजूलखर्च करके फेंका जाना चाहिए? अथवा क्या गरीब जनता का धन ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए?

वास्तव में, इस देश में चाहे केन्द्र हो अथवा राज्य, वित्तीय खर्च के सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नहीं समझता।

मैंने यही कहा है, हम इसे ठीक कर रहे हैं। हम केन्द्र में प्रत्येक क्षेत्र में कड़ाई बरत रहे हैं, और इस देश को प्रगति करनी है, तो राज्यों में भी कड़ाई बरतनी होगी। और कोई चारा नहीं है। प्रशासन की ओर हमारे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की लागत बहुत अधिक है; और यह अधिक लागत केन्द्र में नहीं है। यह केन्द्र में इसलिए नहीं है क्योंकि वितरण कार्य राज्यों का काम है। यह केन्द्र में नहीं है। यदि वितरण का काम केन्द्र का होता तो संभवत: केन्द्र में भी लागत अधिक होती। हम भी उन्हीं के समान अकुशल सिद्ध होते। हमने भी उतनी ही धनराशि उड़ा दी होती। परन्तु वितरण का काम राज्यों का है। अत: कड़ाई राज्यों में होनी चाहिए। सूखे के समय धन की कमी होती है, उन्हें यह सुनिश्चित करने में अनुशासित रहना चाहिए कि धन की फिजूलखर्ची न हो और धन उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिनके लिए वह निर्धारित है और हम ऐसा होता देखना चाहते हैं। आप अपने विपक्षी मुख्यमंत्रियों के बारे में चाहे जितना शोर-शराबा कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं झुकने वाला नहीं। जब तक मुझे किए गए कार्य के आंकड़े नहीं दिखाए जाते और उन्हें सत्यापित नहीं किया जाता, तब तक हम आगे धनराशि नहीं देंगे। मैंने वित्त मंत्री को स्पष्ट रूप से बता दिया है। मैंने मंत्रिमंडल सचिव को भी स्पष्ट रूप से बता दिया है।

अत: अब हमें इस सम्बन्ध में स्पष्ट हो जाना चाहिए। जैसा मैंने कहा सूखे के बावजूद, सारी समस्याओं के बावजूद, बुनियादी ढांचे ने पिछले वर्षों की बनिस्बत अच्छा काम किया है। आप इसकी किसी अन्य सूखा वर्ष या कठिन वर्ष से तुलना कर सकते हैं और आप देखेंगे कि अन्तर पहले से अधिक है। एक समस्या, जो बहुत गम्भीर है और वह मूल्यों में वृद्धि; और मैं इसका विशेषरूप से उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि विपक्ष के बहुत थोड़े सदस्यों ने इसका उल्लेख किया है वह विपक्ष से नहीं है, वह हमारे सदस्य हैं। यह वास्तविक चिन्ता है और मुझे इस बात से ज्यादा दु:ख हुआ है कि विपक्ष को इस बात की चिन्ता नहीं है कि मूल्य बढ़ रहे हैं।

*** *** ***12

मूल्यों के सम्बन्ध में कठिन स्थिति है। मूल्य बढ़ रहे हैं; उन्हें नियन्त्रित किया जाना चाहिए और वित्त मंत्री इस विषय पर पहले ही बोल चुके हैं। मैं इस पर गहराई से नहीं बोलना चाहता हूं। परन्तु जो भी उपाय अपेक्षित हैं, वे किए जाएंगे; यदि वे कड़े और सख्त भी हुए, तो भी किए जाएंगे। इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी।

मैं पुन: इस बात पर बल देना चाहता हूं कि हमें सूखा वर्ष की किसी अन्य सूखा वर्ष से तुलना करनी चाहिए। आज — यदि मैं गलत कहूं तो बताइएगा — हमारी मुद्रास्फीति लगभग 10% से कम है; यह दो अंकों में नहीं पहुंची है। आप इसकी तुलना पहले के किसी सूखा

वर्ष से करें। मैं आपको इसकी तुलना पिछले दो सूखा वर्षों से करने को नहीं कह रहा हूं, किसी अन्य एक सूखा वर्ष से तुलना कीजिए। 1979 में क्या हुआ था? मुद्रास्फीति 22 प्रतिशत थी। क्यों? क्योंकि सरकार प्रणाली को नियन्त्रित नहीं कर सकी थी हमने इसे एक ही अंक में बनाए रखा और हम इसे एक ही अंक में रखने के लिए भरसक प्रयास करेंगे क्योंकि सरकार वैसे काम नहीं कर रही जैसा देश में पड़े पिछले सूखे के दौरान हुआ था।

*** *** ***13

हमने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं कि रबी की फसल अच्छी हो, क्योंकि किसानों और खेत मजदूरों को उनके पैरों पर फिर से खड़ा करने का यही एकमात्र सही तरीका है। कोई सा भी अन्य राहत कार्य उन्हें उस स्थिति में नहीं ला सकता है, क्योंकि ऐसा किया नहीं जा सकता है। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि रबी की फसल अच्छी हो, हर चीज उपलब्ध हो और ऐसा ही हुआ। रबी की फसल अच्छी है। सूखे, ऐसे भयंकर सूखे से निपट पाने का कारण यह है कि 1980 से 1986 तक के पिछले छह वर्षों के दौरान कांग्रेस को इन्दिरा जी के अधीन और हाल ही में इस सरकार के अधीन अवसंरचना को गठित और एकजुट होने का अवसर मिला और ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि हमने इन तीन वर्षों के दौरान अवसंरचना को मजबूत किया है और इसलिए हम आज सूखे का सामना करने में सफल हुए। अन्यथा यदि 1979 के सूखे के बाद यदि एक दूसरा सूखा पड़ता तो देश के घुटने टिक जाते। विपक्ष की सरकार और कांग्रेस की सरकार के बीच यही अन्तर है।

अनेक सदस्यों ने केन्द्र राज्य सम्बन्धों का प्रश्न उठाया है और मैं इस पर टिप्पणी करना चाहूंगा। मेरा विचार है कि केन्द्र और राज्य के बीच सम्बन्ध पहले कभी इतने मैत्रीपूर्ण नहीं रहे जितने इन तीन वर्षों के दौरान रहे।

*** *** ***14

केंद्र राज्य सम्बन्ध क्या है? दोनों का सम्बन्ध साथ-साथ काम करने का है, केन्द्र सरकार का राज्य सरकारों तथा मुख्य मंत्रियों के साथ काम करना है। यदि आप किसी मुख्य मंत्री को बर्खास्त करते हैं तो यह एक खराब केन्द्र राज्य सम्बन्ध है। यदि आप कुछ महीने में नौ राज्य सरकारों को बर्खास्त करते हैं तो इससे खराब सम्बन्ध और क्या हो सकते हैं?

जी हां, मुझे उस विषय पर आने दें जहां से मैंने शुरू किया था। मुझे उस विषय पर आने दें जहां से मैंने शुरू किया था। आप समस्या की जड़ तक कभी नहीं जाते हैं। आप सिर्फ उपरी सतह तक सीमित रहते हैं। केन्द्र राज्य सम्बन्धों की जड़ उन्हें बिना बर्खास्त किए साथ काम करना है, जो आप नहीं कर सके।

*** *** ***15

पूर्वी क्षेत्र में मिजोरम और सिक्किम भी है। जी हां, विपक्ष द्वारा चलाई जा रही सरकारें भी हैं। आप इसे, इस प्रकार अलग नहीं कर सकते। असम भी है। परन्तु हमें एक बात पर सावधान रहना चाहिए। और मैं उस विषय पर वापस आना चाहता हूं, राज्यों के वित्तीय अनुशासन पर योजना धनराशि का गैर योजना गतिविधियों पर खर्च - हम इस प्रकार करते नहीं रह सकते हैं। देश इतना धनी नहीं है कि गरीब जनता का पैसा बर्बाद करे। इसका भविष्य के लिए निवेश किया जाना चाहिए । मैं कोई उल्लेख करना नहीं चाहता हूं। मैं पश्चिम बंगाल का भी उल्लेख कर सकता हूं। आपकी छठी योजना का क्या हुआ।

एक विशेष राज्य-मेरे सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं होगी, जिसका मैंने दौरा किया, मैं उस राज्य का नाम लेना नहीं चाहता, शायद अपना दोष महसूस कर आप उस राज्य का नाम जान जाएं, उस विशेष राज्य का मैंने दौरा किया तथा मैंने मुख्यमंत्री से बात की। हमने योजना निष्पादन पर बात की। प्रत्येक क्षेत्र में वे अपने लक्ष्य से नीचे थे, और एक-दो प्रतिशत नहीं, बल्कि पचास-साठ और सत्तर प्रतिशत तक पीछे थे और वह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कि विद्युत, ऊर्जा तथा कृषि में, सिर्फ एक क्षेत्र में उन्होंने लक्ष्य से ज्यादा खर्च किया है, लक्ष्य से 50 प्रतिशत ज्यादा और वह...

*** *** ***16

हम राज्य सरकारों के साथ बड़े सशक्त तथा अच्छे सम्बन्ध रखना चाहेंगे क्योंकि हम यह जानते तथा महसूस करते हैं कि विकास तथा राष्ट्र-निर्माण का कार्य इस प्रकार का नहीं है कि केवल केंद्र से अथवा केवल राज्यों से संचालित किया जा सके। यह राज्यों तथा केंद्र दोनों द्वारा की जाने वाली एक संयुक्त प्रक्रिया होती है। इसीलिए, प्रत्येक स्थिति में हमने इस सेतु को बनाने का प्रयत्न किया है तथा चाहे हमें कठिनाइयां हों, फिर भी हम इस प्रयत्न को जारी रखेंगे। न केवल विपक्षी राज्यों में कठिनाइयां हैं बल्कि हमारे अपने राज्यों में भी कठिनाइयां हैं क्योंकि वहां निर्धारित कार्य हैं तथा आपको उनसे अलग होना होता है। किंतु प्रयत्न जारी रहने चाहिए तथा हम इन प्रयत्नों को अवश्य जारी रखेंगे। हमें सुनिश्चित करना है कि राज्यों में हमारे प्राकृतिक संसाधनों के पोषण तथा संरक्षण के लिए समान वचनबद्धता है। दुर्भाग्य से इसे राज्य स्तर पर तथा संभवतया इससे भी नीचे जिला स्तर पर पर्याप्त रूप से महसूस नहीं किया जाता है। यह जागृति पैदा की जानी चाहिए।

हम पूर्णतया तथा समग्रतया प्रेस की आजादी चाहते हैं। हमने इस आजादी को बनाए रखा.... जिस तरह हमने अपने सभी आधारभूत प्रजातान्त्रिक अधिकारों को बनाए रखा है। इसमें कोई अंतर नहीं है। प्रेस की आजादी इस अधिकार का एक हिस्सा है। वास्तव में, आज केवल प्रेस की आजादी की ही नहीं बल्कि उनके अधिपतियों से प्रेस की आजादी की भी जरूरत है। इसके निर्धारित किए जाने की भी जरूरत है। केवल एक ही काफी नहीं है। मैं गंभीरता से कह रहा हूं, मैं इसे मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। इसको अच्छी तरह किया

जाना है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना बड़ा अथवा छोटा अथवा अच्छे सम्पर्क वाला क्यों न हो, विधि-प्रक्रिया से बच नहीं सकता है। ऐसा मैंने इस सभा में कहा है, ऐसा मैंने बहुत से अवसरों पर कहा है। श्री उन्नीकृष्णन जी ने कल एक टिप्पणी की थी। मैं अब वही कहूंगा। इस देश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह कितना भी सम्पर्क वाला हो, चाहे वह कितने ही उच्च पद पर हो, चाहे वह प्रेस से सम्बद्ध क्यों न हो। कानून प्रेस पर उतना ही प्रभावकारी है। प्रेस के लिए कोई अलग कानून नहीं है। यदि वे कानून तोड़ेंगे, तो उन्हें नियमानुसार दंडित किया जाएगा। हमें यह स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए।

*** *** ***17

मैंने कहा है कि जहां भी कानून का उल्लंघन होगा, वहां कार्यवाही की जाएगी। किसी का बचाव अथवा परिरक्षण नहीं किया जाएगा। मैं आपको इससे अधिक स्पष्ट नहीं बता सकता तथा चाहे हम आपको वापस आपके स्कूल क्यों न भेज दें, आप इसको स्पष्ट नहीं कर सकेंगे। महोदय, इस सरकार को संविधान, न्यायपालिका, देश की विधि तथा संसद में पूर्ण विश्वास है तथा हमने स्वयं को सभी संस्थाओं के लिए मुक्त रखा है। हम किसी भी समय उनका सामना करने से हटे नहीं हैं, किन्तु दुर्भाग्य से यह बात उन बहुत से सदस्यों के बारे में नहीं कही जा सकती, जो सभा में विपक्ष में हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वे उपदेश देने के बजाय स्वयं को इन संस्थाओं के प्रति समर्पित कर दें।

विदेश नीति पर केवल कुछ लोगों ने चर्चा की। मुझे इस बारे में कुछ खेद है क्योंकि हमारी आन्तरिक नीति उसी प्रकार से विदेश नीति से सम्बद्ध है जिस प्रकार से यह हमारी आन्तरिक स्वदेशी नीति के प्रत्येक भाग से सम्बद्ध है। दुर्भाग्य से, विपक्ष के बहुत से सदस्यों ने इसको महसूस नहीं किया है यह कहा गया है कि हमने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन किया है। किसी ने कहा कि पहल नहीं की गई है। मैं स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं कर सकता कि इस सरकार के इतने महीनों में इतनी पहल की गई तथा इसकी तुलना पंडित जी अथवा इंदिरा जी अथवा शास्त्री जी के समय के समान महीनों से करें।

किन्तु इस सरकार ने जितनी पहल की है, मेरा विचार है कि कुछ अन्य सरकारों ने विशेष रूप से इसी समयावधि में, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उतनी पहल की नहीं है तथा आप किसी भी क्षेत्र — चाहे दक्षिण अफ्रीका, चाहे ए.एन.सी., चाहे स्वापों, फ्रंट लाइन स्टेट्स, गुट-निरपेक्ष आंदोलन, अफ्रीका कोष, राष्ट्रमंडल, प्रतिष्ठित व्यक्ति समूह, छह राष्ट्र पांच महाद्वीपीय पहल, पर्यावरण, नि:शस्त्रीकरण तथा विकास, इससे भी आगे दक्षेस-पर चर्चा कर सकते हैं, निश्चय ही तीन वर्ष की समयावधि में, शायद किसी अन्य प्रशासन से अधिक विस्तृत है। यह एक अन्तहीन सूची है।

सभा में श्रीलंका समझौते की कुछ आलोचना हुई है। मैं दोहराता हूं कि यह एक ऐतिहासिक समझौता है। इसे अन्तर्राष्ट्रीय रूप से सराहा गया है तथा यह तमिलों की सभी उचित प्रत्याशाओं का उत्तर देता है। वास्तव में, यह उससे अधिक है।

*** *** ***18

भारतीय शान्ति सेना हमारे अपने सेनापतियों के कमान्ड में है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि श्रीलंका की संसद में क्या कहा गया है और मुझे जिस बात की जानकारी नहीं है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। 'दि हिन्दू' श्रीलंका की संसद का रिकार्ड नहीं है।

महोदय, भारत की अध्यक्षता में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में वह शक्ति आई जो इसमें पहले कभी नहीं थी और जिसे वह बीच की अवधि में खो चुका था। जहां तक एस.ए.ए.आर.सी. का सम्बन्ध है, भारत के नेतृत्व में ही इस संगठन की वास्तव में जड़ें मजबूत हुई हैं और यह मजबूत बना है। जैसाकि मैंने पहले कहा था, राष्ट्रमण्डल में, संयुक्त संघ में, भारत ने हर पहलु से काफी सकारात्मक भूमिका निभाई है। चीन के साथ हमने बात आगे बढ़ाई है। तनाव समाप्त किए गए हैं, बातचीत के दरवाजे खोले गए हैं और सम्भवत: मैं इसकी तुलना जनता दल के राज के दौरान जो कुछ हुआ था उसके साथ कर सकता हूं, जब हमारे विदेश मंत्री चीन में मौजूद थे और चीन ने वियतनाम पर आक्रमण करके राष्ट्र को नीचा दिखाया था। आपकी विदेश नीति और हमारी विदेश नीति में यही अन्तर है। कम्यूचिया के मामले में भारत ने दोनों नेताओं को एक साथ मिलाने में प्रमुख भूमिका अदा की है।

जैसा कि मैंने दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध में कहा, भारत ने सोवियत संघ के साथ अच्छी मित्रता निभाई है और यहां मुझे हमारे मित्रों के लिए एक विशेष शब्द सूझता है क्योंकि जब हम अमरीका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ संबंधों में सुधार ला रहे हैं, हमारे मित्र हमारी प्रगति के बारे में बहुत उत्तेजित हैं उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं है कि सोवियत संघ के साथ इस अवधि में भी क्या हो रहा है। शायद वे वास्तव में इच्छुक नहीं हैं क्योंकि यदि वे होते, तो उन्हें वास्तविकता ज्ञात होती। इससे पहले कभी भी दो देशों के बीच इतने अधिक उच्च स्तर के दौरे नहीं हुए। इससे पहले कभी भी सोवियत संघ और भारत के बीच अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर — दुतरफा मामलों पर ऊंचे स्तर पर और निम्न स्तर पर इस प्रकार आन्तरिक सम्बन्ध स्थापित नहीं हुए। दिल्ली उद्घोषणा अपने आप में एक अलग प्रकार की उद्घोषणा थी जहां पहली बार संभवत: एक बड़ी शक्ति अहिंसा को मानने को तैयार हुई थी और दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, जो अहिंसा पर आधारित है। क्या यह राजनयिक पहल नहीं है? यहां तक कि वाशिंगटन शिखर सम्मेलन के कागजों की भाषा हमारे विचारों और हमारे दर्शन से मिलती है।

मैं विनम्रतापूर्वक चाहूंगा कि यद्यपि आई.एन.एफ. समझौते पर हस्ताक्षर आज किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा एक रात में हुआ है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पंडित जी ने परमाणु निशस्त्रीकरण की बात गम्भीर विषमताओं में कही थी, क्योंकि गांधी जी ने हिरोशिमा में बम विस्फोट के बाद कहा था कि यदि विश्व को बचाना है तो प्रणाली में परिवर्तन करना आवश्यक है। 40 वर्ष तक भारत इसके लिए लड़ता रहा। इन पिछले तीन वर्षों में हमने जो प्रयास किए हैं संभवत: वे पिछले वर्षों में किसी अवधि में किए गए प्रयासों से बहुत अधिक हैं।

*** *** ***19

हम नरसिंह राव जी को केवल इस बात के लिए दोषी ठहरा सकते हैं कि वह अपने पूर्व अनुभव से बात बता सकते हैं। कोई भी इतना सीधा नहीं है जो यह समझे कि प्रमुख नीति विषयक निर्णय रातोंरात ले लिए जाते हैं। ऐसा वर्षों के बाद, कई दशकों के प्रयत्नों के बाद होता है जब उचित वातावरण होता है और घटनाएं अचानक होती हैं। ऐसा कई दशकों के प्रयत्नों के फलस्वरूप हुआ है जो पंडित जी ने, इन्दिरा जी ने और भारत ने किए हैं। यह गांधी जी के विचारों को अपनाने वाले दशक हैं, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया है। इसमें भारत की भूमिका कम मत करिए। हमें भारत की भूमिका पर गर्व है। भारत की भूमिका पर गर्व करिए। प्रत्येक के जीवन में कुछ क्षण, कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब किसी को राष्ट्र के हित के लिए छोटे-मोटे मतभेदों से ऊपर उठना होता है। कृपया कभी-कभी ऐसा अवश्य करें।

सोवियत संघ के साथ हमने पहली बार सोवियत संघ से बाहर भारत में सोवियत उत्सव आयोजित किया है। यह सरकार से परे सोवियत संघ के लोगों और भारत के लोगों की मित्रता का द्योतक है। प्रौद्योगिकी में हमने सोवियत संघ के साथ जो समझौता किया है वह अपने क्षेत्र, अपने विषय और तकनीकी जो उसने हमें दी है, की दृष्टि से अभूतपूर्व है। हमने 1992 तक अपना व्यापार 2-1/2 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और हमारा लक्ष्य इसे प्राप्त करने का है और मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हमने सोवियत संघ के साथ व्यापक सहयोग किये हैं जो कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर 1985 तक किए गए हैं और जब हम 1985 से लेकर 1987 तक किए गए समझौतों की तुलना करें तो हम देखेंगे कि इन तीन वर्षों में उनसे लगभग 1-1/2 से दो गुना तक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो स्वतन्त्रता से अब तक के बीच के वर्षों में हस्ताक्षर किए गए हैं। मैं 1-1/2 से 2 का एक मोटा अन्दाजा दे रहा हूं क्योंकि आयात-निर्यात के आधार पर यह कम से कम 1-1/2 और अधिक से अधिक 2 गुना है। क्या इससे सम्बन्ध नहीं बढ़ा है? क्या यह राजनयिक गतिविधि नहीं है?

*** *** ***20

पाकिस्तान के साथ हम सहयोग करना चाहते हैं हम मित्रता चाहते हैं और हम सम्बन्ध सुधारना चाहते हैं। हमने अनेक बार शुरुआत की है। अब मुझे ठीक संख्या याद नहीं है। लेकिन यदि मुझे ठीक याद आ रहा है तो जब मैं काठमांडू में था मैंने उनके प्रधानमंत्री से बात की थी, मैंने उन्हें बताया था कि हमने 14 बार अपनी ओर से शुरुआत की है और उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं मिला है और जिनमें उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारी ओर से पहल करने में कोई कमी नहीं है। हम संस्कृति, पर्यटन व्यापार, आर्थिक सहयोग के जरिए पाकिस्तान के लोगों से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश, पाकिस्तान सरकार का बिल्कुल सहयोग नहीं है। चाहे आयात-निर्यात के स्तर हों अथवा उनके परमाणु हथियारों के कार्यक्रम सहित उनके अन्य गतिविधियों से सम्बन्धित हो। मैं इस बात को पुन: दोहराता हूं कि इन वर्षों में भारत गांधी जी और पंडित जी की बुनियादी अभिधारणाओं,

सिद्धांतों से बिल्कुल भी नहीं हटा है? उसी आधार पर हमने विकास किया है। यह वह आधार है जिन पर इन्दिरा जी ने अपने कार्यक्रमों का विकास किया और हम भी उन्हीं मार्गों पर बढ़ रहे हैं और हम इसीलिए सफल रहे हैं क्योंकि हम उन मार्गों पर चले हैं। मुझे अपने माननीय सदस्यों विशेषत: विपक्षी सदस्यों को याद दिलाना है जिन्हें विदेशी नीति के सम्बन्ध में बहुत कम अनुभव है और उनका यह अल्प अनुभव देश के लिए उलझन पैदा कर रहा है इसलिए मैं इसे उठाना नहीं चाहता, चाहे यह स्थिति चीन में हो अथवा क्यूबा में अथवा तनजानिया में हो। यह एक उलझन की अवधि चल रही है। वास्तव में राजनयिक गतिविधि, अच्छी राजनयिक वह है जो बिना बताए की जाती है और इसे हर कोने से चिल्ला कर नहीं बताया जाता है। आपको यह बात समझनी आवश्यक है। यदि आप इसे समझ जाएंगे। जब आप इसे समझ जाएंगे, तभी हमें विदेशी नीति विषयक मामलों पर कुछ सकारात्मक योगदान प्राप्त होगा।

एक अन्य झूठी अफवाह आत्मनिर्भरता के सम्बन्ध में उठाई गई है। यह कहा गया है कि हम इसे खो रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। भारत आज पहले से अधिक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली है। स्पष्टत: उन्होंने हमारी आत्मनिर्भरता को सराहा है, आपने नहीं। आप क्या आशा करते हैं? आप राष्ट्र को कमजोर देखना चाहते हैं।

उद्योग, कृषि, विकसित प्रौद्योगिकी में हमारी सभी नीतियां आत्मनिर्भरता के लक्ष्य से सम्बन्धित हैं। भारत तभी सुदृढ़ और स्वतन्त्र राष्ट्र बन सकता है यदि हम प्रत्येक क्षेत्र में सुदृढ़ हों तथा हर प्रकार से आत्मनिर्भर हों। हम इसी रास्ते पर चल रहे हैं। हमारी यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत किसी भी प्रकार ऋण के भार से नहीं दबा रह सकता और कुछ पुरानी तकनीकों से बंधा नहीं रह सकता जैसाकि कमरे के बाहर हमारे विपक्ष के कुछ मित्रों द्वारा कहा जा रहा है। हमें अवश्य ही प्रौद्योगिकी में सुधार करना चाहिए हमें उन जटिलताओं का पता लगाना चाहिए जो आत्मनिर्भर बनने के रास्ते में बाधक हैं। यदि हम पुराने विचारों से बंधे रहे तो हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकेंगे। जब मैं 21वीं सदी की बात करता हूं तो मैं मशीनों की बात नहीं करता। मैं तो मानव मस्तिष्क की बात करता हूं। आपका मस्तिष्क अवश्य ही 21वीं सदी के लिए तैयार होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि हमने अपनी समस्याओं के बारे में नए ढंग से सोचना है जिसके लिए आप तुरन्त समाधान न खोजें और अपनी समस्या के समाधान के लिए केंद्र की ओर न दौड़ें और तब आप देखेंगे कि स्वयं उस केंद्र में ही परिवर्तन आ गया है और तब हमें नए विचार प्राप्त होंगे। ये विचार कामयाब नहीं होंगे। आपको नए ढंग से सोचना होगा।

*** *** ***21

हमारा केंद्र दिल्ली है। आपके विपरीत जो भारत के बाहर हैं। आत्मनिर्भरता के लिए हमारी योजना में लचीलापन होना चाहिए। समस्याओं के आने पर हमें उनका समाधान खोजना चाहिए अपनी विचारधारा, गांधी जी और पंडित जी से प्राप्त विचारों के आधार के अन्तर्गत ही समाधान खोजने चाहिए परंतु समाधान हमारे अपने होने चाहिए। उनके समक्ष ऐसी समस्याएं नहीं थीं। उनके पास इन समस्याओं के समाधान नहीं होंगे। परन्तु उन्होंने हमें दिशा दी है जिससे हमें समाधान प्राप्त होंगे। अत: हमें वह दिशा अपनानी चाहिए और अपने समाधान खोजने

चाहिए। आज इसी बात की आवश्यकता है। यही हम कर रहे हैं। मैं इसकी विस्तार से चर्चा करना नहीं चाहता। यदि हमारे उद्योग और कृषि कार्यकुशल नहीं होंगे तो उद्योग और कृषि आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। यह बात अवश्य ध्यान में रखी जानी चाहिए। कार्यकुशलता का अर्थ बेरोजगारी नहीं है। वास्तव में, कार्यकुशलता का अर्थ अधिक रोजगार हैं जो कार्यकुशलता द्वारा उत्पन्न किए जाएंगे। यह बात किसान के लिए भी सच है और फैक्ट्री के लिए भी सच है। यह कार्यालयों और उद्योगों के लिए भी सच है। और हमें यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत को यही दृष्टिकोण प्रदान किया गया। हमें इसे गलत नहीं समझना चाहिए। जब 35 वर्ष पहले उन्होंने औद्योगिकीकरण की बात की थी तो देश में बहुत से लोगों ने उनका दृढ़तापूर्वक विरोध किया था। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए। उन्हें उन लोगों से संघर्ष करना पड़ा था। हम हर प्रकार से इससे संघर्ष करेंगे। कांग्रेस ने जैसे पहले लड़ाई की थी वैसे ही अब भी लड़ेगी। हम देखें कि भारत विकसित देश बन रहा है। यद्यपि हमारे कुछ मित्र ऐसा होने देना नहीं चाहते। एक सदस्य ने सरकारी क्षेत्र के बारे में बहुत लम्बा, असम्बद्ध भाषण दिया है। इन तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के लिए इतना अधिक किया गया है जितना इससे पहले कभी नहीं किया गया। मैं आपको कुछ नम्बर बताता हूं। मैं उस समय की बात नहीं कर रहा जब हमारी योजनाएं स्थिर नहीं थी। मैं इन्दिरा गांधी के समय का उदाहरण देता हूं क्योंकि उनके समय में अत्यधिक निवेश किया गया था। वर्ष 1980-81 में सरकारी क्षेत्र पर लगभग 21000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 1984-85 में 47,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए और हमें आशा है कि 1987-88 में यह बढ़कर 83,500 करोड़ रु. हो जाएंगे। इस प्रकार हम सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश कर रहे हैं। वर्ष 1984 तथा 1985 के बीच हमने इसमें.... मुझे दुबारा स्पष्ट करने दें। वर्ष 1980-81 में सरकारी क्षेत्र में 21,000 करोड़ रुपए लगाए गए। वर्ष 1984 और 1987 के बीच हमने 36,000 करोड़ रुपये लगाए...

यह तुलना दो वर्षों की है। सरकारी क्षेत्र के लिए हम घड़ियालू आंसू नहीं बहाते क्योंकि यह सरकारी क्षेत्र, जो कार्य कुशल नहीं है, जो देश के लोगों को शक्तिहीन बनाता है, ऐसा सरकारी क्षेत्र नहीं है जैसाकि हम चाहते हैं। हम ऐसा सरकारी क्षेत्र चाहते हैं जो देश के लोगों के लिए हो...

कोई भी व्यक्ति जो सरकारी क्षेत्र की उत्पादकता और सक्षमता को सीमित करने का प्रयास करता है, यह व्यक्ति सरकारी क्षेत्र की उन्नति के लिए नहीं अपितु सरकारी क्षेत्र को हमेशा के लिए खत्म करने की बात करता है, वह सरकारी क्षेत्र का दुश्मन है। सरकारी क्षेत्र का बना रहना...

आपके पास कहने का कुछ नहीं है। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। इसलिए यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि हमने तीन वर्षों में इतने अधिक कार्य किए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं और जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं।

इन तीन वर्षों में योजना का कार्यान्वयन किसी भी अन्य योजना के तीन वर्षों के कार्यान्वयन से अधिक है। इस वर्ष योजना में अनेक नई परियोजनाएं शुरू की हैं। सरकारी क्षेत्रों के लिए

हमने अपना वादा पूरा कर दिया है और उसमें कोई कमी नहीं रही। सरकारी क्षेत्र हमारी आयोजना का मुख्य सिद्धांत है और हम इसमें परिवर्तन नहीं कर रहे। हमने सरकारी क्षेत्र को अपनी अर्थव्यवस्था की अत्यधिक चरमसीमा पर बनाए रखा है और इसे यहीं स्थिर बनाए रखना है और यही एक उपाय है।

*** *** ***22

पूर्वी राज्यों में पहली बार कृषि के क्षेत्र में हरित क्रान्ति आई है हम विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। हमने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और अन्य आय तथा रोजगार - उत्पत्ति कार्यक्रमों के माध्यम से इन लोगों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया है।

अन्त में मैं भ्रष्टाचार के प्रश्न पर आता हूं। किसी भी सरकार ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इतने प्रयास नहीं किए जितने कि हमारी सरकार ने किए हैं।

मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, इसके बाद आप टिप्पणी कर सकते हैं। महोदय, इस सभा में फेयरफैक्स का मामला उठाया गया था। मैंने पहले ही इस पर टिप्पणी कर दी है। आयोग ने हमारी स्थिति पूरी तरह से निर्दोष सिद्ध कर दी है और इस प्रतिवेदन से यह निष्कर्ष निकलता है कि विपक्ष उद्योगपतियों के एक समूह के साथ मिल कर लाभ उठाने का प्रयास कर रहा था। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है?

जी हां, विपक्ष। विपक्ष ने मामले को समझे बिना या मामले का अध्ययन करने की परवाह किए बिना मामला उठाया था। यदि आपने इसकी जांच करने की परवाह की होती, तो हमें इसका उत्तर देने के लिए आयोग को नहीं सौंपना पड़ता। उसमें उत्तर था।

हम सत्य का पता लगाने के लिए इसे दूसरी दिशा में ले गए। नि:सन्देह, इसे सत्य की ओर मोड़ा गया था। यह निपट झूठ की ओर जा रहा था। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस सभा में जो भी मामला उठाया गया है सरकार हर मामले में निर्दोष सिद्ध होगी। मुझे पता है कि सरकार ने कोई गलत काम नहीं किया है। सरकार उसमें किसी भी तरह से लिप्त नहीं है। संयुक्त संसदीय समिति का गठन करके हमने सत्य के प्रति वचनबद्धता का प्रदर्शन किया। वह सत्य के प्रति वचनबद्धता थी। जो लोग सत्य जानना चाहते थे, वे संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य बने। जो सत्य से डरते थे, वे दूर रहे।

मैंने भ्रष्टाचार पर अपनी बात समाप्त नहीं की है। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हर उस मुद्दे पर जिसमें अनाचरण या कमीशन या भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया, सरकार ने कार्यवाही की। जब लोक लेखा समिति ने, मेरे विचार से शुद्धि के अध्यधीन, मेरे एक मंत्री के विरुद्ध रिपोर्ट दी मैंने उसी दिन उससे त्याग पत्र ले लिया। जब दो राज्यों में मेरे मुख्यमंत्रियों के बारे में प्रश्न उठा, तो मैंने उनसे त्याग-पत्र ले लिया। क्या भ्रष्टाचार के आरोपी किसी विपक्षी मुख्य मंत्री ने त्यागपत्र दिया?

*** *** ***23

मुझे अपना भाषण समाप्त करने दीजिए। आज हमें देश में एक सशक्त विपक्ष की आवश्यकता है, परन्तु ऐसा विपक्ष जो अपनी हठधर्मिता से न बंधा हो। वे इकट्ठे कब होंगे? वे बेहतर और अधिक सम्पन्न भारत के लिए कब एकजुट होकर काम करेंगे?

मैं एक मुद्दा नहीं उठा सका...मैं कहना चाहता हूं। मुझे खेद है। मैंने अभी-अभी उन्नीकृष्णन जी को देखा, उन्होंने मुझे याद दिला दिया। कल एक माननीय सदस्य ने कहा था कि यह विपक्ष इंग्लैंड के विपक्ष जैसा वफादार नहीं है। मुझे इस मुहावरे को समझने दीजिए। इंग्लैंड में महारानी की सरकार है और वहां महारानी का वफादार विपक्ष है। वफादारी देश के प्रति है, वफादारी किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है। महोदय, इंग्लैण्ड में... कृपया, उन्नीकृष्णन जी, यदि आप कृपा करके मेरी बात सुनें, तो आप मेरी बात समझेंगे, जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं।

*** *** ***24

इंग्लैंड में, महारानी की सरकार है और वहां महारानी का वफादार विपक्ष है अर्थात् विपक्ष देश के प्रति वफादार है। कल एक माननीय सदस्य ने कहा था कि यह वफादार विपक्ष नहीं है। संभवत: किसी अन्य अवसर पर वे यह सत्यापित करेंगे कि वे किसके प्रति वफादार नहीं हैं। क्या वह देश के प्रति वफादार नहीं हैं। कभी-कभी मैं ऐसा सोचता हूं।

*** *** ***25

मैं सभा पर छोड़ता हूं और अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव को रद्द किया जाए।

पश्च टिप्पण

XXI. मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव, 11 दिसम्बर, 1987

1. **श्री इन्द्रजीत गुप्तः** कहां?

श्री राजीव गांधीः नई दिल्ली में।

श्री इन्द्रजीत गुप्तः क्या आपका अभिप्राय नानी रैली है। एक नानी रैली हुई थी।

श्री राजीव गांधीः मैंने कांग्रेस नहीं, लोकदल कहा है। अतः, पहले आप अपनी समस्याओं को सुलझा लें।

2. **श्री सोमनाथ चटर्जीः** मैंने कब तथा कहां ऐसा कहा है? मैंने यह कभी नहीं कहा है।

श्री राजीव गांधीः क्या आपने यह नहीं कहा है कि कांग्रेस के चुनाव–क्षेत्र कालाबाजारियों तथा 'फेरा' के अपराधियों के चुनाव–क्षेत्र हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जीः आपके विधि मंत्री द्वारा न्यायपालिका के बारे में जो कहा गया उस संबंध में मैंने यह कहा है। आप न्यायपालिका के लिए सरकार को प्रतिस्थापित करते हैं।

श्री राजीव गांधीः नहीं, वह एक अलग मुद्दा है। यह बड़े शर्म की बात है कि माननीय सदस्य इस ढंग से भारत की जनता का अपमान करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जीः उन्हें पढ़ने दो।

श्री एस. जयपाल रेड्डीः उन्हें यह पढ़ने दो। वे सभा में नहीं रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्यः आप सभा में नहीं थे।

श्री राजीव गांधीः यदि वे उत्तर देना चाहते हैं, तो उनको उत्तर देने दें।

श्री सोमनाथ चटर्जीः मैंने जो कहा है, उसको वे जानबूझकर गलत रूप से उद्धरित कर रहे हैं। मेरे भाषण में यह वाक्य कहां है?

श्री राजीव गांधीः यदि वे चाहते हैं तो उन्हें अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण बाद में दे देने दें..... मैंने जो कहा है, मैं उस पर दृढ़ हूं। माननीय सदस्य को व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने दो।

श्री सोमनाथ चटर्जीः उन्हें मेरे भाषण में वह वाक्य प्रस्तुत करने दें।

श्री एस. जयपाल रेड्डीः आपने जो कहा है, वह गलत है। क्या आप सभा से क्षमा याचना करेंगे ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने कहा है कि विभिन्न चुनावों ने यह प्रदर्शित कर दिया है कि यह सभा किसी प्रकार से भी बाहरी व्यक्तियों के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। मैंने यही कहा है।

3. **श्री सी. माधव रेड्डी**: क्या कान्कलेव आयोजित करना टकराव है ?

श्री राजीव गांधी: बैठ जाओ न, मौका मिलेगा इसके बाद।

4. **श्री एन.वी.एन. सोमू**: यह हाथ से लिखा भाषण है आप इसे देखिए।

श्री राजीव गांधी: मुझे माफ कीजिए, यह हस्तलिखित भाषण है.....

5. **श्री जयपाल रेड्डी**: आपने कोई निर्णय नहीं लिया।

श्री राजीव गांधी: और यह विपक्ष ही है और उनके मित्र जिन्हें उस रिपोर्ट में पूर्णतया दोषी ठहराया गया है। पिछले सत्र में हर बात विपक्ष ने कही.....

श्री बसुदेव आचार्य: आपका विचार छुपाने का है।

6. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**: श्री ब्रह्मदत्त ने यहां क्या कहा है?

श्री राजीव गांधी: ठक्कर नटराजन आयोग ने हर मुद्दे पर विचार किया है।

श्री जयपाल रेड्डी: हम संसद सदस्यों की एक समिति चाहते थे.....

श्री राजीव गांधी: नहीं महोदय, उस चर्चा में एक न्यायिक जांच की मांग की गई थी और हमने उस मांग को स्वीकारा।

श्री बसुदेव आचार्य: नहीं।

7. **श्री राजीव गांधी**: मैं अपने मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे उन्हें नवोदय विद्यालय में प्रवेश दे दें शायद वे वहां सीख लेंगे।

संचार मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): महोदय आपने दक्षिणपंथी और वामपंथी का तो जिक्र किया है परन्तु आपने उनका जिक्र नहीं किया है जो न तो वामपंथी है और न ही दक्षिणपंथी।

8. **श्री सोमनाथ चटर्जी**: यह सब आपके कारण है आप जान–बूझकर पश्चिम बंगाल के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल एक औद्योगिक रेगिस्तान बन जाए। आप इस देश के बारे में कुछ नहीं जानते। वह जान–बूझकर गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। वह सोचते हैं कि वह भारत के सम्राट हैं।

श्री राजीव गांधी: मैं इस बात की काफी सराहना करता हूं। मैं माननीय सदस्य को उनकी टिप्पणियों के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं इस बात की काफी सराहना करता हूं

कि पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री को इस बात का पता है कि सी.पी.एम. की नीतियां पश्चिमी बंगाल में प्रगति नहीं ला पाईं। उन्हें यहां से कांग्रेस की नीतियों तथा नेतृत्व की ओर देखना पड़ता है। धन्यवाद महोदय।

श्री सोमनाथ चटर्जी: दुर्भाग्यवश, वे भारत के प्रधान मंत्री हैं। हम उनकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं। यहां जो कुछ संघीय ढाँचा मौजूद था उन्होंने उसे समाप्त कर दिया है। वे उन सभी मुद्दों का जवाब नहीं देते हैं।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर): वे किसी व्यवधान के बिना 45 मिनट तक बोले हैं। वे हमारे जवाब को सहन नहीं कर सकते हैं। सी.पी.एम. का यही तरीका है।

श्री राजीव गांधी: शायद मैं माननीय सदस्य से यही अनुरोध कर सकता था कि वे अपने मुख्यमंत्री के पदचिह्नों पर चलें। हमारे दृष्टिकोण से सोचिए। अपनी आँखें खोलिए। पता लगाइए क्या हो रहा है। यदि आप अपनी आँखें खोलें तो आपको पता लगेगा। पश्चिमी बंगाल जाकर पता लगाइए।

9. **अध्यक्ष महोदय:** कृपया व्यवधान पैदा न कीजिए। कृपया बैठ जाइए। इसे सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाइए। श्री रामधन, कृपया बैठ जाइए।.....क्या आप अपने–अपने स्थान पर बैठेंगे।

आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप क्यों झगड़ा कर रहे हैं।

10. **श्री नारायण चौबे:** भूमि सुधार का क्या हुआ ?

श्री राजीव गांधी: आप अपना प्रश्न अपनी बारी आने पर पूछें।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : बंगाल ने हमेशा इसका विरोध किया है।

श्री नारायण चौबे: बंगाल ने किस बात का विरोध किया है?

अध्यक्ष महोदय: एक दूसरे से बात न कीजिए।

11. **श्री सी. माधव रेड्डी:** दुर्भाग्यपूर्ण क्यों? यह एक स्वीकृत शब्दावली है। हिन्दू रेट ऑफ ग्रोथ का एक निश्चित अर्थ है।

श्री राजीव गांधी: सभा में इस पक्ष के लोगों के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: इस शब्दावली के प्रणेता प्रो. राज कृष्ण थे। यह बहुत बार उद्धृत किया गया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी: आप बताएं कि इसका क्या अर्थ है।

12. **श्री बसुदेव आचार्यः** हमने चर्चाएं उठाईं हैं।

श्री राजीव गांधीः मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं; मैं इस वाद–विवाद की बात कर रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्यः आपने वाद–विवाद नहीं पढ़े हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): आप मेरा भाषण पढ़िए। मैंने मूल्य वृद्धि का उल्लेख किया है।

श्री नारायण चौबेः मुझे नहीं पता कि आपने हमारे भाषण सुने होंगे।

श्री बसुदेव आचार्यः आपके पास कार्यवाही सुनने का समय नहीं है। आप भोपाल में थे।

श्री राजीव गांधीः मैं भोपाल में केवल तीन घंटे के लिए था। वाद–विवाद कल पूरे दोपहर बाद तक हुआ था। मैं यहां छह बजे से 11.15 बजे तक या कल रात सभा के स्थगित होने तक बैठा था। ऐसी बात नहीं कीजिए।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी): प्रधान मंत्री जी.....

श्री राजीव गांधीः आपने अच्छा भाषण दिया था।

श्री दिनेश गोस्वामीः प्रधान मंत्री जी, वास्तव में मैंने कहा था कि मूल्यों में वृद्धि इतनी अधिक हो गई है कि यदि विपक्षी सदस्यों की पत्नियां आज मतदान करने आ जाती तो प्रस्ताव पारित हो जाता। आपने कम–से–कम इतना तो पढ़ा होगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने उल्लेख नहीं किया है।

श्री राजीव गांधीः श्री गोस्वामी जी, धन्यवाद। जो कुछ आपने कहा मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और हालांकि जब आपका भाषण हुआ था तब मैं यहां नहीं था। मुझे बताया गया है कि संभवतः आपके ही भाषण में कुछ तत्व था।

श्री दिनेश गोस्वामीः आपकी प्रशंसा मेरे लिए राजनीतिक रूप से समस्याएं पैदा कर सकती है।

श्री राजीव गांधीः यह कोई प्रशंसा नहीं थी, मैं सच बात कहने की कोशिश कर रहा था।

13. **श्री एस. जयपाल रेड्डीः** वह तीन सरकारों का वर्ष था, 1979 तीन सरकारों का वर्ष था।

अध्यक्ष महोदयः आप अनावश्यक रूप से क्यों बोल रहे हैं ?

श्री राजीव गांधीः आप भी उस समय थे; आपका दल भी उसमें था। आपको

याद है आपने क्या किया। आपको याद है आपने जो किया था उसे ठीक करने में हमें कितने वर्ष लगे।

श्री एस. जयपाल रेड्डीः आपकी गलतियों को ठीक करने में हजार साल लगेंगे।

श्री राजीव गांधीः मैं आपको अब भी याद दिला सकता हूं। यदि आप चाहें तो मैं आपको याद दिला सकता हूं। परन्तु मैं सभा को याद नहीं दिलाना चाहता हूं और इस विषय पर सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं, जिसके बारे में वास्तव में सबको अच्छी तरह पता है, परन्तु कुछ लोग उसका सामना नहीं करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदयः मैं इनको आपके पास भिजवा दूंगा। आप दोनों कर लेना।

श्री राजीव गांधीः मैं इसे अध्यक्षपीठ से वायदा मानता हूं क्योंकि मैंने उन्हें जब भी आने और बात करने को आमंत्रित किया, वे कभी नहीं आए।

अध्यक्ष महोदयः श्रीमान, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपना विनिर्णय दूं?

श्री राजीव गांधीः कृपया दें।

14. श्री सी. माधव रेड्डीः कारण क्या था।

श्री राजीव गांधीः कारण मैं आपको बताऊंगा इन तीन वर्षों में केन्द्र सरकार ने कितनी राज्य सरकारों को भंग किया। नहीं, पहले की किसी सरकार को देखें।

15. श्री बी. किशोरचन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम): 1980 में ये क्या हुआ था?

श्री राजीव गांधीः 1980 में, मैं खुद कहता हूं यह गलत था– मेरे विचार से गलत था– परन्तु यह गलती इसलिए हुई कि बर्खास्तगी 1977 में भी हुई थी। वह जो सरकारें थीं वह ठीक नहीं थीं। यही कारण है कि ऐसा किया गया। यह गलती एक गलत काम को ठीक करने के लिए थी।

श्री बसुदेव आचार्यः एन.टी. रामाराव की सरकार क्यों बर्खास्त की गई थी?

श्री एस. जयपाल रेड्डीः कश्मीर सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे ? पंजाब सरकार के साथ हाल में ऐसा क्यों हुआ?

श्री बसुदेव आचार्यः पंजाब सरकार के साथ क्या हुआ?

श्री राजीव गांधीः सिर्फ पंजाब सरकार के बारे में मैं अपने निर्णय से संतुष्ट हूं। यह राजनीतिक कारण से नहीं लिया गया था बल्कि प्रशासन बिखर गया था। हमें स्पष्ट होना चाहिए। आचार्य जी आप तर्क दे सकते हैं लेकिन हमें स्पष्ट होना चाहिए। सरकार बर्खास्त करने का उदाहरण 1977 में स्थापित किया गया था। जब नौ राज्य सरकारों को एक बार में ही बर्खास्त किया गया था।

श्री बसुदेव आचार्यः 1959 में केरल में एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था।

श्री राजीव गांधीः आपने केरल का उल्लेख किया है। आज भी यदि मैं किसी राज्य सरकार को देश विरोधी पाता हूं, तो मैं उस सरकार को बर्खास्त करूंगा चाहे वह कितने भी बहुमत में क्यों न हो।

आचार्य जी, आप बैठ जाइए।

महोदय, केन्द्र राज्य संबंधों में, कांग्रेस तथा विपक्ष द्वारा चलाई जा रही सरकारों के बीच धनराशि के आबंटन में पक्षपात का कोई एक मामला है। एक भी मामला नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्यः सैकड़ों मामले हैं।

श्री राजीव गांधीः एक मामले का नाम बताइए।

श्री नारायण चौबेः आप बताइए पिछले दस वर्षों में आपने पश्चिम बंगाल को कितनी फैक्टरियां दी हैं, एक फैक्टरी का नाम बताएं.....

श्री राजीव गांधीः मैं फैक्टरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं योजना आबंटनों के बारे में बात कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदयः आप मानते क्यों नहीं है, क्या करते हैं बीच–बीच में.....

आपके बाल सफेद हो गए हैं, फिर भी काबू नहीं आते हैं।

आप बैठिए श्रीमान।

आप क्या कर रहे हैं महोदय.....

श्री बसुदेव आचार्यः आठवें वित्त आयोग ने जितनी धन की सिफारिश की थी वह पश्चिम बंगाल को नहीं दिया गया है।

श्री राजीव गांधीः क्योंकि मुझे विश्वास है, पश्चिम बंगाल, मुझे सही–सही जानकारी याद नहीं आ रही है, ने अपने भाग को पूरा नहीं किया।

श्री बसुदेव आचार्यः मैं आपको बता सकता हूं।

श्री राजीव गांधीः हम इस पर ध्यान दे सकते हैं। हम उस बात पर ध्यान दे सकते हैं और यदि मैं ठीक हूं तो यह काम पिछली सरकार ने किया था न कि इस सरकार ने। इसलिए यह मामला इस विषय में नहीं आता है, यह इस विषय के क्षेत्र में नहीं है। महोदय, इसे ज्यादा स्पष्ट करने दें, यदि हम.....

उपाध्यक्ष महोदयः कुमारी ममता बनर्जी आप कृपया बैठ जाइए।

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम): महोदय, त्रिपुरा को सातवीं योजना में प्रति व्यक्ति आबंटन, उत्तरपूर्व क्षेत्र के अन्य राज्यों की अपेक्षा कम किया गया है। नागालैंड में यह 4000 से ज्यादा है, त्रिपुरा के मामले में यह 2200 है।

श्री राजीव गांधी: महोदय, मेरे पर यहां आंकड़े नहीं हैं मैं अपनी याददास्त से बता रहा हूं त्रिपुरा को देश के औसत आबंटन का डेढ़ से दो गुना तक दिया गया है।

श्री अजय विश्वास: त्रिपुरा में यह 2200 है और नागालैंड में 4000 है।

श्री राजीव गांधी: आपको दोगुनी धनराशि का आबंटन हुआ है और आप शिकायत कर रहै हैं।

अध्यक्ष महोदय: इसकी अनुमति नहीं है। मैं इन व्यवधानों की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

16. एक माननीय सदस्य: प्रचार

श्री राजीव गांधी: और वह क्षेत्र प्रचार था।

श्री बसुदेव आचार्य: तब भी आप पिछले विधानसभा चुनावों में हार गए।

श्री राजीव गांधी: धन्यवाद, आचार्य जी । आपने हमारे सदस्यों को बताया कि यह कौन–सा राज्य है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है। यदि उनमें साहस हो, तो वे चुनाव लड़ें।

श्री सोमनाथ चटर्जी: उन्होंने पूरी कोशिश की। वे असत्य को दोहराने में लगे रहे, किन्तु जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया।

अध्यक्ष महोदय: आप कृपा करके बैठिए अब । बैरागी जी आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई शेर याद आ गया है क्या?

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर): मैं अपने प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी से इस सारे संदर्भ में केवल 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं ––––––

इससे ज्यादा आईना इनको मत दिखलाइए,

वैसे ही बदशक्ल हैं, बेनूर हैं, डर जाएंगे।

आईने को तोड़ देना जिद है इनके हुस्न की,

इस मशक्कत में बिचारे खुद ब खुद मर जाएंगे।

श्री राजीव गांधी: मैं कोशिश तो बहुत करूंगा आदरणीय मेम्बर की सलाह लेने की।

अध्यक्ष महोदयः श्री रामधन जी, आप भी कोई शेर पढ़ रहे हैं क्या?

श्री रामधनः अध्यक्ष महोदय,

यों तो हम जानते हैं जन्नत की हकीकत,

लेकिन दिल के बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है।

श्री गुलाम नबी आजादः बैरागी जी ने इन्हीं को कहा था आईना देखने के लिए।

श्री राजीव गांधीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोशिश तो करूंगा कि आईना ना दिखाऊँ, लेकिन ये खुद उठाकर देख लेते हैं, उनको मैं रोक नहीं सकता।

17. श्री एस. जयपाल रेड्डीः महोदय, नेशनल हेराल्ड के बारे में क्या विचार है ? नेशनल हेराल्ड को पट्टा–अनुबंध का उल्लंघन कर भवन के बड़े भाग को किराए पर चढ़ाने के लिए सरकार द्वारा दोषी पाया गया है। प्रधानमंत्री जी, क्या आपको इसकी जानकारी है?

18. श्री एन.वी.एन. सोमू (मद्रास उत्तर): नहीं, महोदय। निश्चित रूप से नहीं ।

श्री राजीव गांधीः क्या आप मेरी बात सुनेंगे? जब मैं अपनी बात समाप्त कर लूं तब आप अपनी टिप्पणी दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदयः श्री सोमू, बैठ जाइए।

श्री राजीव गांधीः महोदय, मैं इनकी बात नहीं मान रहा हूं।

अध्यक्ष महोदयः श्री सोमू, आपको मेरी अनुमति लेनी है। बैठ जाइए।

श्री एन.वी.एन. सोमूः महोदय, यहां यह कहा गया है कि भारतीय शांति सेना (आई.पी.के.एफ) जयवर्द्धने के कमाण्ड के अधीन है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय सेना के कमाण्डर हमारे राष्ट्रपति हैं अथवा श्रीलंका के राष्ट्रपति।

अध्यक्ष महोदयः श्री सोमू, कृपया बैठ जाइए।

अध्यक्ष महोदयः आप क्यों शोर कर रहे हैं ? बैठिए, मि. सोमू।.....

वे इसका उत्तर देंगे।

श्री राजीव गांधीः मैं आपको इसका अवसर दूंगा।

अध्यक्ष महोदयः वह जानना चाहते हैं कि क्या श्री जयवर्द्धने इसके कमांडर–इन–चीफ हैं।

श्री राजीव गांधीः मैं मात्र उनसे यह पूछना चाह रहा था जब वे किसी दस्तावेज अथवा किसी समाचार–पत्र से उद्धरण दे रहे थे। क्या माननीय सदस्य उसमें कही गई बात को प्रामाणिक मानते हुए उत्तर देना चाहेंगे ?

श्री एन.वी.एन. सोमू: जी हां, महोदय, यह बात श्रीलंका की संसद में मंत्री श्री विन्सेन्ट पेरेरे द्वारा कही गयी है।

अध्यक्ष महोदयः श्री सोमू, आपको यह महसूस करना चाहिए कि कल इस विषय पर काफी गर्मागर्मी रही है। हमारे पास काफी समय था। जब आप इसे सभा पटल पर रख रहे हैं तो आप जो कुछ कह रहे हैं आपको उसे प्रमाणित करना होगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको यह करना है। मैं आपको मात्र चेतावनी दे रहा हूं।

श्री एन.वी.एन. सोमू: मैं 'हिन्दू' समाचार–पत्र पर पूर्ण विश्वास रखता हूं। श्रीलंका की संसद में यह कहा गया है।

अध्यक्ष महोदयः जो कुछ भी श्रीलंका की संसद में कहा गया है वही समाचारों में छपा है । इसकी प्रामाणिकता इत्यादि को प्रमाणित करने का प्रश्न कहां है?

श्री एन.वी.एन. सोमू: यह समाचार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा हिन्दू समाचार–पत्र में छापा गया है।

अध्यक्ष महोदयः मैंने आपकी बात सुन ली है। अब आप बैठ जाइए।.....

मैंने किसी भी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी है।

मैंने यह कहा है कि यह समाचार–पत्र में छपी एक खबर है। अब मेरी बात सुनिए।

श्री एन.वी.एन. सोमू: यह श्रीलंका की संसद में कहा गया है।

अध्यक्ष महोदयः श्री सोमू, कृपया मेरी बात सुनिए। कई बार कई बातों को जोड़–तोड़ दिया जाता है और गलत छाप दिया जाता है। यही बात वे कह रहे हैं। अब ठीक है। आप बैठ जाइए।

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन (वडागरा): उन्हें इस बात से इनकार करने दीजिए। प्रधानमंत्री को इस बात से इनकार करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः आप शोर क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता।

श्री के.पी. उन्नीकृष्णनः वे इनकार क्यों नहीं कर देते?

अध्यक्ष महोदयः आप सबको क्या हो गया है? मैं आपको नाम लेकर पुकारूंगा आप इस तरह का व्यवहार मत कीजिए।

श्री राजीव गांधीः महोदय, हम सभी भारतीय हैं।

श्री एन.वी.एन. सोमू: पहले मैं तमिल हूं और बाद में भारतीय।

श्री राजीव गांधीः महोदय, संक्षेप में यह विपक्ष में जो हो रहा है उसका दुःखद भाग है। पहले वे तमिल तथा आन्ध्रवासी तथा बंगाली हैं और कुछ नहीं।

श्री बसुदेव आचार्यः जी नहीं, हमारा दृष्टिकोण वह नहीं है । यह उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण है।

श्री राजीव गांधीः महोदय, हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए। महोदय, इस सभा को कम से कम यह संकल्प लेना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस सभा में बैठा है वह भारतीय पहले है। महोदय, मैं विपक्ष में बैठे माननीय सदस्यों से यह सुनना चाहूंगा कि वे भारतीय पहले हैं और बाद में कुछ और है । जी हां, श्रीमान । एक सदस्य कह रहे हैं 'जी नहीं' । वे यह कहें कि वह भारतीय पहले हैं।

श्री एन.वी.एन. सोमूः भाषा के आधार पर मैं एक तमिल हूं, परन्तु राष्ट्रीयता से मैं एक भारतीय हूं ।

श्री एस. जयपाल रेड्डीः महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदयः आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

अब बैठ जाइए।

श्री राजीव गांधीः वे यह भी नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। 30 सेकेंडों में वे यहां से यहां गए और वापस आ गए। शायद, जिस समय तक मैं बोलना समाप्त कर दूंगा, वे फिर से तमिल बन जाएंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जीः महोदय, यह क्या हो रहा है ?

श्री राजीव गांधीः महोदय, गुट–निरपेक्षें..... मैं..... ठीक है, मैं इसे छोड़ दूंगा ।

गुट–निरपेक्षता में भारत ने भूमिका निभाई है .....।

श्री एस. जयपाल रेड्डीः महोदय, उन्हें पहले इस प्रश्न का उत्तर देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः वे इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अब बैठकर सुनिए।

श्री राजीव गांधीः मैं उसका जवाब दूंगा। संक्षेप में, जो कुछ श्रीलंका की संसद में कहा गया है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं.....नहीं सकता।

श्री एन.वी.एन. सोमूः हिन्दू में यह बात कही गई है।

श्री राजीव गांधीः दि हिन्दू, चाहे आप इस समाचार–पत्र को चारों तरफ लहराओ, यह श्रीलंका की संसद का रिकार्ड नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्तः यह सच है कि हमारे दल ने समझौते का समर्थन किया है, परन्तु हमें कभी भी इस बात की सूचना नहीं दी गई थी कि भारतीय शान्ति सेना (आई.के.पी.एफ.) हमारे अपने सेनापतियों के अधीन नहीं रहेगी बल्कि राष्ट्रपति जयवर्द्धने के कमान्ड में रहेगी।

19. श्री एस. जयपाल रेड्डीः आप अपने स्वयं के योगदान का उल्लेख नहीं कर रहे हैं।

श्री राजीव गांधीः दुर्भाग्यवश, जो नरसिंह राव जी ने कहा है, वह बिलकुल ठीक है । आप इतने छिद्रान्वेषी हो गए हैं कि आप दुर्भाग्यवश, केवल अपने को ही देखते हैं और यह दुखद बात है।

श्री एस. जयपाल रेड्डीः मुझे खुशी है कि आपको दुख हुआ है।

श्री राजीव गांधीः दुर्भाग्यवश इस विश्व में चीजें एकदम शुरू और एकदम समाप्त नहीं की जा सकती हैं विशेषतः जहां प्रमुख नीति विषयक मामलों का संबंध है।

अध्यक्ष महोदयः मुझे किसको दोष देना चाहिए ..... नरसिंह राव जी को अथवा.....

श्री राजीव गांधीः नरसिंह राव जी ने केवल आईना दिखाया।

अध्यक्ष महोदयः जयपाल सिंह जी को दोष देना है।

20. प्रो. एन.जी. रंगाः मास्को में इन्दिरा जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। किसी अन्य देश के नेता की कोई प्रतिमा नहीं है।

श्री राजीव गांधीः धन्यवाद, रंगाजी। महोदय, रंगाजी ठीक कह रहे हैं।

प्रो. एन.जी. रंगाः हमने भी लेनिन की प्रतिमा स्थापित की है।

21. श्री एस. जयपाल रेड्डीः आप किस केन्द्र की बात कर रहे हैं?

श्री राजीव गांधीः वामपन्थी दल के हमारे मित्र समझ गए हैं कि मैं किस केन्द्र की बात कर रहा हूं।

श्री नारायण चौबेः आपका केन्द्र कौन–सा है?

22. श्री बसुदेव आचार्यः गैर–सरकारी क्षेत्र का क्या हुआ? गैर–सरकारी क्षेत्र में कितना पूंजी–निवेश किया गया है?

श्री राजीव गांधीः यदि सरकारी क्षेत्र के पूंजी निवेश को दुगुना किया जाता है तो हमें गैर–सरकारी क्षेत्र के पूंजी–निवेश को भी दुगुना करना पड़ेगा। हम इसे रोकना नहीं चाहते। गैर–सरकारी क्षेत्र में हम पूंजी–निवेश नहीं करते। सरकारी क्षेत्र में सरकार द्वारा पूंजी–निवेश किया जाता है।

श्री बसुदेव आचार्यः यह आपका समाजवाद है।

श्री सैफुद्दीन चौधरीः पहली बार गैर–सरकारी क्षेत्र में अधिक पूंजी–निवेश किया गया है।

अध्यक्ष महोदयः बोलो मत, बोलो मत। आप कृपा करिए और बैठ जाइए। आप किसी का गला घोंटना चाहते हैं, क्यों ऐसा करते हैं?

23. श्री राजीव गांधीः आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है? कर्नाटक में क्या हो रहा है? बंगाल में क्या हो रहा है?

श्री एम. रघुमा रेड्डी (नलगोंडा): आप पहले त्याग–पत्र दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः बैठ जाइए। कुछ भी रिकार्ड नहीं होगा।

श्री राजीव गांधीः एक मिनट के लिए बैठ जाइए। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप जो पूछेंगे, मैं हर बात का उत्तर दूंगा। इस मामले में हम बहुत स्पष्ट हैं। आज कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जिसे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ने दोषी करार दिया हो। ऐसे विपक्षी मुख्यमंत्री हैं जिन्हें दोषी करार दिया हो।.....

आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, क्या आपने उच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ा है?

श्री बसुदेव आचार्यः आपने उड़ीसा के अपने मुख्यमंत्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदयः किसी को अनुमति नहीं है।

श्री राजीव गांधीः मुझे दोहराने दीजिए। कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का कोई निर्णय नहीं है। यह दो विपक्षी मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध है और वे अभी भी सत्ता में है। उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए ..... परिवर्तन के लिए विपक्ष की ओर से स्वच्छ राजनीतिक जीवन की वचनबद्धता पूरी होना चाहिए । आपको भी इस पर अमल करना चाहिए, न कि केवल भ्रष्टाचार की बात ही करनी चाहिए। हमने अमल किया है.....

अध्यक्ष महोदयः कृपया व्यवस्था बनाए रखें। कृपया बैठ जाइए।

श्री एस. जयपाल रेड्डीः हम जनता के निर्णय के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं?

श्री राजीव गांधीः उच्च न्यायालय के निर्णय से बचने के कई तरीके हैं।

मैंने ऐसा कहा है, मैं उसे फिर से कह रहा हूं। उच्च न्यायालय ने स्थगनादेश दे दिए हैं।

24. श्री के.पी. उन्नीकृष्णनः यदि मुझे आपसे सुनना पड़े तो यह सीखने लायक बात नहीं है।

श्री राजीव गांधीः दुर्भाग्यवश, मैंने बहुत समय पहले से ऐसा करना छोड़ दिया है।

25. श्री के.पी. उन्नीकृष्णनः यदि आप मेरी बात समझने में समर्थ नहीं है, तो मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूं.....

श्री राजीव गांधीः उन्नीकृष्णन जी, अच्छा हो आप जल्दी से स्पष्ट कर दें।

श्री के.पी. उन्नीकृष्णनः मैं संसदीय लोकतंत्र की धारणा का राजतंत्र सहित और राजतंत्र रहित उल्लेख कर रहा था। आप स्वयं को राजा समझ रहे हैं।

श्री राजीव गांधीः मैं माननीय सदस्य से इस बात का इसी सत्र में स्पष्टीकरण देने की अनुरोध करता हूं क्योंकि अगले सत्र में शायद वे यहां न हों।

श्री के.पी. उन्नीकृष्णनः मैं यह कल करने को तैयार हूं।

श्री सी. माधव रेड्डी (आदिलाबाद): अध्यक्ष महोदय, अब मेरी बारी होगी कि इन लोगों को आईना दिखाऊं।

मैं शुरू में यह कहता हूं कि हम विपक्षी दल राष्ट्रपति के प्रति वफादार हैं।

प्रधानमंत्री जी, पहले आप सुनिए ।

अध्यक्ष महोदयः आप या तो सभा छोड़कर चले जाइए अथवा आराम से बैठ जाइए । यह ठीक तरीका नहीं है कि आप यहां वहां खड़े होकर बोलें ।

शान्ति! शान्ति बनाए रखें।

श्री सी. माधव रेड्डीः अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि हम विपक्षी दल राष्ट्रपति के प्रति वफादार हैं। कृपया इसे समझें। हम महामहिम के प्रति वफादार नहीं हैं। हम राष्ट्रपति के प्रति वफादार हैं। हम राष्ट्र के प्रति निष्ठावान हैं।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह): क्या वे ही प्रेजीडेन्ट जो हार गए।

श्री सी. माधव रेड्डीः जब आपके बात समझ में नहीं आती तो आप बैठ जाइए। अब मेरी बारी होगी कि मैं आपको आईना दिखाऊं । आप देख लीजिए कि आपका चेहरा कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है और आप पहले से कितने बदल गए हैं।

मैंने कल और आज भी आप सबकी स्पीचेज को काफी गौर से सुना है, जितने भी हमारे मित्र ट्रेजरी बैन्चेज से बोले या दूसरी तरफ से बोले, उन सब की बातों को मैंने ध्यानपूर्वक सुना है।

आज हमने श्री पी.वी. नरसिंह राव और प्रधानमंत्री महोदय का भाषण सुना है। श्री पी.वी. नरसिंह राव का भाषण सुनने के बाद मुझे आशा थी कि प्रधानमंत्री मौके के अनुरूप भाषण देंगे और उन विभिन्न मुद्दों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे जो प्रश्न हमने उठाए थे। परन्तु मुझे प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनकर बहुत खेद हुआ वह राजनैतिक उलझनों, राजनैतिक भाषण में ही उलझे रहे।

अब मैं उन विभिन्न प्रश्नों की चर्चा करना चाहता हूं जो उन्होंने बाद में उठाए थे। मैं उन टिप्पणियों को भी दोहराना चाहता हूं जो टिप्पणियां उन्होंने की थीं। श्री पी.वी. नरसिंह राव के भाषण

की चर्चा करने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि उनका भाषण बहुत उच्च स्तर का था उन्होंने राष्ट्र के समक्ष आए अनेक प्रश्नों को उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में, ऐतिहासिक दृष्टि से स्पष्ट करने का प्रयास किया। वह बहुत ही अनुभवी सांसद हैं और प्रसिद्ध प्रशासक हैं, वह बहुत योग्य, सुसंस्कृत और विद्वान हैं। मैं उनका बहुत आदर करता हूं। मैं जानता हूँ कि उन्होंने मुख्यमंत्री और केन्द्र में मन्त्री के रूप में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की और उनकी सलाह का बहुत महत्व होता, परन्तु क्या उनसे परामर्श लिया गया है? मैं प्रधानमन्त्री महोदय द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्नों को स्पष्ट करना चाहता हूं।

सर्वप्रथम, उन्होंने कहा कि विपक्ष के बचाव का कर्तव्य उनका नहीं है। हमने कभी भी उनसे सहायता की मांग नहीं की। मैंने कल यह बात की थी कि जब मैं कल प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ था तो मुझे दूसरे पक्ष के सदस्यों ने चिल्लाकर प्रस्ताव प्रस्तुत करने से रोक दिया तथा प्रधानमन्त्री महोदय अपने स्थान पर बैठकर हंस रहे थे। महोदय, अपने पक्ष के सदस्यों को नियन्त्रण में करने का कर्तव्य उनका है। जब मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अपने सांविधिक उत्तरदायित्व को पूरा कर रहा था तो उन्होंने अपने सदस्यों को मेरे भाषण में बाधा डालने की अनुमति प्रदान की। उस समय मैंने एक भी शब्द नहीं कहा। परन्तु जब मैं खड़ा हुआ तो उसी समय आपने रोकना शुरू कर दिया।

श्री राजीव गांधी: महोदय मैं व्यवधान डालना नहीं चाहता परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि शायद कुछ सदस्यों ने बाधा डाली थी परन्तु मैं सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि उन्होंने जो कुछ भी संगत कहा है वह सुना गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह वैयक्तिक आक्षेप है।

श्री सी. माधव रेड्डी: राजनैतिक रूप से लोगों पर प्रहार करना गलत नहीं है परन्तु उन्हें धोखा मत दीजिए। उन्होंने विपक्ष के साथ आयोजित बैठकों का उल्लेख किया है जो उन्होंने विपक्ष के नेता से परामर्श करने के लिए आयोजित की थी। मेरे दल ने लगभग सभी बैठकों में भाग लिया है जो उन्होंने पिछले दो वर्षों में विपक्ष के नेताओं के साथ आयोजित की थी। मैं पहले वर्ष की बात नहीं कर रहा। इन बैठकों में हमें सिर्फ जानकारी प्रदान की गई है हमारे साथ परामर्श नहीं किया गया। आप निर्णय करते हैं और फिर आप 15 मिनट बाद सभा में निर्णय की घोषणा करते हैं और विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाते हैं। क्या आप उनके साथ परामर्श करते हैं? क्या यह दिखावा नहीं है?

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह विपक्ष के प्रति वैयक्तिक आक्षेप है ।

श्री सी. माधव रेड्डी: उन्होंने आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री के बारे में कुछ कहा है जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था क्योंकि यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री राजीव गांधी: मैंने यह कहा था कि दो मुख्यमंत्रियों की कटु आलोचना की गई है।

श्री सी. माधव रेड्डी: चार रिट याचिकाएं दी गई हैं। दो रिट याचिकाएं अस्वीकार कर दी गई और दो अन्य याचिकाएं, जो आपके राज्य सचिव द्वारा दायर की गई हैं, पर अभी न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाना है। यह याचिकाएं राजनैतिक दृष्टि से प्रेरित हैं और यह उच्च न्यायालय के विचाराधीन हैं। मैं इनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। यह कहना गलत है कि उच्च न्यायालय ने इसकी निन्दा की है। कोई निन्दा नहीं की गई। मैं इसका विरोध करता हूं। यदि कोई निन्दा की होती तो मुख्यमन्त्री ने त्यागपत्र दे दिया होता; मैं त्यागपत्र दे दूंगा। इसके बावजूद उन

पर आरोप लगाए गए और उन्होंने आयोग का गठन किया है। आयोग द्वारा जांच किए जाने के लिए अपने को प्रस्तुत किया है।

श्री राजीव गांधी: आयोग का गठन इस प्रकार विस्तृत रूप से किया गया है कि इससे कोई उपयुक्त उत्तर प्राप्त नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फेयरफैक्स आयोग के विचारार्थ विषय का निर्धारण श्री वी.पी. सिंह द्वारा किया गया।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): श्री ज्योति बसु ने बहुत विलक्षण आयोग का गठन किया है।

श्री एम. रघुमा रेड्डी: वह भी आपके मंत्रिमण्डल के मंत्री थे।

श्री सी. माधव रेडी: प्रधानमन्त्री जी ने कहा कि पिछले वर्ष 19 उप चुनाव हुए और कांग्रेस को 13 सीटें मिलीं। मैं यह मानता हूँ, परन्तु अब क्या होगा? क्या आप अब उत्तर प्रदेश में उप चुनाव करवाने जा रहे हैं और दावे के साथ कहते हैं कि आपको जीत प्राप्त होगी? जैसी आज स्थिति है हमें उसके बारे में बताइए?

सरदार बूटा सिंह: जब भी उप चुनाव होंगे हम विजयी होंगे। आन्ध्र प्रदेश के उप चुनावों में हम विजयी हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय: जिसका झगड़ा नहीं है, उसका क्यों चक्कर डाल रहे हो। वे मालिक हैं, जो चाहें अपनी मर्जी से करें। न उनकी मर्जी और न आपकी मर्जी।

एक माननीय सदस्य: श्री बूटा सिंह चुनाव के लिए राजस्थान गए हुए थे।

श्री राजीव गांधी: कल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने यह टिप्पणी दी थी कि श्री बूटा सिंह चुनाव के लिए राजस्थान गए हुए थे। मैं यह कहना चाहूंगा कि हम देश को एक मानते हैं; हम इस बात की परवाह नहीं करते कि हम उन्हें कहां भेजते हैं; कांग्रेस काफी सुदृढ़ है, किसी व्यक्ति को कहीं से भी जिताने के लिए कांग्रेस के प्रति काफी समर्थन है। हमें चुनाव जीतने के लिए ग्रामीय, साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय तथा अन्य उत्कृष्ट देश प्रेमपूर्ण प्रवृत्तियां नहीं अपनानी पड़ती हैं जो कुछ दल करते हैं।

श्री सी. माधव रेड्डी: मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि प्रधानमन्त्री महोदय यह कहते हैं कि एक देश है। यहां श्री बूटा सिंह के भाषण में वे कहते हैं कि यह व्यक्ति, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नागालैंड क्यों जाते हैं।

सरदार बूटा सिंह: यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं बताऊंगा कि राज्य सभा में इस विषय कि राज्य सभा में इस विषय पर पूर्णरूप से चर्चा हुई थी। यदि वे यहां भी चाहते हैं तो उनका स्वागत है और मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा।

श्री राजीव गांधी: वे आज इस विषय को उठा रहे हैं, हमें इस विषय पर अलग से चर्चा कर लेनी चाहिए।

श्री सी. माधव रेड्डी: ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानमन्त्री महोदय ने कहा था कि वे मजबूत बिल का स्वागत करते हैं। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है परन्तु यदि विपक्ष बंट जाता है तो आपको इस बात की खुशी होगी। कल मेरे मित्र श्री भागवत झा आजाद बड़ी रोचक टिप्पणी दे रहे थे।

''कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा।''

आप तो चाहेंगे कि भानुमति का कुनबा कभी बनने नहीं पाये। कभी रोड़ा और ईंट जमा करके भानुमति कुनबा बनायेगा तो आपका कुनबा डूब जायेगा।

श्री भागवत झा आजाद: कुनबा डूब जाएगा– मैं तो कहता हूँ कि आप अपना कुनबा एक रखिए! ईंट और रोड़ा मिलाकर, आप एक रहिए। एक कुनबा जोड़ने से काम नहीं चलेगा, यही मैंने कहा है।

मैंने ठीक कहा है; मैं अभी भी उस बात पर टिका हूँ।

अध्यक्ष महोदय: मैं ऐसा समझता हूं कि यह प्रिमैच्योर है।

श्री सी. माधव रेड्डी: आपका कुनबा भी ऐसे जुड़ा है। आप बिहार के हैं तो कोई राजस्थान का है। सबको मिलाकर ही पार्टी बनायी है।

हम लोगों ने कुनबा जोड़ा है और कुनबा अब भी जुड़ेगा और आगे भी बना रहेगा। हम कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। आप कोई फिक्र मत करो, वह बन जायेगा। लेकिन उस कुनबे को आग मत लगाइए।

श्री बसन्त साठे: कहावत समझनी चाहिए। कहावत यह है कि भानुमति का कुनबा जब जमाते हैं तो वह कभी बनता नहीं है और न ही जुड़ता है क्योंकि उसमें बिल्कुल गलत–गलत चीजें इकट्ठी करके लायी जाती हैं। आप जिस चीज की कोशिश कर रहे हैं, वह कभी बनेगा नहीं। आप उस कहावत को जरा समझ लो ।

श्री सी. माधव रेड्डी: आप महाराष्ट्र के हैं, आप इसे जानते नहीं हैं। हम हिन्दी आपसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपको हिन्दी सिखा सकता हूं। आप इस बात को छोड़ दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: माधव जी हिन्दी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं।

श्री सी. माधव रेड्डी: कनुबा तो भानुमति का बन जायेगा, मगर एक ही डर है कि भानुमति के कुनबे को आग लगाने वाले हैं। आग अन्दर से भी लगती है और बाहर से भी लगती है। एक बार ऐसा हुआ कि आग अन्दर से भी लगी और बाहर से भी लग गई और सारा कुनबा खत्म हो गया।

श्री राजीव गांधी: महोदय, मैं निश्चित नहीं हूं कि अविश्वास का प्रस्ताव सरकार के खिलाफ था या विपक्ष के खिलाफ था। माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं?

श्री सी. माधव रेड्डी: आप उस समय यहां मौजूद नहीं थे जब श्री भागवत झा ने यह कहा था। मैं उनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। कुनबा बनने में देर नहीं लगती।

श्री राजीव गांधी: लेकिन अन्दर से जो आग लग रही है उस पर कमेन्ट कर रहा हूं। अगर कुनबे के अन्दर से जो आग लग रही है तो नो–कांफिडेंस मोशन अपोजिशन पर होना था। आप तो अन्दर से ही आग लगा रहे हो।

श्री सी. माधव रेड्डी: अन्दर से नहीं बाहर से लगेगी। बाहर से लगी है अन्दर से नहीं।

महोदय, यहां दो दिन पहले की गई एक रैली का जिक्र किया गया था। और यह कहा गया था कि वे 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख लोग ला सकते हैं।

किसने मना किया? आप लाइए उनको, जरूर लाइये। हमने देखा कि यहां पर मई में आपकी भी रैली आई थी और रैली में जितने लोग आये थे उतनी ही लारियां यहां थीं। कल तो मैंने एक भी लारी नहीं देखी। ऐसा लगता था कि।

श्री भागवत झा आजाद: आन्ध्र से, बंगाल से लोग पैदल आये थे?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री एच.के.एल. भगत): आप गलत बोल रहे हैं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आप ने रैली नहीं देखी। रैली में लोगों ने और आप जैसे कैलीबर के आदमी से मैं यह एक्सपैक्ट नहीं करता, अगर आपके पास यही जवाब देने को रह गया है।

एक माननीय सदस्य: सारी जिन्दगी तो आप कांग्रेस में रहे।

श्री सी. माधव रेड्डी: आप क्या जवाब चाहते हैं? बोलना भी मुश्किल ना बोलना भी मुश्किल। आप तो बोलते रहेंगे, हम नहीं बोलें। आप तो जितना चाहे बोलेंगे, हमको जवाब उसका नहीं देना चाहिए?

श्री एच.के.एल. भगत: मैं तो आपसे अच्छा एक्सपैक्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूँ, अच्छा बोलें।

श्री सी. माधव रेड्डी: आपने ही कहा कि सोहबत का असर है, हम लोग बिगड़ गये हैं।

श्री सी. माधव रेड्डी: महोदय, देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जिक्र किया गया था। हरेक वक्ता ने यह कहा था कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। इसमें काफी प्रगति हुई है और औद्योगिक उत्पादन 9.5 प्रतिशत तक पहुंच गया है। प्रधानमन्त्री महोदय ने इसे 16 या 17 प्रतिशत बताया है। मुझे नहीं मालूम उन्हें ये आंकड़े कहां से मिले परन्तु आपके अपने आंकड़ों से पता चलता है कि औद्योगिक उत्पादन 9.5 प्रतिशत तक बढ़ गया है। परन्तु इस वर्ष का उत्पादन कितना है और विकास की दर कितनी है? जब मैंने कहा हिन्दू विकास दर, तो आप उसे साम्प्रदायिक दृष्टिकोण का रूप देकर इसे एक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे थे। मैंने यह नहीं कहा है। अर्थशास्त्रियों ने यह कहा:–

हिन्दू ग्रोथ रेट का मतलब यह है कि जैसे हिन्दू सोसायटी स्टैटिक है, डायनैमिक नहीं है, हजारों साल से स्टैटिक है, वैसे ही आपकी ग्रोथ रेट 3.5 परसेंट पर आकर रुक गई है बस, उससे बढ़ती ही नहीं है।

श्री राजीव गांधी: यही तो मैं कह रहा था कि–

आप देश के एक बड़े समुदाय के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे उस पर आपत्ति है। यही मैंने कहा है।

श्री सी. माधव रेड्डी: मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, यह शब्द सभी पाठ्य पुस्तकों में पहले से ही मौजूद है।

श्री राजीव गांधी: आपने हम शब्द का इस्तेमाल न केवल कल ही किया था बल्कि आज भी इसका दोबारा इस्तेमाल किया है और यह सभा की कार्यवाही में भी शामिल है कि किस ने यह कहा।

श्री सी. माधव रेड्डी: प्रधानमन्त्री महोदय, आप इसे समझ नहीं पाए रहे हैं। मैं केवल अर्थशास्त्रियों की कही हुई बात का उल्लेख कर रहा हूं यह शब्द मैंने नहीं गढ़ा है। यह शब्द पहले ही सभी अर्थशास्त्रियों द्वारा इस्तेमाल किया जा चुका है।

आप पूछ लीजिएगा। आप झा साहब से पूछ लीजिए, जो आपके सरकारी इकोनोमिस्ट हैं, वह आपको बता देंगे।

जहां तक घाटे के बजट के प्रश्न का सम्बन्ध है, प्रधानमन्त्री महोदय ने बजट प्रस्तुत करते समय पिछले वर्ष एक पक्का वायदा किया था। वित्त मन्त्री के नाते उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। उन्होंने यह पक्का वायदा किया था कि घाटे में बढ़ोतरी नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि घाटे में

बढ़ोतरी नहीं होगी और वे यह नहीं चाहेंगे कि घाटे में आशा के विपरीत वृद्धि हो कितने घाटे का अनुमान था? 5688 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान लगाया गया था। उन्होंने इस सभा को यह आश्वासन दिया था कि आकड़ों में वृद्धि नहीं होगी। परन्तु आज घाटे की क्या स्थिति है? मैं अनुमानों की बात नहीं कर रहा हूं। अनुमानों को छोड़ दीजिए, मैं वित्त मन्त्री से पूछूंगा कि वे यह बताएं कि आज तक घाटा कितना है? भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण वास्तविक घाटा है और मैं यह जानना चाहूंगा कि वह कितना है? आंकड़ों से पता चलता है कि उन पूरक मांगों जो हमने कुछ ही दिन पहले पारित की हैं को छोड़कर बजट में पहले ही 8637 करोड़ रुपये का घाटा है। यह वास्तविक स्थिति है। महोदय, उस तरफ के कई माननीय सदस्य ने अस्थिरीकरण की बात कही थी। तर्क यह था कि यह प्रस्ताव सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से लाया गया था। क्या उसका तात्पर्य यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने से राष्ट्र अस्थिर हो जाएगा? आप इससे परेशान क्यों हैं? विपक्ष के हाथ में 'अविश्वास' का प्रस्ताव हो तो एक स्वीकृत वास्तविक हथियार है। देश को अस्थिर करने का कोई प्रश्न ही नहीं है सरकार को हराना तो राष्ट्र को अस्थिर करना नहीं है। आप यह समझते हैं कि कांग्रेस सत्ता में नहीं होगी तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी क्योंकि देश में कांग्रेस का विकल्प अथवा विपक्ष मौजूद नहीं है। यही बात अंग्रेज लोग कहा करते थे कि उनके भारत छोड़ जाने के बाद यहां अव्यवस्था फैल जाएगी।

एक फ्रेन्च एम्परर हुआ करते थे, उन्होंने भी यही कहा था।

मेरे मरने के बाद प्रलय हो जाएगी।

हमारे यहां तेलुगू में जो एक कहावत है–

हम खुद चले गए तो सारी दुनिया गई।

आप यह क्यों सोचते हैं कि कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है, जब इस बात की गुंजाइश है और जब हमारे पास अवसर मौजूद है कि जैसा कि हमने पहले किया था हम कोई समय खोए बिना एक सूत्र में बंध जाएंगे।

श्री पंत ने कहा है कि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री की आलोचना करने का अधिकार है। हमने कभी नहीं कहा कि क्रिटिसाइज मत करो। क्योंकि पी.एम. क्रिटिसाइज करते हैं चीफ मिनिस्टर्स को और चीफ मिनिस्टर्स भी क्रिटिसाइज करते हैं। यह चलता रहता है पॉलिटिकल लेबल पर, इसमें कोई बुराई नहीं है।

परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा जो गलत सूचना दी जा रही है वह गलत है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं।

इस हाउस में श्री शिव शंकर जी ने कहा कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 1983 से लेकर आज तक कोई हिसाब नहीं भेजा। यह असत्य है। हमारे हिसाब से आपके पास सिर्फ अप्रैल–मई से लेकर आज तक 4–5 महीने का हिसाब नहीं है और बाकी पूरा हिसाब आप को भेजा जा चुका है। फिर भी आप कहते हैं कि स्टेट से हमारे पास हिसाब आता नहीं है। किसने बताया आपको कि स्टेट ने हिसाब नहीं भेजा? ड्राउट के लिए जो आप पैसा देते हैं उसका हिसाब मांगना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो हिसाब देते हैं उनके लिए भी आप कहते रहिए, बोलते रहिए कि आप हिसाब नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं–यह बुरी बात है। आंध्र प्रदेश में जाकर ये लोग क्या करते हैं? आपके जो मिनिस्टर्स हैं, शिव शंकर साहब या जो दूसरे आपके मिनिस्टर्स हैं जो वहां आपकी पार्टी के प्रधानमन्त्री भी हैं, वे वहां जाकर क्या करते हैं? उनका काम

क्या है ? कितना टाइम वे आंध्र प्रदेश में गुजारते हैं–जरा इसका हिसाब तो लगाइए। श्री नारायण दत्त तिवारी जी भी वहाँ पर गए थे, वे बड़े शरीफ आदमी हैं, बहुत अच्छे ढंग से गए वहां मीटिंग को एड्रेस किया और चले आये। लेकिन ये लोग वहां जाकर क्या करते हैं? इनको क्या मिनिस्ट्री इसीलिए दी गई है और इनका काम ही यही है कि आन्ध्र प्रदेश जाकर वहां की गवर्नमेंट को डी–स्टैबिलाइज करें? इसी मतलब से ये लोग वहां जाते हैं, नहीं तो कोई और जरूरत नहीं है। हर दो तीन दिन में वहां जाते हैं, जाकर क्या करते हैं? गवर्नमेंट का कोई काम करते हैं? सरकारी खर्चे पर वहां जाते हैं और इनका काम होता है यहां पर गवर्नमेन्ट के खिलाफ प्रचार करना, कोई दूसरा काम करते ही नहीं।

यह बताया गया कि इस सरकार ने विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने कठिन समस्याओं को सुलझाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यद्यपि इन समझौतों पर अच्छी भावना से हस्ताक्षर किए गए हैं, परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि इन समझौतों पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर किए गए हैं। आपने जल्दबाजी में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और अब आप पछता रहे हैं। कौन से एकार्ड पर आप नेक नीयती के साथ अमल कर रहे हैं?

श्री एच.के.एल. भगत: ऐसा कौन सा एकार्ड है, जो इस सदन में आपने वैलकम नहीं किया। आप एक भी ऐसा समझौता बताएं जिसका सर्वसम्मति से आपने स्वागत नहीं किया।

श्री सी. माधव रेड्डी: मैंने तो सभी वैलकम किया है।

श्री एच.के.एल. भगत: पंजाब वैलकम किया, मिजोरम वैलकम किया, आप ने सारा वैलकम किया।

श्री सी. माधव रेड्डी: मैंने आज भी वैलकम किया है। मैं तो वैलकम कर ही रहा हूं और हर एकार्ड को करता हूं। मेरा मतलब यह था कि आप एकार्ड करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं।

आप बाद में पश्चाताप करते हैं।

जल्दी में करते हैं। आपको जल्दी है कि कुछ करना चाहिए और

अन्त में आप अपने को कठिनाइयों में घेर लेते हैं।

श्रीलंका के बारे में कह रहे थे।

श्रीलंका में क्या हुआ?

आज आपने वचन दिया है राष्ट्र 10 से 15 करोड़ रुपए प्रति माह व्यय करेगा। हम नहीं जानते कि कब व्यय किया जाएगा। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि लेबनान में सीरियन फौजों की तरह आपको यहां बहुत वर्षों तक रहना पड़ेगा। जब यहां लोग सूखे और भुखमरी के कारण मर रहे हैं आपने राष्ट्र से उतना अधिक खर्च करने का वचन दिया है। आपने तब नहीं सोचा कि यह गलत कर रहे हैं। आपको तो उस वक्त एकार्ड करना था और कर दिया। लेकिन अब आप सोच में पड़ गए हैं कि क्या करना चाहिए।

आप स्वयं अपने को मुक्त कराने में समर्थ नहीं हैं।

अब मैं करप्शन के बारे में कहना चाहता हूं। हमने कभी नहीं कहा कि आपने करप्शन किया है। आपने खुद आकर वहां पर कहा है। मैंने, मेरे लड़कों ने और मेरे फैमिली–मैम्बर्स ने नहीं किया। अच्छी बात है, आपने कह दिया। हम तो सबको आनेस्ट समझते हैं।

मैं समझता हूं कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो पाता तब तक सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं।

हमने आपको कभी नहीं कहा। मगर हमने यह जरूर कहा है, अब भी कहेंगे और कहते रहेंगे कि आपके ऊपर अब लोगों को काफी शक हो गया है। क्योंकि तरह–तरह की बातें चलती हैं। सर्कम्सटांशियल एविडेंसेज हैं। सर्कम्सटांशियल एविडेंसेज इतना है कि लोग समझते हैं कि कुछ दाल में काला है। क्यों? इसलिए समझते हैं कि वहां पर स्वीडन के लोगों ने आकर बताया कि तीन कम्पनियां हैं, उनको पैसा दिया। 82 करोड़ रुपए या 62 करोड़ रुपए उनको मिला। वे तीन कम्पनियां कौन सी हैं? क्या फॉरन कम्पनियां हैं? उनके नाम भी उन्होंने बताए।

वह नाम आपके पास है। कल श्री पन्त ने बताया था कि आप जानते हैं कि यह नाम समिति को क्यों नहीं भेजे गए।

हो सकता है कि आपने कमेटी को नेम्स दिए होंगे।

मैं इस बारे में विवाद नहीं करता। हम इस बारे में नहीं जानते। आप कैसे जानते हैं? उन्होंने बताया था कि .....

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): आप समिति में आकर इस बारे में जान सकते हैं।

श्री सी. माधव रेड्डी: अब इसके लिए बहुत देर हो गई है। मैं यह कह सकता हूँ।

श्री राजीव गांधी: इसके लिए बहुत देर नहीं हुई। यदि आप चाहते हैं तो हम अन्य संकल्प प्रस्तुत करके समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ा सकते हैं और आप सदस्य बन सकते हैं।

भूमि से भूमि तक मार करने वाले 'पृथ्वी' नामक सामरिक भारतीय प्रक्षेपास्त्र के लिए किए गए परीक्षण के बारे में वक्तव्य

25 फरवरी, 1988

भारतीय वैज्ञानिकों और टेक्नोलॉजिस्ट्स की एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीकल सफलता के बारे में सदन को सूचना देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। उच्च टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के हमारे कार्यक्रम में यह उल्लेखनीय सफलता है और हमारी रक्षा संबंधी तैयारी में इसका बहुत महत्व है।

आज सवेरे 11 बजकर 23 मिनट पर भारत के सर्वप्रथम भूमि-से-भूमि प्रक्षेपास्त्र "पृथ्वी" का पहला सफल परीक्षण सम्पन्न हुआ है और इसमें सभी विशिष्ट बातों की कामयाबी हुई है। इस सफल परीक्षण के परिणामस्वरूप भारत उन गिने-चुने चार देशों की श्रेणी में आ गया है जिन्होंने इस तरह के भूमि-से-भूमि प्रक्षेपास्त्रों का विकास किया है। यह प्रक्षेपास्त्र पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के विकास प्रयासों पर आधारित है। मैं एक बार फिर जोर देकर कहना चाहूंगा कि इसमें किसी तरह की कोई विदेशी तकनीकी ज्ञान अथवा सहयोग नहीं लिया गया है।

"पृथ्वी" प्रक्षेपास्त्र की 250 किलोमीटर की मारक क्षमता है और यह कई प्रकार के बड़े पेलोड वार-हेड्स उठा सकती है जो दुश्मन के ठिकानों पर भारी नुकसान कर सकते हैं। इस श्रेणी के दूसरे प्रक्षेपास्त्रों के मुकाबले इस प्रक्षेपास्त्र में वार-हेड्ज और वजन के बीच बेहतरीन अनुपात है। इस सिस्टम में अति आधुनिक इनरशियल एण्ड गाइडेन्स सिस्टम्स का उपयोग किया गया है। जिनमें रियल टाइम सॉफ्टवेयर पर काम करने वाले ऑन बोर्ड कम्प्यूटरों का प्रयोग हुआ है और कई आवश्यक परीक्षण कर लेने के बाद हमारी योजना "पृथ्वी" प्रक्षेपास्त्र को अधिक संख्या में रक्षा सेनाओं में शामिल करने की है।

सदन की ओर से मैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और कारीगरों को बधाई देता हूं जिन्होंने "पृथ्वी" प्रक्षेपास्त्र के निर्माण और विकास में कई वर्षों तक अथक समर्पित भाव से कार्य किया है। राष्ट्र को उन पर गर्व है।

पश्च टिप्पण

XXII. भूमि से भूमि तक मार करने वाली 'पृथ्वी' नामक सामरिक भारतीय प्रक्षेपास्त्र के लिए किए गए परीक्षण के बारे में वक्तव्य, 25 फरवरी, 1988

कोई टिप्पण नहीं ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर

2 मार्च, 1988

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस वाद–विवाद में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। इस वाद–विवाद के दौरान बहुत–सी रोचक टिप्पणियां की गई हैं और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं परन्तु यह चर्चा उच्चतम संसदीय परम्परा के अनुसार ही रही है। इसके लिए मैं सभी सदस्यों को बधाई देता हूं।

1987 का वर्ष लगातार चुनौतियों का था और उसका दृढ़ता के साथ अनेक कठिनाइयों के बीच मुकाबला किया गया और उसमें उपलब्धियां भी हुईं। देश में विघटनकारी शक्तियों द्वारा कुछ कठिनाइयां उत्पन्न की गई थीं। कुछ कठिनाइयां विदेशों से विघटनकारी शक्तियों द्वारा उत्पन्न की गई थीं और कुछ कठिनाइयां मौसम के कारण उत्पन्न हुई थीं।

20 वर्ष पहले इन्दिरा जी ने भी इसी प्रकार मौसम के कारण उत्पन्न कठिनाइयों का सामना किया था। वर्ष 1966–77 में जब उन्होंने हरित क्रांति को आरम्भ किया तो यह उनकी दूरदर्शिता ही थी जिससे आज हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है और उसमें लचीलापन है। उसी मजबूत और लचीलेपन वाली अर्थव्यवस्था की वजह से आज हम अपने प्रयासों से वर्तमान संकट का सामना कर पाये हैं। हमने किसी से भीख नहीं मांगी। हमने अपने कार्य करने की स्वतंत्रता को लेकर कोई समझौता नहीं किया। उस समय कुछ विशेषज्ञ तकनीकी विशेषज्ञों तथा कुछ विरोधी दलों के अदूरदर्शी तत्वों द्वारा इन्दिरा जी की नीति का विरोध किया था परन्तु इन्दिरा जी अपनी बात पर कायम रही और हमारे किसानों में उनका विश्वास हमारे वैज्ञानिकों की कुशलता और हमारे फैले हुए श्रमिकों के कार्य–निष्पादन में उनके विश्वास के साथ उन्होंने ऐसी नीतियों को आगे बढ़ाया जिनके फलस्वरूप हरित क्रांति आई। उन्होंने किसानों को सहायता देने के अलावा अपेक्षित कृषि आदानों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था चाहे इसके लिए अर्थव्यवस्था को इनका अतिरिक्त बोझ भी वहन करना पड़ा। उन्होंने नई नीति के एक आधारभूत सिद्धांत के रूप में किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विस्तार किया।

किसानों को उनके मूल्यों में स्थिरता प्रदान करने के लिए उन्होंने सम्पूर्ण देश में खरीद प्रणाली को आरंभ किया। इन्दिरा जी ने यह सुनिश्चित किया था कि कृषि क्षेत्र के लिए नीति और क्रांति हमारे सम्पूर्ण ग्रामीण समुदाय, किसानों, छोटे और सीमान्त कृषकों, भूमिहीन मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों के हित में हो।

ग्रामीण भारत के प्रति उनके एकीकृत दृष्टिकोण के कारण और ग्रामीण समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति उनकी सहानुभूति और समझ के कारण तथा आदानों की लागत और राजसहायता में इन्दिरा जी द्वारा मन से ध्यान दिए जाने के कारण ही इन दो दशकों में हमारी उपज दोगुनी हो गई है।

आज चार वर्ष समय पर वर्षा न होने तथा दो वर्ष बहुत कम वर्षा और दो वर्ष भारी सूखे के बाद भी हम अपना सिर ऊपर उठा सकते हैं और विश्वास के साथ भविष्य की ओर इसलिए देख सकते हैं क्योंकि इन्दिरा जी ने एक निश्चित ठोस और सुरक्षित नींव रखी थी। रबी की फसल को अधिकतम करने के प्रयासों में हमें अच्छी सफलता मिल रही है हम आशा करते हैं कि गत वर्ष हुए खाद्यान्न उत्पादन में 10 प्रतिशत से अधिक कमी नहीं होगी । संभवतः हम इसे कम करके 7 प्रतिशत तक रखने में समर्थ होंगे। लेकिन मैं सदस्यों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि सूखा अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे के कुछ महीने सूखे के हैं और कुछ राज्यों में हमें और कठिन स्थिति से गुजरना पड़ेगा। हमें सावधानी बरतनी होगी और सतर्क रहना होगा।

हमने सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में परेशानियों को कम करने के लिए बहुत कुछ किया है। कुल मिलाकर बड़े कुशल ढंग से राहत कार्यक्रम चलाए गए हैं। सहायता राशि की अधिकतम सीमा 1400 करोड़ रुपए रखी गई है और इस राशि का लगभग आधा हिस्सा गुजरात और राजस्थान के लिए नियत किया गया है क्योंकि यहाँ पर सूखे की स्थिति सबसे खराब है। करों पर अधिभार लगाने से सूखा राहत का भार हमारे समाज के सबसे धनी वर्गों पर डाला गया है।

बफर स्टॉक से खाद्यान्न के उपयोग के लिए हमने ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनसे रोजगार के अवसर पैदा हो सके तथा परिसम्पत्तियों का निर्माण हो सके जिससे भविष्य में पड़ने वाले सूखे के समय हमें उनसे सहायता मिले। इन लाभप्रद सूखा राहत योजनाओं से हमने यह सुनिश्चित किया है कि राहत पर होने वाला खर्च विकास पर होने वाला खर्च बन जाए। जिन क्षेत्रों में चारा अधिक है हमने वहां से चारा उन क्षेत्रों में भेजा है जहां इसकी कमी है। हमने पेयजल उपलब्ध कराने के लिए और ग्रामीण कारीगरों तथा हथकरघा बुनकरों के उत्पादों की खरीद के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए हैं क्योंकि इन वर्गों पर सूखे का सीधा प्रभाव तो नहीं पड़ा परन्तु इससे उनके लिए गम्भीर समस्या पैदा हो गई है । हमने इस विशेष वर्ग के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाने का प्रयास किया है ताकि उन्हें अपना व्यापार छोड़ना न पड़े और हजारों वर्षों से हमें जो विशेषज्ञता प्राप्त हुई है उसे हम खोना नहीं चाहते।

हरित क्रांति वैज्ञानिक सफलता का परिणाम है। वैज्ञानिक सफलता से नए संकर बीज और सिंचित भूमि के लिए नए आदान सामने आए हैं। इससे हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो सके हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस उत्पादन में अब गिरावट न आए। हमें वैज्ञानिकों को एक बार फिर प्रोत्साहन देना चाहिए कि वे हरित क्रांति के अगले चरण के लिए हमें तैयार करें और इसे नए क्षेत्रों में ले जायें, नई फसलें पैदा करें और मौसम के कोप तथा परिवर्तन के समक्ष भी इसे बरकरार रखें। चावल उत्पादन का विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है, हरित क्रांति का प्रवेश पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो रहा है और यह तेजी से भारत का नया अन्न का भण्डार बन रहा है।

शुष्क भूमि पर खेती करने को तिलहन टेक्नॉलोजी मिशन तथा राष्ट्रीय दाल परियोजना द्वारा प्रोत्साहन मिला। मौसम की खराबी के कारण ही हम 1983–84 के खाद्यान्न के रिकार्ड

उत्पादन में आगे नहीं जा सके और हम आशा करते हैं कि इस वर्ष मानसून अच्छा रहेगा।

कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में हमारा उद्देश्य सातवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। हम कृषि पर और अधिक बल देंगे और इसके लिए नए प्रोत्साहन देंगे। हमने कृषि क्षेत्र में बड़ी सावधानी बरती है। मैंने विभिन्न स्तरों पर हुई बैठकों की समीक्षा की है और इन्हीं के अनुसरण में मैंने योजना आयोग को विशेष निर्देश दिए हैं कि यह कृषि के सम्बन्ध में योजना को फिर से तैयार करे और उसमें प्राथमिकता का फिर से निर्धारण कर तथा उसमें कृषि को सबसे अधिक महत्व दें।

मैंने योजना आयोग से इसके बाद जल्दी ही प्रत्येक जिले पर आधारित एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है जिसमें वहां फसल पैदा करने का तरीका उसकी जल, बिजली, उर्वरक तथा अन्य आदानों की जरूरतों के बारे में विस्तृत वर्णन हो। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम दो वर्षों में हमें हुई हानि की फिर से पूर्ति कर लेनी चाहिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमें 175 मिलियन टन खाद्य उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसे ध्यान में रखते हुए बजट में कृषि सम्बन्धी आबंटन में काफी वृद्धि की गई है। वित्त मन्त्री ने कृषि क्षेत्र के लिए बहुत से वित्तीय प्रोत्साहनों की घोषणा की है। हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान है। हम कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है। हम कृषि में अधिक पूंजी निवेश करने के लिए वचनबद्ध हैं। हमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सबसे निर्धन किसानों को जहां उन्हें उचित कीमत पर कृषि आदानों की जरूरत हो उसके लिए उन्हें राजसहायता देकर उन्हें उत्तम प्रौद्योगिकी सौंप कर अच्छे परिणामों के लिए प्रेरित करना चाहिए।

हमें उन्हें राजसहायता देने का कार्य स्वयं देखना होगा। राजसहायता की अधिक राशि देने के साथ–साथ हमें यह भी देखना होगा कि उनका इस्तेमाल किसान को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए हो। इस सम्बन्ध में कुछ शंकाए व्यक्त की गई हैं। मैंने वित्त मन्त्री से कहा है कि वह इस सहायता के विषय की ओर स्वयं ध्यान दें और देखें कि क्या राजसहायता देने के तरीके में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि इस राशि का किसान के लाभ के लिए ज्यादा कारगर ढंग से इस्तेमाल हो सके।

हमें यह देखना होगा कि किसानों को आकर्षक मूल्य मिलें ताकि खेती करना ज्यादा लाभकारी बन जाए। हमें पूरे ग्रामीण समुदाय को साथ लेकर चलना होगा। जब हम किसानों की समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो हमें किसानों के अलावा पूरे ग्रामीण समुदाय की ओर ध्यान देना होगा तथा उन सबके उत्थान के लिए कार्यक्रम लाने होंगे। निश्चय ही मुख्य किसान ही है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था किसान पर ही निर्भर होती है। लेकिन किसानों की समस्याओं पर ध्यान देते समय हमें उनके पूरे समुदाय पर ध्यान देना होगा। हर किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसान को खड़ा करके ऐसा नहीं किया जा सकता। कृषि और उद्योग के बीच गलत विवाद खड़ा करके ऐसा नहीं किया जा सकता । जो केवल अपना ही स्वार्थ देखते हैं, अनुचित माँगें करते हैं और देश तथा किसानों को संकट में डालते हैं, अवसरवादी मैत्री करके ऐसा नहीं किया जा सकता। हम दबाव के आगे कभी नहीं झुकेंगे।

हम निहित स्वार्थों के दबाव के आगे कभी हार नहीं मानेंगे और हम हमेशा किसानों तथा ग्रामीण समुदाय के सही अधिकारों और उनकी जरूरतों के लिए संघर्ष में सदा आगे रहेंगे।

इस वर्ष कृषि में कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद अन्य क्षेत्रों में हमारी प्रगति संतोषजनक रही है। पूरे सार्वजनिक क्षेत्र में मूल सुविधाओं में वृद्धि हुई है। इसके कार्य निष्पादन से प्रत्येक भारतीय के मन में गर्व की भावना पैदा हुई है। सूखे के कारण पन बिजली का उत्पादन कम हो गया था, लेकिन हमारे समग्र विद्युत उत्पादन में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह तापीय विद्युत में 16 प्रतिशत वृद्धि से सम्भव हो सका है। संयंत्र की भार क्षमता 1979–80 में 44 प्रतिशत से बढ़कर 1983–84 में 50 प्रतिशत और 1987–88 में 55 प्रतिशत हो गई। कोयले के उत्पादन में पिछले वर्ष की अपेक्षा 10.2 प्रतिशत वृद्धि हुई है। रेल भाड़ा पिछले वर्ष की अपेक्षा 5.4 प्रतिशत बढ़ा है। समग्र औद्योगिक कार्य–निष्पादन अधिक संतोषजनक है। सूखे के बावजूद आने वाले 4 वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में 8 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है। इससे यह पता चलता है कि हमारी औद्योगिक नीतियां वास्तव में सफल रही हैं। हम उद्योग में उत्पादक तत्वों को पूरा समर्थन देना जारी रखेंगे उद्योग को आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे और उनमें अधिक प्रतियोगी भावना पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन हमें उसी पर ही संतोष नहीं करना है। सूखे का प्रभाव आगामी महीनों में भी रह सकता है और उससे औद्योगिक विकास में कमी आ सकती है। हम आगे होने वाले विकास पर सावध ाानीपूर्वक नजर रखेंगे और हम इसी उच्च गति को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। कुछ वर्ष पहले तक बाढ़ का अर्थ था तबाही। 1979–80 में सूखा पड़ा था, लेकिन वह सूखा इतना गम्भीर नहीं था जितना कि पिछले वर्षों में पड़ा था। अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वर्ष कुल राष्ट्रीय उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आई है –– संभवतः वृद्धि ही हुई है। ऐसे गत सभी अवसरों पर अवनति ही हुई है –– प्रगति का प्रश्न ही नहीं उठता। इस वर्ष हम आगे बढ़े हैं। हमारी योजना के इतिहास में पहली बार हमने वास्तविक अर्थों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले 4 वर्षों में केन्द्रीय क्षेत्र के परिव्यय का 80 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया है। इससे पहले निवेश के मामले में ऐसी स्थिति कभी देखने में नहीं आई। परियोजना प्रबन्ध में पर्याप्त सुधार हुआ है। कई बड़े–बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जल्दी ही काम शुरू कर देंगे। यह व्यावहारिक समाजवाद है– समाजवाद जिसमें एक ही योजना अवधि में सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश दुगुना हो गया। यह वह समाजवाद है जिसमें सरकारी क्षेत्र में कार्य निष्पादन, उत्पादकता तथा उसके लाभ में इतनी वृद्धि हुई है जो पहले कभी नहीं हुई। हम एक मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र, जिसमें काफी स्वायत्तता हो, के लिए वचनबद्ध हैं। हम एक श्वेतपत्र के माध्यम से इसके बारे में योजनाएं शीघ्र ही संसद में रखेंगे जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के सम्बन्ध में हम क्या उपाय करने जा रहे हैं उसका विवरण होगा।

मूल्यों के सम्बन्ध में हम सभी को बड़ी चिंता है। जिन सदस्यों ने मूल्य वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त की है, हम उनके साथ हैं। हम मुद्रास्फीति नियन्त्रण करने को उच्च प्राथमिकता देते हैं। हमने ऐसे कदम उठाए हैं कि मुद्रास्फीति और न बढ़ने पाए। वर्ष 1979–80 में,

1979–80 वर्ष के साथ इसकी तुलना करना इसलिए बेहतर होगा क्योंकि 1979–80 में अन्तिम बार सूखा पड़ा था और जैसा कि मैंने कहा वह सूखा इतना गम्भीर नहीं था जितना कि अब है–उस समय विपक्ष में बैठे मेरे साथियों की सरकार थी। महोदय, आपको याद होगा कि उस समय 21.4 प्रतिशत तक मूल्य वृद्धि हुई थी।

1977-78 में सूखा नहीं पड़ा था वर्ष 1975 से 1977 तक अर्थव्यवस्था को जो गति मिली हुई थी उसके आधार पर वर्ष 1977-78 चला और जब यह वर्ष समाप्त हुआ तब सरकार का असली रंग सामने आया था। मैंने असली रंग कहे हैं क्योंकि सरकार एक रंग की नहीं थी।

*** *** ***[1]

निश्चय ही हमने प्रगति की है। इन तीन वर्षों में हमारी सरकार ने केवल इस वजह से बहुत कुछ किया है क्योंकि इंदिरा जी ने पिछले पांच वर्षों में उस पर इतना बल दिया था और मुझे यह कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं हो रही है। यदि उन्होंने प्रगति पर इतना जोर नहीं दिया होता, हमें इस सूखे का सामना करने में बहुत कठिनाई सहनी पड़ती।

मैं अपने सहयोगियों को याद दिलाना चाहता हूं कि यदि 1987 तक उन्होंने देश में इतनी गति न लाई होती, मैं सोच भी नहीं सकता कि देश की क्या हालत हो सकती थी क्योंकि यदि इसी गति से उन्होंने प्रगति न की होती तो वे देश को पीछे की ओर ही ले जाते।

*** *** ***[2]

पिछले दो वर्षों में मुद्रास्फीति प्रतिवर्ष औसतन केवल 4.5 प्रतिशत रही है। ऐसा हम बजट घाटे पर नियंत्रण रखकर, मूल्यों में आगे-पीछे नियंत्रण रखने के लिए आर्थिक घाटे वित्तीय नीतियों को लागू करके कर सके हैं। ऐसा हमने आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को सुनिश्चित करके तथा विदेशों से अतिरिक्त खाद्य तेलों का आयात करके किया है ताकि कमी को पूरा किया जा सके। हम मूल्य सूचकांक पर नजर रखते रहेंगे और मूल्यों को कम रखने के लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे। सरकार के खर्च के संबंध में मैं विशेषरूप से चिन्तित हूं। यह एक क्षेत्र है जिसमें हम उतना नहीं कर पाए हैं जितना की दल चाहते हैं पर इसका यह अर्थ नहीं कि इस क्षेत्र में हमने प्रगति नहीं की है, हमने की है परंतु इसमें अभी और भी बहुत गुंजाइश है। हमें सरकार की उत्पादकता पर भी ध्यान देना है। कुछ क्षेत्रों में, जैसे सरकारी क्षेत्र के लिये आधारभूत ढांचा जुटाने में, हम सफल हुए हैं। हमने अच्छा कार्य किया है काफी कुछ अभी और भी करना है और अन्य क्षेत्रों में भी काफी काम करना है।

गरीबी दूर करने के कार्य को सरकार सर्वोत्तम प्राथमिकता देती है और हमारे विचार में गरीबी समाज के निर्धन वर्ग के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करके ही समाप्त की जा सकती है। देश से गरीबी अर्थव्यवस्था के स्वस्थ विकास तथा गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों के माध्यम से ही दूर की जा सकती है। इन तीनों समग्र प्रयासों के माध्यम से हमने पिछले कुछ वर्षों में गरीबी पर काबू किया है। इसमें कुछ कमी आई है। इससे पहले की किसी भी सरकार

ने गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के लिए कभी भी इतनी विशाल धनराशि निर्धारित नहीं की। किसी भी सरकार ने इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये इतनी व्यवस्था नहीं की जितनी की हमने की है।

एक माननीय सदस्य ने विकास राशि में से लीकेज़ की शिकायत की है। हम समय-समय पर आकलन करके इन खामियों को दूर कर रहे हैं जिससे हम चालू कार्यक्रमों को समायोजित करने में समर्थ होते हैं, कभी-कभी इससे हमें प्रणाली को बदलने में मदद मिलती है ताकि लीकेज को कम किया जा सके। लेकिन मैं कहूंगा कि सभी प्रकार के लीकेज खराब हैं, जो लीकेज नौकरशाही प्रणाली में होता है वह गलत है लेकिन वो लीकेज़ सबसे ही ज्यादा गलत है जो कि दल के कैडर में जाता है।

*** *** ***3

महोदय छठी योजना अवधि में गरीबी अनुपात में बहुत ही विस्मयजनक कमी आई। सातवीं योजना में हमें आशा है कि इसमें और भी कमी आएगी तथा इस शताब्दी के अन्त तक हम सहर्ष विपत्ति को समाप्त करने का निश्चित प्रयास करेंगे। सरकार ने स्वयं ही इन चुनौतियों को गम्भीरता से लिया है और वह उसमें सफल रही है। खेद की बात है कि यही बात विरोधी पक्ष के लिए नहीं कही जा सकी।

जबकि देश में शताब्दी का भयंकर सूखा पड़ा है तथा राष्ट्र की अखण्डता एवं सुरक्षा को खतरा है, विरोधी पक्ष जिसके पास अपनी कोई नीतियां नहीं हैं, उन्हें छिपाने के लिए व्यर्थ ही में कांड खड़े कर रहा है।

संसद का मूल्यवान समय व्यर्थ किया गया है तथा मेरा विश्वास है कि विरोधी पक्ष से एक से अधिक सदस्य ने समय की कमी के बारे में शिकायत की है कि उन्हें पिछले वर्ष के बजट की मांगों पर चर्चा करनी है। लेकिन क्या मैं सदस्यों को याद दिलाऊं कि महोदय वह समय कहां खत्म किया गया? वो समय कहां बर्बाद किया गया?

*** *** ***4

पिछले वर्ष के पूर्वार्द्ध उठाये गये मुद्दों में से भ्रष्टाचार का जो एक मात्र मुद्दा सामने आया है वह है भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति द्वारा दिया गया बयान, जिसमें भूतपूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि 30 से 40 करोड़ रुपये उन्हें देने के लिए कहा गया था। *(व्यवधान)* महोदय, मैं इस अवसर पर भूतपूर्व राष्ट्रपति के मजबूत नीतिसंगत रवैये पर उन्हें बधाई देता हूं कि वह उनकी बातों में नहीं आए।

भ्रष्टाचार का भण्डा फोड़ने भी लिए यदि कोई व्यक्ति सदन को समय लेता है तो मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम सदन का समय लेंगे - परन्तु आपको तथ्यों के साथ आना होगा।

मैं गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस बात का पता लगाने की कोशिश करें कि इस पैसे का किस प्रकार उपयोग किया जाना था, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में कोई प्रचार नहीं होता, तो इस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान किस तरह 30-40 करोड़ रुपये का उपयोग किया जाना था।

यह खेद की बात है कि जब प्रौद्योगिकी में नवीनीकरण की बात आती है तथाकथित प्रगतिशील लोग प्रतिक्रियावादी विचार प्रकट करते हैं। अप्रचलित प्रौद्योगिकी से उत्पादकता का स्तर रहता है। इससे कम मजदूरी दी जाती है और कम विकास होता है, शायद कोई विकास नहीं होता। विकास के बगैर लाखों अतिरिक्त नौकरियों की व्यवस्था कैसे होगी? विकास के बगैर हम अपने युवकों और युवतियों को रोजगार कैसे देंगे? श्रमिकों को उन पुरानी इकाइयों में जो अवश्य ही रुग्ण हो जाती हैं, लगाने के अलावा और कोई भी कार्य श्रमिक विरोधी नहीं हो सकता। श्रमिक को रोजगार के अवसर से वंचित करके उसकी नौकरी के लिये खतरा पैदा करने के अलावा और लाखों को नाम दर्ज कराने के अवसर से वंचित रखने के अलावा और कोई भी बात श्रमिक विरोधी नहीं हो सकती। जैसाकि एक सदस्य ने कहा है अगर रुग्ण इकाइयों की संख्या में आठ गुणा वृद्धि हो गयी है तो इसका मुख्य कारण पूर्णतया अप्रचलित प्रौद्योगिकी, कुप्रबन्ध और विचारहीन श्रमिक संघवाद है। हमें इनका सामना करना है। महोदय, उस सदस्य का समाधान प्रौद्योगिकी में नवीनीकरण वाला नहीं है। यह सिर्फ शारीरिक श्रम की बात है। ऐसी नीति से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिससे उद्योगों में बहुत अधिक रुग्णता आ जायेगी। बेरोजगारी के अभिशाप को समाप्त करने के लिए उचित शिक्षा, तीव्र विकास और कार्यदक्षता में निरन्तर सुधार की आवश्यकता है। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी में तरक्की होती है, वही श्रमिक पायेगा कि उसका कठोर श्रम कम हो गया है, उसकी उत्पादकता बढ़ गयी है और उसकी मजदूरी बढ़ गयी है। इसके साथ-साथ जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। हमारी नीतियों की वजह से दो वर्ष तक श्रम सम्बन्ध बहुत अच्छे रहे हैं। हमारे उद्योग और श्रमिक में अधिक उत्पादकता न्यूनतम लागत और उत्तम गुणवत्ता के प्रति एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। प्रबन्ध में श्रमिक की अधिक भागीदारी होती जा रही है विशेषकर सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में।

कांग्रेस दल सिर्फ किसानों और ग्रामीणों का ही एक दल नहीं है परन्तु श्रमिक वर्ग का भी यह एक वास्तविक दल है।

यह सेवारत, बेरोजगार और असंगठित लोगों का प्रतिनिधित्व करता है: कांग्रेस अधिक बहुमत वाले श्रमिक वर्ग का नुकसान करते हुए एक अल्पसंख्यक श्रमिक वर्ग के हितों को बढ़ावा नहीं देती जैसाकि कुछ दूसरे दल करते हैं। हमारे देश में विकास महोदय, कुछ लोगों का दिमाग 20वीं शताब्दी में नहीं आयेगा। वे मार्क्स के साथ ही रहेंगे।

खेद की बात है कि वे कार्ल की तरह सोचते हैं परन्तु ग्रुसों की तरह व्यवहार करते हैं। महोदय, हमारे देश में विकास की जड़ें लोकतन्त्र में हैं। यदि हम अधिक विकास चाहते हैं तो और अधिक लोकतन्त्र होना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है जो हमें गोष्ठियों और फिलहाल की जाने वाली जिलाधीशों की वर्कशापों से मिल रहा है।

इन वर्कशापों से कुछ बातें तो पहले ही स्पष्ट हो गयी हैं। एक तो यह है कि यदि जिला स्तर पर लोकतंत्र का विकास ठीक ढंग से नहीं किया गया तो प्रशासन के लिए कार्य करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है जिले की योजना बनाते समय स्वयं जिले की आवश्यकताओं की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और प्रारम्भिक स्तर पर सही रूप से उत्तरदायी बनाने के लिए जिला स्तर पर विद्यमान लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रशासन के बीच इस साझेदारी का निर्माण करने की आवश्यकता है। इसके लिए, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निचले स्तरों पर चुनाव नियमित रूप से तथा बगैर देरी के हों।

माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया है। कांग्रेस की कार्यकारिणी से कल ही हमने अपने मुख्य मंत्रियों को अपने राज्यों में चुनाव करवाने के निर्देश दिये हैं। अधिकतर राज्यों में तो चुनावों की घोषणा कर दी गयी है या करना दिये गये हैं।

*** *** ***5

दूसरी तरफ जब हम अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को देखते हैं तब हमारा इरादा स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान देने का होता है। मैं योजना आयोग से अनुरोध कर रहा हूं कि अब से ही आठवीं योजना के बारे में ध्यान देना आरम्भ कर दिया जाना चाहिए और जिला योजनाओं से आठवीं योजना का निर्माण करने के लिए, जिले को एक इकाई मानकर आठवीं योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। मैंने उनसे सभी राज्य सरकारों को यह अनुदेश देने के लिए कहा है कि अपने राज्यों के लिए इस योजना के आधार पर अपनी आठवीं योजना के निर्माण की शुरुआत करें।

*** *** ***6

समाचार पत्रों में छपने वाली प्रत्येक बात का खंडन करने की मैं परवाह नहीं करता। मैं स्पष्ट तथा इस बारे में बताता हूं। योजना आयोग का मैं बहुत अधिक सम्मान करता हूं। मेरी योजना आयोग के प्रति एक मात्र शिकायत यह है कि इसकी योजना में इतनी आक्रामकता नहीं है, यह योजना संबंधी मामलों में मंत्रालयों से प्राप्त सामग्री का समायोजना और संतुलन करने तक सीमित रहता है। मैं चाहता हूं कि योजना आयोग और अधिक आगे बढ़े और अधिक प्रभावकारी योजना का निर्माण करें। मैं उनसे यही बातें कर रहा था।

*** *** ***7

इस लक्ष्य के लिए, पर्याप्त योजना प्रस्तावों को तैयार करने के लिए, हम जिला प्रशासनों की क्षमता को मजबूत करना चाहते हैं और विकास के लिए संसाधनों का परिनियोजन करने में हम जिला प्रशासन को अधिक छूट देना चाहते हैं। स्थानीय विकास के लिए स्थानीय लोकतंत्र का उपयोग करते हुए हम सहभागितापूर्ण विकास को नया जीवन देना चाहते हैं।

जो मुख्यमंत्री मुझे उन कार्यशालाओं में ले गये हैं। उन्होंने यह कहा है कि यह मुलाकात उनके लिए है और जिला मजिस्ट्रेटों के लिए कितनी लाभप्रद है। एक मुख्यमंत्री ने हमारे निमंत्रण

को अस्वीकार कर दिया और मुलाकात में उपस्थित होने के निमन्त्रण को अस्वीकार करने के बाद उन्होंने यह शिकायत की कि उनके पीछे से षड्यन्त्र रचा जा रहा है। महोदय, मुझे केवल यह कहना है कि षड्यन्त्र केवल यह है कि प्रशासन अधिक उत्तरदायी होना चाहिए। मैं इन कार्यशालाओं की कर्त्तव्यनिष्ठा और उत्साह तथा हमारे जिला मजिस्ट्रेटों के प्रजातन्त्र में अटूट विश्वास से बहुत प्रभावित हुआ हूं।

अब मुझे पंजाब का जिक्र करने दीजिये। पंजाब में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को वहां पूरा-पूरा अवसर दिया गया। दुर्भाग्य से वहां की निर्वाचित सरकार स्थिति के अनुरूप कार्य करने में विफल रही और वहां अब भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह पता चल सके कि वहां का निर्वाचित सत्तारूढ़ दल अब दृढ़ता से और स्पष्टता से आतंकवाद का सामना करने के लिए तैयार हैं। केवल इस प्रकार की तत्परता से ही सामान्य राजनैतिक प्रक्रिया पुन: स्थापित की जा सकती है। आतंकवाद के खतरे को अनियन्त्रित नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए वहां पर कठोर पुलिस कार्यवाही आवश्यक है। देश की एकता और अखंडता के लिए इससे कम और कुछ नहीं चाहिये।

राष्ट्रपति शासन के बाद कई महीने तक सुरक्षा बल आतंकवादियों पर हावी हो रहे थे। हाल ही के कुछ सप्ताहों में आतंकवादियों को कुछ भयंकर सफलतायें प्राप्त हुई हैं। परन्तु यदि हम अपने संकल्प पर दृढ़ रहे तो अन्तत: हमारी विजय होगी।

एक सदस्य ने त्रिपुरा का उल्लेख किया था। त्रिपुरा को अशांत क्षेत्र घोषित करने के बारे में विरोधी दलों ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। महोदय, राज्य के लोगों ने इस बारे में अपना जनादेश दे दिया है कि त्रिपुरा एक अशांत क्षेत्र था अथवा नहीं।

पिछली सरकार की अक्षमता और सरलता खतरनाक सम्मिश्रण से राज्य में विद्रोह की स्थिति व्याप्त हो गयी। यह एक विडम्बना ही है कि एक सदस्य ने हम पर विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है जबकि यह उनकी पार्टी की नम्रता और दुविधा ही थी जिसके कारण त्रिपुरा को इस संकट से गुजरना पड़ा।

अनजान निरीह व्यक्तियों के आम हत्यारों के लिए कोई प्रजातन्त्र नहीं हो सकता। हमारी शासन प्रणाली लोगों की इच्छा जाहिर करती है। यह प्रणाली निर्वाचित सरकार को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का प्राधिकार सौंपती है। विपक्ष के एक सदस्य द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन हमारी स्थिरता को समाप्त कर देंगे और स्वयं प्रजातन्त्र को भी खतरे में डाल देंगे।

गत वर्ष अप्रैल-मई में मेरठ तथा कुछ अन्य स्थानों पर कुछ साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे यह बड़े दु:ख की बात थी। महोदय, वहां हिंसा को कुचल देने के लिए कारगर कार्यवाही की गई थी। परन्तु यह दु:ख की बात है ऐसा बहुत सारे निर्दोष व्यक्तियों की हत्या से पूर्व नहीं हो सका। वहां अत्याचारों के आरोपों की जांच की गई है, जिला प्रशासन में परिवर्तन कर दिया गया है, पुनर्वास कार्य किया गया और धर्मान्ध लोगों का शमन कर दिया गया तथा कट्टरवाद को नियन्त्रित किया गया।

हमें इससे राहत अनुभव होती है कि इसके पश्चात् पुन: मेरठ में हिंसा नहीं भड़की और उसका आगे विस्तार भी नहीं हुआ। कुल मिलाकर देश में कोई बड़ी साम्प्रदायिक घटना नहीं हुई।

साम्प्रदायिकता से लड़ने में हमारा सबसे बड़ा आधार यह है कि हमारे लोग अत्यधिक साम्प्रदायिक नहीं हैं। हमारी सहिष्णुता और भाईचारे की लम्बी परम्परा रही है। हमारी मिश्रित संस्कृति एक वास्तविकता है। हमें अनेकता में एकता का 5 हजार वर्षों का अनुभव है। साम्प्रदायिकता, कुछ उन गुमराह तत्वों का कार्य है जो कभी-कभी विशेष सामाजिक अव्यवस्था और तनावों का लाभ उठाकर लोगों की साम्प्रदायिक भावना को भड़काने में सफल हो जाते हैं। सम्प्रदायियों को रोकने के लिए हमें राजनैतिक स्तर पर कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता है, साथ ही स्थानीय समुदायों और स्थानीय नेताओं को भी सतर्क रहना होगा। हमें ऐसे निष्पक्ष प्रशासन की आवश्यकता है जो दृढ़तापूर्वक हिंसा से निपट सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने उन मूल्यों और मानदंडों को व्यापक बनाकर जो हमारी अपनी संस्कृति और परम्पराओं में निहित हैं साम्प्रदायिकता का मुकाबला कर सकते हैं।

हमारी सहिष्णुता और आत्मसात् करने की परम्पराओं को दो दिशाओं से खतरा है। पहला खतरा हमारे समाज के कुछ वर्गों पर हावी हो रहे भौतिकवाद से है। और दूसरा खतरा कट्टरपंथी, साम्प्रदायिकता और क्षेत्रवाद आदि से है जो मुख्यत: असहिष्णुता और हिंसा पर आधारित है जो इस बारे में गुमराह करते हैं कि यह जटिल समस्याओं का सरल समाधान है। आर्थिक अवसरों के कारण हमारी जनसंख्या में अभूतपूर्व गतिशीलता आई है। यह गतिशीलता लाखों व्यक्तियों को उनके परम्परागत बन्धनों से मुक्त कर रही है। लाखों व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और मतों के व्यक्तियों पर प्रभाव डाल रहे हैं। उन सभी के लिए हमें अपनी अनेकता को एक सजीव वास्तविकता बनाना है। उचित मूल्यों को अन्तर्निविष्ट करने के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जा रहा है। हमारे 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र अनेकता का सन्देश उन लोगों के द्वार तक पहुंचा रहे हैं जो दूरदराज के क्षेत्रों में शहरी गन्दी बस्तियों में और देश के प्रत्येक भाग में प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं और देश के विभिन्न भागों की संस्कृति को एकजुट कर रहे हैं।

समाज के सभी वर्गों के प्रतिभावान लड़के-लड़कियों के लिए सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी राज्यों ने हमें अपना सहयोग दिया है। केवल एक राज्य ऐसा है जिसने हमें सहयोग नहीं दिया है। गरीबी को जारी रखने में और अपने इस विचित्र विश्वास में कि मूल पाठ्यक्रम विदेशी विचारधारों पर आधारित होना चाहिए, उनका स्वार्थ निहित है। उस राज्य में गरीबी के लिए प्रसन्नतापूर्वक घटिया शिक्षा की व्यवस्था की गयी है जबकि देश के अन्य राज्य आगे बढ़ रहे हैं। आप्रेशन ब्लाजबोर्ड यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो हम आपके राज्य में भी कुछ अच्छे स्कूलों की व्यवस्था करेंगे।

स्वतंत्रता के 40 वर्षों के बाद भी कुछ राज्य सरकारें गरीबों के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्नशील नहीं हैं और हमें गरीबों के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था करनी पड़ रही है और एक अथवा दो राज्यों में गरीबों के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था नहीं की जा रही है।

अब प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों की मदद से आप्रेशन ब्लाजबोर्ड योजना आरम्भ की गई है। यह राज्य सूची का विषय है। क्या आगे जाकर हमें यह काम करना चाहिए? परन्तु हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम गरीब लोगों के बारे में चिन्तित हैं। क्योंकि हमारे दिल में दर्द है।

*** *** ***8

अब 200 से भी अधिक नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं और अधिक विद्यालय निकट भविष्य में खोल दिए जायेंगे। इन नवोदय विद्यालयों में पढ़ने वाले अधिकांश लड़के लड़कियां समाज के गरीब वर्गों से आते हैं।

नवोदय विद्यालयों की ऐसी पृष्ठ भूमि तैयार की गई है कि उनमें पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से है। इन ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों में प्रचुर मात्रा में प्रतिभा है जो व्यर्थ जा रही थी क्योंकि इन गरीब विद्यार्थियों के लिए अच्छे स्कूल उपलब्ध नहीं थे। दूसरी बात यह है कि इस प्रतिभा के व्यर्थ जाने से राष्ट्र को हानि हो रही थी। इससे प्रतिभा का सम्पूर्ण भण्डार व्यर्थ जा रहा था और नवोदय विद्यालयों ने उस भण्डार को बाहर निकाला है। देश में पहली बार गरीब लोगों के बच्चों के लिए सर्वोत्तम शिक्षा उपलब्ध है। इस उत्तमता के भण्डार का लाभ उठा कर ही हमारा देश अधिक तेजी से प्रगति करेगा और हम उन निहित स्वार्थों के विरुद्ध लड़ेंगे जो गरीबों को अच्छी शिक्षा से वंचित करने पर आमादा हैं। हम गरीबों को अच्छी शिक्षा देंगे।

महिलाओं को उनके पूर्ण अधिकार दिलाना और उनका उत्थान भी हमारी मुख्य प्राथमिकता रही है। इन वर्षों में हमने महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने की दिशा में कई कानून बनाए हैं। महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए कुछ कानून अत्यधिक कठोर बनाये गए हैं। इस प्रकार के कानून बनाये गये हैं जैसे कि इस सभा में पहले कभी नहीं बनाये गए थे। हमने सभी राज्यों की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया है। हमने महिलाओं की एक राष्ट्रीय समिति बनाई है जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त महिलाओं को एक मंच पर लाती है और महिलाओं के लिए कार्यक्रम बनाने तथा उनका क्रियान्वयन करने के विषय में सलाह देती है।

हमारा देश अधिक युवा होता जा रहा है। यह सच है। हमारे देश की औसत आयु जबकि हममें से कुछ अधिक आयु के बूढ़े और जराग्रस्त हो गए हैं, हमारा देश युवा होता जा रहा है। आज हमारे देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या 40 से कम आयु वर्ग में आती है और हमारे युवाओं की समस्याओं को बहुत अधिक राष्ट्रीय प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। रोजगार देने के लिए, सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन करना आवश्यक था। हम पहले ही यह प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। हमें युवाओं में उद्यम और पहल की भावना पैदा करने की आवश्यकता है। हमें रवैये में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हमें उनको इस योग्य बनाना है कि वे भारत और उसकी विरासत पर

गर्व महसूस करें। हमने युवा कार्यक्रमों और खेलकूद की गतिविधियों में होने वाले खर्च में बहुत अधिक वृद्धि की है और इससे युवा गतिविधियों का स्तर सुधरेगा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सामाजिक और आर्थिक दबावों के अधीन अभी भी दुःख भोग रही हैं। उनकी असमर्थताओं को समाप्त करने और उनके लिए न्याय को सुनिश्चित करने के लिए हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याण कार्यक्रमों, विकास कार्यक्रमों को पहले से कहीं अधिक उच्च स्तर पर बढ़ावा दे रहे हैं, हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नवीकरण और आयुक्त के हाथ मजबूत करने के लिए ढांचे में बड़े सुधार किए हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित राशि में से लिए जाने वाले खर्च पर मैं स्वयं निगरानी रख रहा हूं।

अल्पसंख्यक समुदाय हमारी मिली-जुली विरासत और मूल्यवान परम्पराओं की बहुमुख विविधता के अभिन्न अंग हैं। यदि हम अपनी संस्कृति की संपूर्णता के किसी अंग से वंचित हो जाते हैं तब भारत नहीं रह सकता कुछ अल्पसंख्यक समुदायों का औसतन असाधारण उत्थान हुआ है। अन्य समुदाय, विभिन्न कारणों से विशेष कठिनाइयां उठा रहे हैं और उन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं के समाधान की कुंजी इन्दिरा जी के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के ईमानदारी से कार्यान्वयन में निहित है। हमने इस कार्यक्रम की निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, इसको सुनिश्चित करने के लिए कि अल्पसंख्यक राष्ट्रीय जीवन में भूमिका निभाते हैं, उन्होंने योगदान दिया है और जो योगदान वे दे सकते हैं, हम जो कुछ कर सकते हैं वह सब करेंगे। महोदय, अफगानिस्तान से सोवियत सेना को वापस बुलाने के लिए जनरल सेक्रेटरी गोर्वाचेव की पहल के बारे में माननीय सदस्य जानते हैं। हम उनकी पहल का स्वागत करते हैं। जो शांतिपूर्ण समझौता चाहते हैं वे भी इसका स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि जनेवा वार्ता सफल होगी। हम आशा करते हैं कि जनेवा समझौते पर 15 मार्च से पहले हस्ताक्षर हो जायेंगे ताकि 15 मई से सोवियत सेना की प्रक्रिया आरम्भ हो सके। इस समस्या के समाधान में सहायता देने के लिए हम 1980 से कार्य कर रहे हैं। इन्दिरा जी ने अफगानिस्तान के प्रधान मन्त्री से बातचीत की थी। विदेश मंत्रियों के स्तर पर हमने अनेक बार बातचीत की थी। आज हो रही बातचीत के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक हस्तक्षेप और दखलअंदाजी को रोकने के लिए निर्गुट राष्ट्र सम्मेलन द्वारा बनाए गए नियमों में हमने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मई-जून से मैंने जनरल सेक्रेटरी गोर्वाचेव और प्रेसीडेन्ट रीगन के साथ अनेक बार चर्चा और बातचीत की थी। गत वर्ष के अन्त में जब प्रेसीडेंट नजीब हमारी रचनात्मक भूमिका को मान्यता देने भारत आए थे तब मैंने उनके साथ लम्बी बातचीत की थी। संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ ने इस समस्या के समाधान में हमें विश्वास में लिया है। अफगानिस्तान की प्रमुख हस्तियों ने हमारी भूमिका को सराहा है। कुछ ने अफगानिस्तान की समस्या के समाधान में भारत के शामिल होने की आवश्यकता पर ऐतराज किया है। हम चुपचाप नहीं रह सकते हैं। अफगानिस्तान में जो हो रहा है वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है। अफगानिस्तान हमारे क्षेत्र का एक अभिन्न

अंग है। अफगानिस्तान में हुई घटनाओं से हमारे क्षेत्र में बड़ी शक्तियों का संघर्ष हमारे बहुत निकट आ गया है। अब अवसर है कि हम निर्गुट शक्तियों को मजबूत करें। इसी कारण से मैंने पाकिस्तान के प्रेसीडेंट को इस कार्य के लिए दिल्ली आने का निमन्त्रण दिया। प्रेसीडेंट जिया आने में असमर्थ रहे, उन्होंने कहा कि देश की राजनीतिक गतिविधियों में पूर्व-निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण वे आने में असमर्थ हैं। उनके सुझाव पर मैंने अपने विदेश सचिव को अपना विशेष दूत नियुक्त किया। इस क्षेत्र में स्थिरता के लिए, भारत और पाकिस्तान को इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में, मैं प्रेसीडेंट जिया से बात करना चाहता हूं। सबकी भलाई और हर एक हित के लिए हम मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस बारे में व्यापक विचार-विमर्श के अवसर शीघ्र ही उपलब्ध होंगे। श्रीलंका में, भारत-श्रीलंका समझौते के कार्यान्वयन में हाल ही के दिनों में काफी प्रगति हुई है। इस समझौते का उद्देश्य तमिलों को न्याय दिलाना और श्रीलंका की एकता और अखण्डता को बनाए रखना है। इस समझौते का उद्देश्य हमारे सुरक्षा हितों को बनाए रखना तथा इस क्षेत्र में निर्गुट शक्तियों को बनाए रखना है। राष्ट्रपति जयवर्धने ने इस बात को दोहराया है कि जो लोग हथियार डाल देंगे उन्हें आम माफी दे दी जाएगी। प्रान्तीय परिषदों को अधिकार देने की दिशा में निश्चित प्रगति हुई है। राष्ट्रपति जयवर्धने ने इस वर्ष के मध्य तक चुनाव कराने का वचन दिया है। विलय को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए उत्तर और पूर्व में एकता प्रांतीय परिषद के चुनाव होंगे।

इस प्रकार श्रीलंका के तमिलों को अपना प्रशासन चलाने के लिए अपने मन चाहे प्रतिनिधि लोकतांत्रिक रूप से चुनने का अवसर मिलेगा। श्रीलंका के तमिलों को, विभिन्न तमिल गुटों द्वारा तमिलों का प्रतिनिधित्व करने के दावों को परखने का अवसर भी मिलेगा। इसका निर्धारण मतपत्र पेटी द्वारा होना चाहिए।

*** *** ***9

मैं माननीय सदस्य से पूर्णत: सहमत हूं। हम निर्दोष तमिलों की हत्या नहीं चाहते। निर्दोष तमिलों की रक्षा के लिए हम सब कुछ करेंगे और हमने ऐसा किया भी है।

वास्तव में, भारतीय शांति सेना का कार्य निर्दोष तमिलों की रक्षा करना ही है। इससे श्रीलंका के तमिलों को यह जानने का अवसर मिलेगा कि तमिलों का प्रतिनिधित्व वास्तव में कौन करता है और उनका प्रतिनिधित्व बंदूक की गोली द्वारा नहीं, मतपत्र-पेटी द्वारा कौन करता है।

सामान्य स्थिति वापस आ जाने का उत्साहदायक संकेत शरणार्थियों की वापसी है। लगातार भारी संख्या में शरणार्थी स्वदेश लौट रहे हैं।

इस अवसर पर मैं भारतीय शांति सेना के सैनिकों की उनके उस शौर्य, अनुशासनबद्धता और साहस के लिए अत्यधिक प्रशंसा करता हूं जो उन्होंने इस नाजुक कार्य को करने में दिखाया

है और यह शोचनीय बात है कि भारतीय शांति सेना के कार्य के बारे में दुर्भावनाशील मनगढ़न्त बातों पर सभा में से क्या किसी को भी विश्वास करना चाहिए।

हमें हमेशा घटनाओं की छोटी-छोटी बातों में फंसने की आशंका बनी रहती है। यह सही है कि आंकड़े महत्वपूर्ण हैं किन्तु हमें भारत के व्यापक परिप्रेक्ष्य में घटनाओं को देखना चाहिए। विश्व में भारत का महत्व है। विचारों की दुनिया में भारत अग्रणी है। हमारा महती योगदान मानवजाति की भावना और आत्मा के लिए मूल्यों और आदर्शों को बनाए रखना रहा है। हमारा राष्ट्रीय कार्य मानवीय सभ्यता की प्रथम पंक्ति में भारत को उसके सही स्थान पर वापस लाना है। इस कार्य में विकास एक अनिवार्य घटक है किन्तु वास्तविक चुनौती केवल विकास और वृद्धि के पीछे की बातों का जवाब देना है। हमारी स्वतंत्रता के 40वें वर्ष में इस महान कार्य के लिए राष्ट्र का आह्वान है।

मैं राष्ट्रपति के प्रेरणादायक अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सभा से वैसा ही करने का आग्रह करता हूं।

पश्च टिप्पण

XXIII. **राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर, 2 मार्च, 1988**

1. **प्रो. मधु दंडवतेः** यदि उनके शासन काल में प्रगति हुई है तो वह अतीत के बल पर हुई है और यदि अवनति हुई है तो यह उनकी अपनी वजह से हुई है। उनका तर्क यही लगता है।

श्री राजीव गांधीः मुझे खुशी है कि श्री मधु दंडवते जी मुझसे सहमत हैं। जैसा कि मैं समझता हूं कि उन्होंने कहा कि प्रगति .....

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): उन्होंने कहा कि यह आपका तर्क है।

2. **प्रो. मधु दंडवतेः** उन्होंने देश को अब जो गति दी है उससे तो लोकतंत्र ही समाप्त हो गया है।

श्री राजीव गांधीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने लोकतंत्र की बात कही है। मैं नहीं समझता किसी ने उनकी बात सुनी है। मैं माननीय सदस्य को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि 1977 के चुनाव इंदिरा जी ने कराए थे, विपक्ष ने नहीं।

जी हां, इससे उनकी वचनबद्धता तथा कांग्रेस की लोकतंत्र के प्रति वचनबद्धता का पता चलता है।

महोदय, हमारे कुछ मित्र बहुत शोर मचाते हैं। लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उन्हें सोचना चाहिए कि 10 वर्ष पहले वे कहां थे। महोदय, मूल्यों की समस्या बड़ी गंभीर है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद हम मुद्रास्फीति की दर 10 प्रतिशत से कम रखने में सफल हुए हैं और हम बड़ी कोशिश करके सावधानीपूर्वक उस पर निगाह रखेंगे कि यह दर आगे न बढ़ने पाए।

एक माननीय सदस्यः लेकिन यह दर आगे बढ़ेगी।

3. **श्री सैफुद्दीन चौधरी (करवा):** आप लोन मेला के बारे में बात कर रहे हैं।

श्री राजीव गांधीः आप अपने आप को दोषी क्यों महसूस कर रहे हैं ?

श्री बसुदेव आचार्यः आप किसके साथ 'लोन मेला' आयोजित कर रहे हैं ?

श्री राजीव गांधीः महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि सदन में दो या तीन ही संगठित दल हैं।

प्रो. मधु दंडवतेः महोदय, हमें खुशी है कि उन्होंने अपना दोष तो माना।

4. **श्री बसुदेव आचार्यः** क्यों ?

श्री राजीव गांधीः उस समय को किसने खत्म किया ? गंभीर मसलों के लिए दिए गए समय को किस ने खत्म किया है।

श्री बसुदेव आचार्यः आपकी असलियत के बारे में बताने के लिए।

श्री राजीव गांधीः भूतों को पकड़ने के लिए।

श्री बसुदेव आचार्यः आपके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए।

श्री राजीव गांधीः प्रकाश में सिर्फ ..... भ्रष्टाचार आया है।

प्रो. मधु दंडवतेः पूंजी को बाहर ले जाना कोई भ्रष्टाचार नहीं है ?

5. **श्री बी. शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा)** : यहां तक कि राजधानी में भी चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं।

प्रो. मधु दंडवतेः इन्होंने एक अपनी ओर से अध्यादेश जारी कर दिया और चुनावों को एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया।

श्री बी. शोभनाद्रीश्वर राव : आप अपने दल में चुनाव करवाएं।

श्री राजीव गांधीः मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए और उनमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्यः आपने त्रिपुरा और मेघालय में क्या किया ?

श्री राजीव गांधीः मैंने तो ऐसा नहीं कहा है । मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने ऐसा कहा, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर): आप कांग्रेस दल में चुनाव क्यों नहीं करवाए।

6. **श्री बसुदेव आचार्यः** हमने पश्चिम बंगाल में एकड़ स्तर पर भी ऐसा कर रखा है।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर): आप योजना आयोग के सदस्यों को जोकर कहते हैं।

श्री राजीव गांधीः कुछ राज्य दावा करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है । परन्तु महोदय, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जब असलियत में कागज पर संख्या को देखा जाता है तो ऐसा कोई भी राज्य नहीं मिलता जिसने ऐसा किया हो । न तो कांग्रेस दल के राज्य ने और न ही विरोधी दल के राज्य ने ऐसा किया है । दस्तावेज में इस प्रकार नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्यः पश्चिम बंगाल में हमने पहले से ही खंड स्तर पर योजना बनाने का कार्य आरंभ कर दिया है।

श्री राजीव गांधीः मैं माननीय सदस्यों से बहस नहीं करना चाहता हूं।

श्री अमल दत्तः आप योजना आयोग के सदस्यों को जोकर कहते हैं।

श्री राजीव गांधीः क्या ग्रोसो?

श्री अमल दत्तः योजना आयोग के जिन सदस्यों को आप जोकर कहते हैं उन्होंने आपको जानकारी नहीं दी।

श्री राजीव गांधीः अब से मुझे उनको ग्रोशा कहना पड़ेगा।

श्री अमल दत्तः आप मुझे कुछ भी कह लें परन्तु आप उनको भी जोकर कहते हैं।

अध्यक्ष महोदयः आप जो कह रहे हैं .....

यह अच्छा नहीं लगता है।

श्री राजीव गांधीः मैंने कभी योजना आयोग के सदस्यों को जोकर नहीं कहा । उस बारे में मैं स्पष्ट बात बताता हूं । लगता है कि जोकर तो यहां पर सामने बैठे हैं जो बातों को तोड़–मरोड़ कर पेश करते हैं।

श्री बसुदेव आचार्यः यह समाचार पत्रों में छपा है । आपने इसका खंडन भी नहीं किया है।

7. **प्रो. मधु दंडवतेः** परन्तु आप तो योजना आयोग के अध्यक्ष हैं।

श्री राजीव गांधीः इसीलिए मैंने आयोग को यह करने के लिए निर्देश दिया है ।

श्री बसुदेव आचार्यः आप स्वयं को भी निर्देश दें।

श्री राजीव गांधीः महोदय, शायद सुदूर भविष्य में किसी दिन माननीय सदस्य सरकार में एक सदस्य होंगे । तब उनको पता चलेगा कि योजना आयोग कैसे चलता है ।

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत): कोई उम्मीद नहीं है।

श्री राजीव गांधीः यह दल बदल सकते हैं।

8. **श्री बसुदेव आचार्यः** शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है।

श्री राजीव गांधीः यही कारण है कि हम इसे आपको दे रहे हैं । केन्द्र केवल अनुपूरक है, उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होना चाहिए । राज्य इस उत्तरदायित्व को गंभीरतापूर्वक निभाएंगें।

श्री रघुनंदन लाल भाटिया (अमृतसर): महोदय, उनकी शिक्षा के लिए भी एक स्कूल खोल दीजिए।

9. **श्री एन.वी.एन. सोमू (मद्रास उत्तर):** वहां निर्दोष तमिल मारे जा रहे हैं।.....

अध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइए, कृपया कोई व्यवधान मत डालिए । माननीय सदस्य को अनुमति नहीं है।

श्री राजीव गांधीः मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं। हम निर्दोष तमिलों की हत्या नहीं चाहते । निर्दोष तमिलों की रक्षा के लिए हम सब कुछ करेंगे और हमने ऐसा किया भी है।

अध्यक्ष महोदयः अनुमति नहीं है।

भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह 1-ए (आई.आर.एस. 1-ए) के प्रमोचन के बारे में वक्तव्य

17 मार्च, 1988

भारत का प्रथम स्वदेशी सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.) 1ए. को सोवियत संघ के बैकोनूर अंतरिक्ष अड्डे से सफलतापूर्वक छोड़ा गया। अंतरिक्षयान सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। यह अंतरिक्षयान प्रत्येक 103.2 मिनट में ध्रुवीय कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है।

वोस्तोक प्रमोचक से पृथक होने के बाद उपग्रह के सौर पैनलों का स्वत: प्रस्तरण कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ये पैनल निर्धारित सीमाओं में तापमान को बनाए हुए हैं।

इस उपग्रह को बंगलौर स्थित मुख्य अंतरिक्षयान नियंत्रण केन्द्र से नियंत्रित किया जा रहा है। इस मिशन में लखनऊ और मारीशस स्थित इसरो के भू-केन्द्रों का भी उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, मिशन के प्रारम्भिक चरणों में केनिया, संयुक्त राज्य अमेरीका और संघीय जर्मन गणराज्य में स्थित विदेशी अंतरिक्ष एजेन्सियों के भू-केन्द्र उपग्रह की प्रगति की मॉनीटरिंग में सहायता कर रहे हैं।

भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह की सभी प्रणालियों और उप-प्रणालियों का डिजाइन और संविरचन स्वदेशी रूप में किया गया है। आई.आर.एस.-1ए. का भार 975 कि.ग्रा. है और इसमें स्टेट-ऑफ-दी-आर्ट-कैमरे के दो सैट रखे गए हैं। एक कैमरा भारत के ऊपर से गुजरने के दौरान 148 कि.मी. की देशान्तरीय पट्टी पर 72 मीटर के विभेदन वाली प्रतिबिम्बिकियां प्रदान करेगा। दूसरा कैमरा इसी क्षेत्र पर 39 मीटर के विभेदन वाली प्रतिबिम्बिकिया प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिये कि प्रतिदिन लगभग प्रात: 10.25 बजे सभी प्रतिबिम्बिकियां प्राप्त की जाएंगी। अंतरिक्षयान की कक्षा का लगातार समायोजन किया जाएगा।

आई.आर.एस.-1ए. का सफल प्रमोचन सुदूर संवेदन कार्यक्रम में एक प्रमुख मील स्तम्भ है। संयुक्त राज्य अमेरीका, सोवियत संघ, फ्रांस और जापान के बाद भारत अब विश्व का ऐसा पांचवां राष्ट्र बन गया है, जिन्होंने अंतरिक्ष से पृथ्वी के संसाधनों की सुदूर संवेदन क्षमता स्थापित की है।

मुझे विश्वास है कि यह सदन मेरे साथ अंतरिक्ष विभाग के उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सहायक स्टाफ की टीम को हार्दिक बधाई देगा, जिनके पिछले पांच वर्षों के समर्पित प्रयासों से देश को यह महान उपलब्धि प्राप्त हुई है।

पश्च टिप्पण

XXIV. भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह 1ए (आई.आर.एस.-1ए) के प्रमोचन के बारे में वक्तव्य, 17 मार्च, 1988

कोई टिप्पण नहीं ।

अनुदानों की मांगें, 1988-89

20 अप्रैल, 1988

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत लाभदायक वाद-विवाद हुआ और इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक सुझाव दिए गए हैं तथा इस चर्चा में रचनात्मक भूमिका निभाने वाले सभी सदस्यों को मैं बधाई देता हूं।

अपनी विदेश नीति के सिद्धांत और उद्देश्यों के प्रति तथा जिस प्रकार हम अपनी विदेश नीति का संचालन करते हैं उस पर व्यापक राष्ट्रीय सहमति है। विस्तारपूर्वक चर्चा करते समय जो मतभेद उभर कर आये हैं, उनके बावजूद, हमारी विदेश नीति की मुख्य बातों की अनेक बार संपुष्टि की गई है तथा उनमें निष्ठा व्यक्त की गई है। आज भी विश्व में उसकी प्रमुख बातें प्रासंगिक हैं।

गत दो या तीन वर्षों के दौरान विश्व में, विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में, बड़ी तेजी से परिवर्तन हुआ है। नये दृष्टिकोणों का विकास हो रहा है और नये-नये विचार उभर कर आ रहे हैं तथा इसके परिणामस्वरूप विश्व के सभी देशों के लिए चुनौतियां पैदा होंगी विशेषकर भारत जैसे देश के लिये, जो अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसी स्थिति में, किसी को भी अतीत के दलदल में नहीं फंसा रहना चाहिये अपितु लचीला मार्ग अपनाना चाहिये। किन्तु इसके साथ-साथ हमें अपने उन मूल सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिये जिन पर हमारी विदेश नीति आधारित है।

जब हमने नैतिकता को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया था तब हमें अनैतिक और अव्यवहारिक समझा गया था। आज स्थिति बदल गई है। अब विश्व अहिंसा की अनिवार्यता, परमाणु अस्त्रों से छुटकारा पाने तथा निरस्त्रीकरण के महत्व को स्वीकार कर रहा है। आज विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि वास्तविक विकास तब तक संभव नहीं है, जब तक सच्चाई को गुट हितों और प्रभाव डालने वाले तत्वों से मुक्त नहीं कराया जाता। अब संसार हमारी इस विचारधारा के उत्तरोत्तर नजदीक आता जा रहा है कि विश्व के विभिन्न देश के लोगों की विविधताओं को बिना किसी स्वार्थ भाव के मानवीय आधार पर मान्यता प्रदान की जानी चाहिये और स्वीकार किया जाना चाहिये। जो देश शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के बारे में बहुत अधिक शंकालू थे, वे आज शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात कर रहे हैं न कि नफरत की।

उस समय से लेकर जब श्री जवाहर लाल नेहरू ने हमारी विदेश नीति को सुदृढ़ आधार प्रदान किया था, आज तक की अवधि के दौरान विश्व हमारी विश्व-धारणा के निकट आता रहा है और इससे यह सिद्ध होता है कि हाल ही में दिल्ली घोषणा द्वारा, जिस पर नवम्बर, 1986 में हस्ताक्षर किये गये थे, अहिंसा और परमाणु निरस्त्रीकरण की नीति की पुष्टि की गई है। तर्क द्वारा परमाणु अस्त्रों के विकास को समाप्त करने पर जोर दिया गया है।

मई, 1984 में उस समय जब प्रमुख शक्तियों के बीच वार्ता में गतिरोध उत्पन्न हो गया था और जब कोई इस बारे में सोच ही नहीं सकता था कि तनाव समाप्त भी हो सकता है, तब इन्दिरा जी के साथ छः राष्ट्रों ने पहल की थी, किन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रयास से और पांच महाद्वीपों के छह राष्ट्रों के सतत प्रयास से, उन सभी देशों के प्रयास से जो निरस्त्रीकरण में विश्वास रखते हैं, विश्व में सही वातावरण तैयार करके, हमने पहली बार आई.एन.एफ. संधि पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद परमाणु अस्त्रों को नष्ट किया जाना देखा था।

हमने देखा कि तनाव कम हो रहा है विशेषकर प्रमुख शक्तियों के बीच और वे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक प्रणालियों को मान्यता प्रदान करने लगे हैं। हमने पहली बार यह देखा कि सच्चा अन्तर्राष्ट्रीय लोकतंत्र विकसित हो रहा है और दो पोलों पर टिकी दुनिया अब आगे बढ़ने लगी है।

यही समय है जबकि हम अपनी इस धारणा को पूरा कर सकते हैं कि संसार में परमाणु अस्त्र नहीं होंगे और विश्व निरस्त्रीकरण की धारणा अपनायी जायेगी। हमें स्वयं को अस्त्रों की उसी दौड़ की स्पर्धा से बचाना होगा। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि परमाणु अस्त्रों के अलावा कोई ऐसा साधन विकसित न हो जिससे सब कुछ नष्ट न हो जाये। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि अस्त्रों की इस दौड़ में नये आयाम न जुड़ जायें। इसके साथ यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि पांच-महाद्वीपों में उच्च किस्म के किसी प्रकार के ऐसे अस्त्र का विकास न हो जाए जिसका कारगर ढंग से इस्तेमाल किया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक नुकसान किए बिना एक ही राष्ट्र के सम्पूर्ण नेतृत्व को समाप्त किया जा सके किन्तु जिसके कारण अभी अव्यवस्था पैदा हो जाए।

यह समय इस बात पर विचार करने का है कि हम इन सब चीजों को किस प्रकार नियंत्रित करें और इन्हें नई दिशा कैसे प्रदान करें। हमें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की नई व्यवस्था की आवश्यकता है। हमें एक वास्तविक कुशल संयुक्त राष्ट्र प्रणाली बनाने की आवश्यकता है जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रजातंत्र और प्रभुसत्ता समानता का प्रतीक हो। हमें मानव मात्र के एक साझा परिवार की मान्यता पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, जिसमें एक दूसरे के हित आपस में निर्भर हों और दक्षिण में विकास के सहजीवन के साथ उत्तर में स्थायित्व हो। हमें गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के मूल्यों पर आधारित एक विश्व व्यवस्था की आवश्यकता है।

दक्षिण एशिया के सम्बन्ध में हमने कई अवसरों पर पाकिस्तान के साथ मैत्री और मधुर तथा सहयोगपूर्ण सम्बन्धों की बात दोहराई है। हमारे दिलों में पाकिस्तान के लोगों के प्रति सद्भावनाएं हैं, जिनके साथ हमारी भाषा, संगीत और साहित्य साझा है। हमारा इतिहास साझा है। पाकिस्तान के लोगों के प्रति दुर्भावना नहीं है। हम उनका भला चाहते हैं और इसीलिए हम लोगों के स्तर पर — यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों, पत्रकारों, श्रमिक नेताओं, महिला ग्रुपों के आदान-प्रदान का स्वागत करते हैं। प्रत्येक स्तर पर हम और अधिक आदान-प्रदान चाहते हैं।

हम पाकिस्तान की उस नई पीढ़ी के साथ, जिसका जन्म पाकिस्तानियों के रूप में हुआ, जिन्हें पाकिस्तान की नीतियों ने भारत की व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं होने दी, आदान-प्रदान करना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच शान्ति का अर्थ दोनों देशों के लोगों के बीच शान्ति है।

इन्हीं सम्बन्धों को बढ़ावा देने तथा सद्भावना पैदा करने के लिए हमने शिमला समझौते की भावना से कई उपायों का प्रस्ताव किया है। मैं इसकी व्यापक सूची नहीं देना चाहता किन्तु मैं कुछ पढ़कर सुनाऊंगा। हमने शान्ति और मैत्री की एक सन्धि का प्रस्ताव किया है। हमने परमाणु सुविधाओं पर हमला न करने का प्रस्ताव किया। हमने सीमा सम्बन्धी नए बुनियादी नियमों पर चर्चा करने का प्रस्ताव किया है। हमने विमान अपहरण एम.ओ.यू. का प्रस्ताव किया है। हमने सैनिक विमानों द्वारा वायु सीमा का उल्लंधन करने के बारे में एम.ओ.यू. का प्रस्ताव किया है। हमने गैर-सरकारी व्यापार के विस्तार का प्रस्ताव किया है। हमने बिना भेदभावपूर्ण व्यापार व्यवस्था कायम करने और एम.एफ.एन. सुविधाएं देने का प्रस्ताव किया है। भारत-पाक संयुक्त उद्यमों को, लेखकों, बुद्धिजीवियों, संचार माध्यमों का आदान-प्रदान, सांस्कृतिक ग्रुपों का आदान-प्रदान, फिल्मों, ड्रामा, संगीत, नृत्य का आदान प्रदान करने को कहा है। हमने पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के आदान-प्रदान का प्रस्ताव किया है। हमने विश्वास पैदा करने वाले तथा जोखिम को घटाने वाले अन्य कई उपायों का, जिन पर आपसी सहमति हो, प्रस्ताव किया है। हमने यात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हल करने का प्रस्ताव किया है। हमने नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने और आतंकवाद को समाप्त करने के क्षेत्र में भी सहयोग करने का प्रस्ताव किया है। दुर्भाग्यवश हमें पाकिस्तान से अत्यन्त असंतोषजन प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है।

दूसरी ओर पाकिस्तान दोनों देशों के लोगों के बीच इन कार्यक्रमों को रोक रहा है। वह परमाणु हथियार कार्यक्रम पर ही जोर दे रहा हैं। उसने सियाचिन जैसे क्षेत्रों में आक्रामक रुख अपना रखा है। वे अपने क्षेत्र में आतंकवादियों और पृथकतावादियों को सहायता और शरण दे रहे हैं। हमने पाकिस्तान से कहा कि हमारी सीमाओं पर आतंकवादी घटनाओं में हुई अचानक वृद्धि पर बातचीत के लिए भारत तथा पाकिस्तान के गृह सचिवों को बातचीत करनी चाहिए। दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर बेहतर संचार सुविधा होनी चाहिए। सैनिक क्षेत्र में पहले से ही हॉटलाइन है। शायद गृह सचिवों के बीच भी हॉटलाइन की जरूरत है ताकि यदि कोई तनाव उत्पन्न हो तो उसे जितनी जल्दी संभव हो समाप्त किया जा सके। भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच एक हॉटलाइन हुआ करती थी। किन्तु उनके अनुरोध पर इसे हटा दिया गया। हम चाहते हैं कि इसे बहाल किया जाए ताकि यदि कोई तनाव हो तो उसे तुरन्त कम किया जा सके।

मुझे आशा है कि हम अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए ईमानदारीपूर्वक प्रयत्न करेंगे। एक समृद्ध, स्थिर, स्वतंत्र, प्रभुसत्ता सम्पन्न तथा अखण्ड पाकिस्तान भारत के राष्ट्रीय हित में है। हम पाकिस्तान को इसी रूप से देखना चाहेंगे।

पश्चिम में थोड़ा आगे, अफगानिस्तान में हम जेनेवा समझौते का स्वागत करते हैं। इससे अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की समाप्ति होगी। इससे शरणार्थियों की वापसी होगी। जेनेवा समझौते से अफगानिस्तान में शान्ति और स्थायित्व का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिससे इसकी स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता और गुट-निरपेक्षता को बल मिला है। हमने इसे सफल बनाने में खामोशी से अपनी रचनात्मक भूमिका अदा की है। हमें खेद है कि पाकिस्तान ने बातचीत के लिए हमारे निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। इससे शायद काम थोड़ा और आसान हो जाता।

हमारे विचार से अफगानिस्तान में शान्ति, स्थायित्व और गुट-निरपेक्षता की सर्वोत्तम गारंटी वहां पर सुदृढ़ सरकार का होना है। हम काबुल में एक सुदृढ़ सरकार देखना चाहेंगे। हमारा इसमें बहुत कुछ दांव पर है। इसीलिए, हम राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को समझौते के बाद की स्थिति के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए भारत यात्रा का निमंत्रण दे रहे हैं। हम अफगानिस्तान के लोगों के लिए प्रगति, पुनर्निर्माण और पुनर्वास के युग की कामना करते हैं और हम इस प्रयास में उनका सहयोग करने का वचन देते हैं।

श्रीलंका के साथ हमारे समझौते का श्रीलंका में स्थायी और उचित समझौते के रूप में सभी ने स्वागत किया था, यह एक ऐसा समझौता था जिसमें तमिलों की सभी न्यायोचित जरूरतों और मांगों को पूरा किया गया था; एक ऐसा समझौता जो श्रीलंका की एकता को सुदृढ़ करता है, यह एक ऐसा समझौता था जो उसकी सुरक्षा सम्बन्धी सभी जरूरतों को पूरा करता था।

पिछले 9 महीनों में भारतीय शान्ति सेना ने तमिलों के बीच संघर्ष को समाप्त कर दिया है। भारतीय शान्ति सेना ने तमिल उग्रवादियों और श्रीलंका की सेना के बीच के संघर्ष को समाप्त कर दिया है। 'लिट्टे' से हथियार ले लिए गए हैं—'लिट्टे' के एक बड़े वर्ग को भारतीय शान्ति सेना द्वारा निहत्था कर दिया गया है।

उत्तर में लगभग शान्ति स्थापित हो गई है और पूर्व में भी स्थिति तेजी से सामान्य होती जा रही है। श्रीलंका की सरकार ने अधिकांश तमिल बन्दियों को रिहा कर दिया है और प्रान्तीय परिषदों के लिए विधान तैयार किया है। 'लिट्टे' के लिए हमारे द्वार खुले हैं। हम चाहते हैं कि वह राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लें और लोकतांत्रिक तरीके से जोर आजमाइश करें।

दक्षिण एशिया में 'दक्षेस' बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है। हम इसकी प्रगति से अत्यन्त संतुष्ट हैं। 'दक्षेस' नए आयाम स्थापित कर रहा है और दक्षिण एशिया में आपसी सम्बन्धों के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है। एक सदस्य ने 'दक्षेस' का इस्तेमाल द्विपक्षीय मामलों को सुलझाने का प्रश्न उठाने के लिये किया। मैं अपनी स्थिति बिलकुल स्पष्ट करना चाहता हूं। 'दक्षेस' कोई द्विपक्षीय मंच नहीं है और हम इसका इस्तेमाल द्विपक्षीय मामलों को हल करने के लिए नहीं करेंगे। हमारे सीधे सम्पर्क हैं और हम द्विपक्षीय मामलों को सीधे हल कर सकते हैं।

हम चीन के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारने का प्रयत्न करते रहे हैं। हम विश्वास का वातावरण तैयार कर रहे हैं और अपने सम्बन्धों में एक नए और लाभकारी चरण की प्रत्याशा करते हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि सम्बन्धों को सामान्य करने की प्रक्रिया जटिल है। सीमा सम्बन्धी प्रश्न पर शान्तिपूर्ण ढंग से बातचीत करने की आवश्यकता है। इसमें आपस में स्वीकार्य परिणामों की जरूरत है और हमें दोनों देशों की राष्ट्रीय भावनाओं को ध्यान में रखने की जरूरत है। जब हम दीर्घावधिक समझौते की बात करते हैं तो उसके लिए हमारी सीमाओं पर शान्ति बनाए रखना जरूरी है। हम चीन के साथ बहुत से क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया का इस सदन के सभी वर्गों ने स्वागत किया है। हमने सिद्धान्त रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि उनके नियन्त्रण पर मुझे चीन यात्रा पर जाना चाहिए।

जापान के साथ हमारे सम्बन्धों में काफी प्रगति हुई है। मैंने उनके भूतपूर्व प्रधानमंत्री नाकासोने, जब वह प्रधानमंत्री थे, से काफी बातचीत की है और जापान की इस यात्रा के दौरान मैंने प्रधानमंत्री ताकेशिता के साथ काफी लम्बी बातचीत की है। जापान इस समय हमारे आधिकारिक विकास सहायता का सबसे बड़ा दाता है। यह हमारा तीसरा सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है। हम जापान के साथ अपने संयुक्त उद्यमों में, जापान के साथ तकनीकी सहयोग में जापानी निवेश में वृद्धि की आशा करते हैं।

जापान से वापस आते समय, मैं वियतनाम में उनके नए नेताओं से मिलने के लिए रुका। वियतनाम भारत का सच्चा मित्र है, जिनके साथ हमारे साझे मूल्य हैं, साझे सिद्धान्त हैं और बहुत सी साझी भौगोलिक राजनैतिक मान्यताएं हैं। मेरी यात्रा से दोनों देशों के बीच सुदृढ़ ऐतिहासिक सम्बन्धों में पुन: विश्वास प्रकट किया गया। हमने वियतनाम के नेताओं के साथ एक सुदृढ़ राजनैतिक सूझबूझ स्थापित कर ली है, एक ऐसी सूझबूझ जिससे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा एशिया में शान्ति और स्थायित्व की ताकतें मजबूत होंगी।

हमने कम्पूचिया के बारे में बातचीत की। महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि भारत कम्पूचिया की समस्याओं का हल खोजने के प्रयत्नों में सक्रिय रहा है। हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं और आशा करते हैं कि प्रिंस सिंहानुक और प्रधान मंत्री हुनसेन के बीच शीघ्र बातचीत होगी।

ए.एस.ई.ए.एन. देशों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे आशा है कि वह आगे आएंगे और अपनी भूमिका अदा करेंगे। ए.एस.ई.ए.एन. देशों के साथ हमारे सम्बन्धों में सुधार हो रहा है। हमने आर्थिक, वाणिज्यिक और अन्य सम्बन्धों को बढ़ाया है। सिंगापुर के प्रधान मंत्री कुछ समय पहले भारत आए थे और मैं इण्डोनेशिया और मलेशिया गया था। मलेशिया के साथ हमारे बहुत पुराने सम्बन्ध हैं।

खाड़ी युद्ध जारी है। हमने दो गुट-निरपेक्ष देशों के बीच इस भ्रातृघातक संघर्ष पर लगातार खेद प्रकट किया है। हमने दोनों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखा है। हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 598 का समर्थन किया है। शहरों के बीच पुन: युद्ध शुरू होने और उसमें रासायनिक हथियारों का उपयोग किये जाने में उक्त संकल्प को लागू करने के लिए बातचीत की प्रक्रिया को कम महत्व दिया गया है। हम महाशक्तियों की नौसैनिक उपस्थिति में वृद्धि होने पर खेद प्रकट करते हैं। अमरीकी युद्धपोतों के सम्मिलित हो जाने से खाड़ी में होने वाली घटनाएं अधिक से अधिक गम्भीर हो रही हैं और हम चारों तरफ अधिक से अधिक संयम रखने का अनुरोध करते हैं। समय की पुकार है कि राजनेता की तरह सावधान रहें, नौसैनिक उपस्थिति में वृद्धि को रोका जाए और बातचीत द्वारा समझौते को बढ़ावा दिया जाए।

पश्चिम एशिया में, फिलिस्तीनियों के उद्देश्य और पी.एल.ओ. के प्रति हमारा समर्थन ऐतिहासिक और अनुकूल है और यह हमारे स्वतंत्रता संघर्ष से भी बहुत पहले का है। हम अधिकृत क्षेत्रों में इज़रायली सेनाओं के बर्बर व्यवहार की भर्त्सना करते हैं। हाल ही में अबु जिहाद की निर्मम हत्या भी एक ऐसा कार्य है जिससे उस क्षेत्र में केवल तनाव ही बढ़ेगा और इन मामलों को सामान्य बनाने तथा उनका हल ढूंढने में और अधिक कठिनाई होगी। स्थिति बहुत ही गम्भीर है और उसे थोड़ा-थोड़ा करके हल नहीं किया जा सकता। मेरा विश्वास है कि मध्य-पूर्व के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए समर्थन बढ़ रहा है। फिलिस्तीनियों का आत्मनिर्णय के लिए अहस्तान्तरकरणीय अधिकार है और हम उस अधिकार के लिए उनका समर्थन करते हैं।

मध्य अमरीका के सम्बन्ध में हम 'कोन्टेडोरा' प्रक्रिया का समर्थन करते हैं। इसी वजह से गत वर्ष के मध्य में गुआटेमाला शांति समझौता हुआ है, जिससे न्यायोचित और स्थायी समझौता होना चाहिए, जिससे क्षेत्र के सभी राज्यों के लिए बाहरी हस्तक्षेप और दखल के बिना आत्म-निर्णय, स्वतंत्रता, सुरक्षा और अखण्डता का अधिकार सुनिश्चित हो सके।

लेटिन अमरीका के भारत से बहुत दूर होने के बावजूद भी उसके भारत के प्रति बढ़ते हुए स्नेह, एक दूसरे के प्रति बोध और ठोस समर्थन कई बहुत से साक्ष्य हैं। मैं डेनियल ओरटेगा द्वारा निकारागुआ में शांति लाने, निकारागुआ की स्वतंत्रता को बनाए रखने तथा उस क्षेत्र में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिए किए गए उचित प्रयासों का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

गत वर्षों के दौरान पेरू के साथ हमारे सम्बन्धों में भारी सुधार हुआ है। लेटिन अमरीका में पेरू एक नए रास्ते का डंका पीट रहा है। अर्जेंटीना और मैक्सिको, हमारे छ: राष्ट्रों की पहल में हमारे साथी हैं और हम एक साथ मिलकर निशस्त्रीकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। आयात निर्यात शुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार वार्ताओं में ब्राजील और भारत के बीच काफी सहयोग है और हमारी एकता तथा समरुचि होने के कारण हम अपने रास्ते पर चल सके हैं और विकासशील देशों के पक्ष में बहुत सी बातें कर पाए हैं। हमें लेटिन

अमरीका के साथ अपना सहयोग उस स्तर तक बढ़ाना चाहिए जोकि लेटिन अमरीका से भारत के लिए अधिक कार्य और सहानुभूति के अनुरूप हो।

सोवियत संघ के साथ हमारे सम्बन्ध परम्परागत रूप से निकट और हार्दिक रहे हैं। इनमें अब अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है, इनमें नए स्तरों तक गुणात्मक सुधार हो रहा है। बढ़ते हुए व्यापार और आर्थिक सहयोग में नई वृद्धि और विशेषरूप से हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो सहयोग शुरू कर रहे हैं इसका विशेष उल्लेख करना चाहिए। सोवियत संघ में भारत महोत्सव और भारत में सोवियत महोत्सव काफी सफल रहे हैं। हम इस वर्ष नवम्बर में महासचिव गोर्बाचेव के भारत आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

इन्दिरा जी के 1982 में अमरीका का दौरा करने के बाद हम अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों में लगातार सुधार कर रहे हैं। अब अमरीका व्यापार में हमारा सबसे बड़ा भागीदार है जिसमें आर्थिक सहयोग और प्रौद्योगिकी अन्तरण का अवसर बढ़ रहा है। हम अमरीका के साथ अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विषयों पर लाभप्रद विचार विमर्श कर रहे हैं। रक्षा मामलों के बारे में हम उच्च प्रौद्योगिकी पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं जिससे हम अपनी आत्मनिर्भरता को मजबूत कर सकें।

हमारी विदेश नीति गांधी जी द्वारा हमें दी गई एक मानवता, अहिंसा और सच बोलने के बुनियादी अभिकरण पर आधारित है। हमने मानवता के बारे में, संकुचित दृष्टिकोण अपनाकर अपने आपको विभाजित कर दिया है उसे समाप्त करने के लिए हमने संघर्ष किया है। हमने रंग-भेद को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया है जिससे नामीबिया में उपनिवेशवाद पैदा हुआ है। हमने रंगभेद के कारण दक्षिण अफ्रीका में हमले, विद्रोह और अस्थिरता के विरुद्ध संघर्ष किया है। इस चुनौती के प्रति हमारी प्रतिक्रिया का अफ्रीकी कोष से पता चलता है। 45 देशों ने इसका उत्तर दिया है और उसमें हमारी ओर से 50 करोड़ रुपए सहित एक चौथाई बिलियन डालर का वचन दिया गया है। भारत सहित बहुत से दानी देशों ने परियोजनाओं को अधिक से अधिक मान्यता देनी शुरू कर दी है। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की विश्व में मान्यता बढ़ रही है। किसी समय इसको अनैतिक कहा जाता था। आज इसे सभी राष्ट्रों द्वारा स्वीकार किया जाता है। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सिद्धान्त और प्रथायें विश्व में सुनिश्चित शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए केवल रास्ते के रूप में देखी जाती हैं। हम छोटे अल्पमत से पूर्ण बहुमत में हो गए हैं और उन देशों के भी, जो यहां तक कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में नहीं हैं, गुट निरपेक्ष भाषा में बात करना शुरू कर दिया है। हमें इस आन्दोलन की एकता को अवश्य बनाए रखना चाहिए क्योंकि इसी से हमें शक्ति मिलेगी।

आर्थिक क्षेत्र में, असंगत विश्व व्यवस्था दक्षिण में विकास को नुकसान पहुंचा रही है और उत्तर में लगातार खुशहाली पैदा कर रही है। हमें आर्थिक व्यवस्था के बारे में एक नई सर्वसम्मति की आवश्यकता है, विकास के सम्बन्ध में एक नई सर्वसम्मति और सहकारी विश्व व्यवस्था की आवश्यकता है।

भारत निशस्त्रीकरण, परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए उस समय से संघर्ष करता रहा है जबकि वे प्रचलित नहीं थे। आई.एन.एफ. संधि इस प्रक्रिया में एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन यह अवश्य याद रखना चाहिए कि यह केवल पहला कदम है और अधिक कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में और अधिक कुछ बनेगा और अधिक प्रगति करने के लिए हमें समयबद्ध कार्यक्रम के अन्दर परमाणु हथियारों को पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। हमें इस प्रक्रिया में सभी परमाणु हथियार वाली शक्तियों को सम्मिलित करना चाहिए। हमें यह अवश्य देखना चाहिए कि हथियारों, परमाणु हथियारों का नए क्षेत्रों में विस्तार न हो। हमें यह देखना चाहिए कि जनसंहार के अन्य हथियारों अथवा शल्य हथियारों का और विकास न हो। हमें भय दिखाकर निवारण करने वाले सिद्धान्तों को शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों में बदल देना चाहिए।

वर्ष 1988 में, हमने भारत की स्वतन्त्रता के 40 वर्ष पूरे किये हैं। हमने अपनी विदेश नीति के निर्माता जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी भी शुरू कर दी है। उनकी दूरदृष्टि थी जिसे उनकी मृत्यु के 25 वर्ष बाद विश्वव्यापी मान्यता मिल रही है। हम प्राचीन सभ्यता के स्वाभिमानी उत्तराधिकारी हैं जिसके बुनियादी निर्देश हमारी विदेश नीति के स्रोत हैं। हम जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता के प्रति दृढ़ निश्चयी रहे हैं। हमारे सामने नई चुनौतियां और नए अवसर तथा नई संभावनायें हैं। हमें अपने सिद्धान्तों का पालन करना होगा लेकिन हमें उन्हें नए तरीके से समझना होगा जोकि हमारे सामने उत्पन्न परिस्थितियों के अनुरूप हो। हम अपने पड़ोस में शांति और सौहार्द के लिए और क्षेत्रीय संघर्षों का समाधान करने के लिए कार्य करेंगे,हम विश्व में मानव अधिकार और न्याय के लिए, एक जैसे प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्रों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय लोकतंत्र के लिए, सहकारी विश्व व्यवस्था के लिए एक मानव जाति के लिए कार्य करेंगे।

पश्च टिप्पण

XXV. अनुदानों की मांगें, 1988-89, 20 अप्रैल, 1988

कोई टिप्पण नहीं ।

मालदीव में घटित घटनाओं के बारे में वक्तव्य

4 नवंबर, 1988

मैं मालदीव की हाल ही की घटनाओं से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं। कल सुबह हमें ऐसी खबरें मिलीं कि हमारे पड़ोसी देश मालदीव की राजधानी पर भाड़े के लोगों के एक दल ने हमला किया जिन्हें जाहिर है कि मालदीव के असन्तुष्ट निर्वासित नागरिकों ने भाड़े पर लिया था। भाड़े के ये लोग समुद्री जहाज में आए। कल सुबह लगभग 4 बजे राजधानी माले में उतरने के बाद उन्होंने तुरन्त कुछ प्रमुख सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया जिनमें रेडियो स्टेशन, टी.वी. स्टेशन तथा संचार केन्द्र शामिल हैं। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को भी चारों तरफ से घेर लिया। बताया जाता है कि उन्होंने एक वरिष्ठ मंत्री को तथा बड़ी संख्या में असैनिकों को भी बंधक बना लिया। इस कार्रवाई का स्पष्ट उद्देश्य यह था कि मालदीव की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट दिया जाए।

राष्ट्रपति गयूम किसी तरह हमलावरों से बच निकले और उन्होंने राष्ट्रपति भवन से बाहर एक स्थान पर शरण ले ली। उसके थोड़ी देर बाद हमें इस विद्रोह को दबाने के लिए तत्काल सैनिक सहायता की औपचारिक रूप से अपील प्राप्त हुई। कोलम्बो तथा न्यूयार्क स्थित मालदीव के दूतों ने भी इस अनुरोध को दोहराया। नियमित अन्तरालों पर हमें जो खबरें मिल रही थीं उनके अनुसार वहां की स्थिति काफी खराब थी।

मालदीव एक शांतिप्रिय देश है जिसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए थोड़े से सैन्य बल को छोड़कर कोई सशस्त्र सेना नहीं है। राष्ट्रपति गयूम हमारे इस पड़ोसी मित्र देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए और लोकप्रिय राष्ट्रपति हैं। उन्हें हाल ही में 23 सितम्बर, 1988 को तीसरी बार पुन: राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था जिसमें उन्हें 95 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त हुए थे। मालदीव हमारे घनिष्ठतम और सबसे अच्छे मित्र देशों में से एक है। उसने मुसीबत की इस घड़ी में हमसे सहायता की अपील की है। इस अपील पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद हमने महसूस किया कि हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए और अपने एक मित्र पड़ोसी की सहायता करनी चाहिए जिसकी सम्प्रभुता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया है।

तद्नुसार सावधानीपूर्वक पूर्व नियोजित विकल्पों के साथ टोह लेने के उद्देश्य से कल शाम भारतीय वायुसेना के दो विमान वहां भेज दिए गए जिनमें लगभग 300 छाताधारी सैनिक थे। इसके बाद रात को मैंने विपक्षी नेताओं को की गई कार्रवाई से अवगत कराया। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वे दोनों विमान सफलतापूर्वक माले के समीप उतर गये। मैं इस अवसर पर सदन को यह बताना चाहूंगा कि एक मित्र पड़ोसी देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के समर्थन में हमने क्या कार्रवाई की।

मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी सेनाओं ने अपना काम भारत की सशस्त्र सेनाओं की महान परम्परा के अनुरूप उत्कृष्ट तरीके से सम्पन्न किया। उन्होंने अपना प्रमुख

काम आज सुबह लगभग 2.30 बजे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। राष्ट्रपति तथा उनकी सरकार के वरिष्ठ सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। यह कार्रवाई पूरी तरह से एक निश्चित समय के भीतर इस तरह से की गई कि अब तक एक भी भारतीय हताहत नहीं हुआ है। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में सैनिक उपलब्ध कराने के लिए मालदीव में आज सवेरे और सैनिक भेजे गये। कुछ सशस्त्र विद्रोहियों को पकड़ लिया गया है। विद्रोहियों का सफाया करने की कार्रवाई चल रही है। हम अपनी सेनाओं को जल्दी से जल्दी वहां से वापिस बुलाना चाहेंगे। हम राष्ट्रपति गयूम के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं तथा सेनाओं की वापसी आज ही शुरू होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति गयूम ने आज बड़े सवेरे मुझे टेलीफोन करके हमारी तुरन्त तथा समय से दी गई सहायता की अत्यन्त सराहना की। हमें इस बात की खुशी है कि हम मालदीव की मित्र जनता की सहायता कर सके जिनके साथ हमारे हमेशा से ही घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। हमारे क्षेत्र में शांति और स्थायित्व भंग करने तथा आतंक फैलाने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। मुझे विश्वास है कि यह सदन राष्ट्रपति गयूम और मालदीव की जनता को हमारे देश की शुभकामनाएं तथा समर्थन देने में मेरा साथ देगा। हम अपनी सशस्त्र सेनाओं की सराहना करते हैं और उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं। यह सेना के तीनों अंगों की समन्वित कार्रवाई थी। जिस गति तथा कार्यकुशलता से इस कार्रवाई को नियोजित और कार्यान्वित किया गया, उस पर देश को गर्व है।

पश्च टिप्पण

XXVI. मालदीव में घटित घटनाओं के बारे में वक्तव्य, 4 नवंबर, 1988

कोई टिप्पण नहीं ।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव तथा सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम के अध्यक्ष श्री गोर्बाचोव की भारत यात्रा के बारे में वक्तव्य

21 नवंबर, 1988

महोदय, जैसा कि सदन को मालूम है सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव और सर्वोच्च सोवियत की प्रीसीडियम के सभापति श्री गार्बाचोव शांति, निरस्त्रीकरण और विकास संबंधी इंदिरा गांधी पुरस्कार लेने के लिए हमारे माननीय अतिथि के रूप में भारत आए थे। राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने हमारे विश्व को नाभिकीय हथियारों से मुक्त करने और शांति, सहयोग, सद्भावना और समझबूझ को मजबूत बनाने की दिशा में जो योगदान दिया है, उससे अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में अद्वितीय और गुणात्मक परिवर्तन आया है। उन्हें इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित करते हुए हम एक ऐसे व्यक्ति के प्रति अपना आदर भाव व्यक्त कर रहे हैं जो इस बात का प्रतीक है कि वह शांति, प्रगति और समृद्धि को भावपूर्ण रूप से लाने के लिए लालायित है जिसके लिए इंदिरा गांधी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। राष्ट्रपति गोर्बाचोव की यात्रा इस बात की पुन: पुष्टि करती है कि सोवियत सरकार और वहां की जनता उन मूल्यों का अत्यधिक सम्मान करती है जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया था। वे उस दूरदर्शिता का भी सम्मान करते हैं जो जवाहरलाल नेहरू तथा इंदिरा गांधी ने सुदृढ़ और आत्मनिर्भर भारत के लिए दिखाई थी।

राष्ट्रपति श्री गोर्बाचोव और मैंने नवम्बर, 1986 में उनकी पिछली भारत यात्रा के दौरान जिस दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, उसमें हमारे दोनों देशों की वह वचनबद्धता निहित थी कि हम विश्व को नाभिकीय युद्ध के खतरे से मुक्ति दिलाना चाहते हैं और नाभिकीय शस्त्र मुक्त तथा अहिंसक विश्व व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं। इस वर्ष जून में मैंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के तीसरे विशेष अधिवेशन के समक्ष निरस्त्रीकरण के संबंध में जो कार्य योजना प्रस्तुत की थी, उसमें विश्व समुदाय को उन ठोस कदमों के बारे में बताया गया था जो दिल्ली घोषणा में निहित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए जा सकते हैं। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि राष्ट्रपति श्री गोर्बाचोव ने हमारी कार्य योजना का समर्थन किया है। भारत और सोवियत संघ इस बात के लिए सहमत हो गए हैं कि नाभिकीय शस्त्रों की होड़ को समाप्त करने, सैनिक समताओं वाली उभरती हुई नई प्रौद्योगिकियों पर नए अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण स्थापित करने तथा नाभिकीय हथियारों का इस्तेमाल करने अथवा उनके इस्तेमाल की धमकी पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित एक अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय सम्पन्न करने के निमित्त काम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है।

राष्ट्रपति गोर्बाचोव की इस यात्रा में हमें क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का एक और अवसर मिला। हम दोनों इस बात पर सहमत थे कि

जुलाई, 1987 में उनके साथ मेरी पिछली मुलाकात के बाद से हाल ही में जिन तनावों और सन्देहों ने विश्व की स्थिति बिगाड़ दी थी उनमें कमी आई है। मध्यम दूरी नाभिकीय बल सन्धि पर हस्ताक्षर होना, अफगानिस्तान के सम्बन्ध में जिनेवा समझौते, ईरान-इराक युद्ध बन्द होना तथा दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण अफ्रीका से सम्बन्धित मसलों का बातचीत द्वारा समाधान खोजने की दिशा में हुई प्रगति इस बात की अभिव्यक्ति है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक नया युग उभर कर सामने आ रहा है। राष्ट्रपति गोर्बाचोव की निर्भीक और कल्पनाशील पहलें टकराव के स्थान पर सहयोग, सन्देह के स्थान पर विश्वास और शंका के स्थान पर आशा उत्पन्न कर रही हैं। सोवियत संघ गुट-निरपेक्ष आंदोलन में भारत की सक्रिय और रचनात्मक भूमिका की तथा शान्ति, निरस्त्रीकरण और विकास को संवर्धित करने के हमारे प्रयासों की अत्यधिक सराहना करता है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, अफगानिस्तान की घटनाओं से हमारे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था और यहां तक कि हमारे सुरक्षा वातावरण को भी खतरा पैदा हो गया था। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की यह आशा रही है कि जिनेवा समझौतों से इस क्षेत्र में शांति और स्थायित्व के नए युग की शुरुआत होगी और अफगान लोग अपने भाग्य का फैसला बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के स्वयं कर सकेंगे। राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने मुझे बताया कि सोवियत संघ अफगानिस्तान में एक व्यापक आधार वाली सरकार की स्थापना का समर्थन तो करता है किन्तु वह इस बात से चिंतित है कि जिनेवा समझौतों का बराबर उल्लंघन किया जा रहा है हम आशा करते हैं कि इन समझौतों का शब्द और भावना में पूरी तरह से क्रियान्वयन किया जाएगा ताकि अफगानिस्तान की जनता अपनी शक्ति राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के कार्यों में लगा सके।

सदन को मालूम है कि सोवियत संघ के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध और मजबूती से सुदृढ़ होते जा रहे हैं। हमने अपनी पिछली बैठकों में जो विभिन्न निर्णय और समझौते किए थे, राष्ट्रपति गोर्बाचोव की यात्रा के दौरान हमने उनके क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की।

भारत में नाभिकीय विद्युत केन्द्र का निर्माण करने।

शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए बाहरी अन्तरिक्ष के अनुसंधान विन्ध्यांचल थर्मल विद्युत केन्द्र के दूसरे चरण की स्थापना।

दोहरे कराधान के परिहार के संबंध में करारों पर।

तथा विद्युत परियोजनाओं में आर्थिक और तकनीकी सहयोग संबंधी प्रोटोकॉल पर कल हस्ताक्षर किए गए थे। इन करारों और प्रोटोकाल का पाठ सदन की मेज पर रख दिया गया है।

इन करारों से हमारे बहुपक्षीय आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को नई गति और नया आयाम मिलेगा। हमने भारत-सोवियत शिखर वार्ता वक्तव्य पर भी हस्ताक्षर किए जिसका पाठ शांति, मैत्री और सहयोग को सुदृढ़ करने की हमारी समान वचनबद्धता को परिलक्षित करता है। इस वक्तव्य का पाठ भी सदन की मेज पर रख दिया गया है।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि उन अद्वितीय प्रदर्शनों से हमारे संबंध और भी सुदृढ़ हुए हैं जिनसे भारत और सोवियत संघ की जनता गतवर्ष एक दूसरे की प्राचीन, समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत से अवगत हुई है।

सोवियत संघ के साथ हमारी मैत्री समय की कसौटी पर खरी उतरी है। राष्ट्रपति गोर्बाचोव की भारत यात्रा, जो विगत दो वर्षों में उनकी दूसरी यात्रा थी, सोवियत नेताओं और वहां की जनता की इस इच्छा का प्रतीक है कि वे इस मैत्री को और सुदृढ़ और व्यापक बनाना चाहते हैं। हम भी उनकी इस इच्छा का स्वागत करते हैं और इन संबंधों का संवर्धन करने के लिए पूर्ण सहयोग देंगे।

पश्च टिप्पण

XXVII. सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव तथा सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम के अध्यक्ष श्री गोर्बाचोव की भारत यात्रा के बारे में वक्तव्य, 21 नवंबर, 1988

कोई टिप्पण नहीं ।

27 फरवरी, 1989 को प्रश्न काल के दौरान की गई कतिपय टिप्पणियों को स्पष्ट करने के बारे में वक्तव्य

28 फरवरी, 1989

अध्यक्ष महोदय, कल प्रश्न काल के दौरान मैंने कतिपय टिप्पणियां की थी। और आज सुबह समाचार–पत्र पढ़ते समय मुझे यह महसूस हुआ कि कोई गलत सन्देश छप गया है जो मेरे कहे के बिल्कुल विपरीत था।

प्रथमतः, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैंने किसी भी स्थान पर यह नहीं कहा था या ऐसा संकेत दिया या इन शब्दों का प्रयोग किया कि विपक्ष देश भक्त नहीं है या राष्ट्रविरोधी है। मैंने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं था। जो कुछ मैंने कहा, जिसे मैं फिर से कहने में भी नहीं हिचकिचाता, वह यह है कि विपक्ष में से कम से कम एक सदस्य खालिस्तान का मामला उठा रहा है और संघ के ही भीतर ही राज्यों के पुनर्गठन की बात कर रहा है। मैंने विपक्ष में किसी भी व्यक्ति को यह मामला उठाते हुए नहीं देखा। मैंने विपक्ष पर खालिस्तान का मामला उठाने का आरोप नहीं लगाया है और मैं उन पर ऐसा करने का आरोप भी नहीं लगाता हूं। किन्तु यदि वे वास्तव में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए वचनबद्ध हैं तो मैं चाहूंगा कि वे उस सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करें।

महोदय, मुझे विपक्ष के बहुत ही वरिष्ठ सदस्यों से भी कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने आतंकवादियों के प्रति नरमी का बर्ताव करते हुए कुछ कार्रवाई किए जाने की अपील की है। और यही वह दो तरफा नीति है जिससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में कठिनाई होती है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि कल बहस की गरमा–गरमी में मैंने मा.क.पा. का उल्लेख किया। मैं सभी कम्यूनिस्ट पार्टियों का उल्लेख करना चाहता था क्योंकि सी.पी.आई., सी.पी.एम. और अन्य वामपन्थी पार्टियां आतंकवादियों के खिलाफ लड़ती आ रही हैं और राष्ट्रीयतावादी रवैया अपना रही हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं और उन्हें इसके लिए मुबारकबाद देता हूं।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और वामपन्थी पार्टियों के अतिरिक्त अन्य पार्टियों के भी बहुत से लोग मारे गए हैं और उनके लिए हमारे हृदय में बहुत दुख है। वे सभी देशभक्त थे। वे हमारे राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिए मर–मिटे।

अन्त में, यदि विपक्ष इस मामले में स्पष्ट रवैया अपनाना चाहता है तो मैं यह चाहूंगा कि वे आतंकवादियों के खिलाफ वास्तविक विरोध प्रकट करें। मैं उनसे यह उम्मीद करूंगा कि वे राष्ट्र को यह बता दें कि वे किसी भी तरह किसी भी विपक्षी सदस्य को आतंकवादियों की सहायता करने या उनके प्रति नरमी बरतने की अनुमति नहीं देंगे।

यदि मेरी किसी बात से विपक्षी सदस्यों को कोई कष्ट हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं किन्तु मैं उनसे यह अपेक्षा रखता हूं कि वे इसे कर्म करके ठीक करें।

पश्च टिप्पण

XXVIII. 27 फरवरी, 1989 को प्रश्न काल के दौरान की गई कतिपय टिप्पणियों को स्पष्ट करने के बारे में वक्तव्य, 28 फरवरी, 1989

कोई टिप्पण नहीं ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर

3 मार्च, 1989

अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम, हमारी संसदीय परम्परा को बनाए रखते हुए और हमारे विकासमान लोकतंत्र के अनुरूप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुए उच्च कोटि के वाद–विवाद के लिए मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह इस लोक सभा का अन्तिम वर्ष है।

यह समय उन चुनौतियों की ओर देखने का है जिनका हमने सामना किया है, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे कार्यों और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को देखने का है।

जिस दृष्टिकोण ने हमारा मार्गदर्शन किया है वह दृष्टिकोण गांधी जी, पंडित जी और इन्दिरा जी द्वारा तैयार किया गया था। इन्हीं आधारों पर हमने इन चुनौतियों का सामना किया है। भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए हमारा संघर्ष जारी है।

यदि आप उस समय पर दृष्टि डाले जब यह लोक सभा निर्वाचित हुई थी तो आप पाएंगे कि इन्हीं आधारभूत प्रश्नों पर पूरे देश में हर व्यक्ति के दिमाग में बहुत से संदेह और प्रश्न विद्यमान थे। आज यह भय पूरी तरह समाप्त हो चुका है।

हमारा संघर्ष गरीबी और बेरोजगारी हटाने के लिए है। हमने इन वर्षों के दौरान विश्व में भारत को उचित स्थान दिलाने के लिए कार्य किया है। हमने बहुत से क्षेत्रों में कार्य किया है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य शान्ति और स्थिरता कायम करने का है क्योंकि शान्ति और स्थिरता के बिना विकास नहीं हो सकता – और यह शान्ति और स्थिरता राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में होनी चाहिए। हमने अपनी अर्थव्यवस्था के विकास में वृद्धि करने के लिए कार्य किया क्योंकि हमने यह महसूस किया कि इन दो मूलभूत बातों की हमारे राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यकता है। हमने असम, मिजोरम, त्रिपुरा और दार्जिलिंग क्षेत्र में – शान्ति और स्थिरता कायम की है।

पड़ोसी देशों को लें तो अफगानिस्तान की स्थिति सामान्य हो रही है। हमने चीन के साथ तनाव कम किया है और कुछ हद तक पाकिस्तान तथा श्रीलंका के साथ भी तनाव में कमी आई है। जो देश उग्र थे अब तेजी से सामान्य होते जा रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमरीका के बीच बातचीत, जो पूर्णतः बंद हो चुकी थी, फिर से शुरू हो गई है। निरस्त्रीकरण विषय पर बातचीत जारी है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर छाए तनाव के बादल धीरे–धीरे छंट रहे हैं। हमने इस अवधि के दौरान नई विश्व व्यवस्था, नए अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों, निरस्त्रीकरण संबंधी नए सैनिक संबंधों और नए आर्थिक संबंध कायम करने के लिए कार्य किया है।

राष्ट्रीय स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था ने मूलतः दो बातों पर ध्यान दिया है – गरीबी हटाने और बेराजगारी कम करने पर। इस कार्य के लिए हमें तीव्र विकास की आवश्यकता थी क्योंकि तीव्र विकास के बिना हम इन दो पेचीदा क्षेत्रों में निवेश के लिए आवश्यक संसाधनों का विकास नहीं कर सकते थे। हमने विकास को श्रृंखलाबद्ध रूप से बढ़ाने के रूप में और विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान के रूप में गरीबों के काम में अपनायी जाने वाली प्रौद्योगिकी और विज्ञान की खोज की। हमने वितरण प्रणाली की जाँच की और वितरण प्रणाली को सरल तथा कारगर बनाया ताकि हमारे कार्यक्रम अधिक प्रभावशाली ढंग से कमजोर वर्गों के घरों तक पहुंचे। मुख्यतः हमने अपनी अर्थव्यवस्था को इतना शक्तिशाली बना दिया है कि यह अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करने लगी है। हमारे निर्यातकों में अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का मुकाबला करने की क्षमता होना इसका प्रमाण है। हमने इन चुनौतियों का सामना नए दृष्टिकोणों को आधार बनाकर किया है और हमें इसके उत्साहवर्धक नतीजे प्राप्त हुए हैं।

जैसा कि मैंने कहा राष्ट्रीय, प्रादेशिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम हुआ है। हमारी अर्थव्यवस्था ने कठिन परिस्थितियों में ठीक कार्य किया है। उत्तर–पूर्व में हमने विद्रोह लगभग पूरी तरह समाप्त कर दिया है। हमने विद्रोहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। हमने उन्हें कोई छूट नहीं दी। यद्यपि हमने उन्हें यह बताया कि सरकार केवल दो शर्तों पर उनसे बातचीत करने और उनकी बात सुनने के लिए तैयार है। पहली शर्त यह कि हिंसा का मार्ग छोड़ना होगा और दूसरी यह कि बातचीत केवल संविधान के अंतर्गत होगी। हमने यह कहा कि समस्याओं का समाधान बिना कोई आशोधन किए वर्तमान व्यवस्था के भीतर ही संभव है। हमने यह दर्शाया कि हम समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय हित की खातिर पार्टी हित को छोड़ देंगे। हमने उत्तर–पूर्व में पूर्ण लोकतांत्रिक भागीदारी कायम की है। प्रश्न यह नहीं है कि विपक्ष या कॉंग्रेस चुनाव जीतेगी या हारेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे अर्से के बाद उत्तर–पूर्व के लोगों को अपना निर्णय लेने का अवसर मिला। हमने उत्तर–पूर्व में लोकतंत्र प्रारंभ किया है। हमने शान्ति और स्थिरता तथा विकास के लिए अनुकूल स्थिति बनाई है। हमने उन व्यक्तियों को, जो अभी भी मुख्यधारा से अलग है और जो व्यवस्था से बाहर हैं, अन्य लोगों की भांति ही हिंसा त्यागकर संविधान के भीतर उनकी समस्याओं का हल ढूंढ़ने के लिए मिलकर कार्य करने का प्रस्ताव रखा है।

असम में एक नई समस्या का जन्म हो रहा है। इस समस्या का ध्यान असम सरकार को रखना चाहिए। गृह मंत्रालय उन्हें सभी संभव सहायता देगा। इन चार वर्षों में पंजाब की समस्या ही कठिन रही है। पंजाब में हमने आतंकवाद के लिए कोई छूट नहीं दी है।

आतंकवादियों के साथ पहले कभी इतनी सख्ती नहीं बरती गई है। हमने शान्ति कायम करने के लिए सबके साथ मिलकर कार्य किया है। हमने एक राजनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इसकी असफलता का कारण यह है कि जिन लोगों के पास अधिकार थे वे आतंकवादी शक्तियों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते थे। हमारा इरादा पक्का है और पंजाब के लोगों ने हमारा साथ दिया है। मैं एक क्षण के लिए उन सभी शहीदों और देशभक्तों की याद

करता हूं जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए पंजाब में अपने जीवन का बलिदान दिया है। मैं इस अवसर पर उन विपक्षी दलों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने पंजाब में अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में हमारे साथ काम किया है। मैं विशेष रूप से पंजाब के दो कम्यूनिस्ट दलों की बात कर रहा हूं।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसा भी समय था जब हमें कुछ वर्गों से इस प्रकार का समर्थन नहीं मिला। खासकर पंजाब के कुछ राजनीतिक दलों से जिनसे हम ऐसी उम्मीद रखते थे। इसका एक उदाहरण है हमें विपक्षी दलों से "ब्लैक थंडर" जैसे स्पष्ट विषय पर एकमत समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। क्या कोई प्रश्न पूछा जा सकता है? परंतु हमें पूर्ण समर्थन नहीं मिला। विरोधी पक्ष में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यह कहा था कि "ब्लैक थंडर" गलत था। मुझे बहुत दुख है। फिर आजकल कुछ व्यक्ति सिख राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि विरोधी पक्ष के कुछ सदस्य यह नहीं जानते कि वे पिछले कुछ दिनों से किस बात का समर्थन कर रहे हैं।

मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या मैं एक पुस्तिका के कुछ भाग को पढ़कर सुना सकता हूं। मैं समझता हूं कि इस छोटी–सी पुस्तिका को विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने प्रकाशित किया है। इसमें उल्लेख है "पंजाब समस्या के समाधान के लिए, स्वतंत्रता से पहले निष्ठापूर्वक की गई वचनबद्धता" – मुझे ऐसी निष्ठापूर्वक वचनबद्धता की जानकारी नहीं है कि – "भारत में एक स्वायत्तशासी सिख राज्य के निर्माण के लिए इसका आदर किया जाना चाहिए।" इस पुस्तिका का नाम 'दि सिख केस' है। इसे पंजाब के भारत मुक्ति मोर्चा ने तैयार किया है।

पहली बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जब मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों की बात करता हूं तो मेरा अभिप्राय विरोधी पक्ष के सदस्यों से होता है, न कि दोनों सदनों के विरोधी पक्ष से। जब मैं सदन के विरोधी पक्ष के सदस्यों की बात करता हूं तो मेरा अभिप्राय इस सदन के विरोधी पक्ष के सदस्यों से होता है। परंतु कृपया इस बात को समझिए। लेकिन, विपक्ष के सदस्य जब मैं यह कहता हूं कि मैं विरोधी पक्ष के उन लोगों को भी सम्मिलित कर रहा हूं जो कि सदन में उपस्थित नहीं है परंतु जिन्होंने समय–समय पर अपने दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं। मैं पढ़ना चाहूंगा .....। मैं इस पुस्तिका की प्रस्तावना के पहले वाक्य को पढ़ रहा हूं। संसद सदस्य श्री राम जेठमलानी के कहने पर भारत मुक्ति मोर्चा को पंजाब इकाई ने इस पुस्तिका को तैयार किया था। "यह सामान्य जनता और विशेष रूप से विरोध ी पक्ष के नेताओं के सामने पंजाब समस्या को प्रस्तुत करने और उचित और शांतिपूर्ण समाधान का सुझाव देने का प्रयास है।"

फिर प्रस्तावना के अंतिम वाक्य में उल्लेख किया गया है: "श्री राम जेठमलानी, जिन्होंने मसौदे को पढ़ा और लाभकारी सुझाव दिए, को विशेष धन्यवाद का श्रेय जाता है।" अब मैं, उचित और शांतिपूर्ण समाधान के लिए विपक्ष के नेताओं के समक्ष प्रस्तुत किए गए सुझावों की बात पर आता हूं। पहला सुझाव यह दिया गया है.....। मैं आपको केवल यह दर्शाने

का प्रयास कर रहा हूं कि कुछ ऐसी बातें भी है जिनकी संभवतः आपको जानकारी नहीं है और इसमें यह उल्लेख किया गया है कि पहले मुझे समाधान पढ़कर सुनाने दीजिए। मुझे यह पढ़ने दीजिए तो मैं आपको यह बताऊंगा कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। उसी पर आ रहा हूं। सुझाव ये है "सबसे पहले भारत में एक स्वायत्तशासी सिख राज्य के निर्माण के लिए स्वतंत्रता से पहले की गई निष्ठापूर्वक वचनबद्धता का आदर किया जाना चाहिए।" क्या हम वास्तव में ऐसा चाहते हैं ? दूसरा "धर्म और राजनीति को अलग करने वाले कानूनों को रद्द कर दीजिए।" क्या हम ऐसा चाहते हैं? तीसरा सुझाव 'स्थाई समाधान' के शीर्षक के अंतर्गत है।

यह स्थाई समाधान है..... "भारत में एक स्वायत्तशासी राज्य के निर्माण का कोई विकल्प न होने के कारण विरोधी पक्ष के नेताओं को इसके ढ़ांचे के बारे में विचार–विमर्श करना चाहिए।"

और आगे यह उल्लेख है "अर्थव्यस्था पर पूर्ण नियंत्रण सहित इसे पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए। केन्द्रीय विषयों में केवल रक्षा, विदेशी मामले, संचार और मुद्रा ही सम्मिलित होने चाहिए।"

क्या यह आनन्दपुर प्रस्ताव से अलग बात है। इस पूरी किताब में ऐसे एक भी व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है जिसकी आतंकवादियों ने हत्या की है। भारत की एकता और अखंडता के लिए शहीद होने वाले किसी भी व्यक्ति का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। इस पुस्तक से केवल जहर फैलता है।

मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने इस पुस्तक का समर्थन किया है उस व्यक्ति के मित्रों ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? क्या वह कुछ विरोधी दलों के सहयोग से निर्वाचित नहीं हुआ है?

मैं उस पुस्तक की विषय–वस्तु के बारे में तर्क–वितर्क नहीं करना चाहता। मैं विपक्ष के सदस्यों द्वारा उस भद्रपुरुष के विरुद्ध कार्यवाही की प्रत्याशा कर रहा हूं। मैं यही देखना चाहता हूं।

मैं विपक्ष के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं विपक्ष से उस भद्रपुरुष के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कह रहा हूं और यह स्पष्ट करने के लिए..... मैं केवल यही कर रहा हूं।

दुर्भाग्य से मैं कल सभा में उपस्थित नहीं हो सका। मैं समझता हूं कि विपक्ष से कुछ सदस्यों ने कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में पंजाब के बारे में उचित ध्यान नहीं दिया गया है। हम पंजाब पर पूरा ध्यान दे रहे हैं।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह तो रूचि का मामला है, मेरे विचार से राष्ट्रीय मोर्चे के इकहत्तर अथवा बहत्तर सूत्री कार्यक्रम, संभवतः इकहत्तर सूत्री कार्यक्रम में पंजाब मुद्दा

संख्या 67 पर है। राष्ट्रीय मोर्चे के कार्यक्रम में पंजाब के मुद्दे को 67वीं संख्या पर महत्व दिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रीय मोर्चे ने पंजाब के बारे में ऐसी चकित करने वाली क्या बात कही है? इसमें कहा गया है कि तत्काल उपाय किए जाएंगे। सिर्फ इतना ही है। मद संख्या 67 "तत्काल उपाय" । न इससे ज्यादा और न कम। इस पर कोई विचार नहीं हुआ है। राष्ट्रीय मोर्चे ने इसको बस इतना ही महत्व दिया है.....।

हम पंजाब को अत्यंत गंभीरता से ले रहे हैं। जैसा कि मैं इस सभा में तथा बाहर अनेक अवसरों पर कह चुका हूं हमें पंजाब समस्या को दो स्तरों पर निपटना है। एक स्तर पर तो कट्टरपंथियों को कमजोर करने की समस्या है और धार्मिक तथा कट्टरपंथी आतंकवादियों को धार्मिक संस्थाओं के बाहर तथा अंदर समर्थकों में संबंध है। दूसरा यह है कि सख्त कार्यवाही हो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अपराध का अंत हो। हमने दोनों स्तरों पर कार्य किया है। पिछले वर्ष मैं दो बार पंजाब गया। अब मुझे अपनी बात पूरी करने दें। मैं दो बार पंजाब गया। जहां भी मैं गया वहां मेरा बहुत ही हार्दिक उत्साहपूर्ण स्वागत हुआ, सौहार्दपूर्ण स्वागत हुआ। माननीय सदस्य पंजाब नहीं गए हैं वे यहीं से बोलते हैं। उन्हें वहां जाना चाहिए। पंजाब में एक बात तो स्पष्ट है कि पंजाब के लोग अब बहुत आतंकवाद सहन कर चुके हैं। पंजाब के लोग शान्ति चाहते हैं। वे विकास चाहते हैं और आज वे इसे प्राथमिकता दे रहे हैं।

मैंने अपनी धारणा की जाँच की तो मुझे प्रतीत हुआ कि पंजाब के लोगों का विश्वास है कि आतंकवाद समाप्त किया जाना चाहिए और विकास शुरू किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि इन वर्षों के दौरान हमने रूढ़िवाद और पृथकतावाद के बीच संबंध समाप्त कर दिया है। आज केवल एक दल है जिसकी कुछ धार्मिक पृष्ठभूमि है। शेष सभी को हमने अलग–थलग और पूर्णतः समाप्त कर दिया है। यह एक तथ्य है।

आज गुरुद्वारे शरणालय नहीं है। पंजाब में जब सिख श्रद्धालुओं ने तथाकथित धार्मिक धर्मांधों द्वारा गुरुद्वारों के अन्दर अपवित्र बातें देखी तो उन्हें धक्का लगा और वे बहुत दुखी हुए। वे लोग पूर्णतः उग्रवादी और आतंकवादी हैं जिनमें धर्म नाम की कोई चीज नहीं है।

स्वर्ण मंदिर पहले की तरह फिर शुद्ध हो गया है। बहुत दिनों के बाद स्वर्ण मंदिर में मर्यादा का पालन किया जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर के दर्शन किए। उस समाज सुधार आन्दोलन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है जो आतंक और भय से शुरू किया गया था। स्कूल और कॉलेजों की बहुत सामान्य स्थिति है। 50,000 से अधिक बच्चों ने अपनी स्कूल परीक्षाएं दी हैं। वर्ष 1987 के सूखे और 1988 की बाढ़ों के बावजूद भी पंजाब की अर्थव्यवस्था मजबूत है। गांवों में स्वयंसेवी संरक्षण बल कार्य कर रहे हैं। सार्वजनिक बैठक और अन्य कार्यकलाप जैसे सार्वजनिक कार्यकलाप पुनः शुरू हो गए हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि पंजाब में एक अथवा दो दलों के अतिरिक्त आतंकवादी राजनीतिक ताकतें नहीं हैं। वे आपराधिक ताकतें हैं। परन्तु वे राजनीतिक ताकत नहीं है। आज वे नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार, तस्करी और लूट में शामिल हैं। लोग ऐसी आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध व्यापक प्रतिक्रिया कर रहे हैं।

अब हमारे लिए आतंकवाद और अपराधियों के विरुद्ध दोहरे प्रयास करने का समय है। हम उसकी शुरुआत करेंगे। हम उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगे जो ऐसे अपराधों में शामिल हैं। परन्तु आतंकवादियों के साथ राजनीतिक संपर्क समाप्त कर दिया गया है, धार्मिक रूढ़िवाद और आतंकवादियों को पृथक कर दिया गया है और इस समय हम अनुभव करते हैं कि पंजाब में सामान्य प्रक्रिया शुरु की जाए। पहली बात यह है कि हम जोधपुर के विचाराधीन बंदियों को रिहा करना चाहते हैं। जोधपुर के सभी विचाराधीन बंदी रिहा कर दिए जाएंगे। जिनके विरुद्ध दूसरे अभियोग हैं, उन पर निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से पंजाब सरकार द्वारा सामान्य मुकद्दमा चलाया जाएगा। पंजाब सरकार आपत्तिजनक भाषणों वाले मामले वापस लेना शुरू कर देगी परन्तु मुझे उस लिखित सामग्री का पता नहीं है जिस के आधार पर उन व्यक्तियों पर मुकद्दमा चलाया जाएगा। विदेशी अधिनियम के अंतर्गत पंजाब जाने पर प्रतिबंध को हटा लिया जाएगा। अशांत क्षेत्र अधिनियम संपूर्ण पंजाब पर लागू न होकर केवल गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में ही लागू होगा। 'टी.ए.डी.ए' का बहुत कम प्रयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम संशोधन वापस ले लिया जाएगा और मूल अधिनियम क्रियान्वित किया जाएगा। परन्तु अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस का कार्य यथाशीघ्र सामान्य कर दिया जाएगा। ज्यादतियों को रोकने के लिए शीघ्रता से निगरानी तंत्र का गठन किया जाएगा। उनके कार्यों की निगरानी के लिए समितियां गठित की जाएगी। हम जिला समितियों का गठन तुरंत करेंगे यदि वे सफल होंगी तो तहसील समितियों का गठन करेंगे जो पंजाब में विकास प्रक्रिया देखेंगी। जिलाधीश उनके अध्यक्ष होंगे और उन समितियों में गैर–सरकारी लोगों को शामिल किया जाएगा। इन समितियों को विशेषतः गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में निर्णय लेने की शक्तियां दी जाएगी। जहां समस्याएं होंगी वहां ये समितियां परामर्शदात्री और शिकायत निवारक की भूमिका निभाएगी ताकि समस्याओं का समाधान हो सके। हम एक ग्रामीण सुरक्षा संगठन का भी गठन कर रहे हैं जो बुनियादी तौर पर गैर–राजनीतिक संगठन होगा जिसमें भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व पुलिस कार्मिक, बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ और विभिन्न बलों के भूतपूर्व कार्मिक होंगे जो स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करेंगे और छोटी ग्रामीण सुरक्षा इकाइयां शुरू करेंगे।

पंचायती चुनावों की घोषणा सितम्बर में की गयी थी परन्तु अनेक कारणों, प्रमुख रूप से बाढ़ों के कारण न हो सके, अब इस वर्ष मई में कराए जाएंगे और हमें आशा है कि वे इस वर्ष के मध्य तक पूरे हो जाएंगे।

हमने पंजाब में विपक्षी दलों से सलाह मशविरा करने का वायदा किया था और हम ऐसा करेंगे। मंत्रिमंडलीय समिति की अनेक आंतरिक बैठकें हुई हैं और अब वे तैयार हैं। हम उस प्रक्रिया को भी शुरू करेंगे। हम उनसे सुझाव लेना चाहते हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध किस प्रकार संघर्ष किया जाए और सामान्य स्थिति किस प्रकार बहाल की जाए।

एक दूसरा प्रश्न अनेक बार उठाया गया है और मैं सोचता हूं कि कोई भी जवाब नहीं सुनना चाहता हूं वह दिल्ली के दंगों का मामला है और क्या कार्यवाही की गयी है। कुल 225 मामलों को दर्ज किया गया है और 2,300 से अधिक व्यक्तियों को दोषी ठहराया

गया है। आधे से अधिक मामलों में न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। ग्यारह मामले निपटाए जा चुके हैं, 90 व्यक्तियों के विरुद्ध दोषसिद्ध हुआ है और छह को आजीवन कारावास हुआ है यह कहना बिलकुल गलत है कि कुछ नहीं हुआ है। भारत में कानूनी प्रक्रिया कुछ धीमी है। हम सब यह जानते हैं। परन्तु यह भी निश्चित है कि यह कार्य कर रही है तथा यह सही दिशा में कार्य कर रही है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि दिल्ली के दंगे में सम्मिलित लोगों के प्रति नरमी नहीं बरती जाएगी। मैंने यह पहले सभा में अनेक बार कहा है और आज भी दोहराता हूं।

हम यह देखना चाहते हैं कि पंजाब में राजनीतिक प्रक्रिया पूर्णतः बहाल की जाए। परन्तु आतंकवादियों और अपराधियों के विरुद्ध नरमी नहीं बरती जाएगी। बिना भय और समझौते के, आतंकवाद समाप्त करने के बाद हम राजनीतिक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

केन्द्र–राज्य संबंधों के बारे में अनेक वक्ताओं ने प्रश्न किए हैं। हमने बार–बार कहा है कि हम अच्छे केन्द्र–राज्य संबंधों का समर्थन करते हैं और हमने इसके लिए कार्य किया है यह सच है कि हममें भी मतभेद हैं। हम सबमें मतभेद हैं। हम में और विपक्षी राज्यों में गैर–कांग्रेस की सरकारों में मतभेद हैं तथा राज्यों में कांग्रेस की सरकारों से भी मतभेद हैं। यह विपक्ष अथवा कांग्रेस का प्रश्न नहीं है यह केन्द्र और राज्य के परिप्रेक्ष्य का प्रश्न है। यह न सही है और न गलत है। प्रत्येक की जिम्मेदारी है तथा प्रत्येक कल्पना करता है कि यदि राष्ट्र उन्नति करेगा और संस्थाओं की स्थापना तथा निर्माण किया जाएगा तो अच्छे संबंध होंगे। हमने उस तरीके से कार्य किया है। मैं देखता हूं कि हमारे कुछ वामपंथी सदस्य मुस्कुरा रहे हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी सहायता के कारण ही आप बंगाल का विभाजन रोक सके। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। हम इस प्रकार सहायता दे रहे हैं। जब कठिनाई उत्पन्न हुई तो हमने राज्यों का साथ दिया है। हमने किसी भी समय राज्यों की स्थिति बिगड़ने नहीं दी है। जब कभी राज्यों में राष्ट्रीय आपदाएं अथवा कठिनाइयां आई हैं हमने हमेशा उनके साथ मिलकर कार्य किया है। जहां हमने अनुभव किया है कि राज्य, केन्द्रीय सरकार, देश की एकता और अखंडता के प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं, हमारी त्रुटियों का अनुभव आज से दस वर्ष बाद इतिहास पढ़ने पर होगा जब लोग कहेंगे कि उसके विपरीत किया जा सकता था किसी विषय के बारे में हमारा यह दृष्टिकोण है तथा देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना और ऐसे मामलों में कमजोरी न दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारा हमेशा यह प्रयास रहेगा कि इन विषयों के बारे में मिलजुल कर विचार–विमर्श किया जाए और उन्हें हल किया जाए। हम इस प्रकार आपके साथ व्यवहार करना चाहते हैं।

मैं गांधी जी के उद्धरण उद्धृत करना चाहता हूं। केन्द्र–राज्य संबंधों के बारे में हमारा दृष्टिकोण उन उद्धरणों और गांधी जी के दृष्टिकोण पर आधारित है। वर्ष 1931 में गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस को निम्नलिखित रूप में बताया था। मैं उद्धृत करता हूं:

"इसका अभिप्राय – यह हैः "राष्ट्रीय" यह किसी विशेष समुदाय, विशेष वर्ग तथा किसी विशेष व्यक्ति के हित का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह सभी भारतीयों के हितों और सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व का दावा करती है।"

उन्होंने आगे कहाः "इससे से भी बढ़कर, वस्तुतः कांग्रेस पूरे देश के 700,000 गांवों में मूक अर्ध–भूखे लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस के विचार में प्रत्येक हित, जो संरक्षण योग्य है उन मूक लाखों लोगों के हितों के लिए ही है और ऐसा आप प्रायः विभिन्न हितों के बीच टकराव जो स्पष्ट रूप से देखते हैं। यदि इनमें वास्तविक रूप से उचित टकराव है, तो मुझे कांग्रेस की ओर से यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कांग्रेस उन लाखों लोगों के हितों की खातिर प्रत्येक हित का बलिदान करेगी।"

*** *** ***[1]

यदि किसी को हमारी बात उपयुक्त लगती है तो उसका स्वागत है। अपने आर्थिक कार्य–निष्पादन की ओर आते हुए, इन वर्षों के दौरान हमारा बुनियादी बल, जैसा कि मैंने कहा, गरीबी दूर करने और बेरोजगारी दूर करने पर रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना इन बातों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इन चार वर्षों के दौरान हमें महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई। वर्ष 1987 के सूखे का बिना कोई गलती किए मुकाबला किया गया और मैं इस कार्य में शामिल सभी सरकारों का और उसमें शामिल सभी प्रशासनों का ध न्यवाद करता हूं लेकिन उससे भी बढ़कर मैं किसानों, खेत में कार्य करने वाले 'खेत मजदूरों' का धन्यवाद करता हूं। मैं उद्योगों और आधारभूत ढांचों में लगे मजदूरों का धन्यवाद करता हूं जिनकी वजह से काम जारी रहा।

सूखे के दौरान काम की गति को बनाए रखा गया था। इस तरह के गंभीर सूखे में पहली बार हमारे विकास की दर में वृद्धि हुई और न केवल वृद्धि ही हुई बल्कि विकास की दर 3.6 प्रतिशत रही और मैं अपने कुछ मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं, जोकि आज विपक्ष में चले गए हैं, कि एक बार पहले जब 1979 में सूखा पड़ा था तो हम उस समय विपक्ष में थे। यह एक बहुत बड़ा सूखा था।

वह इतना गंभीर नहीं था जितना कि इस बार पड़ा है और उस सूखे के दौरान विकास दर (–) 4.7 प्रतिशत थी। इसी कार्य निष्पादन की हमने तुलना करनी है। इस वर्ष विकास की दर 10 प्रतिशत के आस–पास रहेगी। यह औसतन 5 प्रतिशत से अधिक बैठती है। जोकि हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित 5 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक है। मेरे विचार में मैंने सुना है कि स्थिरता का निचोड़ ही अर्थव्यवस्था है। मेरा यह सब कहने का अर्थ यही है शायद वे पूरी तरह जागरूक नहीं है अथवा शायद वह स्थिति को देखना नहीं चाहते हैं।

हमने वर्षा का बहुत अच्छा उपयोग किया है। अनाज का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक रहा है, और शायद 17 करोड़ टन को पार कर जाएगा जोकि वर्ष 1983–84 के पिछले रिकार्ड उत्पादन से कुल 2 करोड़ टन अधिक होगा। कपास, गन्ने तथा तिलहनों

का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। इस अवधि के दौरान हमें उद्योग से भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। पहले तीन वर्षों में औसत विकास दर 8 प्रतिशत रही है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके 9 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है। अर्थव्यवस्था स्पष्ट रूप से तेजी से विकास के पथ पर चल रही है। छठी पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय अनुमानित परिव्यय का 90 प्रतिशत था। यह छठी पंचवर्षीय योजना के लिए एक नया रिकार्ड था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इसे 115 प्रतिशत किया जा रहा है जोकि एक और नया रिकार्ड है और यह वास्तविक मायने में है। जैसाकि मैंने कहा है कि यह सरकार योजना प्रक्रिया के प्रति वचनबद्ध है और हम उन लोगों की तरह नहीं है जो ऐसा कहते हैं बल्कि हमने ऐसा करके भी दिखाया है। इस उपलब्धि के लिए, यह एक राष्ट्रीय उपलब्धि है, और इसके लिए हमें अपने सभी मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि राष्ट्र में सभी आ जाते हैं। लेकिन मैं विशेषरूप से किसानों का, खेत मजदूरों का धन्यवाद करता हूं क्योंकि मजदूरों की वजह से यह संभव हो सका है। भारत के लोगों ने ही सूखे का मुकाबला किया है, उन्होंने अच्छी वर्षा के अवसरों का भी लाभ उठाया है, उन्होंने ही हमारी अर्थव्यवस्था को लक्षित विकास पथ से ऊपर उठाया है। अर्थव्यवस्था समृद्ध है और विकास गरीबी उन्मूलन तथा पर्याप्त रोजगार पैदा करने के साथ जुड़ा हुआ है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर आने वाले खर्च के बारे में विचार कीजिए। और मैं यहां केवल ग्रामीण विकास विभागों के लिए आबंटनों को ही शामिल नहीं करूंगा बल्कि अन्य ऐसे सभी विभागों को भी करूंगा जो गरीबी निवारण के लिए समर्पित हैं, जिसका अर्थ है कि गरीबी–रोधी कार्यक्रम के लिए ग्रमीण विकास विभाग तथा निर्धनों के लिए कल्याण कार्यक्रम और निर्धनों के लिए मानव संसाधन विकास कार्यक्रम। वर्ष 1980–81 में व्यय के आंकड़े राष्ट्रीय सकल उत्पाद का 1.6 प्रतिशत थे। वर्ष 1985–86 में हमने उसे 2.3 प्रतिशत तक बढ़ा दिया था और वर्ष 1988–89 में हमने उसे 2.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। हमारे समाज के सबसे निर्धन वर्गों के लोगों के लिए 9000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि रखी गयी है।

बजट में कुछ नई शुरुआत की गई है। आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम जिसके अंतर्गत हमारे समाज के सबसे निर्धन वर्गों अर्थात् निर्धन लोगों के बच्चों की देखभाल की जाती है, उसे लगभग एक तिहाई बढ़ा दिया गया है, जिससे इसका 2200 खंडों में लाभ पहुंच सके। यह केवल सीमित है। हम उससे भी अधिक करना चाहते हैं। लेकिन हम अधिक नहीं कर पाए, वह इसलिए नहीं क्योंकि धन की कमी है अथवा धनराशि देने की इच्छाशक्ति की कमी है, बल्कि सबसे निचले स्तर पर आधारभूत साधनों तथा उसको चलाने के लिए ऐसे अपेक्षित लोगों की उपलब्धता न होने की वजह से है जो तेजी से और अधिक तेज विस्तार कर सकें।

इस बजट में हमने निराश्रय महिलाओं को साड़ियां मुफ्त दी हैं। उत्पादक रोजगार, विकास की गति को बढ़ाने में नई दिशा देगा। हमने अमीर लोगों से फालतू धन एकत्र करके ऐसा किया है विशेषकर जवाहरलाल नेहरु रोजगार योजना के लिए ऐसा किया है। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

जैसे कार्यक्रमों को एक दूसरे में मिलाकार और उन्हें फिर से नया रूप दिया जाएगा। प्रशासनिक उपायों में बेरोजगारी और असंगठित श्रमिकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम योजना आयोग में रोजगार नीति को उच्च प्राथमिकता देंगे। हम यह भी देखेंगे कि ग्रामीण रोजगार तथा राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग सहित ग्रामीण कार्यों और ग्रामीण विकास की देखरेख करने वाले विभागों को किस तरह मजबूत बना सकते हैं। हम शहरी विकास मंत्रालय से निर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र जैसे रोजगार बढ़ाने वाले क्षेत्रों पर नए सिरे से बल देने के लिए कहेंगे। सभी आर्थिक संबंधी मंत्रालय उन गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करेंगे जिनका संबंध रोजगार बढ़ाने से है। इसके बारे में कार्य पहले ही शुरू हो गया है।

कुछ सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि गरीबी–रोधी कार्यक्रमों के लिए धन की कमी है, यह बात पूरी तरह से गलत है। कुछ ने कहा कि गरीबी–रोधी कार्यक्रमों के लिए धन नहीं है। कुछ ने कहा है कि गरीबी दूर करने के लिए बजट में कुछ नहीं है। वे निकट दृष्टिक कैसे हो सकते हैं? यदि उन्होंने पढ़ा नहीं तो वे कम से कम इसके बारे में सुन तो लेते।

*** *** ***2

गरीबी के विरुद्ध संघर्ष केवल कुछ विभागों को अधिक धन देने के संघर्ष जैसा नहीं है। यह एक ऐसा युद्ध है जोकि हम उच्च प्रौद्योगिकी, मध्यम प्रौद्योगिकी और निम्न प्रौद्योगिकी से लड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, पेयजल के लिए हम उच्च प्रौद्योगिकी अर्थात् उपग्रह प्रतिरूप और कुछ तरह के परमाणु आधार का उपयोग कर रहे हैं। निम्न प्रौद्योगिकी के लिए लघु कृषि को समाप्त करने के लिए हमारा कार्यक्रम है। हमने अपने वैज्ञानिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के तरीके में परिवर्तन किया है और उनको समाज से संबंधित प्रौद्योगिकी मिशन में बदल दिया है जिससे आम आदमी की दैनिक आवश्यकताओं की समस्याओं के हल के लिए प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह पहला अवसर है कि उच्च प्रौद्योगिकी पर इतना ध्यान केन्द्रित किया गया है। इन कार्यक्रमों के लिए खर्च की गई धनराशि तथा इनके लिए जुटाए गए संसाधनों से कई गुना लाभ हो रहा है।

उदाहरण के लिए, टीकों में कई बहुत ही उच्च टैक्नोलॉजी के हैं, 'कोल्ड चेन सिस्टम' में माध्यम टैक्नोलॉजी है और प्रयोजन के बाद उपयोग में न आने वाले सिरिंज में निम्न टैक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। कृषि में हमारे किसानों की सहायता के लिए उच्च स्तर की बायो–टैक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है और तिलहनों के कार्यक्रम में तेल घानियों को शामिल करने के लिए निम्न प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है। इन सबके लिए सम्पूर्ण दृष्टिकोण कल्पनाशील, नवीनता और आधुनिकता को अपनाने का है।

लेकिन अर्थव्यवस्था एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए हमें चिन्ता है और वह मूल्यों के बारे में है। मूल्य इतने ऊंचे जा रहे हैं जितना कि हम नहीं चाहते और इससे गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों को और विशेषकर कुछ संवेदनशील वस्तुओं के मामलों में उन्हें विशेष कठिनाई हो रही है। मूल्यों पर नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता है और हम इसके लिए

कार्यवाही करेंगे। इसके लिए दो प्रकार की कार्यवाही है, बजट, जिसे कि सभा पटल पर रख दिया गया है। कुछ कार्यवाही उसमें पहले ही परिलक्षित होती है। एक कारण जिससे मूल्यों में वृद्धि होती है वह घाटे के बजट के कारण है। बहुत से वर्षों के बाद पहली बार हमने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बजट घाटा कम किया है।

मैं समझता हूं कि एक सदस्य ने सभा के बाहर कहा है कि समस्या यह है कि क्या इससे बजट का घाटा बढ़ेगा अथवा इसको इतना ही बनाया रखा जाएगा। मैं केवल उनके फायदे के लिए इतना कहना चाहता हूं कि जब यह बजट कुछ उन लोगों द्वारा तैयार किया जा रहा था जोकि आज विपक्ष में है, यह बजट घाटा, बजट अनुमानों से 4,500 करोड़ रुपए अधिक हो गया था। उसके बाद वर्ष 1987–88 में यह बजट अनुमानों से केवल 126 करोड़ रुपए अधिक था और वर्ष 1988–89 में यह बजट अनुमानों से केवल 456 करोड़ रुपए अधिक था।

हमने इस बजट घाटे को बहुत हद तक नियंत्रित किया है और हम इस वर्ष भी उस पर नियंत्रण रखेंगे।

मैं अपने सभी मंत्रियों को मेजें थपथपाते हुए देखकर विशेषरूप से प्रसन्न हूं क्योंकि वे वही लोग हैं जोकि इन क्षेत्रों में लचीलेपन की मांग करेंगे और तब उस समय मैं उन्हें यह बात याद दिलाऊंगा।

हम मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए लोक वितरण प्रणाली का भी उपयोग करेंगे। गत दो वर्षों में 9000 से अधिक नए केन्द्रों की वृद्धि की गई है। यह हमारे निर्धारित दुगने के लक्ष्य की तुलना में डेढ़ गुना है। चिन्ता का एक और क्षेत्र भुगतान शेष है। घाटे पर नियंत्रण से भुगतान शेष को नियंत्रण में रखने में सहायता मिलेगी। बजट उपाय तो पहले ही किए गए हैं और निर्यात को बढ़ावा देने के अन्य उपाय भी किए गए हैं। भारी मात्रा में खरीद के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है। आयात में वृद्धि को रोकने के लिए आधुनिक अप्रत्यक्ष उपाय करने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर कुछ क्षेत्रों में आर्थिक कार्यकुशलता के अनुरूप नियंत्रण लगाना, विलास वस्तुएं, जिनका अधिक से अधिक आयात किया जाता है उन पर वित्तीय नियंत्रण लगाना और हमने पहले ही इसकी ओर ध्यान दिया है हम और अधिक नियंत्रण लगाएंगे। एक क्षेत्र ऐसा भी है जिसके विषय में मैं बहुत समय से कह रहा हूं जो अब ऐसी स्थिति में है जहां हम संभवतः इस सब में एक विधेयक लाने की स्थिति में हैं, या निश्चित रूप से अगले सत्र में और वह क्षेत्र है पंचायती राज और हस्तांतरण। मैं यह बात पुनः स्पष्टतः कहता हूं। यह केन्द्र और राज्य के बीच का मामला नहीं है। और हम इस मामले को ऐसे लेना भी नहीं चाहेंगे। ऐसे हम इस को करना भी नहीं चाहेंगे। यह कांग्रेस और गैर–कांग्रेस के बीच का मामला नहीं है। राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं। हम दिल्ली से जिलों पर राज नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जनता को अपना शासक बनने में सहायता करें। हम राज्यों के अधिकार की कटौती नहीं चाहते हैं।

हम केवल जनता के शासन को अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं। हम संविधान के मूलभूत ढ़ांचे को बदलना नहीं चाहते हैं। किन्तु हम संविधान की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं।

हम गांधी जी के ग्रामस्तर से लोकतंत्रात्मक व्यवस्था शुरू करने के सपनों को साकार करने के प्रति वचनबद्ध हैं। संविधान ने राज्यों को वह सपना पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी किन्तु वह सपना पूरा नहीं हुआ। हम वह सपना पूरा करने के प्रति वचनबद्ध हैं।

जब हम तैयार होंगे तो हम राज्य के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाएंगे। यह शंका कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सलाह नहीं ली जाएगी, केवल एक संभ्रांति और संभवतः प्रयोजित दुर्भावना है।

हमने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संदर्श योजना तैयार की है। इसकी कुछ सिफारिशें हैं और हम समझते हैं कि निम्नलिखित उपाय हम शीघ्र लागू कर सकते हैं। अतिरिक्त भू–सीमा, गृह–स्थलों, इन्दिरा आवास योजना के लिए वितरित बंजर भूमि के रूप में परिसम्पत्ति वितरण संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से महिलाओं के नाम किया जाना चाहिए। गरीबी हटाओ कार्यक्रम में 30 प्रतिशत महिला लाभभोगी होंगी। राज्यों को स्थानीय निकायों में आरक्षण की सलाह दी जाएगी। योजना आयोग तथा अन्य क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय विकास प्रयासों में हम आरक्षण सुनिश्चित करेंगे और हम राज्यों से भी ऐसा करने की सिफारिश करेंगे। हम इस बात का भी प्रयास करेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग जैसे नियुक्ति संगठनों में महिलाओं की उचित संख्या हो और हम राज्य सरकारों को भी इसकी सिफारिश करेंगे।

हम महिलाओं के अधिकारों के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति करेंगे जो अत्याचारों के मामले में उचित समय पर कार्यवाही करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा ऐसे स्तर पर पहुंची है जैसी पहले कभी नहीं थी। हमारी विदेश नीति पंडित जी और इन्दिरा जी द्वारा आरम्भ की गई पहल पर आधारित है। हम अंतरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। हमने विश्व के अनेक भागों में तनाव को कम करने में योगदान दिया है। मेरी चीन यात्रा इन्दिरा जी द्वारा आरंभ किए गए काम का परिणाम थी। एक संयुक्त कार्य दल गठित किया जाए जो संयुक्त रूप से स्वच्छ, संतुलित तथा दोनों को स्वीकार्य समाधान पर विचार करेगा। यह सीमांत क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के उपायों की ओर भी ध्यान देगा। द्विपक्षीय सहयोग के संबंध में समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। एक ऐसी समिति का गठन किया गया है और यह समिति आर्थिक, व्यावसायिक और वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक क्षेत्रों में संबंधों की देख–भाल करेगी। पंचशील के सिद्धांतों पर भारत और चीन के बीच भावी संबंधों पर विशेष बल दिया गया है। हमने एक नए और अधिक न्यायसंगत राजनीतिक तथा आर्थिक विश्व पद्धति पर इकट्ठे काम करने का भी निश्चय किया है।

चीन और भारत की जनसंख्या मानवता की एक–तिहाई है। हम विश्व शांति और समृद्धि में व्यापक योगदान दे सकते हैं।

पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली के पश्चात् मेरी पाकिस्तान यात्रा से हमारे देशों के बीच संबंध सुधारने का काम आरंभ हो गया है। उनके प्रधान मंत्री के साथ जो चर्चा आरम्भ की गई थी, उससे कुछ तनाव समाप्त हो गया है और अन्य तनावपूर्ण क्षेत्रों में काम तेजी से आरंभ हो गया है। हम लंबी अवधि के संबंध तथा सम्पूर्ण प्रसामान्यीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

एक लंबे विध्वंसकाल के पश्चात् श्रीलंका में तेजी से सामान्य स्थिति और सामान्य लोकतांत्रिक स्थिति बहाल हो रही है। वर्ष 1987 का समझौता पूर्ण रूप से लागू किया गया है। धमकियों के बावजूद मतदाता अधिक संख्या में वोट डालने आए और हस्तांतरण बहुत ही अच्छा रहा है। भारतीय शांति सेना अपना काम कर रही है और जब तक तमिल और श्रीलंका सरकार इसे आवश्यक समझते हैं, तब तक यह वहां काम करती रहेगी। हम भारतीय शांति सेना को उसके काम के लिए धन्यवाद देते हैं। हम उनके द्वारा किए गए काम की प्रशंसा करते हैं। हम उनकी उपलब्धियों का अभिवादन करते हैं।

निरस्त्रीकरण और अहिंसा के संबंध में विशेषकर इन दोनों विचारों को विश्व के सामने रखने की भारत की एक अनोखी परम्परा है। संघर्ष के अनेक दशकों के पश्चात् पहली बार विश्व के प्रमुख देश अहिंसा और गुट–निरपेक्ष को संस्कृति के विकास के मूल सिद्धांत समझने लगे हैं। यह विचार गांधी जी और पंडित जी के समय से चले आ रहे हैं और यही विचार हैं जिन पर हमें आने वाले विश्व का निर्माण करना है। और इस संकटकाल में जब विश्व में तेजी से संबंधों में परिवर्तन आ रहा है हमारे लिए इन उद्देश्यों के लिए काम करना और भी अधिक महत्वपूर्ण है।

अंत में, मैं सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में और संसद को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने में मेरा साथ दें।

धन्यवाद।

———

पश्च टिप्पण

XXIX. **राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर, 3 मार्च, 1989**

1. **श्री बसुदेव आचार्यः** वह दूसरी ही कांग्रेस पार्टी थी।

श्री बी. शोभनाद्रीश्वर रावः वह यह कांग्रेस नहीं थी। वह एक दूसरी ही कांग्रेस थी।

श्री राजीव गांधीः उनमें से कुछ शायद उन कुछ शब्दों पर आपत्ति करते हैं जिनका गांधी जी ने उपयोग किया था आपत्ति "किसी समुदाय अथवा वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करती।"

शायद इसीलिए उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी क्योंकि हम सभी समुदायों और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए कुछ लोगों को उसमें थोड़ी कठिनाई हुई।

श्री बसुदेव आचार्यः आप केवल एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2. **श्री बसुदेव आचार्यः** हम बजट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस पर बाद में चर्चा की जाएगी।

श्री राजीव गांधीः वास्तव में इससे कुछ सदस्यों में सच्चाई की कमी का पता चलता है।

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे): इन्होंने "कुछ सदस्यों से" कहा है, उत्तेजित मत होइए।

श्री राजीव गांधीः कुछ अपने आप को दोषी मानते हैं।

ठक्कर आयोग के अंतरिम और अंतिम प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

10 अप्रैल, 1989

इन विषयों पर बोलना मेरे लिए आसान नहीं है। दूसरी तरफ इन पर बोलने का कोई फायदा भी नहीं है अर्थात् वे मेरे लिए बहुत भावनात्मक हैं और वे मुझे उस कठिन समय की याद दिलाते हैं।

प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 31 अक्तूबर, 1984 को अनेक लोगों के सामने दो हत्यारों ने दिन-दहाड़े गोलियों से भून दिया।

इसके बाद हमारे सामने तीन कार्य करने जरूरी हो गए। पहला, जो इस घटना के लिए उत्तरदायी थे उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाए। दूसरा हत्या के पीछे क्या कारण थे और क्या परिस्थितियां थीं उनकी जांच करना तथा तीसरे सुरक्षा के उपायों और चिकित्सा सुविधाओं में कमी तथा इस बारे में जो गहरी साजिश थी उसके लिए एक जांच आयोग स्थापित किया जाए। सदन इसकी सराहना करेगा कि इन तीनों कार्यवाहियों के बीच में आपस में गहरा संबंध है।

इंदिरा जी की हत्या केवल उन्हीं की हत्या नहीं थी बल्कि उनके सभी सिद्धांतों की हत्या थी जिनका उन्होंने समर्थन किया और जिनके लिए वह जीवन भर लड़ती रहीं। इंदिरा जी का लोकतंत्र में अटूट विश्वास था। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की निर्वाचित नेता थीं उनका भारत के लोगों में बहुत विश्वास था। हमारे लोकतंत्र के शत्रु इंदिरा जी को और हमारे लोकतंत्र की राजनीतिक बुनियादों को समाप्त कर देना चाहते थे।

इंदिरा जी का धर्मनिरपेक्षता में विश्वास था। वे हमारे राष्ट्र में धर्मनिरपेक्षता के प्रति पूर्णतया वचनबद्ध थीं। कट्टर धार्मिक विश्वास वाले राजनीतिज्ञ उनकी हत्या करना चाहते थे और हमारे राष्ट्र में धर्मनिरपेक्षता को समाप्त करना चाहते थे।

इंदिरा जी राष्ट्रवादी थीं। वह भारत की आजादी के लिए पूर्णतया समर्पित थीं। हमारी स्वतंत्रता के दुश्मन उन्हें तथा उनके साथ हमारी स्वतंत्रता, हमारे अस्तित्व को समाप्त करना चाहते थे।

इंदिरा जी का आत्मनिर्भरता में विश्वास था। वह भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहती थीं। जो लोग नहीं चाहते थे कि हम आत्मनिर्भर बनें, वे उनकी हत्या करना चाहते थे और हमें आत्मनिर्भर नहीं बनने देना चाहते थे।

इंदिरा जी देश में स्थिरता लाना चाहती थीं। उन्होंने देश के अंदर सक्रिय आतंकवादियों और देश के बाहर उन्हें उकसाने वाले तथा उनका समर्थन करने वाले लोगों के बीच

सांठ-गांठ की ओर जनता का लगातार ध्यान आकृष्ट कराया। भारत को विघटित करने वाले लोग इंदिरा जी की हत्या करके अपने घृणित इरादों को पूरा करना चाहते थे।

इंदिरा जी देशभक्त थीं। उनके रक्त की अंतिम बूंद भी अपनी मातृभूमि, इसकी एकता और अखंडता के लिए समर्पित थी। हमारी एकता और अखंडता के दुश्मन उनकी हत्या करके भारत माता की एकता और अखंडता को खत्म करना चाहते थे।

इंदिरा जी की हत्या एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी। उनका उद्देश्य था हमारी एकता को तोड़ना, हमारी अखंडता को कमजोर करना, हमारी धर्मनिरपेक्षता को हानि पहुंचाना और हमें आत्मनिर्भर न होने देना। उनका इरादा था हमारे देश में लोकतंत्र को समाप्त करना और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व की जड़ों को मिटा डालना।

हमारा कर्तव्य था कि उनके हत्यारों और उनका साथ देने वालों को पकड़े और यह सुनिश्चित करें कि इस अपराध के लिए जो षड्यंत्र रचा गया था, उसका पर्दाफाश हो।

इस षड्यंत्र, जो देश तथा विदेश में रचा गया था, का पर्दाफाश किया जाना आवश्यक था ताकि हमारे प्रधानमंत्री की हत्या हमारे लोकतंत्र की हत्या न हो और न ही इसके कारण देश से धर्मनिरपेक्षता समाप्त हो अथवा न ही हमारे आत्मनिर्भर बनने में रुकावट आए। इस षड्यंत्र का गहराई से पता लगाया था ताकि 1947 में हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद से ही हमारी अखंड़ता, एकता और आजादी के लिए जो इससे गंभीर खतरा पैदा हो गया था, उससे राष्ट्र की रक्षा की जा सके।

हत्यारों को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया गया था। षड्यंत्रकारी पकड़े नहीं गए थे।

हत्यारे को कानून के तहत अपने बचाव का हर अवसर प्रदान किया गया। उसके सहयोगियों को भी इसका अवसर दिया गया। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की खंडपीठ ने निर्धारित कानून के तहत बड़े सोच-विचार के बाद अपना अंतिम निर्णय दिया। दोषी व्यक्ति को दूसरा अवसर देकर एक अभूतपूर्व कदम उठाया गया था। यह बहुत खेद की बात है कि संसद तक में भी न्यायाधीशों की ईमानदारी पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। उनका उद्देश्य बहुत स्पष्ट नहीं है। स्पष्टत: ऐसा वैधानिक कारणों से नहीं अपितु राजनैतिक उद्देश्यों से किया गया है।

अभियुक्त को यह पूरा अधिकार है कि वह अपने बचाव के लिए वकील रखें और वकील को यह अधिकार है कि वह अपनी व्यावसायिक सेवाएं अपने अभियुक्त को दें। किंतु जब कानून की आड़ में खतरनाक राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा किया जाता है तब हमारे लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि उन लोगों के कार्यों की पोल खोली जाए जो इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। हमारे लिए यह भी जरूरी है कि उसे सहयोग देने वाले राजनीतिज्ञों की भी पोल खोली जाए।

यदि न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे अभियुक्त और उसके बचाव पक्ष के वकील के अधिकारों और उनके विशेषाधिकारों की रक्षा करे तो संसद का भी यह कर्तव्य है कि वह गलत कार्य करने वाले राजनीतिज्ञों की पोल खोले।

इंदिरा जी की हत्या के बाद विशेष जांच दल नियुक्त किया गया। यह दल एक ऐसे अनुभवी पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में नियुक्त किया गया था जिन्हें आपराधिक मामलों की जांच करने का काफी अनुभव था। विशेष जांच दल को स्पष्ट निदेश थे अपराध की जांच करना तथा देखना कि किन परिस्थितियों में अपराध किया गया। हमने एक जांच आयोग नियुक्त किया था। जांच आयोग के गठन के लिए हमने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एक न्यायाधीश का चयन किया। मुख्य न्यायाधीश ने एक प्रतिष्ठित सेवारत जज, न्यायाधीश ठक्कर का नाम सुझाया। विशेष जांच दल और जांच आयोग के कार्यों के बीच निकट संपर्क रखा गया।

उन विद्वान न्यायाधीश ने स्वयं अपनी रिपोर्ट को गुप्त रखने के लिए कहा था। सरकार ने यह सिफारिश मान ली थी। उन विद्वान न्यायाधीश द्वारा रिपोर्ट को गुप्त रखने के लिए की गई सिफारिश को स्वीकार करने के निर्णय को अनुमोदन के लिए इस सभा के समक्ष रखा गया और इस सभा ने उस संकल्प को स्वीकार करके उस निर्णय का समर्थन किया।

यह सभा जनता से अधिकार प्राप्त करती है। सभा की इच्छा ही हमारे लोकतंत्र में सर्वोपरि है। सभा का नेता होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं यह सुनिश्चित करूं कि इसकी इच्छा का आदर किया जाए।

कांग्रेस दल हमारी मातृभूमि की 100 वर्षों से अधिक तक की गई सेवा की विचार-धारा से, हमारे उन सिद्धांतों से, जिनके कारण हमें स्वतंत्रता मिली, उन आदर्शों से जिनके कारण हमारा राष्ट्र आधुनिक बना तथा उस दूरदृष्टिता से प्रेरणा लेता है जिनसे उनमें मानवता आई। हमें कुछ समाचार-पत्रों से ही प्रेरणा नहीं मिलती। हमारा दल महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का दल है। हमें उन लोगों से कोई पाठ नहीं सीखना है जो एक दल से चुनकर बातें हैं और कई लोगों के वफादार बनकर तथा अवसरवादी बनकर एक दल से दूसरे दल में जाते हैं। हमें उन लोगों के वफादार बनकर तथा अवसरवादी बनकर एक दल से दूसरे दल में जाते हैं। हमें उन लोगों के सिद्धांतों या विचारधारा के कुछ नहीं सोचना है जिनमें इन दोनों ही चीजों की कमी है।

अनधिकृत व्यक्तियों को अनधिकृत तरीके से इस रिपोर्ट के बारे में बताकर इस सभा की इच्छा का उल्लंघन किया गया है। विपक्ष ने क्या किया? क्या उन्होंने इस सभा के विशेषाधिकार के उल्लंघन की निन्दा की ? क्या उन्हें इस बात पर गुस्सा आया था ? क्या उन्होंने अपने इस गुस्से को व्यक्त किया था ? किसी व्यक्ति ने संसद की इच्छा का उल्लंघन किया है। किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर किए गए विश्वास को तोड़ा है। किसी ने गोपनीयता की शपथ को तोड़ा है। किसी ने अपने वचन को तोड़ा है। यह रिपोर्ट हमने लीक नहीं की है। हम इसके लीक करने वाले व्यक्ति का पता लगाने के लिए जांच कराएंगे।

पिछले कुछ सप्ताहों से विपक्ष के कुछ सदस्यों ने प्रपंचपूर्ण पत्रकारिता की कठपुतलियों की तरह व्यवहार किया है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। हम उनके दृष्टिकोण के आदी हैं। लेकिन दु:ख की बात यह है कि जिम्मेदार विपक्षी दल जिनकी राष्ट्रभक्ति पर शक नहीं किया जा सकता, ऐसे लोगों के साथ चल रहे हैं। मैं उन्हें सावधान करना चाहता हूं कि वे जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वह अत्यंत खतरनाक है। ठक्कर रिपोर्ट की विषय-सूची की सूचना प्रेस को 3 वर्ष पूर्व मिल गई थी। लेकिन उस सभा में या अन्यत्र कोई मामला नहीं उठाया गया। ऐसा क्यों किया गया। क्या इसका कारण यह था कि संबंधित पत्रकारों ने विपक्षी सदस्यों को ये निर्देश नहीं दिये थे कि अब उन्हें क्या करना है? अथवा अब जो शोर-शराबा हो रहा है, उसके पीछे कोई महत्वपूर्ण कारण है।

ठक्कर रिपोर्ट में इस अपराध से संबंधित गहन षड्यंत्र के बारे में बताया गया है। जिन्हें रिपोर्ट की गुप्त बातों की जानकारी थी, उन्हें यह भी पता था कि आपराधिक जांच समाप्त होने जा रही थी। उन्हें पता था कि रिपोर्ट को गुप्त रखने से षड्यंत्र की जांच और षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने को पक्षपातयुक्त बनाना असंभव है। फिर इसे अब लीक क्यों किया गया। राष्ट्र की गोपनीय बातों को इस समय तथा इस तरीके से लीक करने के पीछे उनका क्या इरादा था? उन्होंने अपनी बात पहले क्यों नहीं प्रकट की। वे इसे अब क्यों लीक कर रहे हैं?

कुछ अकाली नेताओं ने कहा है कि षड्यंत्र के मामलों को इसलिए फाइल किया गया है क्योंकि रिपोर्ट जनता के सामने आ गई है। एक तरीके से यह ठीक ही है कि उनमें सांठ-गांठ है किंतु इसका कारण गलत है। शोर इसलिए मचाया गया था क्योंकि हम षड्यंत्रकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने ही वाले थे। ठक्कर रिपोर्ट में जांच की वह दिशा पता चली थी जिससे षड्यंत्र का पता चला। अत: षड्यंत्रकारियों के साथियों ने ऐसा काम किया जिससे षड्यंत्र का भेद खुलने से रुक जाए। वे जानते थे कि भेद खुलने वाला है। वे जानते थे कि पिछले वर्ष के अंत में अतिन्दर पाल सिंह के पकड़े जाने के बाद जांच दल द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवश्यंभावी थी। वे जानते थे कि केवल कुछ नतीजों को जोड़ना भर होगा। वे जानते थे कि केवल आरोप पत्र दायर किए जाने बाकी हैं। वे जानते थे कि एक बार मामला न्यायालय में जाने के बाद, ठक्कर रिपोर्ट जनता के सामने आ जाएगी।

इसलिए उन्होंने उस समय चालाकी से काम किया जबकि आरोप पत्र दायर किए जाने थे। उन्होंने इसी पुरानी बात को दोहराने के बारे में सोचा। षड्यंत्रकारियों के मित्र, यदि उनकी इच्छा होती हो, षड्यंत्र से संबंधित रिपोर्ट के हिस्से को भी लीक कर सकते थे क्योंकि यदि हम उनकी बात पर विश्वास करें-उनका कहना है कि उनके पास पूरी रिपोर्ट है - तो फिर कतिपय चुनिंदा बातों को ही क्यों लीक किया गया? पूरी रिपोर्ट लीक क्यों नहीं की गई? वे षड्यंत्रकारियों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? क्या यह राष्ट्र का ध्यान भटकाने का छल नहीं था? यह यदि नहीं था तो यह रहस्योद्घाटन चुनिंदा रहस्योद्घाटन क्यों था? और यदि नहीं, तो अभी क्यों हुआ पहले क्यों नहीं हुआ?

हमारे पास इन प्रश्नों के निश्चित उत्तर नहीं हैं। हमारे पास तो संदेह के चुम्बकीय क्षेत्र के इर्द-गिर्द घूमने वाली ढेर सारी सुइयां हैं जो षड्यंत्रकारियों, उनके राजनीतिक साथियों, उनके मित्रों, उनके सह-अपराधियों की ओर इशारा करती है।

यह राजनैतिक षड्यंत्र आपराधिक प्रयोजनार्थ और विश्वासघाती उद्देश्य से रचा गया था। यह आपराधिक इसलिए था क्योंकि इसका उद्देश्य हत्या करना और अराजकता फैलाना था। यह विश्वासघाती इसलिए था क्योंकि इसका लक्ष्य हमारी स्वतंत्रता, हमारी एकता, अखंडता और हमारे अस्तित्व को मिटाना था। षड्यंत्र का आधार धार्मिक और राजनीतिक विस्फोटक मिश्रण का विस्फोटन करना था। जब पिछली बार उस मिश्रण का विस्फोटन किया गया तो उससे देश का विभाजन हो गया। हम अपने देश का विभाजन या बंटवारा दोबारा कभी नहीं होने देंगे। दोबारा किसी दूसरे प्रस्ताव, चाहे यह वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर में प्रस्तुत किया गया हो, या अकाली दल द्वारा वर्ष 1978 में आनंदपुर साहिब में प्रस्तुत किया गया हो, को अपने देश की एकता को तोड़ने या हमारी अखंडता के साथ समझौता करने की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी। हमारा एक राष्ट्र है। हमारे धर्म अनेक हैं किंतु हमारी संस्कृति मिलीजुली है। हमारी एकता में विविधता है किंतु इसमें पृथकतावाद, हिंसा या अलगाव के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसाकि न्यायाधीश सरकारिया ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं कि "यदि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो देश एक अखंड राष्ट्र के रूप में जीवित नहीं रह सकता।"

फिर भी एक सांसद ऐसे हैं जो अकाली दल या इसके किसी भी गुट के सदस्य नहीं हैं किंतु उन्होंने खुल्लम-खुल्ला प्रस्ताव के सारभाग का समर्थन किया है। जब उन्होंने पहली बार इस अधम कार्य का समर्थन किया था तब वे किसी भी राजनैतिक पार्टी के सदस्य नहीं थे। इसके बाद उन्हें जनता दल ने जानबूझकर अपना लिया और उन्हें राज्य सभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। जनता दल ने ऐसे व्यक्ति को चुनने के लिए, यदि वे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं थे, अपना मार्ग क्यों बदला? मेरा यह मानना स्वाभाविक ही है कि जनता दल इतना दिग्भ्रमित हो गया है कि वे यह नहीं जानते या इस बात कि परवाह नहीं करते हैं कि इस महाशय का मंतव्य क्या था या वह उनकी पीठ के पीछे क्या कर रहा था। किंतु अब इस बात को एक माह से अधिक हो गया है जब संसद को उसके घृणित क्रियाकलापों की जानकारी दे दी गई थी। क्या उसकी पार्टी ने उसे अपने दल से बाहर निकालने के लिए कुछ किया है?

और विपक्ष की जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टियों, जो राष्ट्रीय मोर्चे और जनता दल का एक भाग हैं, ने क्या किया? क्या उन्होंने उसे निकाले जाने की मांग की है? नहीं, उन्होंने यह मांग नहीं की। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने इस राष्ट्रीय अपमान में अपनी मौन स्वीकृति दी। वस्तुत: उनकी चुप्पी अनजाने में उन खतरनाक हठधर्मी तत्वों को बढ़ावा दे रही है और उन्हें दुष्प्रेरित कर रही है जो हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। वें आतंकवादियों

को बढ़ावा दे रहे हैं। ये कृताकृत अपराध हैं। मैं सभी जिम्मेदार राष्ट्रीय विपक्षी पार्टियों से उन लोगों से सार्वजनिक तौर पर और स्पष्टत: दूर रहने की अपील करता हूं। इस देश की जनता यह देखे कि विपक्ष उन्हें अस्वीकारता है। आतंकवादी यह देखें कि विपक्ष की राष्ट्रीय पार्टियां उन्हें अस्वीकार करती हैं।

जब ठक्कर आयोग की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गईं तो इस बात पर कि "रिपोर्ट" में क्या-क्या है एक पूर्णत: अनावश्यक विवाद खड़ा किया गया।

मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस ढंग से इस रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है, रिपोर्ट को पटल पर रखते समय किसी भी पूर्व उदाहरण का उल्लंघन नहीं किया गया। पहले की तरह इस अवसर पर भी रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है किंतु कार्यवाहियों को सरकारी अभिलेख में रखा गया था। इससे पूर्व कभी भी इस प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी गई है। अब इसे चुनौती क्यों दी गई है?

अब इसे इसलिए चुनौती दी गई है ताकि धवन पर लगे आरोप से संबंधित टिप्पणियों का वर्णन करके इस षड्यंत्र वाले मामले को बिगाड़ कर अपनी दु:साहसी इच्छा की पूर्ति की जाए। टिप्पणियों और अभ्यारोपण में बहुत अंतर होता है। न्यायाधीश ठक्कर का कार्य उन्हें दिखाने वाले हर सुराग को बताना था। सुराग रिपोर्ट में हैं। कार्यवाही बेकार की वस्तु है। हमें बेकार वस्तु को पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है।

विशेष जांच दल ने चार वर्षों तक श्री धवन की गतिविधियों की विस्तृत रूप से जांच की; उन्होंने न्यायाधीश ठक्कर की टिप्पणियों की गौण बातों की भी जांच की। इन वर्षों के दौरान धवन को सरकारी कार्यों से दूर रखा गया। इन वर्षों के दौरान उनके विपक्ष के माननीय सदस्यों, जिन्होंने आज अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया है, द्वारा गठित जांच आयोग से भी अधिक कड़ाई से पूछताछ, परिपृच्छा और जांच की गई।

विशेष जांच दल ने यह कहा कि उन टिप्पणियों को अभ्यारोपण में परिवर्तित करने के कोई आधार नहीं थे। इसलिए उसे सरकारी कार्यों से दूर रखने के कोई आधार नहीं हैं। हमारी सरकार विवेकपूर्ण सरकार है। हमारी सरकार स्वच्छ सरकार भी है। अब उसे दोषमुक्त कर दिया गया है तो उसकी सत्यनिष्ठा पर संदेह क्यों किया जाए?

हम स्वयं को अपना मार्ग बदलने की अनुमति नहीं देंगे। हम उन लोगों पर अभियोग चलाने के लिए दबाव डालेंगे जिन्हें दोषमुक्त नहीं किया गया है। हम उन लोगों पर आरोप लगाएंगे जिन्हें हम राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के लिए दोषी मानते हैं। हम इस राष्ट्र या सदन का समय बर्बाद नहीं करेंगे जैसाकि विपक्ष के हमारे मित्र एक निर्दोष व्यक्ति को खींचकर या उस पर मिथ्या आरोप लगाकर कर रहे हैं।

कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार गंभीरता से अपनी जिम्मेदारियां निभाती है। जब कभी भी भाई-भतीजावाद या भ्रष्टाचार का कोई मामला प्रथम दृष्टया स्थिति में स्थापित हुआ है या

किसी कांग्रेसी पर, चाहे वह उच्च पद पर आसीन हो, मुख्यमंत्री हो या केन्द्रीय मंत्री हो अथवा राज्यपाल हो, न्यायालय द्वारा अभ्यारोपण लगाया गया है तो जब तक उस पर लगे आरोप झूठे प्रमाणित नहीं हो जाते उसे हमेशा अपने पद से वंचित रहना पड़ा है।

हमारे दल में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के सात अभ्यारोपण लगाये गये हों जो अपनी कुर्सी से घोंघे की तरह चिपका रहा हो।

हमारे दल में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा "विधि शासन का सुस्पष्ट उल्लंघन" करने के लिए दोषी पाया गया हो - और बाद में उच्च न्यायालय के उस निर्णय की पुष्टि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से हुई हो। फिर भी वह तब तक कुर्सी से चिपका रहता जब तक कि उस पर दूसरा आरोप न लग जाए और उसके लिए आगे उस पद पर बना रहना असंभव हो जाए।

हमारे दल में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो अपने परिवार के सदस्यों को एक महिला के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए आपराधिक जांच और अभियोग से बचाता है। कांग्रेस दल एक सम्माननीय दल है। हम एक सम्माननीय सरकार चलाते हैं।

मैं इस सदन का नेता हूं। सदन की इच्छा, इसके अधिकारों और विशेषाधिकारों का आदर करना मेरा परम कर्तव्य है।

मैं प्रधानमंत्री भी हूं। यह देखना मेरा कर्तव्य है कि अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाए और षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्रों को असफल किया जाए। यही मैंने किया है। मैं उस पवित्र विश्वास के प्रति निष्ठावान हूं जो मुझमें व्यक्त किया गया है। राष्ट्र हमारे हाथों में सुरक्षित है। हमने इसकी स्वतंत्रता की गारंटी दी है। हमने इसकी एकता को मजबूत किया है। हमने इसकी अखंडता बनाए रखी है।

किंतु, मैं उस मां का इकलौता जीवित बेटा भी हूं जिसकी हत्या की गई थी। व्यक्तिगत रूप में यह आरोप लगाना कि मैंने इंदिरा गांधी की हत्या में शामिल संदिग्ध सह-अपराधी को दोबारा नौकरशाही में लाकर उस प्यार और मोहब्बत को धोखा दिया है जिसकी उसने मुझ पर बौछार की थी, किसी रुग्ण मानसिकता का ही परिचायक है। ऐसा आरोप लगाने वाले व्यक्ति किस प्रकार के आचरण के हैं? उनके घटिया आक्षेप का मेरे ऊपर अथवा हमारी सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि इससे पता चलता है कि वे किस प्रकार के व्यक्ति हैं, उनके सोचने का ढंग क्या है और वे किस दकियानूसी ढंग से कार्य करते हैं।

सदन को यह जानकारी है कि मेरी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। मैं अपने सुखी पारिवारिक जीवन में खुश था। मेरी माता इन दोनों भावनाओं का आदर करती थी।

फिर युवावस्था में ही मेरे भाई संजय की मृत्यु हो गई। इससे एक मां का दिल टूट गया। इससे एक प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति खंडित नहीं हुई। शोक मनाने के लिए एक दिन

का भी अवकाश किए बिना उन्होंने लोगों को किए गए अपने वायदों को पूरा करने के लिए अपना महान कार्य जारी रखा। केवल एक शोक सन्तप्त मां ही ऐसे एकाकीपन को जान सकती है। केवल एक शोक संतप्त महिला प्रधानमंत्री ही ऐसे एकाकीपन को अनुभव कर सकती है। वह प्रधानमंत्री मेरी मां थी। अकेले पड़ जाने पर उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनके पास गया। उनके कहने पर मैंने उड्डयन में अपनी रुचि को छोड़ दिया। उनके कहने पर मैंने अपने पारिवारिक जीवन को छोड़ दिया और उनका राजनीतिक सहायक बन गया। राजनीति का पहला पाठ मैंने उनसे ही पढ़ा। उन्होंने ही मुझसे यह आग्रह किया कि मैं अपने भाई के स्थान पर अमेठी से संसद सदस्य बनकर अपने दल और चुनाव क्षेत्र की आग्रहपूर्ण मांग को पूरा करूं। उनके आशीर्वाद से मुझे दल का महासचिव बना दिया गया। उनकी अचानक मृत्यु होने पर मेरे दल ने मुझसे उनका स्थान ग्रहण करने की चुनौती को स्वीकार करने के लिए कहा। इस चुनौती को स्वीकार करके मैंने एक राष्ट्रीय कर्तव्य, मां के प्रति एक बेटे के संतानोचित कर्तव्य का पालन किया। आज वही बेटा इस सदन के समक्ष खड़ा है। मेरा निजी दुख मेरा अपना दुख है। मेरी मां की यादों का संबंध मुझसे है।

इंदिरा जी इस सदन की भी नेता थी। वे इस की प्रधानमंत्री थी। जब उनकी याद को मलिन किया जा रहा है, उनके आदर्शों का उल्लंघन किया जा रहा है तो मैं निष्क्रिय नहीं रहूंगा। भारत की उनकी संकल्पना को, जिसके लिए वे जीवित रहीं और जिसके लिए अपने जीवन का बलिदान किया उसे अभी पूर्णत: साकार करना है। जब उनकी दुखान्त मृत्यु को घटिया चरित्रबल तथा दुर्भावनापूर्ण, गैर-जिम्मेदार राजनीतिज्ञों द्वारा एक राजनैतिक खिलौना बनाया गया है तो मैं निष्क्रिय नहीं रहूंगा। अब मैं उनको अपना उत्तर दूंगा। मेरे, मेरे परिवार तथा मेरे सहयोगियों के विरुद्ध जो कानाफूसी और दुर्भावना फैलाई गई उससे मैं उद्देश्य से हटने वाला नहीं हूं।

अपनी माता इन्दिरा जी से मैंने एक सबक सीखा था, वह यह था कि परवाह मत करो, "एकला चलो रे", वे कहा करती थी।

षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं। स्पष्ट रूप से षड्यंत्र का उद्देश्य खालिस्तान की स्थापना करना था। इसके लिए प्रधानमंत्री की हत्या, देश में अव्यवस्था, भ्रम और अराजकता फैलाने के हथकंडे अपनाए गए।

पंजाब में आतंकवाद के आरम्भ से हत्याओं का उद्देश्य साम्प्रदायिकता भड़काना रहा है। अत्यधिक साम्प्रदायिकता भड़काने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री की हत्या की। षड्यंत्रकारियों पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ऐसा करने से हजारों निर्दोष हिन्दुओं, निर्दोष सिखों और अन्य सम्प्रदाय के हजारों लोगों की मृत्यु हो जाएगी। उनके लिए इस बात का भी कोई महत्व नहीं था कि देश में खून की नदियां बहाने पर ही उनके उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। षड्यंत्रकारियों का उद्देश्य साम्प्रदायिकता भ्रातृ हत्या को बढ़ावा देना और निर्दोष व्यक्तियों, बच्चों और महिलाओं की हत्या करवाकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करना था। वे एक विध्वंस के द्वारा इस देश का विघटन करना चाहते थे ताकि वे इसके एक भाग में अपना फासिस्टवादी

कट्टरपंथी शासन स्थापित कर सकें। इस प्रकार के वातावरण में इंदिरा जी की नृशंसतापूर्वक गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वातावरण में दिल्ली, कानपुर और अन्य स्थानों पर हमारे सिख भाइयों के विरुद्ध हिंसा फैलाई गई।

मैंने प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला ही था। मेरे पास केवल कार्यवाही करने के लिए समय था, मातम मनाने के लिए मेरे पास कोई समय नहीं था। मैं सदियों से एक साथ रह रहे समुदायों के बीच भातृत्व और मित्रता, सुरक्षा और विश्वास को पुन:स्थापित करने के लिए पूरे जोर से जुट गया।

वर्ष 1984 का भयानक कत्लेआम एक ऐसा हत्याकांड था जिसका प्रभाव सभी शालीन भारतीयों की आत्मा पर सदैव रहेगा। यह उस दु:खद घटना के परिणामस्वरूप हुआ। यह कोई छोटी घटना नहीं है। हम अपने आपको माफ नहीं कर सकते। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए था। परन्तु मुझे विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहिए कि हमने राजधानी में अथवा अन्य स्थानों पर सिखों के हत्याकांड की पुनरावृत्ति को रोका है। भड़काने वाले एजेन्टों ने अपने घृणित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वीभत्सता को भड़काने की बार-बार कोशिश की। हमने उनके प्रयासों को बार-बार निष्फल किया। भारत में प्रत्येक सिख के सम्मानपूर्ण जीवन के लिए मैं वचनबद्ध हूं। यदि मैं इसके लिए वचनबद्ध नहीं हूं तो मैं अपनी मां का बेटा नहीं हूं।

वर्ष 1984 में कार्यभार संभालने के एक पखवाड़े के अन्दर ही मैंने चुनाव कराने और लोगों को यह तय करने का अधिकार देने का निर्णय लिया कि वे किसे चाहते हैं, किस दल को चाहते हैं। वह निर्णय लोकतंत्र के लिए मेरी वचनबद्धता का प्रतीक था। यह एक अन्य पाठ था जिसे मेरी मां ने मुझे पढ़ाया था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने चुनाव को स्थगित करने की सलाह दी क्योंकि राष्ट्र एक भयानक सदमे के दौर में था। मेंने उनकी बात नहीं सुनी क्योंकि मैं लोगों का विश्वास करता हूं। इंदिराजी ने मुझे लोगों का विश्वास करना सिखाया। चुनाव परिणाम इस सदन की संरचना से जाहिर होते हैं। क्योंकि लोगों को यह आशंका थी कि सम्भवत: देश की एकता कायम न रहे इसलिए लोगों ने एकता बनाये रखी। हमारा शासनादेश स्पष्ट था। हमारा पहला कार्य देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना था, देश की स्वतन्त्रता का आश्वासन देना था। वह कार्य लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत बनाना था।

पिछले 4 वर्षों में हमने अपने प्रयासों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। जब जनता पार्टी का पतन हो रहा था उस समय असम में एक आन्दोलन आरम्भ किया गया था। एक समझौते के द्वारा उस आन्दोलन को समाप्त किया गया है।

पहले के आन्दोलनकारी आज पूर्ण लोकतंत्रवादी हैं जिन्हें लोगों ने उस राज्य की देखभाल करने का दायित्व सौंपा हुआ है।

मिजोरम में एक समझौते द्वारा 20 साल से चले आ रहे विद्रोह को समाप्त किया गया है। पहले के विद्रोही चाहे वे किसी पद पर थे अथवा नहीं, अब देश की एकता के लिए वचनबद्ध है और लोकतन्त्र में उनकी अटूट आस्था है।

त्रिपुरा में कार्यभार संभालने के कुछ महीनों के अन्दर ही उस राज्य की कांग्रेस सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने वर्षों से जारी हिंसा को समाप्त करने और मतभेदों को शान्तिपूर्वक, लोकतांत्रिक ढंग से निपटाने के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक समझौते पर बातचीत की।

नागालैंड और मणिपुर में भी बाकी विद्रोह समाप्त हो रहा है।

जिस समय राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारी आरम्भ की, उसी समय दार्जिलिंग की पहाड़ियों में एक जातीय आंदोलन उठ खड़ा हुआ। उस समय जनवादी दृष्टिकोण को अपनाना और जातीय अल्पसंख्यकों के विरुद्ध बहुमत के लोगों की भावनाओं को भड़काना सबसे आसान कार्य था। परन्तु गांधी जी, पंडित जी अथवा इन्दिरा जी ने हमें ऐसा करना नहीं सिखाया। पश्चिमी बंगाल विधान सभा चुनावों से कुछ महीने पहले ही मैंने इस बात की पुष्टि की कि वह आन्दोलन राष्ट्रविरोधी नहीं था।

मैंने तो इस बात पर जोर दिया था कि दार्जिलिंग के गोरखाओं की वास्तविक समस्याएं हैं, जिनके लिए वास्तविक हल की जरूरत है। कांग्रेस चुनाव में भले ही हार गई हो लेकिन हमने दार्जिलिंग के लोगों को पश्चिम बंगाल तथा देश के लिए जीत लिया। एक सम्भावित गम्भीर विद्रोह होने से बचा लिया गया। जैसाकि हमेशा कांग्रेस और इंदिरा जी के लिए भी रहा है अब भी कांग्रेस के लिए देश तथा लोगों का हित पार्टी तथा हमारे स्वयं के हितों के ऊपर है।

पंजाब में भी काफी प्रगति हुई है। हम शांति तथा स्थिरता कायम करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। पिछले वर्ष पंजाब के लगभग आधे पुलिस स्टेशनों पर आतंकवादियों द्वारा की गई हत्या की एक भी घटना दर्ज नहीं हुई। आपरेशन ब्लैक थंडर की कार्यवाही ने सभी को दिखा दिया कि आतंकवादी किस प्रकार सर्वाधिक पवित्र स्थान को भी अपवित्र कर रहे थे। इसके बाद से सभी गुरुद्वारों को हत्यारों और अपराधियों से मुक्त करा दिया गया है। पवित्र स्थानों को खराब कर रहे तथा इस पवित्रता का दुरुपयोग कर रहे हत्यारों और अपराधियों को अब इन स्थानों पर घुसने की अनुमति नहीं है। ग्रन्थी और सेवादार अब आतंकवादियों की राइफलों के तले कार्य नहीं करते हैं। एक बार पुन: पवित्र ग्रन्थों का उपयोग आध्यात्मिक शुद्धि के लिए हो रहा है, राजनीतिक प्रचार के लिए हथियार के रूप में इनका उपयोग नहीं हो रहा है। आतंकवादी बेनकाब हो चुके हैं। आतंकवादियों के प्रति बहुत कम हमदर्दी बची है। लोगों का एक छोटा सा वर्ग ही उनका समर्थन कर रहा है। उनके प्रति आम समर्थन समाप्त हो चुका है। विचारधाराओं से प्रेरित होने वाले नाममात्र के एक-दो छोटे आतंकवादी गुट ही बचे हुए हैं। शेष गुटों को आम अपराधियों, तस्करों, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापारियों, अवैध शस्त्र विक्रेताओं से पृथक करना कठिन है। सिख, हिन्दू, मुस्लिम तथा अन्य सभी समुदायों के पंजाब के लोग देश के साथ पूरी शक्ति के साथ डटे हुए हैं। कट्टरपंथी उनके सामुदायिक सद्भाव को समाप्त नहीं कर सके हैं। अलगाववादी उनकी राष्ट्रीय निष्ठा फुसलाकर समाप्त नहीं कर सके हैं। आतंकवादी उन्हें डराने में सफल नहीं हो सके हैं। पंजाब के लोग हावी

रहे हैं। जैसाकि पहले अनेक बार हुआ है, एक बार फिर से पंजाब के लोगों ने देश की रक्षा की है।

लेकिन हिंसा जारी है। इनके दो मुख्य कारण बुनियादी तथा मौलिक हैं।

एक तो यह है कि पंजाब के आतंकवादी सीमा-पार से और विदेशों से मदद तथा समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। हमने इसके विरुद्ध अनेक उपाय किए हैं। हमें आशा है कि पाकिस्तान में सैनिक शासन से लोकतांत्रिक शासन में हुए परिवर्तन के बाद सीमापार से आतंकवादियों को समर्थन मिलना पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। इसके कुछ संकेत मिल रहे हैं और हमें आशा है कि इस पर पूर्णरूप से अमल होगा। पाकिस्तान में जो लोग समझते हैं कि ऐसे कार्यों से इस क्षेत्र और अपने देश में भी अस्थिरता पैदा हो सकती है, वे अब अपनी बात कहने लगे हैं।

पंजाब में इस आतंकवाद पर हमारे काबू न पाने का दूसरा मौलिक कारण यह है कि हम आतंकवाद के विरुद्ध एक देश के रूप में संगठित मोर्चा बनाने में असमर्थ रहे हैं।

कसूर लोगों का नहीं है। देश के लोगों और विशेषकर पंजाब के लोगों ने इस घिनौने आतंकवाद का मजबूती से मुकाबला किया है। उन्होंने सदियों पुराना सामुदायिक सद्भाव नहीं समाप्त किया है। उन्होंने देश के साथ विश्वासघात करने से मना कर दिया है। उन्होंने अपने गुरुओं के उपदेशों का पालन न करने से मना कर दिया है।

कसूर तो कुछ राजनैतिक पार्टियों का है। कुछ पार्टियां हैं जो साम्प्रदायिकता, आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ संघर्ष में अटल हैं। हम उनके समर्थन, उनके साहस और दृढ़धारणा का स्वागत करते हैं। आतंकवादियों का एक छोटा सा समुदाय है लेकिन कुछ राजनीतिज्ञों और राजनीतिक पार्टियों की कथनी और करनी से उन्हें मदद मिलती है। उन्हें उन लोगों से भी मदद मिलती है जो चुप रहते हैं, दूसरों की खतरनाक घोषणाओं और घृणित कार्यों की निन्दा नहीं करते हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद-विवाद के दौरान, विपक्ष ने एक पुस्तिका में व्यक्त एक सदस्य के विचारों का समर्थन करने से मना कर दिया जबकि इसके प्रकाशन में इस सदस्य का गुप्त सहयोग था। फिर भी, वह उनके एक सम्मानित और अति-वांछनीय साथी बने हुए हैं। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि वे कैसे उस सदस्य का परित्याग कर देते हैं, जबकि वह संसद में नहीं होते हैं लेकिन जब वह बोलते हैं तो उनकी प्रशंसा करते हैं। वह आनन्दपुर साहिब के प्रस्ताव के प्रति अपने समर्थन की स्थिति से वापस नहीं हटे हैं। उन्होंने संसद में यह स्वीकारा है कि वह अभी भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। वह केवल इसलिए संसद सदस्य बने हैं कि एक विपक्षी पार्टी ने उन्हें शामिल करके निर्वाचित करा दिया। अब यह पार्टी क्या कहती है? क्या वे अब कम से कम उनसे अपना उदार संरक्षण वापस लेने के लिए तैयार हैं?

दोहरे मानदंड के कारण उनका चुनाव हुआ। यह सबको पता है कि उन्होंने अमरीकी टेलीविजन के ऐसे कार्यक्रम में भाग लिया था जो एक तीसरे देश द्वारा प्रायोजित था और जिसमें भारत की एकता के विरुद्ध घृणा और द्वेष का प्रचार किया गया था। उन्होंने इस कार्यक्रम में भी आतंकवाद के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। क्या उनके दल को टिकट देने के लिए उनसे बेहतर और कोई व्यक्ति नहीं मिला? अथवा ऐसी पार्टी से यही अपेक्षा की जाए जिसके दो प्रतिनिधि मार्च 1984 के अत्यन्त कठिन समय में एक पड़ोसी देश गए और सैन्य तानाशाह के आदर सत्कार की अत्याधिक प्रशंसा की और अपने मेजबान द्वारा आतंकवादियों, अलगाववादियों और देशद्रोहियों के प्रति समर्थन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा?

विपक्ष के अन्य सदस्यों की क्या स्थिति है? क्या वे अब सदस्य का परित्याग करने, स्वयं को उनकी पार्टी से अलग करने और उनके मोर्चे से अलग रहने के लिए तैयार हैं? क्या वे अब देश को अपना मत बताने के लिए तैयार हैं? क्या वे इस व्यक्ति और आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के समर्थक हैं या इस देश के लोगों के समर्थक हैं?

धर्म-निरपेक्षता भारत की मजबूती की कुंजी है। खालिस्तान के समर्थकों को धर्मनिरपेक्षता के बल पर ही समाप्त किया जाएगा। अलगाववादियों के पास एक यही उम्मीद है कि हमारे लोगों की सहज धर्म-निरपेक्षता को फुसलाया जाए। वे एक समुदाय को आतंक द्वारा दूसरे समुदाय से तोड़ने की उम्मीद रखते हैं। वे साम्प्रदायिक घृणा फैलाना चाहते हैं ताकि भारत साम्प्रदायिकता की आग में नष्ट हो जाए, इससे 'खालिस्तान' की उत्पत्ति हो सके। वे हिन्दुओं और सिखों के शताब्दियों पुराने सम्बन्धों को नष्ट करने पर अमादा हैं। वे हमारे संयुक्त पंजाब को पूर्णतया नष्ट कर देना चाहते हैं। वे उस पंजाब को नष्ट कर देना चाहते हैं जो सिखों, मुस्लिमों, हिन्दुओं तथा इसाइयों और अन्य सभी के लिए समान आश्रय स्थल है। उन्होंने पवित्र स्थानों को किलों में परिवर्तित करने का प्रयास किया। वे इसमें असफल रहे। उन्होंने सिखवाद के सिद्धांतों की लड़ाई को तोपों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। वे इसमें असफल रहे। पंजाब के लोगों तथा इस देश के लोगों ने हिन्दुओं को सिखों से तथा सिखों को हिन्दुओं से आपस में लड़ने नहीं दिया। पंजाब के लोगों तथा इस देश के लोगों को सभी गुरुओं द्वारा दिखाई गई सहनशीलता तथा सद्भाव की भावना याद थी। उन्हें हमारी संयुक्त संस्कृति का ज्ञान था जोकि हमारी महानता है। वे हमारी धर्म-निरपेक्षता को जानते थे जो प्रत्येक भारतीय में जन्म से ही है।

इसलिए मैं इस प्रश्न पर जोर दे रहा हूं और इस प्रश्न से बचा नहीं जा सकता। मैं इस सभा के प्रत्येक सदस्य से यह पुन: पूछता हूं। क्या आप उनके साथ हैं जो आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के समर्थक हैं?

आपको हाल ही में बम्बई उच्च न्यायालय का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण फैसला याद होना चाहिए जिसमें चुनाव में साम्प्रदायिक नारा इस्तेमाल करने के लिए एक सदस्य का निर्वाचन रद्द

कर दिया गया है। यह बताना मेरे लिए आवश्यक नहीं है कि साम्प्रदायिकता के लिए तथा धर्म-निरपेक्षता के विरुद्ध लड़ने वाला वह वकील कौन था। ऐसा तो संसद का एक ही सदस्य हो सकता है जो ऐसे मामले ले सकता है। हमें उस सदस्य से यही प्रश्न करना है कि क्या आप भारत के लोगों के साथ हैं? क्या आप भारत की विरासत, भारत के गौरव के साथ हैं? अथवा क्या आप इन्हें फुसलाकर हमें नष्ट करना चाहते हैं? मैं सभी विपक्षी पार्टियों से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आप इन मूल्यों के समर्थक इस सदस्य के साथ हैं अथवा क्या आप भारत की एकता और अखंडता तथा गौरव के समर्थक रहेंगे? मैं विपक्ष से अनुरोध करना चाहता हूं। मैं विपक्ष से कहता हूं कि आप अपने दल से ऐसे गन्दे तत्वों को निकाल दें और साम्प्रदायिकता तथा आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हम लोगों के विशाल बहुमत में शामिल हो जाएं।

हम आतंकवादियों को झुका देंगे। यदि विपक्ष ऐसे लोगों की सहायता करना चाहता है तो बेशक करे। हम स्वयं दृढ़ निश्चय के साथ यह संघर्ष जारी रखेंगे। क्या मैं यहां यह कह सकता हूं कि यह पाठ भी मुझे मेरी मां इंदिरा जी ने सिखाया था?

विशेष जांच दल ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। आरोप-पत्र दाखिल कर दिए गए हैं। कानून अपना समय लेगा। लेकिन न्यायालयों में इस देश के लोगों के खिलाफ षड्यन्त्रकारियों की चालें समाप्त नहीं होंगी। यह लड़ाई तो राजनीतिक स्तर पर लड़ी जानी है। सभा के विभिन्न वर्गों में हमारे समर्थक हैं। हमें अपने सभी मतभेद दूर करने चाहिएं। षड्यन्त्रकारियों के साथ रहने वाले तथा उनके मित्र दूर रहें। लोगों के समक्ष उनका पर्दाफाश हो जाएगा। बाकि हम सबके लिए रास्ता एकदम साफ है। हम हिंसा के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हम पंजाब के लोगों के समर्थन को और मजबूत करेंगे। हम पंचायतों के चुनाव के साथ उन्हें और अधिक शक्तियां तथा दायित्व सौंपेंगे। हिंसा का परित्याग करने वाले तथा हमारे संविधान का सम्मान करने वालों के साथ हम बातचीत करेंगे। हम पंजाब में शांति स्थापित करेंगे।

क्या जो लोग आज पूरे जोर से चिल्ला रहे हैं, वे इंदिरा जी के निन्दकों में अग्रणी नहीं थे? आज वे नकली आंसू बहा रहे हैं। उनके मन में इंदिरा जी के लिए कितना प्यार है? क्या ये वही लोग नहीं थे जो उनके ऊपर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं? क्या ये वे ही नहीं थे जो दिन-रात उनके पीछे पड़े रहते थे? क्या ये वे लोग नहीं थे जिन्होंने उन्हें चिकमंगलूर से विजयी होने के बाद भी संसद की बैठक में भाग नहीं लेने दिया था और प्रजातंत्र को नष्ट किया था?

वे लोग जिन्होंने हमेशा गलत तरीके अपनाकर उन्हें देश के सार्वजनिक जीवन से अलग-थलग करने की कोशिश की थी, ये ही आज अपने आपको, उनको शारीरिक तौर पर हमारे बीच से खत्म करने के बाद, उनका रक्षक और समर्थक बतला रहे हैं। इस तरह के हथकण्डों से न तो संसद को बरगलाया जा सकता है और न ही देश को।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों के मानसिक आघात और अब तक के भाषण के दौरान मुझे ऐसा महसूस होता रहा है कि इन्दिरा जी मेरे पास ही हैं। देश को

मजबूत और एकता प्रदान करने के हमारे कार्यों के पीछे उनका आशीर्वाद ही है। यही मेरे लिए सुख और पारितोषिक की बात है।

धन्यवाद।

पश्च टिप्पण

XXX. ठक्कर आयोग के अंतरिम और अंतिम प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव, 10 अप्रैल, 1989

कोई टिप्पण नहीं ।

जवाहर रोजगार योजना के बारे में वक्तव्य

28 अप्रैल, 1989

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश के सामने बेरोजगारी और अपूर्ण रोजगार से बढ़कर और कोई विकट समस्या नहीं है। हमारी जनता का कोई भाग ग्रामीण गरीबों से ज्यादा सुविधाहीन नहीं है। हमारी जनता का कोई तबका ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं विशेषकर भूमिहीन महिलाओं से ज्यादा जरूरतमन्द नहीं है।

जवाहरलाल नेहरू से ही हमने यह बात सीखी थी कि गरीबी दूर करने के लिए काम करना हमारा पहला राष्ट्रीय कर्तव्य है। जवाहरलाल नेहरू से ही हमने सीखा कि ग्रामीण भारत की बेरोजगार और अपूर्ण रोजगार प्राप्त जनता की परेशानियों को कम करना सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रयास है।

इसलिए, हमारे आधुनिक राष्ट्र के आदि निर्माता के प्रति इससे बड़ी श्रद्धांजलि और नहीं हो सकती कि उनके जन्म-शताब्दी समारोहों को ग्रामीण भारत के गरीबों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के प्रति समर्पित करें।

हम आज जवाहर रोजगार योजना शुरू करने जा रहे हैं।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य देशभर में ग्रामीण पंचायतों के हाथों में पर्याप्त धनराशि देना है, जिससे वे भारी संख्या में ग्रामीण गरीबों के हित में, जो ग्रामीण भारत का एक बड़ा भाग है, स्वयं अपनी ग्रामीण रोजगार योजनाएं चला सकें। यह अनुमान लगाया गया है कि पिछले सात वर्षों के दौरान ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम देशभर की 55 प्रतिशत ग्राम पंचायतों तक ही पहुंचे हैं। जवाहर रोजगार योजना का लक्ष्य प्रत्येक पंचायत तक पहुंचना है।

इसका 80 प्रतिशत कार्यक्रम केन्द्र की वित्तीय सहायता से चलाया जाएगा। इसके संचालन के प्रथम वर्ष अर्थात चालू वित्तीय वर्ष में ही इस कार्यक्रम के लिए 2100 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जाएगी। हम इस प्रकार का वित्तीय ढांचा बना रहे हैं जिससे राज्यों को गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात में धनराशि आबंटित की जाएगी। यह धनराशि आगे जिलों को सौंपी जाएगी, जिसका निर्धारण पिछड़ेपन के मापदण्ड के अनुसार किया जाएगा, जैसे जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का हिस्सा, कुल मजदूरों की तुलना में कृषि मजदूरों का अनुपात और कृषि उत्पादकता का स्तर। भौगोलिक रूप से विशिष्ट क्षेत्रों में जैसे पहाड़ी, मरुस्थली तथा द्वीपसमूह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।

हमें उम्मीद है कि तीन से चार हजार तक की आबादी वाली एक ग्राम पंचायत को जवाहरलाल रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रतिवर्ष 80,000/- रुपये से लेकर एक लाख रुपये प्राप्त होंगे। हम यह आशा करते हैं कि हम प्रत्येक निर्धन ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को उसके घर के नजदीक कार्यस्थल पर प्रतिवर्ष पचास से लेकर सौ दिनों

तक का रोजगार दे सकेंगे। हम आशा करते हैं कि खानाबदोश जनजातियों को रोजगार उपलब्ध कराने की एकीकृत योजनाओं को इस कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा। इस योजना की बहुत खास बात यह है कि इससे जितना रोजगार पैदा होगा उसका 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा।

हमें आशा है कि यह कार्यक्रम ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने से, लोगों को पहले की अपेक्षा इसके कहीं अधिक लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होंगे। अब तक, ऐसे कार्यक्रमों के लिए काफी बड़ी रकम ठेकेदारों और बिचौलियों पर खर्च हुई है। अन्य भी काफी अपव्यय हुआ है। इसके अलावा, प्रशासन पर होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है।

पंचायतों को वित्त व्यवस्था और कार्यक्रम को चलाने की जिम्मेदारी सौंपने से, हम आशा करते हैं कि पहले से कहीं ज्यादा बड़ी रकम कार्यक्रम पर ही खर्च की जाएगी।

हम यह भी आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम का अमल इतना अधिक खुला और साफ-सुथरा होगा जितना पहले कभी नहीं हुआ। हर ग्रामवासी को यह मालूम होगा कि कार्यक्रम के लिए कितनी रकम उपलब्ध है और कौन-कौन सी योजनाओं पर यह रकम खर्च की जाएगी। वह यह भी जानकारी रखेगा कि इन योजनाओं पर कौन-कौन उसके गांव वाले काम कर रहे हैं। रोजगार हासिल करने वाले हर व्यक्ति को यह मालूम होगा कि वह कितना पारिश्रमिक ले रहा है और अन्य लोग कितना ले रहे हैं। उसे यह भी मालूम होगा कि उसे और अन्य लोगों को कितने-कितने दिनों का काम दिया जा रहा है। जिन लोगों को धोखा दिया जाता है या वंचित रखा जाता है, वे न केवल उसकी तत्काल क्षतिपूर्ति के लिए सम्भवत: जांच कर सकेंगे, बल्कि उनके हाथ में मत का वह आखिरी हथियार भी होगा जिससे वे उस पंच या सरपंच को उसके पद से हटा भी सके, जो उसे सौंपी गई शक्तियों और जिम्मेदारियों का दुरुपयोग करता है। लोकतंत्र गांव वाले के दरवाजे पर ही, जहां वह रहता है और काम खोजता है, कल्याणकारी राज्य को लाने का अवसर सुदृढ़ करेगा।

क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था:—

"पंचायतों एवं ग्राम समुदायों को अपने प्रस्ताव तैयार करने चाहिएं। हम जब केवल शीर्ष स्तर से ही कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हमको अपने लाखों लोगों को मिलकर संगठित करना है और इन महान कार्यों में उन लोगों को हिस्सेदार एवं साझीदार बनाना है।"

पंडित जी ने हमको यह बात याद रखने के लिए जोर दिया था कि:—

"हम जो भी योजना तैयार करें, उसकी सफलता की कसौटी यह होगी कि हमारे लाखों देशवासियों, जो मात्र अपनी जीविका पूरी कर पाते हैं, को उससे कितनी राहत मिलती है यानि हमारे अधिकांश देशवासियों की भलाई और प्रगति होती है। अन्य सभी लाभ इस मुख्य दृष्टिकोण के अधीन होने चाहिएं।"

उन्होंने आगे कहा था:—

"बड़े पैमाने पर बेरोजगारी से अनेक नवयुवकों का जीवन नष्ट हो जाता है और हमारी एक प्रमुख समस्या है। हम इसे किसी जादू से दूर नहीं कर सकते...। परन्तु हम हरेक ऐसे व्यक्ति को रोजगार एवं कार्य की गारंटी दे सकें जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं और हाथ से काम करने को बुरा नहीं समझता।"

वही हमारा अब भी आखिरी लक्ष्य है। फिलहाल, हम यह सब कुछ कर रहे हैं जो कुछ हम अपने संसाधनों से कर सकते हैं। सभी मौजूदा ग्रामीण मजदूरी रोजगार कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर लिये गये हैं। यह योजना गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण भारत के 440 लाख परिवारों तक देश के कोने-कोने में पहुंचेगी। हमारा उद्देश्य है कि इनमें से प्रत्येक परिवार इनका लाभ उठायें। हमारा उद्देश्य इन परिवारों की कठिनाइयों से कुछ कमी लाने का है। खासकर हमारा लक्ष्य इन परिवारों की महिलाओं की कठिनाई में कमी लाने का है, जिन्होंने सदियों से अपने असीम साहस और सहनशीलता से उसका सामना किया है। हमारा लक्ष्य इन महान उद्देश्यों को पंचायतों की उत्तम संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने का है।

जवाहरलाल नेहरू, जो एक महान स्वतन्त्रता सेनानी एवं आधुनिक भारत के निर्माता थे, के नाम पर हम अपने आपको बेरोजगारी का अभिशाप मिटाने, गरीबी का कलंक हटाने, महिलाओं के प्रति भेदभाव समाप्त करने और अपने सभी देशवासियों को पूर्ण एवं समृद्ध जीवन निर्वाह करने में सुअवसर और सहायता सुनिश्चित करने के लिए पुन: समर्पित करते हैं।

धन्यवाद।

पश्च टिप्पण

XXXI. जवाहर रोजगार योजना के बारे में वक्तव्य, 28 अप्रैल, 1989

कोई टिप्पण नहीं ।

देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में वक्तव्य

3 मई, 1989

उपाध्यक्ष महोदय, केवल धर्मनिरपेक्ष भारत ही जीवित रह सकता है; शायद वह भारत जो धर्मनिरपेक्ष नहीं, जीवित रहने योग्य भी नहीं है। हमारी सभ्यता और हमारे देश के भविष्य की शान को सुनिश्चित करने के लिए भारत और धर्मनिरपेक्षता को अवश्य ही एक बने रहना चाहिये।

भारत के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक बस्ती में और प्रत्येक मोहल्ले में, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग पड़ोसियों के रूप में एक साथ रहते हैं। धर्मनिरपेक्षता हमारे अस्तित्व की एक शर्त है। यह हमारी परम्परा का सार है। धर्मनिरपेक्षता और हमारे राष्ट्र को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है।

हमारा समाज बहुधर्मी, बहुभाषी है, बहु-संस्कृति वाला है, लेकिन हमारा समाज बहु-राष्ट्रीय नहीं है। हम सब लोग एक हैं, हम एक राष्ट्र हैं, एक देश हैं और हमारी एक ही नागरिकता है।

अधिकतर सभ्यताएं, राष्ट्रवाद और विविधता को विरोधी मानती हैं। विश्व की सभ्यता में भारत का एक ही सबसे बड़ा योगदान इस बात का प्रदर्शन रहा है कि विविधता और राष्ट्रवाद के बीच कोई भी भिन्नता नहीं है। अपने 5000 वर्षों के अनुभव के द्वारा हमने विश्व को यह दिखा दिया है कि विविधता में हमारी एकता एक जीवित वास्तविकता है।

आज के विश्व को भारत के अनुभव से सीखने की नितांत आवश्यकता है। आधुनिक युग में शांति और अस्तित्व, अहिंसा, सहनशीलता, करुणा और विविध दर्शनों और जीवन के विविध तरीकों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सम्बन्ध में ज्ञान पर निर्भर करती है। प्रौद्योगिकी के विकास के द्वारा विश्व छोटा होता जा रहा है और वह सार्वभौम गांव में बदल रहा है। विश्व को भी एकता और विविधता की उतनी ही आवश्यकता है।

भारत की धर्मनिरपेक्षता विश्वव्यापी आवश्यकता है क्योंकि विश्व की धर्मनिरपेक्षता को मानवीय अस्तित्व से अलग नहीं किया जा सकता, इसे विश्वव्यापी अन्त:निर्भरता से अलग नहीं किया जा सकता, इसे विश्वव्यापी सहयोग से अलग नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रों की संकीर्णता के परिणामस्वरूप, जिसमें लोगों की राष्ट्र के साथ, धर्म की राष्ट्र के साथ, भाषा की राष्ट्र के साथ, मानव जाति की राष्ट्र के साथ तुलना की जाती है, मानवता का इतिहास खून में सना हुआ है। इतिहास की अशांति और त्रासदी से बचने के लिए बहुत से देश और क्षेत्रीय संगठन अब विगत की अपवर्जिता से बचने का प्रयास कर रहे हैं। वे बहुसंस्कृति वाले समाजों की ओर जा रहे हैं, जहां पर विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग सद्भाव, समानता और विश्वास के साथ इकट्ठे रह सकते हैं, इस विश्वास से वे अपनी विरासत और अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, इस आत्मविश्वास के साथ वे विचारों

और अनुभवों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। एक साथ रहने पर एक दूसरे के साथ विचारों को विकसित किये बिना संस्कृति का नाश हो जाता है।

इस विश्वव्यापी प्रयास में विश्व, भारत में विविधता में एकता से सबक ले रहा है। एक मिलीजुली संस्कृति को बनाने में हमारे रिकार्ड जीतना और किसी अन्य सभ्यता का रिकार्ड नहीं है। धर्मनिरपेक्षता पर आधारित राज्यतन्त्र चलाने के लिए भी किसी और देश का हमारे जितना रिकार्ड नहीं है।

हजारों वर्षों से धर्मनिरपेक्षता के होते हुए भी साम्प्रदायिक शक्तियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। भारत का इतिहास, धर्मनिरपेक्षता, सहनशीलता और करुणा की शक्तियों तथा इसके विपरीत साम्प्रदायिकता, कट्टरवाद और धार्मिक अंधविश्वास की शक्तियों के बीच एक द्वन्द्वात्मक प्रकार का इतिहास है। अन्त में धर्मनिरपेक्षता की ही विजय होगी। लेकिन साम्प्रदायिकता के विरुद्ध हमारी जो निरन्तर लड़ाई जारी है उसे हमें अवश्य लड़ना चाहिए।

यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि भारत ने धर्मनिरपेक्षता को क्यों अपनाया; हम धर्मनिरपेक्षता को कैसे समझे? सर्वप्रथम हमारी धर्मनिरपेक्षता धर्म-विरोधी सिद्धांत नहीं है, हम आध्यात्मिकता की प्रचुर मनोवृत्ति के प्रति गहरा और स्थायी सम्मान रखते हैं जो कि हमारी संस्कृति में व्याप्त है और भारत के प्रत्येक धर्म में व्याप्त है। यह हमारे इतिहास में व्याप्त है, यह हरेक व्यक्ति जोकि भारतीय हैं, उसमें व्याप्त है। आध्यात्मिकता की वह प्रचुर मनोवृत्ति हमारे नैतिक मूल्यों, हमारे विचारों और हमारे आदर्शों, हमारे लक्ष्यों और हमारे उद्देश्यों का स्रोत है। हम इस आध्यात्मिक परम्परा का सम्मान करते हैं। हम इसके नैतिक मूल्यों की कदर करते हैं। हम उन सभी विभिन्न रूपों का आदर करते हैं जिनमें यह आध्यात्मिकता दिखाई देती है। हमारी धर्मनिरपेक्षता का मुख्य सिद्धांत सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना है अर्थात् सर्व धर्म समभाव।

हमारा दूसरा महान सिद्धांत यह है कि हम सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते हैं। सरकार किसी भी धार्मिक समुदाय के साथ पक्षपात नहीं करती है और धर्म के नाम पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाता है। सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, वह धर्म के ऊपर है। सरकार के लिए धर्म लोगों का निजी और वैकल्पिक मामला है। कोई भी भारतीय चाहे वह किसी भी धर्म को मानता हो या वह किसी भी धर्म का प्रचार करता हो सरकार के लिए यह एक वैयक्तिक मामला है। सरकार का सम्बन्ध केवल उन सभी को पूर्ण संरक्षण देना, उन सभी को समान अवसर देना, सभी को समान लाभ पहुंचाना है। सरकार के लिए सभी भारतीय उसकी नजर में समान भारतीय हैं।

तीसरा सिद्धांत जो कि पहले और दूसरे सिद्धांत से निकलता है क्योंकि धर्म का उच्च मूल्य है लेकिन यह निजी और वैयक्तिक जीवन में ही रहना चाहिए, इसकी देश की राजनीति में कोई भूमिका नहीं है।

धर्म को राजनीति में मिलाना हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जहर घोलना है। धर्म को राजनीति में शामिल करना हमारी सभ्यता की परम्पराओं हमारे संविधान के सिद्धांतों और हमारे देश के अस्तित्व के विरुद्ध है।

हम स्वतंत्रता आंदोलन में धर्म को राजनीति में मिलाने के गम्भीर परिणामों को भूले नहीं हैं और हम उन्हें कभी भूलेंगे भी नहीं। स्वतन्त्रता की लड़ाई से जो कि 1857 से शुरू होकर 1940 तक चली। साम्प्रदायिक तत्वों को छोड़कर सभी समुदायों के भारतीय, भारत की आजाद कराने की लड़ाई में एक साथ थे, भारत के सभी लोगों के लिए, उनमें चाहे वे किसी भी जाति के लोग क्यों न हों, भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्वतन्त्र कराने के लिये एक साथ रहना स्वयं इस बात को सिद्ध करता था कि वे हमारी शानदार विविधता का आदर कर रहे थे और उसका गुणगान कर रहे थे, और वे इस विश्वास पर एक हो गये थे कि भारत समान रूप से सभी भारतीयों का है।

मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव को पारित किये जाने के तुरन्त बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण सभी समुदायों और धर्मों के धर्मनिरपेक्ष नेता उस समय या तो जेलों में थे अथवा छिप गये थे। इससे सांप्रदायिक तत्वों को मुख्य धारा में प्रवेश करने का अवसर मिल गया। लाहौर प्रस्ताव के एक दशक से भी कम समय के अंदर भारत का बंटवारा हो गया। हम भारत का फिर से बंटवारा कभी नहीं होने देंगे। हम धर्मनिरपेक्षता पर साम्प्रदायिक शक्तियों को पुनः कभी जीतने नहीं देंगे।

देशभक्त भारतीय ही धर्मनिरपेक्ष भारतीय हैं, राष्ट्रवादी भारतीय ही धर्मनिरपेक्ष भारतीय हैं। समर्पित भारतीय ही धर्मनिरपेक्ष भारतीय हैं। अनुशासित भारतीय ही धर्मनिरपेक्ष भारतीय हैं।

स्वतन्त्रता के बाद के 40 वर्षों में हमने यह दिखा दिया है कि हम एक राष्ट्र हैं। हमने बाहरी आक्रमणों का एक संगठित राष्ट्र के रूप में सामना किया है। हमने कट्टरवादियों और धार्मिक अंधविश्वासों का देश के अन्दर भी एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ता से सामना किया है। पंजाब में जो कुछ हुआ है वह इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। पृथकता के समर्थकों और धार्मिक कट्टरपंथियों का उद्देश्य एक ही था। वे दोनों ने मिलकर आतंकवादियों, हत्यारों, खरीदे गए हत्यारों, बन्दूकें बेचने वालों, तस्करों और आम अपराधियों, धर्म को राजनीति के साथ मिलाने वालों, अपराध को धर्म के साथ मिलाने वालों को अपने साथ मिला लिया। आपरेशन ब्लैक थंडर तक गुरुद्वारे अपराधी अड्डे बन गये थे और यह बात सिद्ध हो गई थी कि आतंकवाद धर्म के लिए नहीं था, यह धार्मिक उद्देश्यों के लिये नहीं था परन्तु गलत उद्देश्यों के लिए था। पवित्र स्थानों को अपवित्र किए जाने और धर्म का दुरुपयोग किये जाने पर लोगों को क्षोभ हो गया था। लोगों को ग्रंथियों की डांट-डपट और सेवादारों के दमन से क्षोभ हो गया था।

पंजाब के लोगों ने हार नहीं मानी है। लोगों की सहनशक्ति समाप्त नहीं हुई है। सदियों का भाईचारा विजयी हुआ है। लोगों की स्वाभाविक धर्मनिरपेक्षता विजयी हुई है। सांप्रदायिक ताकतों ने हार नहीं मानी है वह हमेशा शरारत करने की ताक में रहती हैं, वह हमेशा ही औरों को आगे करके पीछे से देश के राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने का प्रयत्न करती रहती हैं। यदि धर्मनिरपेक्ष ताकतें एकजुट होकर रहें तो साम्प्रदायिकता को रोका जा सकता है। खतरा

तब होता है जब राजनीतिक दल अवसरवादिता के लिये उनके संकीर्ण विचारों को समर्थन देते हैं।

इस सदन में भी ऐसे राजनीतिक दल हैं जो जाने या अनजाने धर्म के रूप में छिपे कट्टरपन और जुनून का हथियार बन गए हैं। कुछ राजनैतिक दल अल्पसंख्यकों के डर को बढ़ावा देकर ही जिन्दा हैं। दूसरे दल बहुसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को उकसा कर फायदा उठाते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो छोटी-छोटी बातों को धार्मिक भावनाओं के रूप में भड़काते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना बात का बखेड़ा खड़ा करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो धर्म के रक्षकों के रूप में भावनाएं भड़काते हैं। कांग्रेस ने किन्हीं भी परिस्थितियों में इन ताकतों के साथ कोई भी सम्बन्ध न रखने की कसम खाई है।

सरकार के रूप में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा हमारा पहला कर्तव्य है। हम इस सदन के प्रत्येक वर्ग का सहयोग आमन्त्रित करते हैं कि वह इस राष्ट्रीय प्रयत्न में हमें सहयोग दें। मैं श्री इंद्रजीत गुप्त के सुझाव का स्वागत करता हूं। मैंने गृह मंत्री से पहले भी अनुरोध किया है कि वह सभी धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय दलों को आमन्त्रित करें और उनके साथ मिलकर यह पता लगाएं कि एक संयुक्त संस्कृति का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है।

हमारी धर्मनिरपेक्ष परम्परा वेदों और पुराणों के साथ आरम्भ होती है। **"वसुधैव कुटुम्बकम" की परिकल्पना जिसे बुद्ध और महावीर द्वारा भी विकसित किया गया, भारतीय सभ्यता और हमारे समाज के विकास का आधार थी।** हमने केरल में यहूदी धर्म का स्वागत किया। हमने सन्त थामस और ईसाई धर्म का स्वागत किया हमने जोराओसट्रिनिस्म का स्वागत किया और आज विश्व में सबसे अधिक पारसी हमारे यहां हैं, हमने गुरु नानक से लेकर गुरुगोविन्द सिंह तक महान सिख गुरुओं का स्वागत किया। हमने इस्लाम और अमीर खुसरो तथा कबीर, बाबा फरीद और शाह अब्दुल लतीफ की महान सूफी परम्परा का संश्लेषण किया । हमारे धार्मिक त्यौहार किसी एक सम्प्रदाय के नहीं बल्कि सभी भारतीयों और सम्प्रदायों के हैं। हम उन्हें मिलकर मनाते हैं।

पिछले 40 वर्षों के दौरान हमने साम्प्रदायिकता पर काबू पाने की अपनी क्षमता को बढ़ाया है। यह साम्प्रदायिक घटनाओं की घटती प्रवृत्ति से जाहिर होता है। यह साम्प्रदायिक झड़पों में मरने और जख्मी होने वाले लोगों की घटती संख्या से दर्शित होता है। किन्तु काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब तक साम्प्रदायिक झगड़े बंद नहीं हो जाते, जान और माल का नुकसान रुक नहीं जाता यह काम तब तक पूरा नहीं होगा। तो भी साम्प्रदायिकता को दूर रखने के लिए अत्यधिक सतर्कता की जरूरत होगी। जब तक साम्प्रदायिकता बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाती तब तक हमें इससे लड़ना होगा।

कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। केन्द्र अधिक से अधिक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विचार कर सकता है, मार्गनिर्देश जारी कर सकता है। राज्य सरकारों की सहायता कर सकता है किन्तु आधारभूत उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का ही है। न्यायालयों ने भी कई बार राज्य सरकारों की सहायता की है, मैं बम्बई उच्च न्यायालय और न्यायाधीश बड़ूचा को उनके ऐतिहासिक निर्णय के लिए बधाई देता हूं।

हमने मुख्यमंत्रियों को श्री पी.एन. हक्सर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता परिषद के उप दल ने भी दीर्घ प्रभावी सिफारिशों की सिफारिश की है। कुछ प्रभाव पड़ा है, यद्यपि कुल कार्यवाही हमारी आशा के अनुरूप नहीं है। कुल साम्प्रदायिक स्थिति पहले से भी खराब हो गई है। किन्तु हम मूक दर्शक नहीं बन सकते। इस साम्प्रदायिक दानव को समाप्त करना होगा।

इन्दिरा जी साम्प्रदायिक गोलियों का शिकार हुईं। वह उस 15 सूत्री कार्यक्रम की लेखिका हैं जो सभी राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। मैंने उस कार्यक्रम की कई समीक्षाओं की अध्यक्षता की है और हालांकि हमने काफी प्रगति की है किन्तु मैं की गई प्रगति से सन्तुष्ट नहीं हूं। अभी बहुत कुछ किया जाना है और हम यह ध्यान रखेंगे कि अनुवर्ती कार्यवाही सही ढंग से हो। हमारे प्रत्येक सत्र के पश्चात् बेहतर अनुवर्ती कार्यवाही की गई है और उसके परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। प्रगति हो रही है किन्तु यह बहुत धीमी है। इसे तेज किया जाना चाहिए। हमें अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी होगी। हमें सभी धर्मों के लोगों का मिला-जुला पुलिस बल तैयार करना होगा। हमें अल्पसंख्यकों की शिक्षा और उनकी आर्थिक तरक्की के लिए विशेष सहायता देनी होगी।

धर्मनिरपेक्षता को किसी एक ओर से खतरा नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के कट्टरपंथी, अलग-अलग ढंग से परेशानी पैदा कर रहे हैं। इसलिए जो लोग हमारी संघटक संस्कृति की उपेक्षा करते हैं और अपने अनुयायियों को भारत के इतिहास की विकृत तस्वीर पेश करके, बिना किसी बात के परेशानी पैदा करते हैं और धार्मिक वक्तव्य देकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं यह राज्य सरकारों का काम है कि वह इस प्रकार की चालों के प्रति सजग रहें और अशांति पैदा करने वालों तथा अशांति वाले स्थानों के बारे में पहले से ही जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आसूचना व्यवस्था तैयार करें। यह राज्य सरकारों का काम है कि वह निवारक कार्यवाही करें और तुरन्त सुधारात्मक कदम उठाएं।

कोई भी राज्य सरकार चाहे वह कांग्रेसी हो या गैर-कांग्रेसी बेदाग रिकार्ड का दावा नहीं कर सकती। कांग्रेसी तथा गैर कांग्रेसी सभी राज्य सरकारों ने इस समस्या पर काबू पाने का प्रयत्न किया है। किसी भी राज्य को विशेष परिस्थितियों में किसी स्थिति को रोकने या उसका मुकाबला करने के लिए हमेशा संपूर्ण केन्द्रीय सहायता दी जाती है। यह केन्द्र और राज्य तथा कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के बीच भेदभाव का मसला नहीं है यह एक राष्ट्रीय मसला है और उस पर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

आम सहमति तथा पूरे देश से तैयार एक अनुकूल प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदेशों का पालन पूरी निष्ठा से किया जाना चाहिए। धर्म को राजनीति के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। हमारे हाल के संशोधनों के पश्चात् ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। किन्तु अभी कई राजनीतिक दलों ने अपने संविधान में संशोधन नहीं किया है। इन राजनीतिक दलों को अपने संविधान में संशोधन करके इसे राष्ट्रीय संविधान के अनुरूप बनाना चाहिए।

जिन अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक और आर्थिक सहायता की जरूरत है उन्हें उन समान अवसरों को उपलब्ध कराने में सहायता करनी चाहिए जिनकी गारंटी कानून द्वारा दी गई है। वास्तविक शिकायतों पर तत्काल काबू पाया जाना चाहिए, झूठी शिकायतों का तत्काल पर्दाफाश

किया जाना चाहिए। कानून और व्यवस्था के तन्त्र को सभी धार्मिक पूर्वाग्रहों और साम्प्रदायिक तत्वों से अलग रखा जाना चाहिए। भारत के लोगों को चाहिए कि वह अन्त:स्थित धर्मनिरपेक्षता को वास्तविकता का जामा पहनाएं।

इस वर्ष हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। वह हमारे सबसे महान धर्मनिरपेक्ष नेताओं में से एक थे शायद सबसे महान धर्मनिरपेक्ष नेता।

जब गांधी जी धार्मिक कट्टरपन्थियों का शिकार हुए तो धर्मनिरपेक्षता को आगे ले जाने का दायित्व पंडित जी के कंधों पर आ पड़ा।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विभाजन के खून-खराबे का विरोध किया, अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया, बहुसंख्यक समुदाय के पुराने और दमनकारी रिवाजों को बदला। उन्होंने सभी धर्मों के मानने वालों को यह विश्वास दिलाया कि राज्य हर प्रकार के पूर्वाग्रह, भेदभाव और संकीर्णता से ऊपर है। उन्होंने सभी भारतीयों को सम्मान और अवसर दिया।

हम जल्द ही साम्प्रदायिकता के मामले पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाना चाहते हैं जिसे हम सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं और सदस्यों के साथ गृह मंत्रालय की प्रारम्भिक बैठकों के बाद करना चाहेंगे।

कुछ ही दिनों में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन की 25वीं बरसी मनाएंगे। पंडित जी की याद को सम्मान देने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं कि हम उनके आदर्शों को पूरा करें, भारत का प्रत्येक नागरिक देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में अपने आपको धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के प्रति समर्पित करे जिनका समर्थन पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया था।

पश्च टिप्पण

XXXII. देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में वक्तव्य, 3 मई, 1989

कोई टिप्पण नहीं ।

संविधान (चौंसठवां संशोधन) विधेयक

15 मई, 1989

मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

भारत के लोगों के लिए स्वतन्त्रता संग्राम की सबसे बड़ी देन लोकतन्त्र है। स्वतन्त्रता के फलस्वरूप हमारा राष्ट्र स्वतन्त्र हुआ। लोकतन्त्र से हमारे लोग स्वतन्त्र हुए। स्वतन्त्र लोग वे होते हैं जो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं। स्वतन्त्र लोग अपनी इच्छा और सहमति द्वारा शासित होते हैं। स्वतन्त्र लोग अपने जीवन और भविष्य को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेते हैं।

गांधी जी का विश्वास था कि लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता की नींव भारत के प्रत्येक गांव में स्वायत्त शासन के द्वारा रखी जानी चाहिये। उन्होंने इसकी प्रेरणा और संकल्पना भारत के परम्परागत ग्राम गणतन्त्रों, पंचायतों से ग्रहण की थी। ग्रामीण भारत में विकास के प्रमुख साधन के रूप में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना पण्डित जी द्वारा की गई थी। इन्दिरा जी ने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं में लोगों की भागेदारी की आवश्यकता पर बल दिया था।

फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश के अधिकतर भागों में 30 वर्ष पहले पंचायती राज संस्थाओं में व्यक्त अपनी आशाओं के पूरा करने में हम असफल रहे हैं। चुनाव समय पर नहीं होते हैं। प्राय: चुनावों में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है और उन्हें बार-बार स्थगित किया जाता है। यह राजनीतिक मंशा का मामला नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर कराने का सर्वश्रेष्ठ रिकार्ड दो राज्य सरकारों का है जिनमें पंचायती राज लागू होने के बाद से अधिकांश समय कांग्रेस पार्टी का ही शासन रहा है। ये राज्य हैं — गुजरात और महाराष्ट्र।

हाल ही में, कुछ राज्यों की सरकारों ने जहां विपक्षी दलों जैसे पश्चिम बंगाल में सी.पी.आई. (एम) आन्ध्र प्रदेश में तेलगुदेशम और कर्नाटक में जनता पार्टी का शासन है, समय पर चुनाव सम्पन्न कराए हैं।

अन्य राज्यों में, गैर-कांग्रेस पार्टियों और संयुक्त सरकारों का रिकार्ड कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों से बहुत अच्छा नहीं है, यह राजनीतिक पार्टियों का मामला नहीं है।

लोकतन्त्र का आधार चुनाव है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव अत्यधिक अनियमित एवं अनिश्चित हैं। संविधान में इनके लिए अनिवार्य उपबन्ध किया गया है। राज्य के विधान में सांविधिक उपबन्ध की इतनी वैधता नहीं है। इस विधेयक द्वारा हमारा विचार पंचायती राज संस्थाओं के समय पर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संविधान में उपबन्ध करना है। इस विधेयक द्वारा हमारा विचार देश के कुछ भागों में पंचायती राज में व्याप्त अन्य कमियों को दूर करना भी

है जैसे पंचायतों को निरन्तर निलम्बित या भंग रखना। वर्तमान व्यवस्था में चुनाव द्वारा युक्तिसंगत अवधि के भीतर पंचायतों के पुनर्गठन हेतु कोई बाध्यकारी उपबन्ध नहीं है इसलिए स्थगित की गई पंचायतें वर्षों तक निलम्बित रहती हैं और भंग पंचायतें एक दशक या इससे भी अधिक समय तक भंग रही है। इस विषय पर वर्तमान नगरपालिका कानून में राज्य विधानमण्डलों ने कार्यपालिका को पंचायती राज संस्थानों को भंग करने और इनके पुनर्गठन में विलम्ब करने के इतने व्यापक अधिकार दे दिए हैं कि ये संस्थाएं जन आकांक्षाओं के एक प्रतिनिधि मंच के रूप में उभरने में असमर्थ रही हैं। इनका अस्तित्व जनसमर्थन की अपेक्षा राज्य सरकारों की इच्छा पर अधिक निर्भर करता है।

हमारे विधेयक के अनुसार, यह पता लगाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है कि किन आधारों और शर्तों पर पंचायतों को निलम्बित या भंग किया जाए। हम राज्य विधानमण्डलों से आशा करते हैं कि वे बताए कि किस आधार पर राज्यपाल किसी पंचायत को निलम्बित या भंग कर सकता है। यह मामला राज्यपाल से सम्बन्धित है जो संविधान के अनुसार राज्य सरकार की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भंग पंचायत का पुनर्गठन एक उचित समय के भीतर कर दिया जाए। हमारा विधेयक समय से पहले भंग की गई सभी पंचायतों के लिए उनके भंग किए जाने के छह माह के भीतर वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकतांत्रिक चुनाव द्वारा पुनर्गठित किए जाने को संवैधानिक रूप से अनिवार्य बनाएगा कि वे अपना शेष कार्यकाल पूरा कर सकें।

अब पंचायतों के साथ कार्यकारी शक्तियों के मनमाने ढंग से इस्तेमाल द्वारा खिलवाड़ नहीं हो सकेगा। जनता स्वयं पुनर्गठित पंचायत के माध्यम से कुछ महीनों के भीतर अपना भविष्य निर्धारित करेगी। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि लोक सभा और राज्य विधानसभाओं का गठन जनता के वयस्क मताधिकार के इस्तेमाल से होगा। संविधान ही यह सुनिश्चित करता है कि किसी विधानसभा के भंग किए जाने पर, संविधान में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया एवं समय-सीमा के भीतर इसका पुनर्गठन किया जाए। लोकतांत्रिक संस्थाओं की शक्ति एवं सक्रियता को सुनिश्चित करने के यही अनिवार्य सुरक्षा उपाय हैं। पंचायती राज संस्थाओं में शक्ति और सक्रियता का अभाव है। क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से उनके लिए सुरक्षा उपायों का उपबन्ध नहीं किया गया है। हमारा विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि पंचायती राज का लोक सभा और राज्य विधान सभाओं की भांति लोकतांत्रिक स्वरूप है और जब प्रतिनिधि संस्थाओं के रूप में उनके कार्यकरण को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हो।

भारत में लोकतन्त्र के उदय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी संविधान तैयार करना, जिससे संसद और राज्य विधानमण्डलों में लोकतन्त्र कायम हुआ। यह ऐतिहासिक क्रान्तिकारी विधेयक उसी महत्वपूर्ण घटना के अनुक्रम में एक कदम है जिसके द्वारा संविधान में निचले स्तर पर लोकतांत्रिक प्रणाली को अंगीकार किया जाएगा। अब तक हमारे लोकतन्त्र की संरचना में कमियां रही हैं क्योंकि यद्यपि इसका ऊपर का ढांचा बहुत मजबूत है परन्तु नींव कमजोर है। संसद के दोनों सदनों और सभी राज्य विधानमण्डलों को मिलाकर हमारे देश की लगभग 80 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व केवल पांच छह हजार व्यक्ति कर रहे हैं। इसके दो गम्भीर परिणाम निकले हैं।

पहला परिणाम यह निकला है कि लोकतन्त्र की सुस्थापित संस्थाओं में निर्वाचित पदों पर आसीन व्यक्तियों की संख्या हमारे मतदाताओं की तुलना में बहुत कम है। पंचायतों में लोकतांत्रिक प्रणाली लागू हो जाने के बाद आज जो महत्व संसद और राज्य विधानमण्डलों का है, वही महत्व उन सात लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों का होगा जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज में भाग लेंगे। लोकतान्त्रिक व्यवस्था में जनता का प्रतिनिधित्व लगभग 115 गुणा बढ़ जाएगा।

इस विशद अन्तर का एक दूसरा हानिकारक परिणाम है जो सामान्य मतदाताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों को परस्पर अलग करता है। इस अन्तर का लाभ सत्ता के दलाल, बिचौलिये और स्वार्थी लोग उठा रहे हैं। नगरपालिका से सम्बन्धित छोटे से छोटे काम के लिए लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं। उपयुक्त सम्बन्धों वाले व्यक्तियों को तलाश करना पड़ता है जो दूर बैठे प्राधिकारियों से उनकी सिफारिश करे। समस्त प्रणाली सत्ता के दलालों की जकड़ में है। सत्ता के दलालों के हित में इसका संचालन किया जा रहा है। सत्ता के दलाल इसे संरक्षण दे रहे हैं। सत्ता के दलालों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है क्योंकि लोकतन्त्र निचले स्तर पर नहीं है। उनकी गहरी पकड़ को हटाने का एक तरीका है कि सत्ता के दलालों द्वारा भरे गए रिक्त स्थान को खाली करके उन्हें लोकतांत्रिक प्रणाली लागू करके भर दिया जाए। जब एक बार एक सौ से पांच सौ मतदाताओं द्वारा अपना प्रतिनिधि निर्वाचित कर लिया जाएगा तब जनता से सत्ता केवल उतनी दूरी पर होगी जितनी दूरी पर पंचायत घर है न कि राज्य या देश की राजधानी जितनी दूरी पर है। व्यवस्था में सत्ता के दलालों की सभी भूमिकाओं को समाप्त करने के लिए, विधेयक में सभी स्तरों पर पंचायत के सदस्यों के सीधे चुनाव की व्यवस्था की गई है।

ग्राम पंचायत, मध्य स्तरीय पंचायत और जिला पंचायत में प्रत्येक मतदाता का अपना प्रतिनिधि होगा। वह प्रतिनिधि एक छोटे तथा भली प्रकार मान्य निर्वाचन क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी होगा। यदि वह लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करता है तो पुन: निर्वाचित हो जाएगा अन्यथा लोग उसे पदच्यूत कर देंगे। मत की शक्ति कार्यान्वयन की शक्ति बन जाएगी। लोगों की इच्छा सत्ता के दलालों को अनावश्यक बना देगी।

आज लोकतांत्रिक निर्वाचित नेतृत्व का सुअवसर उन कुछ हजार व्यक्तियों तक सीमित है जो विधान सभा अथवा संसद में प्रवेश पाने में सफल हो जाते हैं। इस विधेयक का संविधान का एक हिस्सा बन जाने के पश्चात् भारी संख्या में देशव्यापी नेतृत्व क्षमता का सृजन का होगा। प्रत्येक पंचायती चुनाव में लगभग आधा करोड़ पुरुष और महिलाएं जिनमें से अधिकांश युवा होंगे, स्वयं को निर्वाचन गणों के समक्ष उनके आदेशों के पालन हेतु प्रस्तुत करेंगे। कुछ सफल होंगे और कुछ असफल रहेंगे। जो असफल रहेंगे उन्हें पांच वर्ष पश्चात् फिर अवसर प्राप्त होगा।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक अनप्रयुक्त प्रतिभा उपलब्ध है। अब हम उस प्रतिभा का प्रयोग करेंगे। उस प्रतिभा की पुष्टि इस सभा के तथा राज्य सभा के हमारे साथियों के मतों द्वारा की जाएगी। इस प्रकार यह प्रतिभावान व्यक्ति हमारे देश को एक समृद्ध एवं शानदार भविष्य की ओर ले जायेंगे।

मानवता एवं संसाधनों की मूल्यवान सम्पत्ति के सन्दर्भ में कोई भी देश हमसे अधिक धनी नहीं है। हमने उतनी प्रगति नहीं की जितनी कि करनी चाहिए थी क्योंकि हमने अपने सबसे बड़े संसाधन का पोषण नहीं किया। इस विधेयक के माध्यम से राष्ट्र के अधिकाधिक प्रतिभावान व्यक्तियों को अवसर प्रदान करना सम्भव हुआ है। इससे देश में हलचल होगी। हमारे 600,000 गांवों में से प्रत्येक में, 5000 ब्लॉकों में से प्रत्येक में, 400 जिलों में से प्रत्येक में पुरुषों और महिलाओं को लोकतन्त्र तैयार करेगा जिनका अनुभव बाद में राज्य स्तर पर विधान सभाओं और भारत की संसद के लिए उपलब्ध होगा।

हमारा प्रस्तावित संविधान संशोधन राज्य विधान सभाओं पर संवैधानिक आदेश लागू करता है। समुचित कानून बनाना राज्य विधान सभाओं का काम है।

प्रस्तावित पंचायती राज व्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका के बारे में एक अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर दिया गया है। इस संबंध में संविधान अत्यन्त स्पष्ट है। अनुच्छेद 154(1) में कहा गया है कि "राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी।" अनुच्छेद 163(1) में स्पष्ट किया गया है कि "राज्यपाल को उसके कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होगा।" और इसलिए संविधान में शब्द राज्यपाल का अर्थ राज्यपाल द्वारा मंत्री परिषद् की सहायता और सलाह से कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में है। इसका एक अपवाद है। इस अपवाद का उपबन्ध अनुच्छेद 163 के खंड (1) में किया गया है जो इस प्रकार है-

"जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों का उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। जिसका प्रधान, मुख्यमंत्री होगा..."

शब्द 'राज्यपाल' तथा 'राज्यपाल अपने विवेकानुसार' में अन्तर संवैधानिक नियम का इतना सुस्पष्ट मामला है कि इस मुद्दे पर किसी भ्रम का होना ही आश्चर्यजनक है। आखिर शब्द "राज्यपाल" संविधान में दर्जनों स्थानों पर आता है और कहीं भी उसका गलत अर्थ नहीं लगाया गया था गलत व्याख्या नहीं की गई।

हमें विश्वास है कि हम संसद में अपने निहित संवैधानिक कृत्यों के पालन में मंत्री परिषद् की सहायता और सलाह के अनुसार राज्यपाल कार्य करने और जहां कहीं संविधान के अनुसार ऐसी अपेक्षा ही अपने विवेकानुसार राज्यपाल द्वारा कार्य करने में कोई भ्रम नहीं होगा।

संसद तथा राज्य विधानमंडलों में लोकतन्त्र की स्थापना करते समय हमारे संस्थापकों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की असमर्थताओं पर विशेष ध्यान दिया। कुल निर्वाचन क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। राज्य विधानमंडलों द्वारा पंचायती राज विधान बनाने के अधिकांश मामलों में इस सिद्धांत का पालन नहीं किया जा रहा। ग्रामीण क्षेत्रों के गहन दौरे और अनेक पंचायती राज सम्मेलनों में पंचायती राज प्रतिनिधियों से बातचीत में यह बात पूरे जोर शोर से मेरे सामने रखी गई

कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लोकतान्त्रिक अधिकारों की प्राप्ति केवल नेक इरादों से नहीं करवाई जा सकती। इस समय इसकी प्राप्ति लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में दिए गए आरक्षणों के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण करके भी की जा सकती है।

मैं देख रहा हूं कि इस सभा का एक वर्ग विशेष इससे बिल्कुल प्रसन्न नहीं है।

*** *** ***1

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में एक व्यापक एवं उचित आशंका व्याप्त है कि यदि इन निकायों में उनके लिए समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया गया तो पंचायती राज ग्रामीण संभ्रांत व्यक्तियों के हाथों उनके दमन का कारण बन जाएगा।

देश के विभिन्न भागों से प्राप्त अनुभव से हमने देखा है कि आरक्षण के अभाव में किस प्रकार निहित स्वार्थ सामंतवादी हित इन संस्थाओं पर अपना कब्जा जमा लेते हैं।

नियमित चुनाव न कराने से इन संस्थानों पर उनका आधिपत्य सुदृढ़ हो जाता है। लोगों का आदेश शोषण के साधन में बदल गया है।

प्रक्रिया के इस प्रकार विकृत होने को रोकने के लिए हमारे विधेयक में राज्य विधान सभाओं द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को सुनिश्चित करने की अनिवार्यता का प्रस्ताव रखा गया है।

मुझे यह जानकारी थी कि जब हम अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को लागू करना चाहेंगे तो कुछ समस्यायें सामने आएंगी किन्तु मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मुझे यह आशा नहीं थी कि समस्या सभा के इस वर्ग की ओर से सामने आएगी।

स्पष्ट है, आज सत्ता के दलालों और सामंतवादी हितों का पर्दाफाश हो गया है।

प्रक्रिया को इस प्रकार विकृत होने से बचाने के लिए हमारे विधेयक में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सम्बद्ध पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण को राज्य विधान सभाओं द्वारा सुनिश्चित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। हमारे विधेयक में संविधान के वर्तमान रूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन का भी प्रस्ताव है। हमारा प्रस्ताव है कि पंचायत में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण हो।

मैं माननीय सदस्यों द्वारा की जा रही रोक-टोक को समझता हूं और समझता हूं कि इससे भी उन्हें अत्यधिक परेशानी होती है।

*** *** ***2

तीन ऐसे मुख्य कारण हैं जिनके लिए हम संविधान में इस परिवर्तन को आवश्यक समझते हैं।

पहला, महिलाएं जनसंख्या का आधा भाग हैं और ग्रामीण भाग के आर्थिक जीवन के आधे से अधिक भाग में शामिल हैं। तथापि, यह लज्जाजनक है कि सम्पत्ति में उनका भाग तथा आय जनसंख्या में उनके अनुपात से कहीं कम है। किन्तु उनसे जो परिश्रम कराया जाता है वह आधे से भी अधिक है। दूसरे, घर की सुदृढ़ वित्त व्यवस्था की जिम्मेदारी परम्परागत रूप से महिलाओं की रही है। वित्तीय अनुशासन और जिम्मेदारी भारत की ग्रामीण महिलाओं की आदतों और उनके नजरिए में अन्तर्निहित हैं। पंचायती राज संस्थाओं में इन गुणों की सख्त जरूरत है। हमें विश्वास है कि पंचायतों में महिलाओं की संख्या अधिक होने से न केवल उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा बल्कि वे अधिक कुशल, अधिक ईमानदार, अधिक अनुशासित और अधिक जिम्मेदार होंगी ।

*** *** ***[3]

तीसरे, यह भारत की महिलाएं ही हैं जो नानियों-दादियों तथा माताओं के रूप में भारत की प्राचीन संस्कृति और परम्पराओं की निधान है। अगली पीढ़ी तक सर्वोत्कृष्ट मूल्यों, मापदण्डों और आदर्शों को पहुंचाने की जिम्मेदारी महिलाओं की ही है और इन्हीं के कारण विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव के बावजूद हमारी सभ्यता निरन्तर फलफूल रही है। यह नैतिक चरित्र का वह बल है जिसका संचार महिलाएं पंचायतों में करेंगी। अत: हमें उनका स्नेहपूर्ण स्वागत करना चाहिए। विपक्ष की ओर से तो महिलाओं का स्वागत तक नहीं किया गया।

अब मैं इस मामले के महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात् अन्तरण और सुदृढ़ वित्त पर आता हूं। अन्तरण के लिए विधान बनाने के राज्यों के अधिकार का सम्मान करते हुए हमने जानबूझकर उनके अधिकारों से छेड़छाड़ नहीं की है। हमारा केन्द्र से जिला शासन चलाने का कोई इरादा नहीं है। किन्तु हम यह आशा अवश्य करते हैं कि राज्य विधानमंडल इस विधेयक के उपबन्धों तथा इस संशोधन की भावना को ध्यान में रखते हुए ऐसे कानून अवश्य बनाएं जो पंचायतों को शक्ति और अधिकार देने के लिए आवश्यक हो।

पहले राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मापदण्डों और शर्तों के ढांचे के भीतर योजनाएं तैयार करने की शक्ति और अधिकार पंचायतों का होगा। ये योजनाएं उच्च स्तर पर योजना प्रक्रिया के मूल आदानों में शामिल की जाएंगी। इस प्रकार से हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लोगों की आवाज उनकी जरूरतें, उनकी आकांक्षाएं और वरीयताएं योजना ढांचे का अंग बने। हमें ऊपर से लादी जाने वाली योजना का अंत करना होगा। हमें जमीन की वास्तविकता से दूर वायवीय ऊंचाईयों पर निश्चित की जाने वाली प्राथमिकताओं को समाप्त करना होगा। हमें अभिभावकीय योजना को समाप्त करना होगा। हमें लोक योजना की प्रक्रिया प्रारम्भ करनी होगी।

हमारे विधेयक की सीमा आर्थिक विकास के लिए योजना तक ही है। इससे पंचायतों पर सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। यह हमारे गांवों के जीवन पर रोमानी रंग नहीं चढ़ाएगा। वहां का जीवन कठोर है, श्रम साध्य है और कई प्रकार से शोषणकारी और दमनकारी है।

सत्ता के दलालों को सत्ता से बाहर करने, पंचायतें लोगों के हाथ में देने के लिए हम लोगों के ही प्रतिनिधियों पर यह दायित्व डालते हैं कि वे निर्धन, हीन तथा सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों की ओर सबसे अधिक ध्यान दें। आर्थिक विकास की प्रत्येक योजना के साथ सामाजिक न्याय की योजना जुड़ी होगी। आर्थिक विकास की किसी भी योजना पर तब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा जब तक इसका सामाजिक न्याय का पहलू स्पष्ट नहीं होगा। यह घोषणा-पत्र हमारे गांवों को केवल समृद्ध बनाने का ही नहीं बल्कि उन्हें न्याय दिलाने का भी द्योतक है।

पंचायतों का दूसरा प्रमुख दायित्व राज्य सरकारों द्वारा उन्हें सौंपी गई विकास योजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों पर कार्यान्वित करने का होगा। इन योजनाओं में कृषि और भूमि सुधार से लेकर सिंचाई और पनधारा प्रबन्ध जैसे ग्रामीण भारत के प्रमुख आर्थिक विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। उनमें पशुपालन, डेयरी, मुर्गीपालन और मत्स्य पालन जैसे कार्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उनमें ग्रामीण भारत के औद्योगिक कार्यकलाप शामिल किए जाने चाहिए। उनमें लघु वन उत्पाद भी शामिल होने चाहिए जो तमाम जनजातीय जनसंख्या की आय के प्रमुख साधन हैं। इसमें ग्रामीण भारत को दिन-प्रतिदिन की जरूरत की चीजें जैसे आवास, पेयजल, ईंधन और चारा शामिल होने चाहिए। इस हस्तांतरण में, ग्रामीण भारत में संचार और विद्युत के आधारभूत ढांचे को शामिल किया जाना चाहिए।

हमने पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से संबंधित विकास योजनाएं शामिल करने का सुझाव दिया है।

प्रस्तावित 11वीं अनुसूची में पंचायतों को गरीबी निवारण कार्यक्रमों का प्रशासन सौंपने की अपेक्षा है। इसके अन्तर्गत पंचायतों को शिक्षा, संस्कृति तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास का कार्य सौंपा जाएगा। हम राज्य विधान सभाओं से अनुरोध करेंगे कि वे सभी कमजोर और विकलांग वर्गों के लिए समाज कल्याण कार्यक्रमों को चलाने का उत्तरदायित्व पंचायतों को सौंपे। हमारा विचार पंचायतों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिम्मेदारी सौंपने का भी है जो कि सबसे कमजोर और निर्धनतम लोगों के जीवन की रक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आम स्वास्थ्य के लिए नितान्त आवश्यक है। इसीलिए हम इसे उन्हें सौंप रहे हैं जो इसे चलाएंगे न कि राज्यों को जो इसे तोड़ रहे हैं।

इस विधेयक में यह प्रस्ताव है कि पंचायतों को हमारे सामुदायिक जीवन का सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्र अर्थात् सामुदायिक आस्तियों का रखरखाव सौंपा जाए।

मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि ग्यारहवीं अनुसूची एक लम्बी सूची नहीं है। हमें आशा है कि राज्य पंचायतों को अधिकाधिक शक्तियों और अधिकार देंगे ताकि स्थानीय स्तर पर जो कार्य किया जा सकता है वह उसी स्तर पर हो न कि ऊपर के स्तर पर।

*** *** ***[4]

पंचायतों को शक्तियों के हस्तांतरण के बाद सबसे बड़ा खतरा इन शक्तियों का उनके हाथ से निकलकर पंचायती राज प्रणाली से बाहर गठित और राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में अर्पित अन्य निकायों के पास चला जाना है। लगभग सभी राज्य सरकारों ने, चाहे वे कांग्रेसी हो या गैर-कांग्रेसी, जिन्होंने पंचायती राज की स्थापना की है पंचायती राज प्रणाली से बाहर निकायों का गठन करके इसके प्रभाव को कमजोर किया है क्योंकि निर्णय लेने संबंधी वास्तविक शक्तियां इन्हीं निकायों के पास हैं और पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मंत्रियों के नीचे काम करते हैं, या जैसा कि कर्नाटक में हुआ है एक विधायक को तालुका पंचायत समिति का पदेन अध्यक्ष बनाया गया है।

हमारे इस विधेयक का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि पंचायतों को दी गई शक्तियां पंचायतों के भीतर ही रहे और इससे बाहर न जाएं। हमारे इस विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि सभी विकास एजेन्सियों को पंचायती राज संस्थाओं के ढांचे में लाया जाए और निर्वाचित अधिकारी के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। इस बात के दो आधारभूत कारण हैं कि जिला तथा उप-जिला स्तर पर प्रशासन लोगों के प्रति इतना उदासीन क्यों है। एक बात तो यह है कि जिला प्रशासन बहुत-सी एजेन्सियों में बंटा हुआ है, जो राज्य सरकारों के प्रति जवाबदेह है और जिनका जिला स्तर पर आपस में कोई तालमेल नहीं है दूसरा, केन्द्रीय प्वायंट के रूप में कार्य करने वाले निर्वाचित प्राधिकारी का अभाव है।

यह पंचायतों के चुनावों का घोषणा पत्र है। हमें इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए। यह भारत के लोगों के लिए घोषणा-पत्र हैं। यह भारत के लोगों को शक्ति देने तथा सत्ता के कुछ दलालों, जो इतने उत्तेजित हो रहे हैं, से शक्ति छीनने का घोषणा-पत्र है।

इस सभा को याद होगा कि हमारी सरकार, स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी एक दल को प्राप्त सर्वाधिक बहुमत से चुन कर सत्ता में आई थी। सरकार के प्रमुख के रूप में मैंने कई संरचनात्मक परिवर्तन करने की शपथ ली थी। मैंने बहुत जल्द यह महसूस किया कि यह व्यवस्था हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। इस व्यवस्था में बहुत से ढांचे थे। इस व्यवस्था में थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करने से कुछ नहीं होता, इसके लिए एक योजनाबद्ध परिवर्तन आवश्यक था। इस विधेयक को प्रस्तुत करने का उद्देश्य हमारे 1986 के संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम के 20वें सूत्र, जिसमें जनता को उत्तरदायी प्रशासन देने का वायदा किया गया है, को पूरा करने का तरीका ढूंढने के लिए मेरी तलाश है। मेरे अनुरोध पर कार्मिक विभाग ने 'उत्तरदायी प्रशासन संबंधी कई कार्यशालाएं' आयोजित कीं जिनमें देश के सभी जिलाधीशों, उपायुक्तों और जिला समाहर्ताओं को आमंत्रित किया गया था। मैंने उनके साथ 20 घंटे चर्चा की थी।

इनमें यह बात सामने आयी कि केवल प्रक्रियाओं को सरल बनाकर अथवा शिकायत समाधान तंत्र की स्थापना करके अथवा शिकायत खिड़कियां खोलकर प्रशासन को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा प्रत्येक कदम सत्ता के दलालों के लिए केवल एक और सत्ता केन्द्र हथियाने

के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। उत्तरदायी प्रशासन की अनिवार्य शर्त प्रतिनिधि प्रशासन है जोकि मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी हो। ग्रामीण भारत में उत्तरदायी प्रशासन वास्तविक पंचायती राज के माध्यम से ही स्थापित किया जा सकता है। हमारे विधेयक का उद्देश्य इसी को प्राप्त करना है।

प्रशासनिक शक्तियों के हस्तान्तरण के साथ-साथ सुदृढ़ वित्त व्यवस्था भी होनी चाहिए। विगत में कई बार पंचायती राज ने वित्त के बगैर कार्य किया है, निधियों के बिना उत्तरदायित्व सम्भाले हैं और बगैर किसी साधन के कर्त्तव्य निभाये हैं। इस विधेयक के माध्यम से राज्य विधान-मण्डलों को यह अधिकार दिया गया है कि वे करों के राजस्व के माध्यम से जो कि उनके द्वारा विनियोजित है या उन्हें सौंपी गयी है पंचायतों की सुदृढ़ वित्त व्यवस्था को सुनिश्चित करें तथा इसके साथ-साथ राज्य की संचित निधि में से पंचायतों को सहायतानुदान दें।

राज्य विधानमण्डलों और कार्यकारी अधिकारियों को यह निर्धारित करने में सहायता करने के लिए कौन से करों की पंचायतों को वसूली सौंपी जाये या विनियोजन के लिए अनुमति ली जाए तथा कितनी सहायतानुदान की राशि पंचायतों को दी जाये, समुचित सिफारिशें करने के लिए विधेयक में वित्त आयोग के गठन का प्रस्ताव है।

मैं उन करों को निर्धारित करने के महत्व पर जोर दूंगा जो पंचायतों द्वारा लगाये जाएंगे, एकत्र किए जाएंगे तथा विनियोजित किये जाएंगे। पंचायतों में वित्तीय उत्तरदायित्व की सबसे बड़ी भावना यही होनी चाहिए कि वे उस धन को यथासम्भव अपने पास ही इकट्ठा रखें जिसकी वसूली उन्होंने अच्छे से अच्छा उपयोग करने के लिए की है। संयुक्त अनुदान स्थानीय स्तर के नियोजन के लिए होते हैं। जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से स्थानीय स्तर पर योजना बनाने के लिये विनियोजन का प्राधिकार दिया गया है । अभी तक होता यह था कि विनियोजन को उपकरों तक ही सीमित रखे जाने की प्रवृत्ति थी । हम आशा करते हैं कि राज्य विधानमण्डल इससे और आगे जाएंगे और उन करों, शुल्कों, पथ करों और फीसों का पता लगाएंगे जो पंचायतों द्वारा विनियोजित किए जा सकते हैं।

केन्द्रीय सरकार के रूप में हम स्वयं जो कुछ करने के लिए तैयार हैं उससे अधिक करने के लिए हम राज्य विधानमंडलों से अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से एक शुरुआत हुई है। 80 प्रतिशत धनराशि ग्राम पंचायतों को दी जा रही है। हमारा इस सिद्धान्त को अन्य केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर लागू करने का प्रस्ताव है। अपने स्वयं के विकास में लोगों को शामिल करने के लिए और कोई अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को कम करने के लिए इससे बेहतर और कोई अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। जिस व्यवस्था का हमने प्रस्ताव किया है वह एक पारदर्शी व्यवस्था है। एक गांव में अधिकांश मतदाता विकास की योजनाओं के भावी लाभ भोगी होते हैं। प्रत्येक भावी लाभ भोगी को पता होना चाहिए कि क्या योजनायें उपलब्ध हैं, योजना में कितना धन लगा है। क्या और कैसे धन खर्च किया जा रहा है। कोई भी पंच या सरपंच जो लोगों को धोखा देता है वह लोगों द्वारा निकाल दिया जायेगा। उसके लिए इस भ्रष्टाचार के परिणामों से भागने का कोई रास्ता नहीं है।

अब मैं देश के उन भागों की बात करूंगा जिन्हें हम इस व्यवस्था से मुक्त रख रहे हैं या जिनके सम्बन्ध में सुधार करने हेतु विशेष प्रावधान किये गए हैं। पूर्वोत्तर में एक छितरी आबादी वाला आदिवासी राज्य है— जिसे बगैर किसी सुधार के पंचायती राज को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है। यह अरुणाचल प्रदेश राज्य है। विधेयक में इस बात को मान्यता दी गयी है कि पूर्वोत्तर के अन्य तीन राज्यों नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में जहां पंचायती राज जैसी स्वायत्त शासन वाली पारम्परिक व्यवस्थायें हैं: उन्हें सुरक्षित रखा जाना चाहिए। वस्तुत: शेष देश को नागालैंड के ग्राम विकास बोर्डों का अध्ययन करना चाहिए और उससे शिक्षा लेनी चाहिए। इन तीन राज्यों में पारंपरिक व्यवस्था को बने रहने दिया जायेगा।

इसी तरह छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में, जहां स्वायत्त जिला परिषदें स्थापित की गयी हैं, हम नहीं चाहते हैं कि वहां इतने ध्यान से बनाई गई व्यवस्था को छेड़ा जाए। इसी सिद्धान्त पर हम इस विधेयक को मणिपुर के जिला परिषद क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पर्वतीय जिले में गोरखा पर्वतीय परिषद के क्षेत्रों पर लागू नहीं करेंगे।

जहां तक संघ शासित क्षेत्रों का सम्बन्ध है विधेयक में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह संघ शासित क्षेत्रों के किसी एक भाग या पूरे क्षेत्र में विधेयक के उपबन्धों को निर्धारित कर सकता है, विस्तारित कर सकता है या उसे उपचारित कर सकता है। यह इस तरह से बनाया गया है कि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि यह निकोबार द्वीपसमूह लक्ष्यद्वीप और पांडिचेरी जैसे क्षेत्रों की पारम्परिक या नवजात संस्थानों पर गलत प्रभाव न डाले तथा दिल्ली जैसे संघ राज्य क्षेत्रों की विशेष विशिष्टताओं को ध्यान में रखा जाये।

इसी तरह पांचवीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में यह राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर है (और अपने मंत्रिपरिषद की सहायता तथा सलाह पर नहीं) कि वह ऐसी शर्तों का निर्धारण करें जिससे पंचायती राज इन क्षेत्रों में भी लाया जा सके।

विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया है कि संशोधन के प्रभावी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर ही संविधान के प्रस्तावित नौवें भाग के अनुरूप सभी राज्य विधानमण्डल अपने-अपने राज्य के कानून बनायें। तथापि हम यह बात मानते हैं कि अधिकांश राज्यों में, कुछ में इसी वर्ष हाल ही में, पंचायती राज संस्थायें चुनी गयी हैं। विधेयक में इन पंचायतों को उनकी अवधि के समाप्त होने तक जारी रहने का प्राधिकार दिया गया है यदि राज्य विधानमण्डल अन्यथा फैसला न करें। हम आशा करते हैं कि इस विधेयक के पारित होने तथा राज्य विधान का इसके उपबन्धों के अनुरूप मिलान करने के बीच के अन्तराल का उपयोग राज्य सरकारें नयी व्यवस्था के कार्यकरण पर गहराई से विचार करने में करेंगी।

पंचायतों को उनकी आवश्यकतानुरूप कर्मचारी देने होंगे। हम इस बात का प्रस्ताव नहीं करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पंचायत स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा लिखी जायें बल्कि जिला स्तर पर सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना होगा और उनको बदलते परिवेश में नए उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए प्रेरित करना होगा। हमें जिला स्तर पर अधिकारियों और निर्वाचित पंचायतों के बीच पारस्परिक सम्मान और विश्वास की भावना का निर्माण करना होगा। हमारे लोकतन्त्र में राज्यों और केन्द्र में अन्य स्तरों पर सरकारी

कर्मचारियों और निर्वाचित प्राधिकारियों ने आपसी सहयोग से मिलकर कार्य करना सीख लिया है। इस प्रकार का सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध जिला स्तर पर सरकारी अधिकारियों और पंचायतों के बीच भी होना चाहिए। हमें आशा है कि राज्य सरकारें जिला प्रशासन के विनियमित और विकास कार्यों के बीच दरार पैदा करने का लोभ का प्रतिरोध करेंगी। इसमें समन्वय होना चाहिए क्योंकि यह तो केवल विकासोन्मुख प्रशासन के द्वारा ही हो सकता है कि एक विनियमन अधिकारी कानून और व्यवस्था के संकट को पहले से भांपने या इसके होने पर ठीक करने के लिए आवश्यक सम्पर्क और सम्बन्ध स्थापित कर सकता है।

हम इस बात के प्रति बहुत सजग हैं कि यह विधेयक ग्रामीण भारत में स्वयं को लोकतन्त्र तथा निचले स्तर पर विकास तक ही सीमित रखे। हमें ऐसी ही चिन्ता देश में बढ़ती हुई शहरी और अर्धशहरी जनसंख्या के सम्बन्ध में करनी चाहिए। इस बात के लिए सरकार का लोक सभा के अगले सत्र में एक प्रमुख विधान लाने का प्रस्ताव है।

हम अपना ध्यान सहकारी आन्दोलन को नया रूप देने, उसका नवीकरण और कायाकल्प करने पर देंगे, जिसे पंडित जी ने हमेशा पंचायती राज का एक आवश्यक अंग माना है।

हम इस सभा में इस विधेयक को बगैर किसी पूर्वोदाहरण के काफी विचार-विमर्श और राष्ट्रीय बहस के उपरान्त लाये हैं। हमने सारे देश की पंचायती राज संस्थाओं के दस हजार से अधिक प्रतिनिधियों से परामर्श किया है। हमने पंचायती राज के सम्बन्ध में भारत सरकार के जिला अधिकारियों, मुख्य सचिवों और सचिवों सहित विभिन्न स्तरों पर सरकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की है। हमनें पंचायती राज मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें की हैं। हमने यह वाद-विवाद राजनीतिक स्तरों पर, पार्टी मंचों पर और संसदीय परामर्शदात्री समिति में भी किया है।

हमारे प्रस्ताव आपके सामने हैं लेकिन हमारे दिमाग बन्द नहीं हैं। आने वाले महीनों में हम आशा करते हैं कि इन प्रस्तावों के बारे में सारे देश में व्यापक वाद-विवाद होगा। हम इस तरह की चर्चाओं को विपक्षी दलों और मुख्यमंत्रियों के साथ करने के लिए तैयार हैं। हम नि:सन्देह सभा में रखे गये सुझावों पर पूरा ध्यान देंगे। हम सर्वसम्मति चाहते हैं लेकिन हम किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। हम लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे, हम लोगों के वास्ते लोकतन्त्र के लिए लड़ेंगे, हम लोगों के विकास के लिए लड़ेंगे। हम भारत की जनता के बारे में सबसे अधिक चिन्तित हैं। जो प्रस्ताव हम सभा के समक्ष रखते हैं वे वास्तव में हमारे प्रस्ताव नहीं होते हैं वे भारत की जनता के प्रस्ताव होते हैं। हमने पंचायती राज का यह अनुभव देशभर से एकत्र किया है, अच्छा अनुभव तथा बुरा अनुभव, कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही सरकारों का अनुभव और अन्य दलों द्वारा चलाई जा रही राज्य सरकारों का अनुभव हमारे पास है। इस अनुभव को एकत्र करके इसे मथ दिया गया है। इस मंथन से अमृत निकला है जो हम बांटना चाहते हैं।

हमारा प्रजातन्त्र उस अवस्था में पहुंच गया है जहां लोगों की पूर्ण भागीदारी में और अधिक देरी करना असहनीय है। हमारे ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि हम इस विधेयक को हड़बड़ी में पारित कर रहे हैं। कोई हड़बड़ी नहीं है। कई वर्षों से हम पंचायती राज

पर कई विभिन्न स्तरों पर सुविचारित विचार-विमर्श करते आ रहे हैं। इस देश के जनजीवन में कोई भी व्यक्ति हमारी मंशाओं से अनभिज्ञ नहीं है। हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने संसद की दोनों सभाओं के समक्ष दिये अपने अभिभाषण में इस विषय पर प्रमुख कानून बनाने का उल्लेख किया था जो सरकार आगे लाना चाहती थी। अब हमने वह वायदा पूरा किया है। जो लोग इसे चुनावी आडम्बर कह कर इसकी निन्दा करते हैं, वे ऐसे लोग हैं जिनके सामन्तवादी हित लोगों के पास सत्ता पहुंचने पर समाप्त हो जायेंगे। मैं जब कभी सत्ता के दलालों और सामन्तवादी हितों की बात करता हूं तो इससे हमारे कुछ दोस्तों को गहरी चोट पहुंचती है और उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूं परन्तु यह लड़ाई जनता को मजबूत बनाने के लिए है और विपक्ष द्वारा कही जाने वाली हर बात के बावजूद हम यह लड़ाई लड़ेंगे।

हमें जनता पर भरोसा है। हमें जनता पर विश्वास है। जनता को अपने भाग्य तथा देश के भाग्य का निर्णय करना चाहिए। भारत की जनता के लिए हमें अधिक से अधिक प्रजातन्त्र तथा सत्ता का हस्तांतरण सुनिश्चित करना चाहिए। सत्ता के दलालों का खात्मा होना चाहिए। हमें जनता को सत्ता सौंपनी चाहिए।

वाद-विवाद पर अनुमति देने के लिए हम सभा का सत्र कल तक के लिए बढ़ा सकते हैं और हम कल इस पर बहस कर सकते हैं।

हमने जानबूझ कर इस सत्र में बहस नहीं करने का निर्णय लिया था क्योंकि हमने सोचा था कि मध्यवर्ती अवधि में विपक्ष के लिए बहस करने हेतु पर्याप्त समय होगा क्योंकि हम कांग्रेस हल के लोग इस पर दो वर्ष से चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष ने जनता को अनदेखा कर दिया है। इसलिए हमने सोचा है कि हम अगले सत्र में इस पर बहस करेंगे।

पश्च टिप्पण

XXXIII. **संविधान (चौंसठवां संशोधन) विधेयक, 15 मई, 1989**

1. **गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह)**: उन्हें इसकी चिंता भी नहीं है, उन्हें मतलब भी नहीं है।
2. **श्री एम. रघुमा रेड्डी**: पिछड़े वर्गों का क्या होगा?
3. **श्री अमल दत्ता** (डायमण्ड हार्बर): आप उन्हें 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दें।
4. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** (तामलुक): भूमि सुधारों के बारे में आप क्या कहते हैं।

संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक

7 अगस्त, 1989

सभा को याद होगा कि जब मैंने 15 मई को संविधान (64वां संशोधन) विधेयक पुर:स्थापित किया था, तब मैंने कहा था कि सरकार वर्षाकालीन सत्र में नगरों के स्थानीय विकास के सम्बन्ध में व्यापक कानून लाना चाहती है। अब हम इस वचन को पूरा कर रहे हैं। पिछले सत्र में जो विधेयक मैने पुर:स्थापित किया था, इसका साधारण नाम पंचायती राज विधेयक है, और यह नगरपालिका विधेयक है। मुझे भारी शासकीय नामों के बदले इन परिचित नामों का उपयोग करने की अनुमति दीजिए। नगरपालिका विधेयक पंचायती राज विधेयक का पूरक है। इस विधेयक का विषय दूसरे विधेयक जैसा ही है: अधिकतम लोकतन्त्र और अधिकतम हस्तान्तरण के लिए संवैधानिक अनुमति। जैसे पंचायती राज प्रणाली को हम ग्रामीण भारत के जीवन से सत्ता के दलालों को अलग करने के शस्त्र के रूप में देखते हैं, ठीक इसी प्रकार हम इस विधेयक को भी भारत के नगरीय जीवन से सत्ता के दलालों को दूर करने के शस्त्र के रूप में देखते हैं।

हम इन विधेयकों के द्वारा सत्ता वहीं पहुंचाना चाहते हैं जहां लोकतन्त्र में इसका उचित स्थान है, अर्थात् जनता के हाथों में।

हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में हमारे गणराज्य की स्थापना के बाद लोकतंत्र पर गम्भीरतम प्रहार किया गया है: जनता के कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोक सभा की सदस्यता का परित्याग किया गया। पिछले आम चुनावों में जनता ने कांग्रेस को देश का शासन पांच वर्ष के लिए चलाने के लिए भारी समर्थन दिया था। इसी चुनाव में उन्होंने इन्हीं पांच वर्षों के लिए विपक्षीय स्थानों को ग्रहण करने के लिए कुछ विपक्षी सदस्यों को भेजा था। विपक्ष के सदस्यों का चुनाव यहां सभा में ही सरकार और इसकी नीतियों को चुनौती देने का महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक कार्य करने के लिए किया गया था, न कि बाजारों अथवा समाचार पत्रों में। हम विपक्ष के उन लोकतांत्रिक और स्वतन्त्र विचारधारा वाले ऐसे सदस्यों का आदर करते हैं जो आज हमारे साथ यहां बैठे हैं ताकि वे उन मूलभूत राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों, जो मैं उठाऊंगा, पर लोकतान्त्रिक ढंग से वाद-विवाद कर सकें। इसी प्रकार हमें उन विपक्षी सदस्यों के व्यवहार की निन्दा करनी चाहिए जो लोकतान्त्रिक विचार-विमर्श के इस उच्चतम मंच से चले गए हैं। उन्होंने इस उच्च संस्थान का दुरुपयोग किया है जिसके लिए उनका चुनाव किया गया था। उन्होंने अपने शासनादेश का उल्लंघन किया है। उन्होंने अपने निर्वाचकों को धोखा दिया है। उन्होंने स्वयं लोकतंत्र का ही नाश किया है। उन्होंने संसद में ही लोकतन्त्र का नाश करना क्यों चाहा? मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका मुख्य कारण यह है कि वे यह बात सहन नहीं कर सके कि लोकतन्त्र जनता को सौंप दिया जाये। यदि वे यहीं रहते तो उनकी पोल खुल जाती। वे भाग गए हैं। इससे तो उनकी पोल अभी खुल गई है। एक कठोर स्थिति उनकी प्रतीक्षा कर रही है। निश्चय ही लोग ऐसे लोगों को भूल जाएंगे जिन्होंने 1984 में निर्वाचित होने के पश्चात् अपने स्थानों

से त्यागपत्र दे दिया है। फिर भी इससे हम लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है जो इस सभा में हमारे लोकतन्त्र के आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए यहां बैठे हैं।

संसद और राज्य विधानमंडलों में तब तक लोकतंत्र कमजोर रहता है जब तक कि हमारे लोकतन्त्र की जड़ें उन ग्रामों तथा मोहल्लों में नहीं पहुंचती जहां लोग रहते हैं।

हमारे संविधान में संसद तथा राज्य विधानमंडलों में लोकतंत्र के लिए किए गए उपबन्धों का विस्तृत ब्यौरा है। इसीलिए इन संस्थानों में लोकतंत्र इतने उतार-चढ़ाव के बाद भी फला-फूला है। किन्तु हमारे संविधान में स्थानीय स्वशासी निकायों में संवैधानिक अनिवार्यता नहीं की गई। इसलिए पंचायतों तथा नगरपालिकाओं में लोकतंत्र निचले स्तर पर शिथिल पड़ गया है।

इन दो विधेयकों के साथ हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक भारत रहेगा, निचले स्तर पर लोकतंत्र रहेगा। स्थानीय स्वायत्त शासन में लोकतंत्र राजनीतिक शगल नहीं होगा। इन विधेयकों के द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासनों में लोकतन्त्र एक संवैधानिक अनिवार्यता हो जाएगी, एक ऐसी अनिवार्यता, स्वार्थ या लापरवाही के कारण जिसकी न तो झूठी कसमें खाई जा सकेंगी और न ही उसका उपहास किया जा सकेगा।

हम इस सदन में सभी मुख्यमन्त्रियों से परामर्श के पश्चात् ही आना चाहते थे। किंतु दुर्भाग्य से लोकतांत्रिक चर्चा से परे रहने की उनके हठ के कारण दो को छोड़कर सभी गैर-कांग्रेसी मुख्यमन्त्री चर्चा से दूर रहे। उनमें से बहुतों ने उनके दल के चुने हुए प्रतिनिधियों को नगरपालिका सम्मेलनों में भाग लेने से इनकार कर दिया और मुझे विश्वास है कि उनमें से एक ने उन कुछ प्रतिनिधियों को निलंबित कर दिया जिन्होंने उन चर्चाओं में भाग लिया। उन्होंने अपने अधिकारियों को शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा बुलाए गए नगरपालिका अधिकारियों के सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। हमने अपनी पूरी कोशिश की। उन्हें राष्ट्रीय बहस में शामिल करने के लिए हम जो कुछ कर सकते थे हमने किया। वह कहते हैं कि संविधान में संशोधन करने से पहले सहमति होनी चाहिए किन्तु वह चर्चा में भाग लेने के लिए आने से इनकार करते हैं। बिना बातचीत के सहमति किस प्रकार हो सकती है। उनके असहयोग के बावजूद, स्वतन्त्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि विचार-विमर्श की सर्वाधिक लम्बी श्रृंखला के पश्चात् हम संसद में आए। इस सदन में पंचायती राज और नगरपालिका विधेयकों के साथ आने से पूर्व मैंने स्वयं 25,000 से अधिक जानकार और अनुभवी लोगों के साथ बातचीत की है, जिनमें से अधिकांश लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं।

हमने यह बात कई बार कही है कि वह केन्द्र राज्य का मामला नहीं है। पंचायतों और नगरपालिकाओं को संविधानिक रूप से लोकतांत्रिक बनाया जाना केन्द्र और राज्यों के बीच झगड़े की जड़ क्यों बने? नियमित रूप से चुनाव कराया जाना, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को मनमाने ढंग से निलम्बित किए जाने को समाप्त किया जाना और 6 महीने के अन्दर जन प्रतिनिधियों को पुनः चुने जाना केन्द्र और राज्य के बीच विवाद का विषय क्यों हो? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण केन्द्र और राज्यों के बीच टकराव का विषय नहीं होना चाहिए। वास्तव में यहां केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा केवल हमारे, जो लोगों को शक्तियां देना चाहते हैं और उन राजनीतिक ताकतों

के बीच हैं जो सत्ता को उन सामंतों के हाथ में रखना चाहते हैं जिनका वह प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करने की अपेक्षा हमने संविधान द्वारा निर्मित केन्द्र राज्य सम्बन्धों के ढांचे के मामले में अत्यन्त सतर्कता बरती है। राज्य-सूची की प्रविष्टि 5 को नहीं छेड़ा गया है। राज्य विधानमण्डलों की प्रभुसत्ता धूमिल नहीं हुई। हम संविधान संशोधन कर रहे हैं, राज्य विषय पर नगरपालिका कानून का प्रारूप तैयार नहीं कर रहे हैं। लोगों की उपेक्षा करने के अधिकार को समाप्त किया जा रहा है। जनता की इच्छाओं की खिल्ली उड़ाने के अधिकार को समाप्त किया जा रहा है। सत्ता के दलालों के शासन को समाप्त किया जा रहा है। यह केन्द्र के अधिकारों बनाम राज्य अधिकारों का प्रश्न नहीं है। यह लोगों के अधिकारों का प्रश्न है।

नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने में हम केवल स्थानीय स्वायत्त शासनों से केन्द्रीय परिषद् और महापौर की अखिल भारतीय परिषद् द्वारा पास किए गए संयुक्त प्रस्ताव, जिसमें उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने का अनुरोध किया है, को ही कार्यान्वित कर रहे हैं। इन दोनों निकायों में मन्त्री, महापौर तथा विपक्षी दलों के अन्य चुने हुए प्रतिनिधि शामिल हैं इसमें वह राजनैतिक दल भी शामिल हैं जो आज इस सदन में उपस्थिति हैं तथा वह जो भाग गए हैं। सी.पी.आई. (एम) से लेकर भारतीय जनता पार्टी तथा सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं ने बार-बार नगरपालिकाओं को संवैधानिक मान्यता देने का अनुरोध किया है। जैसाकि शहरीकरण संबंधी राष्ट्रीय आयोग को अपने हाल ही में भेजे गए अभ्यावेदन में सी.पी.आई. (एम) ने महापौर की अध्यक्षता में कलकत्ता निगम में कहा कि:

"निचले स्तर पर लोकतन्त्र से जुड़े एक देश को अपने स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा — मैं उद्धृत कर रहा हूं।

"यह निर्भीक कदम और भी अर्थपूर्ण होता यदि सरकार के विभिन्न स्तरों की भूमिकाओं, कार्यों, उत्तरदायित्वों (वित्तीय तथा अन्य) की संवैधानिक व्याख्या होती।"

मैं उनके इस स्पष्ट निष्कर्ष का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता।

"स्थानीय निकायों को देश के संवैधानिक ढांचे में सही स्थान दिए बिना।"

शहरी समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता।

ऐसा क्या हुआ है कि अब उनका विचार बदल गया? मैं यह प्रश्न एक अलग तरीके से पूछता हूं, अब उनके सिद्धांत क्यों बदल गए हैं। क्या ऐसा इसलिए है कि अब वह विपरीत विचारधाराओं वाले लोगों या ऐसे लोगों के पास रहने में आदी हो गए हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है।

हमने यह दलील भी सुनी है कि निचले स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करने तथा लोगों को शक्ति देने के लिए संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहा जा रहा है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। मेरा यह नम्र निवेदन है कि नगर

पालिका कानून पास करने से अधिक इच्छा शक्ति की जरूरत संविधान में संशोधन करने के लिए होती है। मेरा यह भी नम्र निवेदन है कि हमारे इस संविधान संशोधन से वहां पर आवश्यक राजनीतिक मानस बनेगा जहां पर यह नहीं है। इसमें हम आपसे बेहतर हैं इस रवैये के लिए कोई स्थान नहीं है। भारत में कोई भी दल स्थानीय स्वायत्त शासन में बेदाग रिकार्ड का दावा नहीं कर सकता। इसी प्रकार भारत में ऐसा कोई बड़ा राजनीतिक दल नहीं है जिसने स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए कुछ न किया हो। कुछ कांग्रेसी सरकारों ने दूसरों से अच्छा काम किया है। इसी प्रकार कई बार विपक्षी सरकारों ने औरों से अच्छा काम किया है और कई बार खराब काम किया है, कई बार उन्होंने अपने ही पिछले रिकार्ड से बेहतर काम किया है और कई बार वे अपनी ही उपलब्धियों से नीचे रहे। पंचायती राज और नगर पालिका विधेयकों के प्रति हमारा दृष्टिकोण गैर-पक्षपातपूर्ण है। हमने सभी के अनुभव का लाभ उठाया है। हम सभी के आभारी हैं। अब हमने एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया है जो नगर पालिकाओं जो हमारी संवैधानिक संरचना की आधारशिला है, को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का स्वरूप प्रदान करता है।

यह पता लगाने के बाद कि पंचायती राज और नगर पालिका विधेयकों के लिए जनमत तैयार हो चुका है एक विपक्षी दल ने अब संवैधानिक संशोधन के लिए एक वैकल्पिक प्रस्ताव रखा है। इस प्रकार के संशोधन प्रस्तुत करने का सही मंच इस सभा का पटल है। क्योंकि इस प्रकार के वैकल्पिक संशोधन प्रस्तुत करने वाला मुख्य दल अपने लोकतांत्रिक दायित्वों से पीछा छुड़ाकर भागा है, इसलिए उनके प्रस्तावों पर तो विचार भी नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं कि दूसरे सदन में क्या होता है, जहां वह इस सदन में किए गए आचरण के विपरीत अपनी सीटों से घोंघे की तरह चिपके हुए हैं।

विपक्ष में ऐसे शुद्धवादी भी हैं जो यह कहते हैं कि वह किसी भी परिस्थिति में स्थानीय स्वायत्त सरकार के लिए संवैधानिक उपबन्धों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। इस शुद्धता पर इस परिप्रेक्ष्य में प्रश्नचिह्न लग जाता है कि हाल ही में फरवरी, 1989 में स्थानीय सरकारों की केन्द्रीय परिषद तथा मेयरों की अखिल भारतीय परिषद तथा आंध्र प्रदेश की तेलुग देशम सरकार, केरल की वामपन्थी मोर्चा सरकार तथा कलकत्ता के सी.पी.आई. (एम) महापौर, जो पश्चिम बंगाल की वामपन्थी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, की संयुक्त बैठक में नगर पालिकाओं के सम्बन्ध में एक संवैधानिक संशोधन की मांग करते हुए संकल्प पारित किया।

राष्ट्रीय मोर्चा या फिर कहें कि इस नाममात्र के मोर्चे के अन्य घटक भी हैं जिन्होंने 11वीं संयुक्त बैठक में देश में सभी नगरपालिकाओं के लिए समान संविधि बनाए जाने की मांग की थी। संवैधानिक संशोधन लाए बिना समान संविधि कैसे बनायी जा सकती है? और यदि एक क्षण के लिए यह मान भी लें कि कानूनी हेर-फेर करके ऐसा किया जा सकता है फिर भी संवैधानिक संशोधन और नगर पालिका संविधि के बीच आवश्यक अंतर तो रहेगा ही। संवैधानिक संशोधन के परिणाम अपरिहार्य हैं। हमने जो प्रस्ताव रखें हैं उनसे स्थानीय निकायों में भी लोकतंत्र की स्थापना होगी। इसके विपरीत कोई भी आदर्श विधेयक राज्य विधानमण्डलों पर अनिवार्यत: लागू नहीं होगा और इससे किसी पार्टी के व्यक्ति के कारण कोई परिवर्तन नहीं आएंगे। यदि

हम सचमुच नगर पालिकाओं में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है।

नगरपालिका विधेयक के आरम्भ में ही कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनता के भी वही लोकतांत्रिक अधिकार और जिम्मेदारियां हैं जो हम पंचायती राज विधेयक के माध्यम से ग्रामीण भारत की जनता को देना चाहते हैं।

भारत की एक चौथाई आबादी शहरों में रहती है। इस शताब्दी के अंत तक यह संख्या एक तिहाई हो जाएगी तथा उसके बाद कुछ दशकों में हो सकता है आधी आबादी शहरों में रहने लगे। आबादी के इस रुख को हमें स्वीकार ही नहीं करना चाहिए, वरन् इसे बढ़ावा भी देना चाहिए। हमारे शहरीकरण के ढांचे में यह त्रुटि नहीं है कि नगरों और शहरों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही वरन् यह है शहरीकरण का रुख व्यवस्थित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग शहरों की ओर ही आकर्षित हो रहे हैं। इससे बड़े शहरों के संसाधनों पर काफी बोझ पड़ता है और जिन ग्रामीण क्षेत्रों से वे लोग आते हैं, वहां कुछ फायदा नहीं होता। जरूरत इस बात की है कि शहरीकरण के इस रुख को व्यवस्थित किया जाए। हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक जिले में छोटे-बड़े नगर बढ़ते रहें जिनमें आस-पास के गांवों की काफी आबादी आकर बसे। इस तरह योग्य और उद्यमी लोग काफी हद तक जिलों में ही रहेंगे। शहरीकरण ग्रामीण आवश्यकताओं से संबद्ध होगा। शहरों को ग्रामीण क्षेत्रों से अलग न करके उनके साथ पूर्ण समन्वय बनाया जाएगा।

भारत का गांवों और शहरों में विभाजन ही स्वशासी शासन की उपनिवेश प्रणाली की हमें सबसे बुरी देन है। 107 वर्ष पूर्व अंग्रेजों ने स्थानीय शहरी स्वशासन की प्रणाली शुरू की थी तब भारत के शहरों को भिन्न भूमिका अदा करनी थी जबकि हम उनके लिए दूसरी ही भूमिका का प्रस्ताव कर रहे हैं। तत्कालीन उपनिवेशी सरकार ने भारत के शहरों को ही विदेशी अंत: क्षेत्र माना, जहां वे आस-पास की वास्तविकता से आंखें मूंद कर आराम से रह सकते थे। उन्होंने यह माना कि जल निकासी सुविधा, पेयजल, सड़क पर प्रकाश और सड़कों की समाज की जरूरत केवल उन्हीं लोगों और उनके चमचों की ही थी। यह माना गया था कि भारत के गांवों में नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराना जरूरी नहीं है।

आजादी के चार दशकों के बाद वास्तविकता बदल चुकी है लेकिन ढांचा वही है। कानून के अनुसार यह जरूरी है कि सभी मान्यताप्राप्त शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं किन्तु शहरी स्थानीय निकायों के लिए यह एकदम असंभव हो गया है कि वे उनके लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। दूसरी तरफ, भारत की ग्रामीण जनता की यह मांग उचित ही है कि उन्हें भी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और उन्हें ये सुविधाएं अब मिल भी रही हैं।

हमें भारत के उपनिवेशी विभाजन, जो गांवों और शहरों के रूप में किया गया है, से मुक्त होना होगा। हमें ग्रामीण और शहरी भारत के स्थान पर एक मिले-जुले भारत का निर्माण करना होगा जहां लोकतंत्र रूपी रुद्राक्ष माला में सुदूर गांवों और महानगरों दोनों ही के लोग हों।

दूसरे, नगरपालिका प्रशासन की उपनिवेशवादी प्रणाली में विकास योजनाओं और विकास गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं था। जब पंडित जी ने उपनिवेशी शासन में की गई गांवों की उपेक्षा को दूर करने के लिए पंचायती राज की स्थापना की, तब उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना था। यद्यपि वर्षों उपरांत पंचायती राज संस्थाओं का ह्रास हो चुका है किंतु सिद्धांतत: अब भी वे विकास का प्रमुख माध्यम है। इसके विपरीत नगर पालिकाएं बुझ चुकी हैं और विकास में उनकी कोई भूमिका नहीं है। भारत का विकास शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की योजनाएं बनाए बिना संभव नहीं है। संभवत: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच के क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाना ही द्रूत विकास का मुख्य स्रोत होगा।

तदनुरूप विधेयक के पहले अध्याय में गांवों के शहरों के रूप में विकसित हो रही आबादियों के बारे में जिक्र किया गया है।

ऐसी बस्तियों की संख्या बहुत ज्यादा है। देश के अधिकतर भागों में ऐसी बस्तियों को इस समय शहरी बस्तियां कहा जाता है और उन्हें गांवों के क्षेत्राधिकार से बिल्कुल अलग रखा जाता है। किन्तु हमारा प्रस्ताव है कि अव्यवहार्य शहरी स्थानीय निकायों के प्रचुर मात्रा में बनाये जाने के स्थान पर नगर पंचायतें ग्रामीण प्रशासन और शहरी प्रशासन दोनों का लाभ उठाएं। इन निकायों के नाम से ही इस पर बल दिया गया है। अर्थात् इन्हें शहरों की मान्यता दिया जाना और इन्हें गांवों से जोड़े रखना। नगर पंचायतों को शहरी और गांवों दोनों से शक्तियां प्राप्त हैं और दोनों की ही जिम्मेदारी भी उन पर है। नगर पंचायतें जो योजना बनाएंगी वे ग्रामीण बस्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी। नगर पंचायतों को मान्यता दिए जाने और उनको बढ़ावा देने से गांवों में रहने वाले उन लोगों को आकर्षित किया जा सकेगा, जिन्हें गांव पूरा रोजगार देने में असमर्थ है जबकि वे वहीं गांव में रह सकते हैं और गांव तथा शहर के लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, जो लोग अपने पूर्वजों के गांव से हट कर जोखिम उठा सकते हैं, वे इसका लाभ ले सकते हैं। झूठी प्रतिष्ठा के खोखले प्रतीकों के स्थान पर, जैसी कि छोटी नगरपालिकाएं इस समय हैं, नगर पंचायतें विकास का प्रतीक बनेंगी।

हमें आशा है कि प्रत्येक जिले में एक या कुछ नगर पंचायतें अच्छी नगर पालिकाओं के रूप में विकसित होंगी। ग्रामीण क्षेत्र के आसपास कई बस्तियां बनाने से हम महानगरों तथा खेती पर बोझ कम कर पायेंगे। ऐसी बस्तियों के निर्माण से ही हम शहरीकरण को व्यवस्थित करना चाहते हैं। यही बस्तियां अन्तत: औद्योगिक विकास केन्द्रों के केन्द्र बिन्दु के रूप में उभरेंगी। इस तरह हम शहरी संबंधी राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशें और विकास केन्द्रों की हमारी योजना को एकाकार कर पाएंगे।

अब हम यह देखेंगे कि नगरपालिकाओं में विकेंद्रित लोकतन्त्र पंचायतों में विकेन्द्रित लोकतन्त्र की तुलना में कैसा कार्य करता है।

ग्राम पंचायतों में लोकतंत्र की दो विशेषताएं हैं।

पहली बात तो यह कि प्रत्येक मतदाता निर्वाचित प्रतिनिधि से व्यक्तिगत सम्पर्क रखता है

तथा उसके पास आसानी से जा सकता है क्योंकि प्रत्येक पंचायत औसतन 100 से 500 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरे प्रत्येक पंच की आवाज का पंचायत में अपना बहुत अधिक महत्व होता है। मतदाता और चुने हुए प्रतिनिधि के बीच व्यक्तिगत सम्पर्क तथा चुने गए निकाय मे चुने गए प्रतिनिधि का महत्व - यह इन दो बातों का संयोजन है - जोकि राजनीति से सत्ता के दलालों को हटाने कि दिशा मे उठाया जाने वाला पहला आवश्यक कदम है ।

पंचायती राज के तीन स्तरों अर्थात् ग्राम खण्ड और जिला की तुलना में हमारे यहां अब तक केवल एक सिर्फ नगर प्रशासन रहा है। यह पद्धति छोटे कस्बों में बहुत ही संतोषजनक रही है क्योंकि वार्ड छोटे हैं और नगर परिषद् सफल हैं। जैसे ही कस्बों की आबादी बढ़ती है तो मतदाता और उसके प्रतिनिधि के बीच दूरी बढ़ जाती है, और नगरपालिका के सदस्यों की संख्या भी बढ़ जाती है। जैसे ही कस्बे शहरों में और शहर महानगरों में बदल जाते हैं वार्ड का मध्यम आकार 30,000 और उससे भी अधिक बढ़ जाता है, दिल्ली के एक वार्ड के मामले में तो यह संख्या दो लाख से भी अधिक बढ़ गई है। निगम के सदस्यों की संख्या भी बढ़कर लगभग 150 तक हो गई है।

शहरों में मोहल्लों तथा पड़ोस में जहां वे रहते हैं लोकतन्त्र को लोगों के नजदीक लाने के लिए नगरपालिका विधेयक में दो बातें कही गई हैं। इन दो नए मुद्दों के कार्य क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हैं। उन्हें वर्तमान अनौपचारिक व्यवस्थाओं और प्रशासनिक ढांचों पर तैयार किया है।

एक लाख या उससे अधिक की आबादी वाले कस्बों में हमारा प्रस्ताव है कि सीधे चुनाव के द्वारा वार्ड समितियों का गठन किया जाये जिन्हें नगरपालिकायें स्थानीय शक्तियां और स्थानीय जिम्मेदारियां सौंपे और इन कार्यों को करने के लिए वे उन्हें जरूरी धन प्रदान करें। वार्ड कमेटी के क्षेत्राधिकार और उसके जनसंख्या के आकार का निर्णय हमने राज्य विधानमंडलों पर छोड़ा है। हम आशा करेंगे कि वार्डों की कमेटी का क्षेत्राधिकार सफल रूप में पर्याप्त होगा जिसमें नागरिकों को यह लगे कि वे अपने पड़ोस के कार्यों में व्यक्तिगत रूप में जुड़े है और वार्ड हित की अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए वह चुने गए प्रतिनिधियों के पास आसानी से पहुंच सकें। वार्ड का पार्षद अपने क्षेत्र की वार्ड समिति का सदस्य होगा और वह वार्ड और नगरपालिका के बीच सम्पर्क का काम करेगा।

तीन लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों के सम्बन्ध में हमारा प्रस्ताव है कि वार्ड कमेटियों के अध्यक्षों की एक जोनल कमेटी बनाई जाये। ज़ोनल कमेटियों के क्षेत्राधिकार और जनसंख्या के आकार का निर्णय भी हमने राज्य विधानमण्डलों पर छोड़ दिया है। जोनल कमेटियों को नगर निगमों द्वारा धन दिया जायेगा।

बड़ी नगरपालिकाओं में दो टियर वाला नागरिक प्रशासन और नगर निगमों के नागरिक प्रशासन में तीन टियर प्रशासन लागू करने का एक बडा लाभ यह होगा कि इससे नगर परिषद

और नगर निगम के सदस्य नगर स्तर के मामलों, शहर के ढांचे के नीति सम्बन्धी मसलों, आर्थिक और सामाजिक विकास, पड़ोसी नगरपालिकाओं से संपर्क तथा जिले भर के आर्थिक कार्यकलाप के मामलों को देख सकेंगे।

अब तक, प्रभावकारी प्रतिनिधित्व स्थानीय स्व-शासन के न होने पर हमारी व्यवस्था में स्पष्ट रूप से विकार पैदा किया है। यदि मोहल्ले में एक नाली बन्द हो जाती है तो उस नाली को खुलवाने के लिए वार्ड पार्षद, नगरपालिका के प्रेसीडेंट, विधायक और संसद सदस्य तथा स्थानीय मंत्री इन सभी के पास जाना पड़ता है। कभी-कभी नाली को खुलवाने के लिए प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ जाती है।

इस प्रकार के विकार को समाप्त करने के लिए व्यवस्थित तरीके से परिवर्तन किये जाने की जरूरत है जिससे कि प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व के अपने स्तर पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

वार्ड कमेटियों की स्थापना से मोहल्ले और बस्तियों के लोग अपने मामलों में शामिल हो सकेंगे। इससे सार्वजनिक रूप से उत्साहित नागरिकों को अपने क्षेत्र की सेवा करने के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। इससे समस्याओं के बारे में स्वयं लोगों के विचारों और उनके द्वारा सुझाए गए समाधानों पर ध्यान केन्द्रित करने में सहायता मिलेगी। इससे स्थानीय लोगों का इन कार्यों में सहयोग मिलेगा और स्थानीय विकास के लिए स्थानीय संसाधन प्राप्त करनेमें सहायता मिलेगी। इससे स्वैच्छिक संगठनों को एक पड़ोसी मंच मिलेगा जहां विचारों का अदान प्रदान हो सकेगा और नागरिक कार्यवाही की संभावना का पता लगाया जा सकेगा। तब सही मायनों में वह शहर लोगों का होगा।

शहर के कमजोर भागों में इसके महत्व को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता। आज, गैर-मान्यता प्राप्त और आवंटित भागों की परवाह नहीं की जाती है। वे दोनों मिलकर गन्दी बस्तियां बनाकर उनमें इकट्ठे रहने लग जाते हैं। वे गैर मान्यताप्राप्त हैं क्योंकि वे अवैध कब्जा करते हैं। वे उस भयानक क्षण की प्रतीक्षा करते हैं जब उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा। वहां से हटा दिये जाने के बाद, वे किसी और स्थान पर बसने के लिये स्वयं कहीं और गन्दी बस्ती बना लेते हैं और वे अवश्य बनाते हैं। क्योंकि वे अवैध कब्जा करते हैं इसका अर्थ यह नहीं वे कहीं पर बसे नहीं। वे ऐसा करते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए वे गन्दी बस्तियों के बदमाशों के संरक्षण में आ जाते हैं जो उन्हें डराते धमकाते हैं लेकिन, बदले में, सुरक्षा प्रदान करने की पेशकश करते हैं। आवंटित लोगों के बच्चों को समाज के अपराधी वर्ग में मिला लिया जाता है। वार्ड कमेटियां इन अभागे बच्चों को नई सुबह की नई आशा दिखाती है। मोहल्ला स्वयं इनकी देखभाल शुरू कर सकता है। मोहल्ले के चुने गये प्रतिनिधि मोहल्ले के हितों की देखभाल करेंगे। मोहल्ला अब अन्य लोगों की दया पर निर्भर नहीं करता है। गन्दी बस्ती के बदमाशों के स्थान पर अब मोहल्ला पंचायत अर्थात वार्डों की कमेटी बनेगी।

हमने यह सुनिश्चित किया है कि वार्ड के पार्षद और नगर निगम सदस्य वार्ड कमेटियों से संपर्क रखें। इससे उन्हें स्थानीय स्तर की समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही उस नीति सम्बन्धी अधिकार प्रश्नों पर विचार करने की स्वतन्त्रता रहेगी।

पंचायतों का हर पांच वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव सुनिश्चित कराने का देशभर में स्वागत किया गया है। इस विधेयक के द्वारा यह प्रावधान हम नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में भी कर रहे हैं । लोगों ने इस बात का भी स्वागत किया है कि भंग की गयी पंचायतें सीधे चुनाव करके छह महीने के अन्दर गठित की जायेंगी। हम इस प्रावधान को नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में भी इस विधेयक के द्वारा लागू कर रहे हैं।

सामाजिक न्याय का यह तकाजा है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाये। हमने पंचायतों में यह सुनिश्चित किया है। नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में भी हम यह व्यवस्था कर रहे हैं।

हमारे समाज का कोई भी वर्ग महिलाओं से अधिक उत्पीड़ित, शोषित तथा उपेक्षित नहीं है। प्रत्येक वर्ग समूह या समुदाय में महिलायें उस समूह के प्रति उन सभी उत्पीड़नों को सहती हैं और इसके अतिरिक्त उन्हें लिंग भेदभाव के परिणामों को भी भुगतना पड़ता है। तथापि आर्थिक जीवन, सामाजिक कल्याण का दायित्व, सांस्कृतिक निरंतरता और नैतिक स्तरों को बनाये रखने में उनका योगदान जनसंख्या में उनके भाग से कहीं अधिक है। हमें महिलाओं को स्थानीय स्व-शासन की मुख्यधारा में लाने के लिए एक ठोस शुरुआत करनी चाहिए। यह प्रस्ताव किया गया है कि औरतों के लिए नगरपालिकाओं में उसी तरह आरक्षण रखा जाये जैसे कि पंचायतों में रखा जाता है।

अब मैं शहरी स्थानीय निकायों की बात करता हूं। नगरपालिकाओं के पारम्परिक जन कार्य यदि हमेशा पूरी तरह कार्यान्वित भले ही नहीं हुए हों तो भी वे सर्वविदित हैं और सबको उनकी समझ है। हम चाहेंगे कि नगरपालिकायें केवल जन सुविधाएं देने से भी कहीं अधिक कार्य करें। उन्हें शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए विशेषरूप से बनाये गये कार्यक्रमों सहित स्थानीय विकास के लिए योजनायें बनाने में परियोजनाओं तथा काय्रक्रमों के कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाने की शक्ति दी जानी चाहिए।

यह लोगों को अपने विकास कार्य में शामिल होने तथा भाई-भतीजावाद वाली धारणा को हटाने का एकमात्र रास्ता है। वास्तविक उत्तरदायित्व वास्तविक आशाओं को बढ़ावा देगा तथा निचले स्तर पर संसाधनों की कमी को समझने में सहायता करेगा। नगरपालिका सदस्य तथा जो उन्हें चुनते हैं उन्हें वैकल्पिक विकल्पों में से चुनने को जरूरत तथा अतिरिक्त मांगों से निपटने के लिए अतिरिक्त संसाधनों को एकत्र करने की जरूरत को जानना चाहिए। साथ ही आयोजना प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी से ऐसी योजनाएं बन पायेंगी जो स्थानीय आवश्यकताओं तथा स्थानीय आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगी। लोगों के लिए क्या अच्छा है, की आयोजना केवल कुछ नौकरशाहों की इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। यह फैसला तो स्वयं लोगों को करना है कि उनके लिए क्या अच्छा है।

मैं विशेषरूप से कहना चाहूंगा कि नगरपालिका विधेयक, पंचायती राज विधेयक की ही तरह इस बात पर जोर देता है कि स्थानीय निकायों द्वारा आयोजना न केवल आर्थिक विकास के लिए होनी चाहिए बल्कि सामाजिक न्याय के लिए भी होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी स्थानीय निकाय द्वारा आर्थिक विकास के लिए बनायी गयी योजना तब तक वैध

नहीं होगी जब तक कि इसके सामाजिक न्याय वाले घटक का योजना में विशेषरूप से ध्यान नहीं रखा गया हो। अत: सामाजिक न्याय की योजना प्रक्रिया के एक भाग के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए बल्कि इसे अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए।

संसाधनों के बगैर आयोजना लापरवाही का द्योतक है। दूसरी तरफ उपलब्ध संसाधनों की पूर्ण जानकारी पर आधारित आयोजना तथा इसके लिए यथा संभव अपने आप पैदा किये गये संसाधनों का सहारा लेना उत्तरदायी आयोजना की अनिवार्य शर्त है। हमारा प्रस्ताव है कि नगरपालिका वित्त व्यवस्था की समीक्षा तथा ऐसे सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए जिनके आधार पर नगरपालिकाओं की अच्छी वित्त व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके, प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। जैसे कि पंचायती राज संस्थाओं के मामले में होता है इसमें सहायता अनुदान के अतिरिक्त नगर पालिकाओं के लिए कुछ करों को देने या उनके विनियोग की बात भी शामिल है। हमें आशा है कि वित्त आयोग उत्तरोत्तर नगर पालिकाओं की अधिकाधिक करों, शुल्कों और राजस्वों के विनिमय के लिए वित्तीय उत्तरदायित्व सौंपेगा क्योंकि जब एकत्र किये गये राजस्व तथा व्यय किये गए राजस्व में तालमेल स्थापित किया जाता है तो स्थानीय निकाय वित्तीय उत्तरदायित्वों को निभाने में सबसे अधिक समर्थ होते हैं।

नि:संदेह हम यह बात मानते हैं कि कोई भी नगरपालिका अकेले अपने आप जुटाये गये संसाधनों से नहीं चल सकती है। वित्तीय उत्तरदायित्व तथा वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए एक अतिरिक्त उत्प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहन अनुदानों की एक व्यवस्था आवश्यक है।

नगरपालिकाओं के लिए स्थानीय विकास के लिए संसाधनों का पता लगाने की अभी गुंजाइश है। उन्हें पूंजी संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बशर्ते कि उनकी नगरपालिका के ऋण को चुकाने की क्षमता को ध्यान में रखा जाये। विशेषरूप से आवास संबंधी मामलों में नगरपालिकाओं और शहरी विकास से निपटने में विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण और कृषि विकास बैंक की तरह एक पुनर्वित्त निकाय की भी आवश्यकता है। हम इन संभावनाओं का अध्ययन कर रहे हैं।

पंचायती राज विधेयक में आयोजना के लिए अधिकार तथा जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने की बात है नगरपालिका विधेयक में भी यही बात नगरपालिकाओं के लिए है। कोई भी जिला पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से मिलकर बना होता है। अत: यह आवश्यक है कि सारे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने से पहले विभिन्न पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए तथा सुसंगत बनाने के लिए एक तन्त्र हो।

इससे हम ग्राम और शहर को साथ-साथ लेकर चलने वाले अपने उसी चल रहे विषय पर वापस आ जाते हैं। उपनिवेशवाद ने कृत्रिम क्रम से ग्रामीण-शहरी विभाजन पैदा किया है। लोकतन्त्र तथा शक्तियों के हस्तांतरण से ग्रामीण और शहरी व्यवस्था को एक-दूसरे से तालमेल स्थापित करना चाहिए ताकि समूचा जिला, नगरों में होने वाली आयोजना से देहातों में अधिक

लाभदायक खेती के तरीकों को बढ़ावा देकर ऊंची कृषि उत्पादकता, अधिक आय और अधिक रोजगार से, समृद्ध हो जाये तथा इसकी और शहरी समृद्धि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सम्पर्क से तथा जिले में अन्य शहरी व्यवस्थाओं के सम्पर्क से और बढ़ेगी। हमें समूचे जिले के समन्वित विकास के फायदों के प्रति जागरूकता तथा अभिज्ञेयता पैदा करनी चाहिए।

अत: यह प्रस्ताव किया जाता है कि इन कार्यों को करने के लिए नगरपालिका तथा पंचायतों की एक संयुक्त समिति बनाई जाये। समिति के सदस्यों को जिला पंचायत तथा नगरपालिका के सदस्य अपने ही सदस्यों में से ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर चुनेंगे। समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा। इस प्रकार जिला विकास योजना में केवल पंचायत और नगरपालिका द्वारा बनायी गयी योजनाओं के सामाजिक न्याय वाले घटक ही शामिल नहीं होंगे। इसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों की अपनी जनसंख्या के अनुपात के आधार और समिति में महिलाओं की 30 प्रतिशत सदस्यता के साथ-साथ पूरी भागीदारी होने पर ही तैयार किया जायेगा और अन्तिम रूप दिया जायेगा।

महानगरीय क्षेत्रों के लिए नगरपालिका विधेयक में उनकी पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के विकास को समेकित करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव किया गया है और इसमें महानगर क्षेत्र के समूचे विकास की योजना भी शामिल है। कम से कम दो तिहाई सदस्यों को नगरपालिकाओं के सदस्यों में से और महानगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले पंचायतों के अध्यक्षों में से निर्वाचित करने का प्रावधान कर हमने समिति में लोकतन्त्रीय प्रतिनिधित्व को सुरक्षित बना लिया है। क्षेत्र एक तिहाई सदस्य, महानगरीय क्षेत्र के इस ओर विशेष रुचि रखने वाले अधिकारी में से और साथ ही सरकारी प्रतिनिधियों और ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में से बनाये जा सकते हैं।

पंचायती राज विधेयक प्रस्तुत करने के पश्चात्, होने वाली राष्ट्रीय स्तर की बहस में इस बात की आशंका व्यक्त की गई है कि स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से राजनीतिक संस्था में अपराधी और समाजविरोधी तत्व आ सकते हैं। इस प्रकार की आशंकायें बेबुनियाद नहीं हैं। हमने विगत में व्यक्तियों के अनेक उदाहरण देखें हैं जोकि स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में खड़े होने के योग्य होने पर भी विधान परिषद अथवा संसदीय चुनावों के लिये अयोग्य ठहरा दिये गये हैं। विधान परिषद और संसद में इस प्रकार के व्यक्तियों के प्रवेश पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। पंचायतों और नगरपालिकाओं की सदस्यता के अयोग्य ठहराये जाने के सम्बन्ध में इसमें कुछ भी नहीं कहे जाने से राज्य के कानूनों में भी ऐसी कमियां और बचाव के रास्ते रह गए हैं जिसके द्वारा स्थानीय संस्थाओं में इस प्रकार के असामाजिक तत्व प्रवेश पा गए हैं। हम इस त्रुटि को दूर कर रहे हैं। सभा में प्रस्तुत इस विधेयक में विधान परिषदों और संसद के सन्दर्भ में वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं की सदस्यता के लिये अयोग्यता और विधान द्वारा निश्चित अयोग्यताओं की चर्चा की गयी है। इसका अर्थ यह है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के सन्दर्भ में गत दिसम्बर में हमारे द्वारा अयोग्यताओं से संबंधित जो भी संशोधन लाया गया वे सब पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव लड़ने

वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगे। हमारे विधेयक में राज्य विधानमंडलों द्वारा स्थानीय रूप से आवश्यक अन्य अयोग्यताओं को लागू किये जाने का प्रावधान किया गया है।

जिन संवैधानिक संशोधनों पर विचार करने की सिफारिश मैं आपसे कह रहा हूं वह विकास का प्रथम स्तर है। इसे राज्य विधानमंडल तक विकास के द्वितीय चरण में और प्रशासनिक कार्यान्वयन के तीसरे चरण तक अवश्य ले जाना चाहिए। इस नई पद्धति के अनेक मुद्दे बाद के स्तर पर सुलझाये जा सकते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना, खुले रूप में पंचायतों के कामकाजों को करना और अपने निर्णयों से जनता को अवगत कराना, निर्वाचन सूची के सम्बन्ध में जन सूचना जारी करना और विभिन्न कार्यक्रमों के विस्तृत ब्यौरे जैसे, जवाहर रोजगार योजना, इसके लिये किये गये कार्यों के विस्तृत ब्यौरे, सम्पन्न व्यय और लाभ प्राप्तकर्ताओं के नामों आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों को उचित रूप से अधिक महत्व दिया गया है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें संवैधानिक संशोधन द्वारा हल नहीं किया जा सकता है बल्कि इन्हें बाद के स्तरों पर हल किया जाना चाहिए। हम आशा करते हैं कि राज्य विधायिका, इसके अन्तर्गत बनाये गये नियम और जारी किये गये सरकारी आदेश न सिर्फ इन संशोधनों के अक्षरश: अनुरूप होंगे बल्कि पंचायतों और नगरपालिकाओं के पुनर्नवीनीकरण पर विश्वास कर हमारे लोगों ने इससे जो बड़ी-बड़ी आशायें लगा रखी हैं इसे पूरा करने के लिए ये सृजनात्मक रूप से इसकी व्याख्या भी करेंगे। जिले में कार्यरत सरकारी एजेंसियों, जिला प्रशासन और निर्वाचित अधिकारियों की देख-रेख में सारी व्यवस्था को लाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। स्थानीय निकायों में कार्यरत सरकारी सेवकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पंचायतों और नगरपालिकाओं को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि का और उचित संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। ये सभी ऐसे कार्य हैं जिनमें संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच सहयोग स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। हम सहयोग के लिए हमेशा तैयार हैं। जनता उन राज्य सरकारों को कभी माफ नहीं करेगी जो सहयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार हमारा कार्य सिर्फ इन विधेयकों पर विचार करके और उन्हें पारित करके ही समाप्त नहीं होता है। हम आशा करते हैं कि एक प्रबल जनमत और सतर्कतापूर्वक की गई निगरानी यह विश्वास दिला देगी कि हमारे इरादों पर पूरी तरह से विश्वास किया गया है।

इस सभा में हमारे द्वारा लाये जाने वाले संवैधानिक संशोधन विधेयकों द्वारा किसी भी तरह से निम्नतम स्तर पर किये जाने वाले परिवर्तनों की समाप्ति नहीं होती है। आगामी लोक सभा में, हम सहकारी आन्दोलन का पूरी तरह से पुनर्गठन करने की आशा रखते हैं जोकि उच्च वर्ग के प्रभुत्व कुप्रबंध, भ्रष्टाचार के कारण देश के अनेक भागों में संकटपूर्ण स्थिति में है।

पंचायतों के सन्दर्भ में अपने अधूरे काम के प्रति भी हम सचेत हैं क्योंकि अभी तक हमने न्याय पंचायतों की शुरुआत नहीं की है। इसी प्रकार भारत के शहरी क्षेत्रों में हमें शीघ्र न्याय दिलाने हेतु अनुकूल प्रशासन का निर्माण करना है। नौवीं लोक सभा में हमारी सरकार द्वारा इस कार्य को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी।

यह एक ऐतिहासिक क्षण है। यह परिवर्तन का क्षण है। हमारे द्वारा लिया जाने वाला निर्णय हमारे लोकतन्त्र के भाग्य का निर्माण करेगा। हम यहां इस सभा में अपने लोगों की इच्छानुसार निर्वाचित हुये हैं। जनता के पास भी हमें अपने पद पर बने रहने की पुन: स्वीकृति लेने जाना होगा।

पांच वर्ष पहले हमने लोगों से सरकारी ढांचे में निम्नस्तर पर परिवर्तन लाकर इसे अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, अधिक उत्तरदायी बनाने का वायदा किया था।

40 वर्षों पहले संविधान अपनाये जाने के पश्चात् अब हम व्यवस्थित ढंग से होने वाले सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन के कगार पर खड़े हैं।

इन दो विधेयकों के साथ हम लोगों को अधिकार प्रदान करने के अपने वायदे को दोहराते हैं। जनता हमारे साथ है।

अब मैं संवैधानिक (पैंसठवां संशोधन) विधेयक, 1989 पुर:स्थापित करने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

पश्च टिप्पण

XXXIV. संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक, 7 अगस्त, 1989

कोई टिप्पण नहीं।

कृषि पैकेज के बारे में वक्तव्य

12 अक्तूबर, 1989

माननीय अध्यक्ष महोदय, सैंतीस वर्ष पहले इस सदन में बोलते हुए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था:

> "हम उद्योग को निश्चित रूप से महत्व देते हैं: परन्तु वर्तमान संदर्भ में हम कृषि एवं खाद्य तथा कृषि संबंधी मामलों को कहीं अधिक महत्व देते हैं।
>
> यदि हमारा कृषि आधार सुदृढ़ नहीं है तो जिस उद्योग का हम निर्माण करना चाहते हैं, उसका आकार भी मजबूत नहीं होगा। इसके अलावा, आज देश में ऐसी स्थिति है कि यदि हम खाद्य के मोर्चे पर असफल होते हैं तो अन्य हर जगह हम असफल साबित होंगे। अत: हम खाद्य के मोर्चे को कमजोर नहीं कर सकते। यदि हम अपना कृषि का मोर्चा सुदृढ़ बना लेते हैं, जैसी कि हमें आशा है, तो औद्योगिक मोर्चे पर तेजी से उन्नति करना हमारे लिए अपेक्षाकृत अधिक सरल होगा। दूसरी ओर, यदि हम औद्योगिक विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित करें और कृषि को कमजोर हालत में छोड़ दें तो अन्ततोगत्वा हमारा उद्योग भी कमजोर होगा। यही कारण है कि कृषि और खाद्य की ओर प्राथमिक रूप से ध्यान दिया गया है और मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में भारत जैसे देश में यह आवश्यक है।"

सैंतीस साल बाद हमारे लिए यह दोहराने का समय आ गया है कि हमें किसान, कृषि, कर्म, खाद्य एवं कृषि को अपनी अर्थव्यवस्था की आधारशिला के रूप में अवश्य ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। इन सैंतीस वर्षों में बहुत कुछ हुआ है। अब हमें अकाल का कोई खतरा नहीं है। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्रता के चार दशकों से अधिक समय के दौरान आनुक्रमिक सरकारों द्वारा अपनाई गई कृषि नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषि में युगांतरकारी कायाकल्प की स्थिति ला दी गई है। यह सच है कि जनता शासन की तीन वर्ष की त्रासदी के दौरान भारी आघात पहुंचा था, परन्तु इन्दिरा जी और कांग्रेस के पुन: सत्ता में आने पर हमारी कृषिक अर्थव्यवस्था दोबारा सही रास्ते पर चल पड़ी है।

अब हमारे किसानों और खेत मजदूरों ने हमें खाद्य में आत्मनिर्भर बना दिया है। उन्होंने हमें इस वर्ष खाद्यान्नों तथा अन्य अधिकांश कृषि उत्पादों का अब तक का सर्वाधिक उत्पादन दिया है। उन्होंने हमें सूखे की कठिनाइयों तथा बाढ़ की तबाहियों को सहन करने का आंतरिक बल प्रदान किया है। उन्होंने हमें इज्जत एवं आत्मसम्मान दिया है। उन्होंने हमारी स्वतंत्रता को पुन: प्रतिबलित किया है। वे हमारी प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति सिद्ध हुए हैं। खेती में आत्मनिर्भरता का यह आधार ही है कि हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, पूर्णत: लोकतांत्रिक स्वदेशी नीति तथा एक स्वतंत्र विदेश नीति बना सके है। यदि हम किसी वक्त खाद्य के मोर्चे पर असफल हो गए होते तो, जैसाकि पंडित जी ने कहा था, सम्पूर्ण देश एवं वह सभी कुछ कमजोर हो जाता

जिसके लिए हमने संघर्ष किया। यह हमारी उल्लसित खेती के कारण ही है कि ऐसा नहीं हुआ। यही कारण है कि देश, किसान एवं खेतिहर मजदूर का पूर्णत: ऋणी बन गया है। पिछले नौ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में पहले की अपेक्षा तीव्र वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न कृषि उत्पादों सहित खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं की मांग में वृद्धि आई है। यह स्वागत योग्य है। इसका अर्थ है कि जनता के पौष्टिक आहार और जीवनयापन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मांग की इस आशातीत वृद्धि को पूरा करने के लिए हमें उत्पादन बढ़ाना होगा। इस प्रकार, हम आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्चतम प्राथमिकता देने के लिए कृतसंकल्प हैं। कृषि के विकास की गति में अवश्य तेजी लाई जानी चाहिए। आमदनी एवं रोजगार पहले के मुकाबले में अधिक तेज गति से अवश्य बढ़ना चाहिए। हमारे किसान कृषि उपज के समर्थन मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया से चिंतित हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कृषि उपज के समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय उत्पादन लागत का हिसाब लगाने के तरीके में दो बड़े संशोधन लागू किये जायें। प्रथम, हम कृषि मजदूरों के लिए राज्य द्वारा अधिसूचित सांविधिक न्यूनतम मजदूरी अथवा चुकता वास्तविक मजदूरी में से जो भी अधिक हो, के आधार पर मजदूरी लागत निर्धारित करेंगे।

दूसरे, हम किसान के प्रबंधकीय तथा उद्यमी दायित्व को स्पष्ट करते हुए उसके काम में आने वाले श्रम को अधिकाधिक मजदूरी के रूप में उत्पादन की लागत में शामिल करेंगे। सरकार द्वारा समर्थन मूल्य बुवाई से पहले ही अधिसूचित किए जा रहे हैं ताकि किसान अपनी फसलों का पैटर्न तर्कसंगत रूप से निर्धारित कर सकें। तथापि, इस तरीके से घोषणा के समय तथा कटाई के समय के बीच लागतों में होने वाली वृद्धि शामिल नहीं की जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए हम सी.ए.सी.पी. को एक उपयुक्त वृद्धि सूत्र बनाने की हिदायत दे रहे हैं। इसी दौरान, खरीफ, 1989 से लेकर, काम में आने वाली सामग्री के मूल्यों में वृद्धि एवं बुवाई के समय को शुरुआत के समर्थन मूल्यों में वृद्धि की जाएगी।

धान का खरीद मूल्य 175/- रु. से बढ़कर 185/- रु. प्रति क्विंटल होगा: मोटे अनाजों जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का एवं रागी का 155/- रु. से बढ़कर 165/- रु, खरीफ दालों जैसे तूर, मूंग एवं उड़द का 400/- रु. से बढ़कर 425/- रु., मूंगफली का 470/- रु. से बढ़कर 500/- रु., काले सोयाबीन का 305/- रु. से बढ़कर 325/- रु. तथा पीले सोयाबीन का 350/- रु. से बढ़कर 370/- रु., सूरजमुखी के बीज का 500/- रु., से बढ़कर 530/- रु.; एफ-414 एवं एच-777 कपास का 540/- रु. से बढ़कर 570/- रु. तथा एच-4 कपास का 650/- रु. से बढ़कर 690/- रु., तथा अन्तत: पटसन (एम. 5 असम की किस्म) का खरीद मूल्य 280/- रु. से बढ़कर 295/- रु. होगा। ये दरें उन किसानों पर भी लागू होंगी जिन्होंने चालू खरीफ मौसम में अपने उत्पाद बेच दिये हैं।

कृषक समुदाय अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि क्षेत्र के लिए व्यवसाय की शर्तों पर भी चिंतित रहा है। छठी तथा सातवीं योजनाओं में व्यवसाय की शर्तों के प्रतिकूल संचलन को कुछ हद तक सुधारा गया है। हम आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के लिए व्यवसाय की अनुकूल शर्तें सुनिश्चित करेंगे।

बहुत से किसान न्यूनतम समर्थन मूल्यों का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि कभी-कभी खरीद केन्द्र उनके खेतों तथा गांवों से काफी दूरी पर स्थित होते हैं। हमारा इरादा खरीद केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का है ताकि, अन्ततः, खरीद केन्द्र प्रत्येक किसान के गांव से 10 किलोमीटर के भीतर हो सके। ग्रामीण सड़कों का जाल भी चरणबद्ध रूप में मजबूत बनाया जाएगा। विशेषत: वे किसान जो जल्दी खराब होने वाली कृषि पण्यों की खेती करते हैं, अक्सर अपने उत्पादन के उचित मूल्य की धनराशि से केवल इसलिए वंचित रहे जाते हैं, क्योंकि उनकी पैदावार जल्दी खराब होने वाली होती है। इसका एकमात्र हल ग्रामीण गोदामों तथा शीत/शीतित भाण्डागारों की सुविधाओं का विस्तार करना है। इस उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में शीत/शीतित भाण्डागारों की सुविधाएं स्थापित करने के लिए आकर्षक शर्तों पर संस्थागत ऋण के विस्तार के लिए एक विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है।

कृषि समुदाय की ऋण सुविधाओं में वृद्धि करने की काफी गुंजाइश है। हम इसके लिए चार विशिष्ट उपाय प्रस्तावित करते हैं। पहला, हमें सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को उपलब्ध न हो रहे ऋण की समस्या का अवश्य समाधान करना चाहिए क्योंकि जिन सहकारी संस्थाओं से वे संबंधित है, वे नाबार्ड के पुनर्वित्तीयन की पात्र नहीं रही है। इस समस्या के समाधान के लिए पहले उपाय के रूप में हमने आगामी रबी मौसम से सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से 100 करोड़ रुपये के ऋण की विशेष संख्या निर्दिष्ट करने का निर्णय किया है। यह ऋण केवल अनसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। दूसरा अल्पावधिक उत्पादन ऋण के वित्त-पोषण की राशि को वार्षिक रूप से परिशोधित किया जाएगा ताकि किसान को उपलब्ध करवाये गए ऋण से उसकी खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्तमान कीमतों पर अनुशंसित राशि को पूर्णत: काम में लगाया जा सके।

तीसरा, जल विभाजन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्षा पर आधारित कृषिकारी क्षेत्रों के किसानों के लिए एक विशेष ऋण तंत्र चालू किया जा रहा है। नया तंत्र तीन से पांच वर्ष की अवधि में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आधार पर चालू होगा ताकि ऐसे क्षेत्रों में किसी एक अवधि के दौरान आने वाले पर्याप्त और अपर्याप्त मानसून वाले वर्षों के सहज जोखिम को संतुलित किया जा सके। विशेष ऋण तंत्र में एक आवर्त्तक अवधि में उत्पन्न होने वाली अतिदेय राशियों की समस्याओं को ध्यान में रखा जाएगा ताकि लाभकारी फसल उत्पादन और अन्य सम्बद्ध कार्यों की सहायता के लिए पर्याप्त ऋण का आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जा सके। इस तंत्र को वर्षा आश्रित कृषिकारी क्षेत्रों में जल-विभाजन विकास के बड़े कार्यक्रम द्वारा पुन: सशक्त बनाया जाएगा।

चौथा उपाय जिसे हम प्रस्तावित करते हैं, यह अवश्य प्रक्रियात्मक है, परन्तु वह किसान को अपनी आवश्यकताओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने के नाते तत्काल मान्य होगा। किसानों को पास बुकें और कृषि ऋण-पत्र दिए जायेंगे ताकि सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों से आसानी से उत्पादन ऋण प्राप्त किया जा सके।

राष्ट्रीय कृषि ऋण सहायता निधि से भिन्न-भिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में उत्पादन की विशिष्टताओं और भारी क्षति पर आधारित एक विस्तृत राहत नीति तैयार होगी। ऋणों के कार्यक्रम के पुनर्निधारण तथा सुस्पष्ट परिस्थितियों में सूद और मूलधन की छूट के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में किसानों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। यद्यपि हम भूमि सुधार और सिंचाई में भारी पूंजीनिवेश कर चुके हैं, फिर भी भूमि तथा जल संसाधनों का हमारा प्रबंध इतना खराब रहा है कि लाभ प्राप्ति इष्टतम प्राप्तव्य की अपेक्षा बहुत कम हुई है। हम अपनी भूमि और जल संसाधनों के प्रबंध को बेहतर बनाने के लिए अनेक उपायों का प्रस्ताव करते हैं।

अगले पांच वर्षों में नहर परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में एक करोड़ अतिरिक्त भूमि में एक सुनिश्चित आधार पर सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों के लिए सुनिश्चित मात्रा में और ठीक समय पर पानी पहुंचाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। प्रतिवर्ष 10 लाख ट्यूबवैलों, खुदाई के कुओं का निर्माण भी किया जाएगा और प्रतिवर्ष पांच लाख हेक्टेयर भूमि को गांवों के तालाबों, झीलों, बांधों और पोखरों को साफ करने और उनका रख-रखाव करने के कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। दूसरे, असिंचित भूमि की उत्पादकता को कारगर जल-विभाजन विकास और इन-सीटू नमी परीक्षण द्वारा बढ़ाया जाएगा। अगले पांच वर्षों के दौरान 50 लाख हैक्टेयर भूमि में यह कार्यक्रम लागू किया जाएगा।

तीसरा, प्रतिवर्ष 25 लाख हेक्टेयर की दर से 25 लाख हेक्टेयर ऊसर और बारानी भूमि का सुधार किया जाएगा। हमें इन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए आठवीं योजना के आरम्भ होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इसी वर्ष ही इसकी शुरुआत की जानी चाहिए। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्लास्टिकल्चर में अत्यधिक सम्भाव्यता है। विशेषकर सिंचाई, भंडारण और पैकेजबंदी में प्लास्टिक के अनेक उपयोग हैं।

प्लास्टिक संबंधी वर्तमान योजनाओं में पर्याप्त विकास किया जाएगा।

सभी किसानों को स्प्रिंक्लर अथवा ड्रिप सिंचाई प्रणाली की संस्थापना के लिए प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्लभ जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए एक लाख अतिरिक्त स्प्रिंक्लर प्रणालियों और एक लाख ड्रिप सिंचाई प्रणालियों की स्थापना की जाएगी।

अधिकाधिक कृषि उत्पादन का मूल आधार अच्छे बीज हैं। नई बीज नीति कार्यान्वित की जा रही है और बनाए जा रहे सुरक्षित भंडार से किसानों को उत्तम किस्म के बीज और पौध-रोपण सामग्रियां उचित मूल्य पर सुलभ होंगी। हमें लघु, सीमांत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों की विशेष चिंता है। रबी 1980-90 से ऐसे 20 लाख किसानों को वर्तमान केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के अधीन बेहतर बीजों की आपूर्ति के लिए मिनीकिट उपलब्ध कराए जायेंगे। कृषि अनुसंधान पर आवश्यक ध्यान अथवा प्राथमिकता नहीं दी जा रही। हम भारतीय

कृषि अनुसंधान परिषद का पुनर्गठन कर रहे हैं और मैं इसके प्रेजिडेंट पद का कार्यभार संभालूंगा। हमारे ध्यान में दो मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, हमारा प्रस्ताव 15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों के प्रत्येक उपक्षेत्र में उपयुक्त प्रौद्योगिकी प्रदान करना है ताकि प्रत्येक क्षेत्र में हम अपनी कृषि को आधुनिक बना सके। दूसरा, संकर किस्म के अनुसंधान और विकास के लिए एक विशेष समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है जिसमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, कपास और तिलहन शामिल होंगे। इनके परिणाम पांच वर्षों के अन्दर मांगे जायेंगे और अनुसंधान कार्यक्रम के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण उच्चतम स्तर पर किया जाएगा। कृषि मशीनों और बेहतर डिजाइन के विशेषकर नए और अधिक कारगर सामग्रियों का प्रयोग करने वाले औजार के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए निर्माण और ऐसे मशीनों और औजारों के विपणन तथा मशीनों और औजारों, पौध संरक्षण उपस्कर और स्प्रिंक्लरों को पट्टे अथवा किराये पर देने के लिए ऋण प्रदान करने के प्रयोजनार्थ एक विशेष निधि स्थापित की जा रही है।

प्राथमिक उपज का मूल्य बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी कृषि पर आधारित उद्योगों, विशेषकर खाद्य संसाधन उद्योगों को बढ़ावा देना आवश्यक है। उपयुक्त क्षेत्रों में फलों और सब्जियों के विकास और संसाधन के लिए एक विशेष विस्तार और अवसंरचनात्मक एकमुश्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। औद्योगिक एककों के लघु-उत्पादकों के साथ व्यक्तिगत अथवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ठेके करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। ग्रामीण आर्थिक कार्य के विविधीकरण के लिए सभी तटीय जिलों में मत्स्यपालन और जलजीवपालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्यपालन विकास एजेंसियां स्थापित की जा रही हैं। मुर्गी के सस्ते चारे सहित अंडे के मूल्यों के सुस्थिरीकरण के लिए विपणन समर्थन, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे मुर्गीपालन फार्मों से सम्बद्ध संसाधन संकुल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने और संसाधित मुर्गीपालन उत्पादों के निर्यात के लिए समर्थन देने सहित मुर्गीपालन विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

कृषि में एक मुख्य निर्यात क्षेत्र बनने की संभावना है। हमारे किसानों को कृषि उत्पादों को लाभकारी निर्यात बाजारों से जोड़ने से लाभ प्राप्त होगा। इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए, निर्यात योग्य जिन्सों के उत्पादन के आधार तथा गैर-पारम्परिक कृषि निर्यात की सीमा को बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहन देने का हमारा प्रस्ताव है।

इस संबंध में, मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि हमने बंगाल देशी कपास की एक लाख गांठों और ज्यादा लम्बे रेशेवाली कपास की दो लाख गांठों का निर्यात करने की अनुमति देने का निश्चय किया है। जहां तक कृषि पण्यों की निर्यात नीति का संबंध है, उन्हें इस प्रकार विनियमित किया जाएगा ताकि हमारे किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।

इस एकमुश्त योजना के समर्थन के लिए प्रमुख संस्थागत सुधार अपेक्षित हैं। इस विषय में दो प्रमुख कार्यक्रम हमारे हाथ में हैं। पहला हम भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने और

संगणकीकृत करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं ताकि किसान मांग पर प्रलेखन प्राप्त करे सकें। दूसरा हम सहकारी आंदोलन को सुधारने, नवीनीकृत करने और पुन: सशक्त बनाने का प्रस्ताव करते हैं जो देश के बहुत से भागों में और कई तरीकों से यह अहम भूमिका निभाने में असफल रहा है, जिसकी हमारी सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन की नीति में सहकारी आंदोलन के लिए परिकल्पना की गई थी। यह हमारे अगले कार्यकाल के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाने वाला कार्य है। कृषि के हित में राष्ट्र का हित है। कृषि विकास और राष्ट्रीय विकास में कोई अंतर नहीं है। पहली वस्तु दूसरी का आधार है। हमे विश्वास है कि जिस कृषि पैकेज को मैं अब सदन के सामने रख रहा हूं उससे हमारे कृषि समुदाय के लिए एक उज्ज्वल और नए युग का शुभारम्भ होगा।

पश्च टिप्पण

XXXV. कृषि पैकेज के बारे में वक्तव्य, 12 अक्तूबर, 1989

कोई टिप्पण नहीं।